(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या 26

सोमवार

दिनांक 3 अप्रेल, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जोधपुर में चलने वाली थ्री व्हिलर

662. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर शहर में छोटी थ्री व्हिलर टैम्पों (टैक्सी) की संख्या कितनी है ?

(2 जोधपुर शहर में जो टैम्पों सर्विस चल रही है उनका किराया भी चार्जेज के रूप में लिया जाता है या आपसी सहमति से ?

(3) क्या राज्य सरकार जोधपुर शहर की आबादी को देखते हुए मीटर रीडिंग के आधार पर टैम्पों थ्री व्हिलर का किराया वसूल किया जाना उचित समझती है ? यदि हां, तो मीटर रीडिंग के आधार पर किराये की दर क्या होगी व कब से लागू करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

राज्य यातायात मंत्री (श्री विज्ञान मोदी) : (1) जोधपुर में छोटी थ्री व्हिलर टैम्पों टैक्सी (आटोरिक्शा) की संख्या 580 है।

(2) जोधपुर शहर में चल रहे थ्री व्हिलर टैम्पों (आटो रिक्शा) का किराया नियमानुसार फेयर मीटर के अनुसार लिया जाता है। बिना मीटर चलने या अनुचित रूप से ज्यादा किराया मांगने बाबत शिकायत आने पर वाहन मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जोधपुर शहर में राज्य सरकार द्वारा पहले से ही छोटे थ्री व्हिलर (आटो रिक्शा) का मीटर के आधार पर किराया वसूल करने के आदेश हैं।

किराये की दर निम्न प्रकार है :—

(1) भाड़े की दर

न्यूनतम रु० 1/- मात्र अधीन रहते हुए प्रति कि. मी. 0-60 पैसे।

(2) विश्राम प्रभार

(श्री विज्ञान मोदी)

प्रथम पांच मिनट का कोई प्रभार नहीं। तत्पश्चात् विश्राम की सम्पूर्ण कालावधि के लिए 2 पैसे प्रति मिनट।

(3) लगेज प्रभार

(1) 10 किलोग्राम या इससे कम के किसी भी पैकेट के लिए कोई प्रभार नहीं।

(2) 10 किलो ग्राम से अधिक के प्रति पैकेट के 20 पैसे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, जवाब बिल्कुल गलत दिया गया है।

श्री रामसिंह विश्नोई: आप बिराजें, मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता।

श्री रामसिंह विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर के बारे में जानता हूं। यों ही आटो रिक्शा में बिठा लेते हैं। मीटर के अनुसार चार्ज नहीं लेते है। उसे सराय बता देते हैं। मनमाने ढंग से चार्ज लेते हैं। चार चार. पांच पांच सवारी बिठा लेते है। मैं चाहता हूं कि मीटर के हिसाब से चार्ज लें। आपने जो कहा है, वह हम भी जानते हैं। जवाब तो ठीक से दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई: यों ही मीटर के मीटर खराब बता देते हैं और डबल पैसे चार्ज करते है।

श्री विज्ञान मोदी: जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, नियमों के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान है।

श्री रामसिंह विश्नोई: आप यह बता दीजिए। जोधपुर शहर में टैम्पों मीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं या मनमाने ढंग से चार्ज करते हैं? क्या आप सारे टैम्पो मीटर सील्ड करने का आदेश देंगे?

श्री विज्ञान मोदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटर के अनुसार चार्ज नहीं करने की शिकायत आने पर कार्यवाही की जाती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): यह क्वेश्चन ही शिकायत है।

(व्यवधान)

श्री विज्ञान मोदी: जो मीटर सील्ड नहीं हैं वह सील्ड करके ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे नियमानुसार किराया चार्ज हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक एक करके माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा: इस मामले में पिछले साल, याने एक साल में कितने चालान पेश हुए और कितनों को सजा हुई?

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन देने का कष्ट करेंगे कि बीकानेर, जोधपुर इन शहरों में बिना मीटर के किसी आटोरिक्शा को नहीं चलने दिया जायगा? दूसरे अगर मीटर व्यवस्था चालू नहीं रखेंगे तो और सवाल पैदा हो जाएगा। मन मर्जी के हिसाब से पैसा ज्यादा ले लेते हैं। जो भी टैम्पो हैं, आप उन पर मीटर सिस्टम लागू कीजिए।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि शिकायत आने पर कार्यवाही करेंगे । तो विधान सभा में माननीय सदस्य ने जो कहा है कि जोधपुर में मीटर के अनुसार चार्ज लेते ही नहीं हैं, क्या यह शिकायत नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : यह तो कह दिया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यहां ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए टैम्पों वाले मीटर के लिए कह देते हैं कि यह खराब है ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मीटर सील्ड नहीं है । ढ़ाई ढ़ाई, तीन तीन रुपया चार्ज आ जाता है । क्या विशेष व्यवस्था द्वारा उनको चैक करा-कर ठीक करायेंगे ? एक एक की जगह ढ़ाई ढ़ाई तीन तीन रुपया लेते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने पांच टैम्पों वालों से मीटर के अनुसार चार्ज करने के लिए पूछा लेकिन उन्होंने मीटर के अनुसार चार्ज करने से मना कर दिया । बताया कि हमारा मीटर खराब है । किससे शिकायत करें ? जितने टैम्पों वाले हैं, सभी यह कहते हैं, मीटर खराब है । जान बूझकर पैसे ज्यादा लेने के लिए कहते हैं ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : दो रुपये ज्यादा चार्ज करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके बोलें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अगर व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं तो मीटर ही हटवा दें ।

श्री अब्दुल अजीज : सरकार इस व्यवस्था के बारे में ···

श्री अध्यक्ष : हो गया । अब उत्तर आने दें ।

श्री विज्ञान मोदी : माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह स्वाभाविक है । इस समस्या के निराकरण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सख्ती से लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री गुरुशरण ।

श्रीमती मदन कौर : इसके लिए क्या कार्यवाही करना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मन्त्री महोदय ने कहा दिया ।

नैक्स्ट क्वेश्चन ।

(व्यवधान)

No More माननीय सदस्य ।

निगम की सूरतगढ़-हनुमानगढ़ मार्ग पर चलने वाली बसें

663. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य परिवहन निगम की सूरतगढ़–हनुमानगढ़ बस मार्ग पर कितनी बसों का प्रतिदिन आवागमन है ?

(2) गत 6 माह में इस मार्ग पर कितने समय से नहीं चली ? बसों के रूट मिस करने का क्या कारण था ?

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

(3) सूरतगढ़ हनुमानगढ़ बस मार्ग पर बसें समय पर न चलने के कारण बसों के रूट मिस होते रहने के कारण कितना घाटा हनुमानगढ़ आगार को गत वर्ष हुआ ?

(4) अनूपगढ़-सूरतगढ़ बस मार्ग पर चलने वाली बसों की स्थिति क्या शोचनीय है ? यदि हां, तो निगम क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(5) सूरतगढ़ से जयपुर के लिए रात्रि बस कब शुरू की जा रही है ?

(6) क्या अधिस्वीकृत पत्रकारों को डीलक्स एवं रात्रिकालीन बसों में यात्रा पर छूट देने का अधिकार निगम द्वारा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? सम्पूर्ण राजस्थान में परिवहन की बसो में उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा सामग्री पर पिछले 5 वर्षों में प्रति वर्ष में कितना कितना खर्च हुआ ? क्या यह सामग्री हर वर्ष में उपलब्ध होती है ?

(7) परिवहन बसों में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध क्यों नहीं होती ?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री विज्ञान मोदी): (1) इस मार्ग पर 32 एकल सेवायें प्रतिदिन संचालित की जाती है।

(2) माह सितम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में निरस्त ट्रिप्स की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। ये समस्त निरस्तीकरण वाहनों में यांत्रिक दोष के कारण हुए थे।

(3) सूरतगढ़-हनुमानगढ़ मार्ग पर माह सितम्बर, 77 से फरवरी, 78 तक की अवधि में ट्रिप्स निरस्तीकरण के फलस्वरूप लगभग 1.25 लाख का घाटा हनुमानगढ़ आगार को होने का अनुमान है। परन्तु इस मामले में निश्चित हानि बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह मार्ग राष्ट्रीयकृत होने के कारण जो वाहन सेवायें निरस्त होती हैं उनके बाद में चलने वाली वाहनें मार्ग पर उपलब्ध यात्रीभार को उठाती जाती हैं। इस प्रकार वास्तविक घाटा उक्त राशि से कम ही होगा।

(4) अनूपगढ़-सूरतगढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है। अत: निगम द्वारा कोई वाहन सेवा संचालित नहीं की जाती है। इस मार्ग पर 11 निजी वाहनें चलती है। इन वाहनों की स्थिति ठीक है।

(5) ऐसा कोई प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है।

(6) निगम द्वारा संचालित सभी रात्रि सेवाओं में अधिस्वीकृत पत्रकारों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त है। डीलक्स बसों में सुविधा देने का मामला निगम के विचाराधीन है। वर्ष 1974–75 से वर्ष 1977–78 तक की अवधि में प्राथमिक चिकित्सा सामग्री निम्न प्रकार से क्रय की गई :—

1974–75	3753.00
1975–76	19380.00
1976–77	67.00
1977–78	225.00

वर्ष 1978–79 में इस मद पर 23 हजार रुपये का खर्च प्रस्तावित है।

(श्री विज्ञान मोदी)

(7) निगम की प्रत्येक वाहन में शिकायत पुस्तिका आगार द्वारा प्रत्येक परिचालक को दी जाती है। यह शिकायत पुस्तिका प्रत्येक आगार में परिचालक के नाम से जारी की जाती है और परिचालक का यह दायित्व है कि वह मार्ग पर जाते समय यह शिकायत पुस्तिका अपने पास रखे तथा यात्रियों के मांगने पर उन्हें यह उपलब्ध करायें।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री श्योपतसिंह मकासर : शिकायत पुस्तिकाएं धुलाने के लिए दी गई हैं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि सूरतगढ़-अनूपगढ़ मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है, लेकिन जो बसें वहां पर चल रही हैं, उनकी स्थिति जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने बताया, कि ठीक है, यह वास्तविकता से दूर है, बसों में शीशा नहीं है, ब्रिंग नहीं होती—

कई माननीय सदस्य : प्रश्न पूछिये, भाषण मत दीजिये।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : बसों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सूरतगढ़-अनूपगढ़ मार्ग पर सरकार परिवहन की बसें लगाने की चेष्टा करेगी?

श्री बालचन्द आर्य (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन मार्गों को राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया गया है क्या इन पर बसें सुचारु रूप से चल रही हैं? कई कर्मचारी उन मार्गों पर जाने से मना कर देते हैं। यदि कोई कर्मचारी उन मार्गों पर नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? झालावाड़ डिपो के मैनेजर से ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्य : एक्शन क्यों नहीं लेते, कर्मचारियों को निलम्बित क्यों नहीं किया जाता?

श्री अध्यक्ष : झालावाड़ के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सूरतगढ़-हनुमानगढ़ मार्ग पर कितनी बस सेवाएं चल रही हैं?

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। डीलक्स और दूसरी गाड़ियों में उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसके बारे में मन्त्री महोदय को कोई निश्चित घोषणा करनी चाहिए।

दूसरा—

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पूछते जाते हैं और जवाब नहीं आते हैं। मन्त्री महोदय सुनते जाते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी बस में फस्ट एड बाक्स नहीं है। वर्ष 1978-79 में इस मद

(श्री ईश्वरचन्द्र)

पद 23,000 रु. का खर्च प्रस्तावित है, जब तक इसके लिए कोई मशीनरी इन्वाल्व नहीं करोगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा किसी भी बस में प्राथमिक चिकित्सा के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं, कोई सामान नहीं है। यदि है तो मन्त्री महोदय, बताएं कि किस किस बस में यह इन्तजाम किया गया है? और यदि उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी?

इसके अलावा जो 23 हजार रुपयों का खर्च का प्रस्ताव है, तो दवाइयां वगैरह समय पर उपलब्ध हो जाय इसके लिए क्या योजना है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जवाब आना चाहिए, मन्त्री महोदय ने सोच रखा है बोलो मत, चुप रहो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय, मन्त्रिमण्डल के माननीय सदस्यगण और मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पिछले 9 महीने में कितने मन्त्रीगणों ने कितनी बार राजकीय बसों में सवारियां की? आप एक बार भी यात्रा कर लेते तो असेम्बली के मैम्बरों की क्या गाथायें हैं, यह मालूम पड़ जाता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (स्वास्थ्य मन्त्री) : तीन बार मैंने की है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं कल ही बीकानेर से आया हूं, पचास आदमी बैठे और पचास खड़े थे। मैंने तीस रुपया डीलक्स बस का किराया दिया। किराया आपने इन्क्रीज कर दिया और बसों की यह हालत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने राष्ट्रीयकरण की स्कीम को फेल कर दिया लोगों की नजरों में।

(व्यवधान)

परिवहन मन्त्री (श्री केदारनाथ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़-अनूपगढ़ मार्ग पर 11 बसें चलती थीं, जिनमें से तीन को कण्डम कर दिया है। बाकी बसें सर्विस कण्डीशन पूरा नहीं करती हैं इसलिए उनको नोटिस दे दिया गया है और कार्यवाही चालू है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री केदारनाथ : दूसरी बात फर्स्ट एड के बारे में है कि 1966-67 में केवल इसके लिए 67/- रु० अलोकेट थे, 1977-78 में 225/- रु० अलोकेट थे और इस वर्ष 23000/- अलोकेट किये है। माननीय सदस्य जिला कमेटी के मैम्बर हैं। वहां पर इस प्रकार कोई प्रश्न आये तो उस पर सुझाव दे सकते हैं।

श्री रूपत सिंह मकासर : शिकायत पुस्तिका के बारे में जब हम पूछते है कण्डक्टर से तो कहते हैं धुलने के लिए दी हुई है।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : इसके लिए 35 कण्डक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उनको सस्पेण्ड कर दिया गया है। इसके अलावा एम०एल०एज, को पावर दे दी गई है, जांच करने के लिए।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ): फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयां नहीं हैं, बॉक्स जरूर हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैंने पूछा था कि क्या सूरतगढ़-अनूपगढ़ मार्ग पर बस सेवा की स्थिति ठीक है ? माननीय मन्त्रीजी ने जवाब दिया कि स्थिति सही है। यह उत्तर सही नहीं है। तीन बसें उन्होंने रद्द कर दी हैं और बाकी को नोटिस दे दिया है, इन दोनों बातों में विरोधाभास है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति होते हुए भी अभी प्राइवेट बस आनर्स की ही मोनोपोली चल रही है और मुसाफिरों को परेशानी हो रही है। इसके लिए क्या कार्यवाही की जायगी, क्या सरकार इस मार्ग पर रोडवेज की बसें लगाने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। सरकारी उत्तर जानना चाहते हैं या नहीं ? सप्लीमेन्ट्री पर सप्लीमेन्ट्री पूछते चले जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री केदारनाथ : आपने यह पूछा कि लेटेस्ट एक्शन क्या लिया ? आज सुबह ही 9 बजे आर.टी. ओ. से जानकारी ली है। 3 बसेज को कन्डेम कर दिया गया है। इसके अलावा सर्वे किया जा है। सर्वे रिपोर्ट आने पर नयी बसेज का स्टॉप फिक्स कर दिया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : वे और जवाब दे रहे हैं आप और जवाब दे रहे हैं। यह अलग बात क्यों है ?

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): अभी मंत्री महोदय ने कहा कि विधायकों को अधिकार दिया है। कौन सा अधिकार दिया है ? कृपया स्पष्ट करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई अधिकार नहीं दिया है।

श्रीरतनलाल वर्मा (भिनाय): आपने विधान सभा में घोषणा की है। आप कृपया बतायें तो सही कौन सा अधिकार दिया है ?

(व्यवधान)

आप अपनी अपनी ही क्यों गाते हो हमारी भी तो बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कौशल किशोर जैन।

राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट भीलवाड़ा

664. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वनस्पति, प्रोडक्ट भीलवाड़ा को भू. पू. राज्य सरकार ने 1966 से 1976 तक 10 वर्ष के लिये चुंगी के लिये क्या क्या रियायतें प्रदान की थीं ?

(2) क्या यह सही है कि 1971 में नगर परिषद्–भीलवाड़ा ने राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट को प्रदान की गयी कुछ रियायतों को रोक दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उस काल खण्ड का करीब ढाई लाख रुपया नगर परिषद्–भीलवाड़ा में जमा है ?

(श्रीकौशल किशोर जैन)

(4) क्या मिल मालिकों ने लिए इसके हाईकोर्ट तथा सुप्रीमकोर्ट में रिट दायर की थी ?

(5) क्या भू. पू. सरकार ने मुकदमा उठाने तथा ढाई लाख रुपया लौटाने का निर्णय किया था ?

राज्य मंत्री, स्वायत शासन (श्रीविज्ञान मोदी) : (1) कतिपय कच्चे माल पर चुंगी से मुक्ति दी गयी थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मंत्री महोदय ने सब ही प्रश्नों का गोलमाल उत्तर दिया है। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट भीलवाड़ा की कितनी राशि नगर नगरपालिका में जमा है ? मैंने यह स्पष्ट प्रश्न में पूछा है कि कितनी राशि उनकी जमा है ? क्या इमर्जेंसी के समय में गृह राज्य मंत्री श्री गुलाबसिंहशक्तावत ने नगर-पालिका प्रशासन पर यह दबाव नहीं डाला था कि यह राशि राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट भीलवाड़ा को लौटा दी जाय ? 2।। से 5 लाख रुपया वनस्पति प्रोडक्ट का का जमा है क्या उसके लिये दबाव नहीं डाला गया था ?

श्री विज्ञान मोदी : यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि सन् 1966 से लेकर सन् 1976 के बीच ……

श्री अध्यक्ष : मामला न्यायालय के विचाराधीन है, माननीय सदस्य।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष, मेरा पहला प्रश्न ही यह है कि गत दस साल में क्या क्या सुविधायें दी गयी? यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष, यह मामला सबजुडिस नहीं है।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रियायतों के बारे में मंत्री महोदय ने कोई जानकारी ही नहीं दी है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न के खण्ड (1) में ही पूछा स्पष्ट पूछा है कि भू. पू. राज्य सरकार ने 1966 से 76 10 वर्ष के लिये चुंगी में क्या क्या रियायतें दी थीं ? इसकी कोई भी मंत्री महोदय ने जानकारी नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। श्री एच. एन. शर्मा।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच दिन पहले ही आपकी ओर से यह व्यवस्था दी गयी थी कि स्टेटमेंट दिया जायगा। उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि उस व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एक्चुअल पोजिशन क्या है वह बताने में तो मन्त्री महोदय को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। रुपया राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स भीलवाड़ा को लौटाया गया या नहीं ?

Page No 9

(9)

श्री ईश्वर चन्द्र : श्री रामनारायणजी चौधरी उस समय मिनिस्टर थे। उन्होंने आदेश किये थे या नहीं ? यह सब-जुडिस नहीं है। रुपया लौटाया या नहीं? यह बतायें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : रुपया लौटाया या नहीं, इसका तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान तो ग्रहण करें। माननीय मन्त्री महोदय, क्या यह सारा ही प्रश्न पूर्णतया विचाराधीन है ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : रामनारायण चौधरी ने कोई आदेश दिया हो तो वह भी बता दीजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : आपने चुंगी माफ करवायी। भीलवाड़ा नगर पालिका को बरबाद कर दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडलगढ़) : मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने भीलवाड़ा में सभी फैक्ट्रियों को जरूरत से ज्यादा जमीन दी थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। उनके पास काफी जमीन बेकार पड़ी हुई है। यह मामला सब-जुडिस नहीं है। इन फैक्ट्रियों के पास अधिक जमीन पड़ी हुई हैं, क्या उन जमीनों को आप वापिस उनसे लेंगे ताकि जमीन गरीबों के काम आ सकें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

माननीय मन्त्री महोदय आप खड़े हो जाइये।

श्री विज्ञान मोदी : मैं यह बताना चाहूंगा कि जो राशि नगरपालिका में जमा है वह राशि अभी तक लौटायी नहीं गई है। जैसा कि मूल प्रश्न प्रश्नकर्त्ता ने यह पूछा कि किन किन चीजों पर चुंगी मुक्ति की सुविधा दी गयी, इस संदर्भ में निवेदन करूंगा कि कोटन सीड, खोपरा आयल, कास्टिक सोडा, सोडाएश, सोडियम, स्टील कोयला, हार्ड कोयला टिन, मशीनरी, बिजली का सामान इत्यादि वस्तुओं पर चुंगी मुक्त की गयी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह खोपड़ा क्या है ?

श्री विज्ञान मोदी : खोपड़ा आयल खोपरा आयल।

श्री कौशल किशोर जैन : क्या यह सही है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्य मन्त्री श्री गुलाबसिंह शक्तावत को राजस्थान वनस्पति प्रोडक्टस, भीलवाड़ा से एक लाख रुपया सालाना मिलता है इसलिये इस प्रकार की छूट दी थी ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसको चुंगी की रियायतें दी गयीं तो इसके अतिरिक्त भी भीलवाड़ा में कई इन्डस्ट्रियल स्टेट कायम हुए है उनको तो कोई रियायत नहीं मिलती थीं। राजस्थान वनस्पति प्रोडक्टस भीलवाड़ा को जो सामान रियायतों से मिला उसका उसने दुरुपयोग किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है ? माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : क्या इस प्रकार की रियायतें और भी मिलों को दी गयी हैं या केवल भीलवाड़ा की उक्त मिल को ही दी गयी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मन्त्री जी अगर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो दे दें।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में और किन-किन उद्योगों को इस प्रकार की रियायतें दी गयी है इस संबंध में अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी गयी है। अगर सभी माननीय सदस्य यह जानकारी चाहते हैं कि और किन किन उद्योगों को इस प्रकार की रियायतें दी गई जैसा कि भीलवाड़ा में दी गयी हैं। तो सभी उद्योगों की जांच करने के बाद में ही बताया जा सकता है। अगर इस प्रकार की रियायतें और भी दी गयी है तो उन सभी को पूरे परिप्रेक्ष में देखा जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम हाउस को दे दिया जाय कि कितने समय में यह जांच कर ली जायेगी।

श्री रतनलाल वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसके लिये स्पष्ट समय बताया जाना चाहिये। यह भी बताया जाना चाहिये कि किन किन उद्योगों को किस प्रकार की रियायतें दी गयी हैं?

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, इसके लिये समय बान्ध दिया जाना चाहिये कि कितनी अवधि में यह हो जायेगा।

श्री रतनलाल वर्मा: यह तो हमीं खुद चाहते है आप क्या पूछ रहे है। यह आप क्या नयी बात पूछ रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट प्रश्न।

श्रीश्योपतसिंह मक्कासर: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी कुछ घोषणा करने जा रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो जांच करके यह पता लगाया जा सकता है कि किन किन उद्योगों को क्या रियायतें दी गयी थीं। यह देखना पड़ेगा और आवश्यकता हुई तो इसकी जांच भी करवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 665 श्री एच० एन० शर्मा।

राजस्थान अणु शक्ति परियोजना में हड़ताल से हुआ नुकसान

665: श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राजस्थान अणु शक्ति परियोजना में पिछले 4 माह की हड़ताल से राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ है?

(2) क्या उक्त हड़ताल के फलस्वरूप विद्युत कटौती के कारण प्रदेश में मौजूदा फसल को नुकसान हुआ है? अगर हां तो कितना हुआ है?

(3) क्या अब राजस्थान अणु शक्ति परियोजना में कर्मचारियों द्वारा कार्य पूर्ण क्षमता के द्वारा किया जा रहा है? अगर नहीं तो राज्य सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या निकट भविष्य में भी किन्हीं अन्य कारणों से जैसे राणाप्रताप सागर डेम में पानी की कमी इत्यादि से राज्य में बिजली

(श्री एच० एन० शर्मा)

संकट उत्पन्न होने की सम्भावनाएं हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार इस संकट को बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

विद्युत मन्त्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) राजस्थान अणुशक्ति परियोजना से बिजली उत्पादन बन्द होने के फलस्वरूप राज्य में बिजली के उपयोग पर कटौती लगानी पड़ी है। राज्य सरकार की हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(2) कृषि उपयोग में बिजली की खपत पर कोई कटौती नहीं की गयी है। यद्यपि पीक लोड के समय आवश्यकतानुसार स्टेगरिंग किया जाता रहा है।

(3) राजस्थान अणुशक्ति परियोजना केन्द्रीय अणुशक्ति आयोग के नियन्त्रण में है। राजस्थान को इस परियोजना से जल्दी से जल्दी बिजली मिले ऐसा आग्रह हम केन्द्र सरकार को करते रहे हैं।

(4) राजस्थान अणुशक्ति परियोजना के बिजलीघर बन्द होने के कारण राज्य को बिजली उपलब्धि में कमी के कारण राज्य सरकार को विभिन्न उपभोक्ताओं पर 26 नवम्बर, 77 से कटौती लागू करनी पड़ी। इस कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए तथा विद्युत उपभोक्ताओं पर भारी कटौती न लगे इसलिए राणाप्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध बिजली उत्पादन केन्द्रों से बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए इन जलाशयों से कुछ हद तक पानी ज्यादा मात्रा में काम में लिया गया। परन्तु यदि अगली वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा (डिपेन्डेबल ईयर में होने वाली) हुई तो इन बिजली उत्पादन केन्द्रों से मिलने वाली बिजली में और व्यवधान आने की सम्भावना नहीं है।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि बिजली जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया जा रहा है, मैं, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा कि बिजली अणुशक्ति से कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आर. ए. पी. पी. में खराबी होने के कारण या उसमें बिजली कम पैदा होने के कारण, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर डेम और गांधी सागर डेम से अधिक बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पानी काम में लिया गया जिससे कि जलाशयों का पानी का स्तर नीचे अधिक चला गया है कि और आगे जाकर दिक्कत आ सकती है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का संबंध है केन्द्रीय सरकार ने अभी घोषणा की है कि मई माह तक आर. ए. पी. पी. से बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस ओर हम प्रयत्न भी कर रहे हैं।

दूसरे प्रश्न के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य बेगूं से आने वाले ने बताया कि अधिक पानी ले लेने से उन बांधों का स्तर गिर गया है तो उस संबंध में मेरा निवेदन है कि राणाप्रताप सागर से अप्रेल से माह जुलाई 77 (15-7-77) तक 7500 क्यूसेक पानी प्रति सैकिण्ड लिया गया था और गांधी सागर, जवाहर सागर डेम से क्रमशः 500 व 6500 क्यूसेक पानी प्रति सैकिण्ड पानी अप्रेल से जुलाई (15-7-77) तक उपलब्ध किया गया। जहां तक सवाल अब बिजली

(श्रीललितकिशोर चतुर्वेदी)

की कठिनाई है का भविष्य में राणाप्रताप सागर और गांधी सागर, जवाहर सागर डेम से कोई बिजली की कठिनाई नहीं आयेगी...

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या पिछले साल बिजली में कटौती नहीं की गयी? कृषि के मामलों में मैंने, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक प्रश्न भी पूछा था तब यह कहा था कि पिछले तीन माह से बिजली की भारी कटौती कृषि मामलों में विद्युत बोर्ड द्वारा की गयी। और कहीं की हो या नहीं, मैं विशेषरूप से, अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चौमू के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल जहां कृषि के लिए बिजली 9 लाख यूनिट प्रति माह मिलती थी। वहां पर बिजली कृषि के लिए सिर्फ पांच लाख यूनिट ही मिली। मैंने इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से भूतपूर्व बिजली मन्त्री से बात की थी और इसके अलावा एक डेपूटेशन भी भूतपूर्व अध्यक्ष बिजली बोर्ड से इस संबंध में मिला था उनसे. यह निवेदन किया गया था कि बिजली की कटौती कृषि के लिए चौमू के क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में विद्युत बोर्ड द्वारा की गयी है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विद्युत मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने राज्य सरकार को यह गलत सूचना दी है कि विद्युत में कटौती नहीं हुई, क्या मन्त्री महोदय उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहेंगे? और नहीं तो क्यों?

श्री अयूबखां (तिजारा): अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय यह फर्मा रहे हैं कि बिजली में कटौती नहीं की गयी तो कृषि के लिए विद्युत बोर्ड ने बिजली कम क्यों दी?

श्री हरि सिंह (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले साल जयपुर जिले में खेती के लिए बिजली में भयंकर रूप से कटौती हुई। मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य जो भी बैठे हैं उसमें से 99.99 प्रतिशत यह जानते होंगे कि बिजली की कटौती कृषि के संबंध में जितनी मात्रा में राजस्थान में की गयी थी इतनी भारी मात्रा में बिजली की कटौती आज तक किसी भी सरकार के समय में नहीं हुई। इससे किसानों को नुकसान हुआ। यह तो बरसात थोड़ी हो गयी जिससे कि फसल ज्यादा नष्ट नहीं हुई वरना तो आपके बिजली बोर्ड की वजह से किसान बेचारे डूब जाते। मन्त्री महोदय इस प्रकार का जवाब दे रहे हैं कि बिजली की कोई कटौती नहीं की गयी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में पिछले महीने में जब बिजली के बारे में सवाल पूछा था तब मैंने दो तीन बार यह निवेदन किया था कि आर. ए. पी. पी. के बन्द हो जाने के कारण बिजली की कमी हुई, राज्य सरकार ने उस कमी को पूरा करने के लिए भरसक कोशिश की और राज्य सरकार ने सतपुड़ा और बदरपुर योजनाओं से बिजली प्राप्त की थी और चूंकि बिजली कम थी इसलिये बिजली का स्टेगरिंग किया गया था और वह भी पीक लोड के समय। मैं सदन को बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

करना चाहूंगा कि आर. ए. पी. पी. के बन्द हो जाने के कारण स्टेगरिंग किया गया था लेकिन नियमित रूप से कृषि के लिए बिजली बन्द नहीं की गयी थी। सिर्फ सुबह और शाम ही बिजली सप्लाई की गयी थी।

श्रीमती सुमित्रासिंह: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि स्टेगरिंग और बिजली की कटौती में क्या अन्तर है ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या अब भविष्य में बिजली की कटौती नहीं करनी पड़े इसके लिए राज्य सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरा पूरक प्रश्न तो बिल्कुल ही स्पष्ट है. उसका उत्तर तो आना चाहिये। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि चौमू के इलाके में पिछले साल कृषि में तो बिजली की कटौती की गयी थी लेकिन जयपुर के पास झोटवाड़ा में विश्वकर्मा के इलाके में बिजली की कोई कटौती नहीं की गयी ? क्या यह भी सही है चौमू के इलाके में बिजली की कटौती किये जाने के कारण खेती की पैदावार मे किसानों को नुकसान हुआ? यह जवाब दे।

श्री हरिसिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी चाहे तो इसकी जांच कर सकते हैं। उन्हें पता लग जायेगा कि बिजली में कटौती हुई की नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, आर. ए. पी. पी. के बन्द हो जाने के कारण बिजली की कमी होती है तो भविष्य में इस प्रकार की कटौतियों से बचने के लिये

(व्यवधान)

क्या राज्य सरकार कोई स्थायी योजना बना रही है जिससे कि बार-बार जो आर. ए. पी. पी. के खराब हो जाने से बिजली चली जाती है वह नहीं जाये ?

श्रीमती सुमित्रासिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करें कि स्टेगरिंग और कटौती में क्या फर्क है?

(व्यवधान)

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, अणु शक्ति परियोजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है इसमें आयन्दा कोई खराबी नहीं हो और बिजली की भविष्य में कमी नहीं आये इसके लिये राज्य सरकार भारत सरकार से बातचीत करे जिससे कि भविष्य में बिजली की कठिनाई नहीं आये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसे एक फैक्ट्री के बारे में माननीय सदस्य ने बात कही उसकी जानकारी लेने के बाद निश्चित रूप से उस बात की इन्क्वायरी की जायगी। जहां तक यह प्रश्न है कि राजस्थान राज्य को और बिजली उपलब्ध हो..

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं..

श्री नूरा : हमारा अधिकार है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बैठे बैठे कोटा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है इसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि राजस्थान राज्य को अब लगातार बिजली उपलब्ध हो इसका परमानेन्ट प्रबंध कर रहे है। पहले यूनिट की स्वीकृति मिल रही है, दूसरे यूनिट का प्लान बनाकर भेजा जा रहा है। पहले में काम प्रारम्भ हो गया जहां तक आर.ए.पी.पी. का सवाल है, वह केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत है। लगातार उनको हम लिखते रहे हैं, मुख्य मंत्री भी वहां बात करते रहे हैं, मैंने अपनी ओर से. .

श्री अब्दुल अजीज : केन्द्रीय सरकार से हमेशा बातचीत चलती रही,

(व्यवधान)

लाखों रुपयों का नुकसान हुआ जिसको आप खुद मानते है इससे अनुमान लगाया जा सकता है · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्सट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें। मैंने नेक्सट क्वेश्चन के लिए कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं. .

श्री अध्यक्ष : अब आप निवेदन नहीं करेंगे : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह किसानों की फसल का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय इस स्थिति में नहीं है कि सब को सन्तोष दे सके। सदन भलीभांति इस मुद्दे से अवगत है।

नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह राजस्थान के किसानों का सवाल है, यह प्रश्न तीन बार मंत्री महोदय ने टाल दिया।

श्री अध्यक्ष : मेरी किसानों के साथ पूरी सहानुभुति है सब किसानों को सन्तुष्ट कर सके, ऐसा मैं समझता हूं, व्यवस्था नहीं हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि किसानों · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय, आप उत्तर देना प्रारम्भ कर दें।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : प्रश्नकर्ता होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं पूरा प्रश्न पूछूं।

श्री अध्यक्ष : I will name you Sit down.

श्री एच. एन. शर्मा : सदन के सप्लीमेंट्री की जानकारी कराने का मुझे पूरा अधिकार है। आप अगर कहते हैं कि आप मुझे बाहर निकलवा देंगे, तो मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रुकने वाला नहीं हूं. .

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह राजस्थान के किसानों का सवाल है। किसानों की आवाज को अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं और मंत्री महोदय अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मुझे सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राजस्थान के किसानों के दिल में जो दर्द है, वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरी बात का स्पष्ट जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो बहिर्गमन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय आसन के आदेशों की यदि कोई सदस्य उपेक्षा करता है तो आपको अपने अधिकार को प्रयोग में लाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

क्वेश्चन नं. 666

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों की बात नहीं सुनी जाती है आसन की तरफ से निर्देश है इसलिए मैं उचित समझता हूं कि राजस्थान के किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं सदन से बहिर्गमन करूं।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : आसन ने आपको समय दिया है, आप आसन पर आरोप लगाते हैं अच्छा है एक एक करके आप चले जाय तो हम राज करें। इस पार्टी में तो कोई इनको कहने वाला नहीं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

झालों की हवेली कोटा में विस्फोट

666. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में झालों की हवेली में विस्फोट हुआ? यदि हां तो यह विस्फोट कब हुआ?

(2) इस विस्फोट से जन धन की कितनी हानि हुई है?

(3) क्या विस्फोट के पीछे कुछ अराजक तत्वों का हाथ रहा है? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या यह विस्फोट कोटा बैराज को उड़ाने की साजिश तो नहीं थी?

(व्यवधान)

मेरे प्रश्न 666 का उत्तर पढ़ा जाए, मुझे उस पर सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर पढ़ा गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमने सुना नहीं है।

गृह मंत्री (श्री सम्पत राम) : (1) जी हां, यह विस्फोट झालों की हवेली में दिनांक 14-3-78 को हुआ।

(श्री सम्पतराम)

(2) इस विस्फोट में तीन व्यक्ति मारे गए एवं करीब एक लाख रुपये की कीमत की इमारत ढह गई। श्री विट्ठल नाथ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के 12 लड़कों के चोटें आई।

(3) विस्फोट में मरने वाले लड़कों की वजह से होने का संदेह है। थाना कैथूनीपोल द्वारा केस नं. 21/78 अन्डर सैक्शन इंडियन एक्सप्लोसीव एक्ट के अन्तर्गत दर्ज है। इस विस्फोट की जांच के लिए श्री दीन दयाल सूद, अतिरिक्त जिला दंडनायक, कोटा, को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(4) जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि कोटा बैराज व झाला हाउस का फासला 100 गज पर है? क्या यह सही है कि पिछले दिनों झाला हाउस में बारूद का बहुत बड़ा भंडार पाया गया? क्या उसे चम्बल नदी में डाल दिया गया है? क्या कोटा बैराज के निर्माण के समय अधिकारियों ने यह ध्यान नहीं दिया कि यहाँ बारूद का बहुत बड़ा भंडार है, उसको वहाँ से पहले हटाने की व्यवस्था की जाय।

क्या अभी तक बारूद का बहुत बड़ा भंडार उक्त स्थान पर उक्त हाउस में है? इसके लिये सरकार क्या कर रही है? भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो,

श्री दाऊदयाल जोशी : जिन 12 व्यक्तियों को चोटें आई है क्या उनके परिवारों को सरकार अनुदान देगी?

श्री ईश्वर चन्द्र : इन राजघरानों ने जगह जगह डाइनामाइट छिपा रखा है, क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है?

श्री बजरंग लाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह पुराने....

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : अब सप्लीमेंट्री न पूछें, गृह मंत्री का उत्तर आने दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतना और बता दें कि विस्फोट के क्या कारण थे?

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, इस घर के पश्चिम की ओर लगभग 220 गज की दूरी पर कोटा बैराज बना हुआ है। जिस समय यह बैराज बना था उस समय यह किसी को पता नहीं था कि इसमें बारूद है या नहीं इसलिए मैं इसको इस समय कोई भी सन्तोषप्रद उत्तर देने में असमर्थ हूं। दूसरा प्रश्न आपने यह पूछा कि यह विस्फोट कैसे हुआ, तो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। खण्ड (3) के उत्तर में कहा है कि विस्फोट में मरने वाले लड़कों की वजह से होने का सन्देह है और इसकी बाकायदा रिपोर्ट दर्ज की गई है। मैं सन्देह इसलिए कह रहा हूं कि रविन्द्रकुमार और खेमराज का धारा 397 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन के द्वारा चालान भी किया गया था। उन लड़कों का जो प्रीवियस कन्डक्ट है वह चोरी वगैरह का था। इसलिए थोड़ा अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है वह

Page No 17

(17)

(श्री सम्पतराम)

चोरी के लिहाज से गये हों। कमरा बन्द था जिसमें पुराने जमाने के चित्र थे। हो सकता है कि चित्रों को लेने गये हों लेकिन सन्देह इसलिए किया जाता है कि उनका प्रीवियस कन्डक्ट भी बियोन्ड डाउट नहीं था। इसलिए हो सकता है, लड़कों की वजह से यह हो गया हो। वहां बाकायदा खुदाई का काम चल रहा है और कानूनी व्यवस्था के तहत ए. डी. एम. जानकारी कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के भी आफिसर्स आये थे, हमारे भी एक्सपर्ट थे और पुलिस भी गई थी। अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी भी चल रही है और खुदाई भी चल रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या यह सही है कि यह हवेली और बारूद भूतपूर्व कोटा महाराजा का था और उनके पास बारूद का कोई लाइसेन्स नहीं था ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा सप्लीमेन्ट्री यह है कि जो नुकसान हुआ उन विद्यार्थियों का उसको अनुदान देकर पूरा करेंगे ?

श्री नूरा : यह अनुदान की तो बाद की बात है। पहले मन्त्री महोदय को जवाब तो देने दो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

स्थगित प्रश्न।

श्री बजरंगलाल शर्मा, श्री स्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ रहा है।

श्री नाथूराम : प्रश्न संख्या 671।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 मार्च, 1978)

राज्य में हरिजनों पर अत्याचार के मामले

177. **श्री बजरंगलाल शर्मा** : (बनीपार्क जयपुर) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य में 22 जून, 1977 से अब तक हरिजनों पर अत्याचार के कोई मामले हुए ? यदि हां, तो जिलेवार विगत सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें तथा उन मामलों में राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नहीं लिया जाता है। मैं समझती हूं कि यह किरायेदारों के बारे में प्रश्न है। आज 99 पर्सेन्ट केसेज कोर्ट में चल रहे हैं और मेरे प्रश्न का कोई उत्तर हाउस में नहीं दिया जाता है। मेरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 668। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी है।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। उनका उत्तर नहीं आ पाता है। मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये। मेरे प्रश्न का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, प्रश्नोत्तर काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

Page No 18

(18)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करें। मेरे प्रश्न का उत्तर आये तो कम से कम मुझे तो सन्तोष हो। मैं क्या करूं। मेरे प्रश्न नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थगित प्रश्न लेने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न को स्थगित करने का आदेश दें।

श्री मूलचन्द डागा : यह कैसे हो सकता है गिरधारीलाल जी का प्रश्न आये और इनका नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आसन को सहयोग प्रदान करें।

श्री मूलचन्द डागा : गिरधारीलालजी का आ गया तो श्रीमती उजला अरोड़ा का प्रश्न आना ही चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे अध्यक्ष महोदय, बड़ी आपत्ति है। मेरा प्रश्न बहुत मुश्किल से आया है। पूरे सत्र में यह दूसरा प्रश्न है और वह भी लाटरी की व्यवस्था के आधार पर आया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को स्थगित करने का आदेश प्रदान करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इनके आंसू आ गये हैं। इनके प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री कल्याणसिंह सांखला।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री कल्याणसिंह सांखला : प्रश्न संख्या 415।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया, क्या उत्तर आया ?

श्री अध्यक्ष : अगर सदन का यह टेम्पर है कि व्यवस्था से सदन की कार्यवाही नहीं चल सके तो एक अध्यक्ष इतने सदस्यों को कैसे कन्ट्रोल कर सकता है ?—

श्री अब्दुल अजीज : कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका सहयोग जब तक मुझे नहीं मिलता तब तक सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चलना सम्भव नहीं है अतएव मैं शासन पक्ष से खास तौर से निवेदन करता हूं नम्रतापूर्वक कि अनुशासन रखें। ताकि इस पक्ष के अनुशासन को देखकर उसके अनुसार आचरण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। उत्तर कब दिया है ?

श्री अध्यक्ष : सदन की परम्परागत व्यवस्था जो कुछ भी है, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर आये और माननीय सदस्य उत्तर सुनने के लिए तैयार हैं तो उत्तर आयेगा अन्यथा विवश होकर मुझे दूसरा प्रश्न पूछना पड़ेगा।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हम पर आरोप लगाया कि हम अनुशासनहीन हैं तो हमसे ज्यादा अनुशासनहीन तो यह हैं।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आ गया है, माननीय सदस्य,

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने सुना हो तो बता दें कि क्या उत्तर था। प्रश्न का उत्तर तो आये। एक भी माननीय सदस्य कह दें कि प्रश्न का उत्तर आया तो मैं मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, कृपया उत्तर दें। अगर नहीं सुनना हो तो दूसरा प्रश्न पुकार लूंगा। अगर इसको सुनना है तो सुन लें।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब मैं दूंगा लेकिन इससे पहले भी यह प्रश्न रखा गया था। उस समय आपने काल किया, उस समय भी प्रश्नकर्ता खड़े नहीं हुए। यह लैप्स हो गया था और इसको फिर दुबारा रख दिया। क्योंकि आपका आदेश है इसलिए उसकी तामील कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दें।

गृह मंत्री (श्री सम्पत राम) : जी हां जिलेवार सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रख दी गई है

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो सूची रखी है उसमें लिखा हैं ऐसे अपराध जो कि सवर्णों द्वारा किये जाते है वह जातिगत भावना से प्रेरित नहीं होते। पिछली बार प्रश्न को स्थगित करने का कारण यह था कि 'अ' और 'ब' श्रेणी कौन-कौन सी है, कौन से जातिगत भावना से और बिना जातिगत भावना से प्रेरित अपराध हैं ? इस बात पर इसको स्थगित किया गया था। इस पर काफी देर तक चर्चा भी हुई थी। आज मन्त्री महोदय उससे बेहतर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वह कौनसे अत्याचार हैं जो जातिगत भावना से प्रेरित नहीं हैं ? दूसरे जातिगत भावना से प्रेरित अत्याचार हैं वह कौन से हैं ? उनका इसमें ब्योरा नहीं है।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्षजी, मैं उत्तर नहीं दे पाया यह बात अलग है। आप इसका स्वयं मुलाहिजा कीजिए। मैंने सारी सूची सदन की मेज पर रख दी है। यह ठीक है, उस समय भी पूछा था कि यह 'अ' 'ब' और 'स' की कैटेगरी क्या है ? भारत सरकार ने कैटेगराइजेशन किया था कि इस तरह के कमजोर सैक्शन के ऊपर जो कुछ भी एटोसिटीज होती हैं उनको तीन भागों में 'अ', 'ब' और 'स' में विभाजित किया गया है। कोई भी सवर्ण जाति का व्यक्ति सीधे रूप से जातिगत भावना से प्रेरित होकर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर

(श्री सम्पतराम)

अत्याचार करता है तो वह 'अ' श्रेणी में आता है......

यह अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत आम तौर पर आता है। 'ब' कैटेगरी में वह होता है जो शिड्यूल्ड कास्ट के साथ कास्ट बेसिस पर नहीं होता, वह 'ब' जुर्म में आता है। तीसरा 'स' वह होता है जो केस शिड्यूल्ड कास्ट के द्वारा भी हो सकता है और सवर्णों से भी हो सकता है। लेकिन आज सूचना मिली है भारत सरकार ने कैटेगराईजेशन खतम कर दिया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा 'अ' और 'स' ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सप्लीमेंट्री पूछने का मेरा राइट है। इसलिए मेरा निवेदन है मिनिमम सप्लीमेंट्री पूछने की मुझे परमीशन दी जाये। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय बतावें, 'अ' और ये 'स' श्रेणी के कितने अपराध हुए? या बिल्कुल नहीं हुए? वर्ण संघर्ष के कोई अपराध हैं क्या?

श्री सम्पतराम : विस्तृत रूप से सारे मामले को रख दिया है। माननीय सदस्य प्रीमीनेंट लायर है वे स्वयं उसको देख सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : देखने का प्रश्न नहीं है। आप स्वयं पढ़ कर देख सकते हैं। 'अ' और 'स' श्रेणी में हो सकते है। बिल्कुल नहीं हुए या कितने हुए, इसमें नहीं है। यह प्रश्न पहले भी स्थगित किया था। गृह मन्त्री जी सूचना देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री सम्पतराम : सदन को सूचना देने की हैसियत में हूं, 'अ' कैटेगरी के आफिसेन्ज नहीं हुए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कल्याणसिंह सांखला।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। अपराधों की सूची क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : उत्तर जो था वह दे दिया। अब मैं सरकार को विवश नहीं कर सकता, माननीय सदस्य, उत्तर देने के लिए। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप टालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सम्पतराम : मैं बिल्कुल टालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यही वह समय है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : किसी भी मंत्री को इस तरह का संरक्षण नहीं होना चाहिये। आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा हमको संरक्षण देने का, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने का जितना आसन का परम् कर्तव्य है, उतना शायद किसी दूसरे का नहीं है। गृह मंत्री को विवश करें, 'स' श्रेणी के कितने केसेज हुए, बतायें?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : कितने किसानों के मामलों पर, मजदूरों के मामलों पर, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं? इसका समुचित उत्तर दें।

श्री मूलचन्द डागा : कितने मामले पुलिस विभाग में दर्ज हुए और कितनों का चालान हुआ, कितने मामलों में तारीख दी गई, और कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई? चारों बातें बतायें। कितने मामले दर्ज हुए, कितने चालान कर दिये, कितनों में तारीख दी गई और कितने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया? उत्तर दीजिये। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री सम्पतराम : सवाल बड़ा स्पष्ट है। यहां पर मेरे कहने में कोई कमी रह गई हो तो मैं फिर निवेदन कर देता हूं। 'अ' कैटेगरी के अनचेबिलिटी एक्ट के तहत आते हैं...

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप फिर उत्तर से मिलान कर लीजिये।

श्री सम्पतराम : 'स' कैटेगरीज में आफेंसेन्ज हरिजन, हरिजन में होते हैं, वह नहीं हुए। जो शक्तिशाली सवर्ण वर्ग के जरिये छूआछूत समझकर शिड्यूल्ड कास्ट समझकर आफेंसेन्ज किये जाते हैं, वे उसमें नहीं आते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने कहा मिक्स्ड आफेन्सेज हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय स्थान ग्रहण करें। इसका कोई अन्त ही नहीं रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

(व्यवधान)

मेरा सप्लीमेंट्री स्पष्ट था। मैं जानना चाहता हूं, सरकार जागरूक है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर चर्चा नहीं होगी। 415।

श्री बजरंगलाल शर्मा : स्थिति बिलकुल स्पष्ट है, माननीय मंत्री महोदय बतायें, अपराध हुए या नहीं?

श्री सम्पतराम : नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए। 'स' कैटेगरीज के अन्दर नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(22 मार्च, 1979)

बाड़मेर जिले में नलकूप का कार्य

445. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने भू-जल विभाग के नलकूपों के निर्माण के लिये कितनी राशि किन किन नलकूपों के लिए कब कब जमा कराई?

(2) उक्त नलकूपों के निर्माण की प्रगति के बारे में पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 22

(22)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) क्या यह सही है कि भू-जल विभाग द्वारा नलकूपों के निर्माण में ढिलाई की नीति अपनाये जाने के कारण जन-स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बाड़मेर नगरीय एवं अन्य ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की प्रगति में बड़ी बाधा पहुंची है और उससे नगरीय एवं ग्रामीण जनता को भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ता है।

(4) भू-जल विभाग उक्त नलकूपों के निर्माण का कार्य कब तक कम्पलीट करा देगा ?

राज्य मंत्री भू-जल विभाग (श्री विज्ञान मोदी) : (1) सूची संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के लिये भू-जल विभाग के द्वारा वेतनमान वर्ष 1977-78 में निर्मित नलकूपों की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट (1) में दर्शाया गया है। जलदाय विभाग ने कुल 16 नलकूपों के निर्माण हेतु मांग प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत अब तक 7 नलकूपों निर्मित हो चुके है इया 3 अन्य नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके कि मार्च 78 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। भू-जल विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में नलकूपों के निर्माण में ढिलाई की नीति नहीं अपनाई जाती है।

(4) शेष रहे 6 नलकूपों के निर्माण का कार्य वर्ष 78 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे सूची दी गई है उसमें तो 21 नलकूप बताये गये हैं। आप बात कर रहे हैं 16 नलकूपों की। इनके लिये 14 लाख 31 हजार की राशि जमा करा दी गई। यह सूचना दी है कृपया एक्सप्लेन करें। जब 21 नलकूपों के लिये राशि जमा करा दी गई है और आपके अभी तक 7 नलकूपों का कार्य ही कम्पलीट बताया है तो 14 नलकूपों में कितना असा लगेगा. . .।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : सूची 21 नलकूपों की दी है जिनके लिए 14 लाख 31 हजार की राशि जमा करा दी गई है। 21 में से 7 तैयार किये है। 14 नलकूप आप कब तक तैयार कर देंगे और कैसे कर देंगे जबकि ड्रिलिंग मशीन की वहां व्यवस्था नहीं है ?

श्री विज्ञान मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना मैंने दे दी है। मशीनों का जो उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है तो तीन मशीनें नलकूप बनाने के लिये वहां तय कर दी हैं. .

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जो मशीनों के बारे में कहा है, जितने नलकूप हैं, उनके हिसाब से वह बहुत कम हैं। सब नलकूपों की राशि जमा करा दी है। डेफिनेट डेट बता दीजिये। नहीं तो यह हो रहा है कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना है, वह सब ठप्प पड़ी हुई है। पानी ग्रामीण क्षेत्रों को मिलता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की जन स्वास्थ्य विभाग उपेक्षा कर रहा है।

Page No 23

(23)

श्री विज्ञान मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं इस वर्ष 1978 तक वे कार्यक्रम पूरे होने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये) कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पाली निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में भू-जल का सर्वेक्षण

454. श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

क्या मुख्य (भू-जल) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली निर्वाचन क्षेत्र में सेहट पंचायत समिति व पाली की बनियावास, लाम्बिया व भूमादड़ा ग्राम पंचायतों में कहां2 अंडर ग्राउन्ड वाटर उपलब्ध हैं ? क्या इसका सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उक्त क्षेत्र में यदि अंडर ग्राउन्ड-वाटर उपलब्ध हो, तो राज्य सरकार वहां ट्यूब वेल कब तक लगा देगी, और उस पर कुल कितना खर्चा आयेगा ?

उत्तर

(1) पाली जिले की सेहट एवं पाली पंचायत समितियों का अर्द्ध विस्तृत भूजल सर्वेक्षण, भू जलविभाग द्वारा किया जा चुका है। सेहट पंचायत समिति के अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्र में भूमि गत जल खारा है तथा कुछ ही भाग जो कि नदियों के आस पास है वहां पर भू जल रसायनिक दृष्टिकोण से पीने योग्य एवं सिंचाई योग्य है। पाली पंचायत समिति के बानियावास, भुमादड़ा एवं लाम्बिया ग्रामों में भी भूजल उपलब्ध है। प्रथम दो ग्रामों में भूजल की क्वालिटी ठीक है परन्तु लाम्बिया ग्राम में पानी खारा है। सेहट व पाली पंचायत समितियों के अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) भू-जल प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार इन ग्रामों के क्षेत्र नलकूप लगाने के उपयुक्त नहीं हैं। इन क्षेत्रों में खुले कुए लगाने की उपयुक्तता है।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के गांवों में पेयजल की सुविधा

455. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने गांव हैं? इनमें से कितने गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है ? शेष गांवों में कब तक पेय जल उपलब्ध कराया जायेगा ? इसके लिए राज्य सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है ?

(2) राज्य के कितने गांवों में पेयजल खारा अथवा दूषित है जिससे नारू रोग तक हो जाता है ? राज्य सरकार इस समस्या के स्थायी हल के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या जयपुर में आवश्यकतानुसार पेय जल सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं तो, क्या राज्य सरकार इसके स्थायी हल के लिए बनास योजना को लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(4) क्या जयपुर में पेयजल वितरण का समय और क्षमता (दवाव) बढ़ाने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो इसे कब से शुरू किया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 33281 आवाद ग्राम हैं जिनमें से मार्च 1977 तक 2881 ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है एवं मार्च, 1978 तक 450 और ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। 815 ग्रामों को जल प्रदाय योजनाओं पर वर्ष 1978-79 में कार्य चालू रहेगा। शेष ग्रामों में शीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

(2) वर्ष 1973-74 में राजस्थान के समस्त ग्रामों के भू-जल का सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार राज्य में 7199 ग्राम वगैर जल स्रोत अथवा खारे पानी वाले, 5991 ग्राम अत्यधिक फ्लोराइड ग्रस्त, 3888 ग्राम नारू रोग ग्रस्त, 3739 ग्राम कम खारे पानी वाले एवं 3220 ग्राम असंतोषजनक जल व्यवस्था के पाये गये वर्ष 1975-76 के मूल्यों के आधार पर उपरोक्त समस्याग्रस्त ग्रामों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक के खर्चे के अतिरिक्त करीब 222.50 करोड़ रुपये की राज्य सरकार इस धन राशि को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिये प्रयत्नशील है।

(3) जी हां। जयपुर शहर में आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराया जा रहा है। लगातार बढ़ती हुई मांग के अनुसार अधिक जल उपलब्ध कराने के लिये समय समय पर योजनायें बनाकर कार्य किया जाता रहा है। भविष्य के लिये बनास योजना सरकार के पास विचाराधीन है।

(4) दिनांक 19-3-78 से पेय जल वितरण पूरे दिन किया जा चुका है।

तहसील शेरगढ़ के गांवों की पाईप लाइन की योजना

456. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ के कितने गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी दो हजार से ऊपर है तथा जिन में पाइप लाइन योजना नहीं है ?

(2) इस तहसील में बाकी के कितने गांव ऐसे हैं जहां कि अधिकांश आबादी दो किलो मीटर से अधिक की दूरी से पीने का पानी लाती है ?

(3) क्या यह सही है कि दासनिया गांव का पाकसर क्षेत्र सुवालिया गांव का युनरानियां की बेरी क्षेत्र तथा सोलंकिया तला क्षेत्र में खारे पानी का क्षेत्र है और वहां रहने वाले लोगों को मीठा पानी प्राप्त करने के लिये सात सात मील दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों के लिये रीजनल पाइप लाइन योजना कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी

(4) क्या जाटी भान्डू, चारणी भान्डू तथा सियाधा व जुडिया गांवों के लिये इस वर्ष की योजना में पाइप लाइन की योजना स्वीकृत की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ में 5 ग्राम ऐसे हैं जिनकी आबादी सन् 1971 की जनगणना अनुसार 2000 से अधिक है एवं उनमें जल-प्रदाय योजनाऐं स्वीकृत नहीं की गई हैं ।

(2) मास्टर प्लान के अनुसार इस तहसील में शेष 9 ग्राम ऐसे हैं जहां के नागरिक दो किलो मीटर या अधिक दूर से पीने का पानी लाते हैं ।

(3) क्षेत्रीय जल योजना सोमेसर-सुवालिया के अन्तर्गत ग्राम दालानिया, सुवालिया एवं सोलंकिया तला को पूगलिया नलकूप से पाइप लाइन के द्वारा प्रति दिन जल वितरण किया जा रहा है जिसके आस पास की ढाणियों के लोग भी पानी का उपयोग करते हैं ।

(4) ग्राम भांडू जाटी भांडू चरणा, सियांदा एंव जुलिया जिला आयोजना समिति जोधपुर द्वारा क्षेत्रीय जल योजना सियादा दूदावेरा के तहत वर्ष 1977-78 के लिए प्रस्तावित है । इन प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है । तत्पश्चात इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता, तकनीकी उपयुक्तता एंव धन की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृति की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

नागौर जिले की जलदाय योजना

457. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू)। क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में चालू वर्ष में किस किस तहसील में कितना कितना रुपया जलदाय योजनाओं पर खर्च हुआ ?

(2) जिले में किस किस तहसील की कौन कौन सी योजनाएं कितनी कितनी लागत की इस वर्ष सरकार को प्राप्त हुई उसमें से कौन-कौन सी स्वीकृत करके उन पर कितना कितना खर्चा किया गया, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्राप्त योजनाओं को किस आधार पर स्वीकृत किया जाता है और उसमें से क्रम वाइज लेते हैं या अन्य कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(4) इस समय कौन कौन सी योजना विचाराधीन हैं और उन पर कितना कितना खर्चा होने का अनुमान है तथा उनकी स्वीकृति कब तक हो जायगी पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

1. नागौर जिले की निम्न सात तहसीलों में विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण कार्यों पर वर्ष 1977-78 में किया गया खर्चा निम्न प्रकार है:—

क्र सं.	तहसील	खर्च की गई राशि (रु. लाखों में)
(1)	नागौर	9.00
(2)	जायल	4.79
(3)	डीडवाना	11.08
(4)	लाडनू	4.46
(5)	नांवा	7.50
(6)	डेगाना	5.00
(7)	मेड़ता	0.50
	योग:-	42.23

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

2. जिला नागौर में वर्ष 977-78 के दौरान पांच जल प्रदाय योजना केन्द्र सरकार के त्वरित कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई, जिसकी कुल स्वीकृति लागत रु 52.564 लाख रु. है। वर्ष 1977-78 में इन योजनाओं पर 13 लाख रु. खर्च किया गया। विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने वाली योजनाओं के जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है तत्पश्चात् इन प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जाती है, एवं पद की उपलब्धि एवं जिला आयोजना समिति द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है, जिला आयोजना समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में विभाग तकनीकी उपयुक्तता की जांच करता है, एवं उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। त्वरित कार्यक्रम के तहत योजनाओं की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समस्या ग्रस्त ग्रामों के लिए धन की उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार स्वीकृति की जाती है।

4. जिला आयोजना समिति नागौर द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए प्राथमिकता रहित प्राप्त प्रस्तावों में 26 जल प्रदाय योजनायें प्रस्तावित की गई हैं, जिसमें 112 ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। इन प्रस्तावों की प्राथमिकता प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी। प्राप्त प्रस्तावों में योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

सवाई माधोपुर जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

458. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

श्री कुन्जीलाल (बामनवास):

श्री रामकिशोर (सिकराय): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में इस समय कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं कार्यरत हैं ?

(2) क्या उक्त योजनाएं अपने लक्ष्य के अनुसार प्रगति पर है ?

(3) क्या यह सही है कि जिले की नवीन, नादोती और हिन्डौन योजनाओं में कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) जिले की कितनी नयी योजनाओं का सर्वे होकर राज्य सरकार के पास आ गया है ? ये योजनाएं कौन कौन सी हैं ? किस स्थिति में हैं, तथा कब तक स्वीकृति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में इस समय 8 ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजनायें स्वीकृत हैं इनमें एक का कार्य पूरा चुका है। 7 योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

(2) विद्युत कनेक्शन को छोड़कर बाकी प्रगति संतोषप्रद है।

(3) नादोती और हिन्डौन की योजनायें अक्टूबर 77 में ही निगम द्वारा स्वीकृत हुई हैं। उसके बाद आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् इन पर कार्य अभी हाल ही में चालू किया गया है।

(विद्युत मंत्री)

(4) जिले की बोली पंचायत समिति की योजना का प्रारूप तैयार किया गया है व राजकीय समन्वय समिति से अनुमोदन भी ले लिया गया है। इस योजना को निगम को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त करोली पंचायत समिति की योजना बनाने के लिये सर्वे कार्य चालू है।

भीनमाल पंचायत समिति का विद्युतीकृत गांव

459. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में भीनमाल पंचायत समिति में जुजाणी एक विद्युतिकृत गांव है? यदि हां तो वहां कितने कृषि कनेक्शन दिए गए हैं और मांग कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि पूरे एक वर्ष से वहां 80 कृषि कनेक्शन की मांग है परन्तु कनेक्शन नहीं मिल रहे है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। 16 कृषि कनेक्शन इस ग्राम में दिये जा चुके है। 61 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे।

(2) जी नहीं। केवल 61 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में प्रस्तावित 15 कनेक्शनों के बजाय 16 कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

सीकर जिले में सिंचाई कार्यों पर किया गया व्यय

460. श्री रणमलसिंह (सीकर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 30 वर्षों में सीकर जिले में सिंचाई कार्यों पर कितना व्यय हुआ है? क्या यह सही है कि शोभावती व राणोली नदी से इस जिले की हजारों बीघा उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई है और कितने ही सिंचाई कुए बरबाद हो गये हैं? क्या यह भी सही है कि शोभावती नदी पर बान्ध बनवाने के लिए सर्व हुआ था? यदि हां, तो उसका क्या हुआ?

(2) क्या यह सही है कि हर्ष व जीण माता के पहाड़ों से निकला हुआ पानी किसानों की फसलें हर वर्ष बरबाद करता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उपरोक्त स्थानों का सर्वे करवाकर बान्ध बान्धने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जिले की बरसाती नदियों पर छोटे छोटे बान्ध बनाकर सिंचाई के कुओं का वाटर लेवल ऊंचा करने की कोई योजना क्या राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका सर्वे कब तक शुरू हो जावेगा ?

उत्तर

(1) गत 30 वर्षों में (प्राप्त आंकड़ों 1952-53 से ही) में सीकर जिले में सिंचाई कार्यों पर सिंचाई विभाग द्वारा रु. 40.92 लाख व्यय किये गये।

शोभावती एवं राणोली नदियों के प्रभाव द्वारा उपजाऊ भूमि नष्ट होने के सम्बन्ध में सूचना सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

Page No 28

(28.)

(सिंचाई मंत्री)

गोमावती नदी पर सोमरानोली सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण किया गया है व प्राकलन बनाया जा रहा है। योजना की अनुमानित लागत रु. 10 लाख होगी एवं इसके अन्तर्गत 32 एम. सी. एफ. टी. क्षमता का जलाशय बनाकर लगभग 256 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(2) हर्ष व जीणमाता के पहाड़ों से निकले हुए पानी द्वारा किसानों की फसलें बरबाद होने का विषय सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है। इस जल के उपयोग हेतु एक बांध बनाने सम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाना है व अगले वर्ष 1978-79 में विचाराधीन है। प्राथमिक सर्वेक्षण के पश्चात् ही इस विषय में कुछ कहा जा सकेगा।

(3) सीकर जिले में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अन्य योजनाएं प्रस्तावित हैं।

1. बिहारी पुरा
2. राणासर
3. कोटरी
4. खन्डेला

सभी योजनाओं के प्राकलन तैयार किये जा रहे हैं।

गोगुन्दा क्षेत्र के सिंचाई के तालाब

461. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गोगुन्दा तालाब के पानी की सम्पूर्ति योजना में सालेरा का नाका (वादीया का नाका) की नहर का सर्वे करा लिया है ? यदि हां, तो इसे कार्य रूप में परिणित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि गनावल तालाब की रिपेयरिंग व नहर निकालने के लिए 20,000/- रुपया मन्जूर हुआ है ? यदि हां, तो उसे खर्च कर नहर क्यों नहीं निकाली जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सामरा तालाब बनाने की योजना बनाकर 20,000 रुपया स्वीकृत कर दिया गया था यदि हां, तो उसे क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि चलवा तालाब के लिए राज्य सरकार ने 60,000/- रुपये स्वीकृत कर दिए हैं ? यदि हां, तो इसे अभी तक कार्य रूप में परिणित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि बुझका नाका तालाब (मोडी में) बनाने की योजना स्वीकृत कर दी गई है ? यदि हां, तो आज तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गोगुन्दा तालाब की सम्पूर्ति योजना के लिए सालेरा का नाका (वादीया का नाका) की नहर का सर्वे कार्य नहीं हुआ है। ऐसी कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। इस तालाब के लिए इस प्रकार की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) यह कार्य सिचाई विभाग के अधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। इस तालाब के लिए इस प्रकार की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

(5) यह तालाब पंचायत के अधीन है। सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

पांचना बांध का कार्य

462. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): श्री कुन्जीलाल (वामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पांचना बांध करोली सवाई माधोपुर का कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त बांध की स्वीकृत योजना का ब्यौरा क्या है उस योजना की अनुमानित लागत सिंचित क्षेत्र किन किन तहसीलों का कितना व यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? कृपया ब्यौरा इन सूचनाओं सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। बांध की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार पेरटवियर का जो स्थल प्रस्तावित था वह विस्तृत सर्वेक्षण करने पर उपयुक्त नहीं पाया गया। दो अन्य स्थलों हेतु प्रस्ताव बनाए गए हैं इन पर पूर्ण विचार कर जो स्थल तकनीकी आधार पर व वार्षिक दृष्टिकोण से मितव्ययी पाया जावेगा वहां पेस्टवियर का निर्माण किया जावेगा।

(2) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार तकनीकी आंकड़े संलग्न हैं योजना को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् 1980-81 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

योजना की संशोधित लागत रु. 308 लाख है। योजना द्वारा टोडाभीम नादोती व हिण्डोन तहसीलों की क्रमशः 12653, 13315 व 1821 एकड़ कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

(आंकड़ों के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

धौलपुर सब डिवीजन में बांधों की मरम्मत

463. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धौलपुर सब डिवीजन में जो छोटे-छोटे बन्धे टूटे पड़े हैं उनकी मरम्मत कराने की क्या कोई, राज्य सरकार की योजना है और क्या कोई योजना धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी भी है कि छोटे छोटे बांध बनाकर गरीब किसानों को राज्य सरकार सिंचाई सुविधा दे सके ? क्या यह सही है कि धौलपुर में कूकपुर व रतया खार के ताल जिम की योजना व तकमीना काफी समय पहले बना था व पिछली सरकार के सिंचाई मन्त्री ने इस योजना का उद्घाटन भी किया था ? यदि हां, तो इस बांध को रोक कर क्या राज्य सरकार करीब 5 गांवों की जमीन को आबपासी की सुविधा दिला सकेगी जिनकी अनुमानतः लागत करीब 10 लाख रुपया है अगर हां, तो कब तक, अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

धौलपुर सब डिवीजन में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत तत्कालीन भरतपुर राज्य के समय के निर्मित 14 बांध हैं इनकी देखभाल मरम्मत एवं सुधार का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। अन्य छोटे-छोटे बांध पंचायतों के अधीन हैं। सन् 1977 की अति वृष्टि से विभाग का तालाबशाही बांध क्षतिग्रस्त हो गया था इसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है व वह कार्य मार्च, 1978 में पूर्ण हो जावेगा।

छोटे-छोटे 50 एकड़ सिंचाई क्षमता से कम के बांध बनाकर सिंचाई सुविधा देने की कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

धौलपुर के पास कूकपुर राता का ताल की एक योजना इस क्षेत्र में प्रस्तावित है। इस बांध का शिलान्यास भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री रामप्रसाद लड्ढा ने दिनांक 5-12-1970 को किया था। शिलान्यास के समय बांध स्थल हेतु केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण ही किया हुआ था। विस्तृत सर्वेक्षण करने के उपरांत वर्तमान दरों के आधार पर योजना का प्राक्कलन बनाया गया है व जाना जा रहा है। योजना की अनुमानित लागत लगभग रु० 10 लाख है। इस योजना द्वारा ग्राम कूकपुर रातिया, मिनी भीरपुर व कोटरा में लगभग 1024 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

योजना की स्वीकृति व आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा।

ग्राम धमानिया के पास संग्रामपुरा तालाब का कार्य

464. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि धमानिया ग्राम के पास संग्रामपुरा नाम का तालाब अधूरा पड़ा है?

(2) क्या यह सही है कि इस तालाब पर राज्य सरकार पहले भी रकम खर्च कर चुकी है? यदि हां, तो कितनी रकम खर्च हो चुकी है?

(3) इस तालाब से कितनी जमीन सिंचित हो सकती है?

(4) क्या यह भी सही है कि इस तालाब में जमीन को सिंचित करने की क्षमता है? यदि हां, तो फिर उसके अधूरे काम को पूरा क्यों नहीं किया जाता?

(5) क्या यह सही है कि यदि यह तालाब जल्दी ही पूरा नहीं किया जायगा तो अब तक का किया गया खर्च भी व्यर्थ हो जायगा और उत्पादन न बढ़ने से राष्ट्र की भी कम सेवा होगी?

(6) क्या, इस अधूरे तालाब को प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जल्दी ही पूरा किया जा सकेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस कार्य पर वर्ष 67-68 एवं 68-69 में 50167/– रुपये व्यय किये जा चुके है।

(3) इस तालाब से सम्भावित सिंचाई 125 एकड़ है।

(सिंचाई मंत्री)

(4) जी हां। यह कार्य धनाभाव एवं आवश्यक स्वीकृति के अभाव में पूर्ण नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं।

(6) यह तालाब अकाल राहत कार्य क्रम का एक अपूर्ण कार्य है। ऐसे कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर पूर्ण करवाया जाना सम्भव होगा।

मेज नदी पर एनीकट का कार्य

465. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ क्षेत्र में जजोला पंचायत, सिंचाई की सुविधा से वंचित है और पास में ही मेज नदी बहती है?

(2) क्या यह सही है कि मेज नदी पर एनीकट बंधाया जा सकता है?

(3) क्या यह भी सही है कि सगताजी का खेड़ा तथा जंभोला के मध्य एनीकट बंधाया जा सकता है?

(4) क्या यह सही है कि एनीकट बंधने के बाद ही 100 फीट गहरे कुओं में सिंचा जा सकता है? यदि हां, तो एनीकट का निर्माण कार्य कब शुरू करने की योजना है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) सिंचाई विभाग द्वारा इस प्रकार के एनीकट जिनसे सीधा सिंचाई लाभ संभव नहीं, निर्माण नहीं कराये जाते। यह निर्माण पंचायत समितियों के कार्य क्षेत्र में आता है।

रामगढ़ सेठानी मातृ शिशु केन्द्र

466. श्री परसराम (लक्षमणगढ़): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भागचन्द्र जैन एल. डी. सी. ने रामगढ़ से सेठान मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में दिनांक 14-5-76 को ड्यूटी देना शुरू किया था?

(2) क्या यह सही है कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र रामगढ़ शेखावटी से दिनांक 18-5-76 से छुट्टी पर था?

(3) क्या यह सही है कि श्री भागचन्द्र जैन को बिना किसी सूचना के दिनांक 25-5-76 को मोअत्तिल कर दिया गया।

(4) रामगढ़ शेखावटी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का कार्य कब से चालू किया गया? की आउटडोर एवं इनडोर कब से चालू हुआ?

(5) इस केन्द्र का उद्घाटन कब हुआ?

(6) क्या यह सही है कि भागचन्द्र जैन को बिना सूचना मोअत्तिल किया?

(7) क्या यह सही है कि भागचन्द्र जैन को नियमानुसार जो जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है वो समय पर दिया गया या नहीं और अब भी दिया जाता है या नहीं?

(श्री परसराम)

(8) क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग में अन्य मामलों के मुकदमें थे उनको बहाल किया गया है क्या राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय किया ?, ऐसा हुआ है तो श्री जैन को क्यों नहीं किया गया ? इनके इतने क्या चार्जेज हैं जिन कर्मचारियों को बहाल किया है ? इनके चार्जेज क्या थे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) श्री भागचन्द्र जैन दिनांक 18-5-76 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे।

(4) मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का आउटडोर व इनडोर दिनांक 13-5-76 से प्रारम्भ हुआ था।

(5) औपचारिक रूप में इस केन्द्र का उद्घाटन नहीं हुआ।

(6) क्रम संख्या तीन में वर्णित कर दिया गया है।

(7) इनका जीवन निर्वाह भत्ता समय समय पर दिया जाता रहा है। फरवरी, 1976 तक का भुगतान किया जा चुका है।

(8) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार यह मामला और ऐसे मामलों के साथ विचार कर लिया गया था किन्तु श्री भागचन्द जैन के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं जिसकी जांच अति आवश्यक है बिना पूर्ण जांच किये राज्य सेवा में पुनः लिया जाना जनहित में उचित नहीं है। उन पर लगे चार्ज की प्रति संलग्न है। जिनको बहाल किया गया है उन पर इतने गम्भीर आरोप नही थे।

बाल समंद गार्डन की मुख्य सड़क

468. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या बाल संमद गार्डन की मुख्य सड़क जो मुख्य मण्डोर रोड सड़क से निकास करती है और करीबन एक. किलोमीटर लम्बी है वहां पर रोड लाइट नहीं है ? अगर हां, तो कब तक व्यवस्था करने की योजना है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी हां। नगरपरिषद को इस क्षेत्र में रोड लाइट की व्यवस्था शीघ्र करने का निर्देश दिया जा रहा है।

जोधपुर की भगतसिंह रोड का सुधार कार्य

469. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर में नागोरी गेट विद्युत सब स्टेशन से मण्डोर को जाने वाली सड़क जो भगतसिंह रोड कहलाती है उसकी मरम्मत और सुधार कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है जबकि इसका मौका अधिशाषी अभियन्ता कई माह पहले देख चुके हैं ?

(2) इस सड़क पर गटर लाइन का निर्माण कार्य कब किया जायेगा ? जब कि मेन सिवरे लाइनज एक वर्ष पूर्व मण्डोर रोड पर पूर्ण हो चुकी थी ?

(3) इस सड़क पर रोड लाइट की व्यवस्था कब की जायेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर में नागौरी गेट विद्युत सब स्टेशन से मण्डोर रोड को जाने वाली भगतसिंह रोड़ की मरम्मत एवं सुधार कार्य के लिये कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। यह प्लाट जोधपुर राज्य डवलपमेंट विभाग द्वारा पट्टे बना कर बेचे गये थे। उसकी आय भी राज्य सरकार में जमा होती थी। चूंकि नगरपरिषद के बजट में इस सड़क की मरम्मत हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है इसलिए मरम्मत एवं सुधार कार्य नहीं हुआ अधिशाषी अभियन्ता ने मौका जरूर देखा था।

(2) इस सड़क पर गटर लाइन के निर्माण के संबंध में नगरपरिषद के अभियन्ता ने मौका देखा था। एस्टीमेट अभी तक नगर परिषद के विचाराधीन है। मेन सिविरेज लाइन ड्रेनेज विभाग द्वारा डाली गई थी।

(3) इस सड़क पर रोड लाइट की व्यवस्था नगरपरिषद द्वारा कायम है। बल्ब खराब होते रहते हैं व नये लगते रहते हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री वृद्धि चन्द्र जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम गंगाती तहसील दूदू जिला जयपुर के पीने के पानी के तालाब की मछलियों का ठेका इस वर्ष सरकार द्वारा लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

श्री रामकृष्ण दास, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर के एक भाग के गन्दे पानी को सूर सागर में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(3) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा और डूंगरपुर के नक्सलवादी व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को जेलों से रिहा नहीं किया गया है, इस विषय में।

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, फिर भी इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा जा रहा है। मैं इन्हें अस्वीकार करता हूं।

(4) श्री राम नारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से मेरठ के पास खतौली में श्रीमती इन्दिरा गान्धी पर किये कथित आक्रमण के विषय में।

(व्यवधान)

यह विषय इस विधान सभा के कार्यक्षेत्र के बाहर का है, अतः मैं इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

(5) श्री राम रघुनाथ व श्री दूरा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के लोगों को ईरान आदि देशों को भेजे जाने के सिलसिले में एजेन्टों द्वारा परेशान किये जाने के विषय में।

यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री वृद्धि चन्द्र जैन: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, यदि आप चाहती हैं तो इसके पश्चात् मैं आपको दो मिनट का समय दे दूंगा।

श्री गुल मोहम्मद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न था। विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत सम्पादक, "सच्ची कलम," जयपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव था। इस पर भी व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे सूचना नहीं है। आप मेरे से चेम्बर में आकर मिल सकते हैं, इस विषय में।

श्री मोहम्मद जहूर (कामा): अध्यक्ष महोदय, उस अखबार में विधायकों के बारे में गंभीर आरोप लगाये हैं जिससे विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आरोप देखें नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आप मुझ से चेम्बर में मिल लें।

श्री मोहम्मद जहूर: अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आना चाहिये। मैंने 22 मार्च को विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था। उस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री जगदीश चन्द्र (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू की एक घटना के सम्बन्ध में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। 23 तारीख की घटना थी और आज 3 तारीख हो गई है। 8 विधायकों ने हस्ताक्षर करके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष: आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैं लाने का प्रयास करूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आसन की परमिशन से कुछ कहना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय,- —

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, पहले जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं, वे बोल लें तो फिर आपको भी समय दूंगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि ग्राम गंगती तहसील हुदू जिसकी जनसंख्या एक हजार है, में कुओं का पानी खारा है। वहां जो छोटा सा तालाब है जिसमे मीठा पानी है और बड़ा गहरा भी नहीं है, राज्य सरकार ने उसकी मछलियों का ठेका दिया है। मछलियों का ठेका देने से स्थिति यह हो गई है कि जो मछलियां निकलती हैं वह मरी हुई सी निकलती है, उससे पानी भी गन्दा हो गया है। एक तो इससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है, दूसरे जो ठेका दिया गया है वह भी कोई ज्यादा राशि का नहीं है। इस प्रकार से एक तो वहां के लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है दूसरे पानी के गन्दा होने से स्वास्थ्य के लिए भी वह पानी बहुत हानिकारक हो गया है। इससे गांव के लोग बहुत एजीटेड है। जो वहां के सौ परिवार हैं उन परिवारों में से हर एक परिवार का एक सदस्य जयपुर में आया हुआ है। वे बहुत असंतोष प्रगट कर रहे है। वैसे ही वहां पर पानी की बहुत समस्या है। एक तालाब के अलावा और

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह ठेका देने से आपको आमदनी भी कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा दस हजार रुपया लिया होगा। दस हजार का ठेका देकर इस प्रकार की समस्या पैदा करना उचित नहीं है। पानी की बहुत समस्या है. पानी खारा है, एक ही तालाब है उसका भी ठेका देकर समस्या पैदा करना घोर अन्याय है। मछलियां निकलाने से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मछलियां तो पानी को साफ करती हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : साफ तो करती हैं लेकिन मरी हुई निकलती हैं इससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है और मछलियां निकलने के लिए गोता लगाते हैं जिससे पानी गन्दा हो जाता है। वहां के लोगों ने इस तालाब का पानी पीना बन्द कर दिया है। इससे वहां पर पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। यह प्रश्न बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का है। इस प्रश्न के बारे में सरकार से जवाब दिला कर संतुष्ट करायें।

व्यवस्था का प्रश्न
अस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जब आपने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उसमें कोई वजन नहीं था, या आप सरकार से जानकारी ले रहे हैं, इसके बाद भी ये इसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं यह नियमों के विरुद्ध है। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह से डबल डिबेट की जा सके···

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस पर पहले ही व्यवस्था हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह सदन की परम्परा है कि स्थगन प्रस्तावों पर पांच मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाता है

(व्यवधान)

इस तरह से हां पक्ष वाले ना पक्ष वालों की आवाज को नहीं दबा सकते। कल आपको भी यहां आकर बैठना पड़ सकता है तब आपके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी?

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

यह आसन के प्रति आक्षेप है, मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : 'इलेस्ट्रेड वीकली' में एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया है····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम हां पक्ष की मर्जी पर जिन्दा रहने वाले नहीं हैं। यह हमारा अधिकार है····

श्री ईश्वरचन्द्र : मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं निवेदन करता हूं कि····

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आप उनका पाइन्ट आफ आर्डर तो पहले सुन लीजिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं निवेदन कर रहा था कि लोकसभा की कार्यवाही का एक मिनट का खर्चा साढ़े नौ सौ रुपये आता है। उतना ही, या थोड़ा बहुत ज्यादा कम, यहां पर भी आता है। इतना रुपया खर्च करके इस तरह से सदन का समय बरबाद किया जाता है....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप इस तरह से खर्च की बात करके पब्लिक इम्पार्टेंस के मैटर रखने से नहीं रोक सकते।

श्री रामकृष्णादास गुप्ता : यह रुपयों की दुहाई देकर सदस्यों की आजादी नहीं छीन सकते।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, उसको सुनते नहीं और बिना आपकी आज्ञा के बोलना कहां तक ठीक है। इस पर व्यवस्था अध्यक्ष महोदय देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह ठीक है। उन्होंने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया वह नियमों के अन्तर्गत है। जो उन्होंने कहा वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। किन्तु यह सदन की परम्परा रही है कि ऐसे प्रश्नों पर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए माननीय सदस्यों को मौका दिया जावे। विरोध पक्ष में बैठकर 15 वर्ष की परम्पराओं का मुझे भी कटु अनुभव हो चुका है। यह आवश्यक है कि सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चलाने हेतु विपक्ष का सहयोग प्राप्त किया जावे। विपक्ष का सहयोग प्राप्त करने के लिए और कोई अन्य चारा नहीं सिवाय इसके कि माननीय सदस्यों को मौका दिया जावे अपने विचार व्यक्त करने का ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चल सके।

(व्यवधान)

मैं आपकी सब बातें सुनने को तैयार हूं। अगर आप इसी प्रश्न पर और बोलना चाहें तो और समय देने को तैयार हूं लेकिन जब आसन खड़ा हो तो इतनी सभ्यता तो रखें, एक मिनट के लिए सुनने को तैयार तो हों।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ट्रेनिंग दो साहब इनको।

श्री ईश्वरचन्द्र : अगर आप आवश्यक समझते हों तो जरूर समय दें और सदन की परम्परायें निभायें लेकिन शून्य काल का एक तरह से दुरुपयोग किया जाता है। अखबारों के समाचारों के आधार पर सदन का समय नष्ट हो रहा है। जो भी बात कहें जिम्मेदारी के साथ तो कहें।

(व्यवधान)

श्री नूरा : यह जनता पार्टी पांच साल से ज्यादा राज नहीं कर सकती।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप तो कहते हो कि हम आजादी लाये हैं और इस तरह से सदस्यों की आवाज बन्द करना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। मैं आपका ध्यान आक-

(श्री रामनारायण चौधरी)

षित करना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसमें माननीय मुख्य मन्त्रीजी, उनकी पार्टी के चीफ व्हिप, माननीय सदस्य गुराणा और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रतिनिधि आपके सम्मुख उपस्थित होते है, में यह निर्णय हुआ है कि जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे उनका जवाब जानने के लिए आप राज्य सरकार को भेजेंगे अथवा अस्वीकार करेंगे, लेकिन हर एक माननीय सदस्य को अपनी बात वैंटीलेट करने के लिए अवसर दिया जाएगा और पांच मिनट या उसके आस पास का समय बोलने के लिए देंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सदन की कार्यवाही चलाने के लिए जो निर्णय लेती है उसको सारा सदन अप्रूव करता है। जब इस निर्णय को पहले से ही अप्रूव कर चुके हैं फिर भी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस प्रकार से व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस तरह से यह समय बरबाद हुआ या नहीं ? अभी यहां पर एक मिनट की कार्यवाही पर साढ़े नौ सौ रुपये खर्च होने की बात की गई। फिर इस तरह से इनरेवेंट पाइन्ट आफ आर्डर, जिसका कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं बैठता, उठाना सदन का समय बरबाद करना है। मैं अनुरोध करूंगा कि सदन के नेता अपने सदस्यों पर कन्ट्रोल रखें और नीति के प्रश्नों की उनको जानकारी देते रहें ताकि सदन की कार्यवाही संचालन में व्यवधान पैदा न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: कौन से नियम से आप यहां पर शेरो शायरी करते हैं ...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक मिनट में इतना खर्चा आता है, इसकी आप पर कोई जवाबदारी नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : समय आप लोग बरबाद कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रधान मंत्री जो प्रोहिबिशन लागू करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को डिफीट करने के लिए शेरो शायरी करते हैं यहां पर।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की सदन की परम्परा रही है....

श्री एच. एन. शर्मा : परम्परा बदली भी जा सकती है। यह चलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

अगर माननीय सदस्यों को इसके ऊपर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं और अगर मेरी बात सुननी हो तो कृपया सुनिए। मैंने जो कुछ भी व्यवस्था दी है उसके पश्चात् मैं कहना चाहता था कि यह सदन सुप्रीम है और यहां के कन्वेंशन हैं वह भी सुप्रीम हैं। कन्वेंशन्स नियमों के ऊपर तरजीह रखते हैं। इसके उपरान्त भी आपको अगर कहना हो तो मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जब तक मैं इस आसन पर हूं तब तक इस सदन की परम्परा और कन्वेंशन के अनुसार मेरा आचरण दृढ़तापूर्वक रहेगा। माननीय सदस्यों के अधिकारों के अन्दर कोई कमी नहीं आने दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था। यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि आपने उसको स्वीकार करना उचित नहीं समझा और राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा है, परन्तु मैं इस सदन का उस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो बीकानेर शहर में 50,000 लोगों की समस्या है। हमारे यह बीकानेर के 50 हजार लोगों की गंभीर समस्या है। हमारे वहां के राज्य मन्त्री महोदय को यह मालूम है। पिछले वर्ष जब वहाँ पर तेज वर्षा हुई थी, राज्य मन्त्री महोदय ने स्वयं वहां जाकर सूरसागर नाले की योजना को देखा, जिस पर अब तक 40 लाख रु खर्च किये गये हैं, जो 40 लाख रुपये खर्च करके बनाई गई थी, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पिछले वर्ष की वर्षा में वहां का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। लोगों के लिए रिलीफ वर्क किए गए थे। यह मन्त्री महोदय को मालूम है लेकिन 9 महीने गुजरने के बाद भी इस समस्या को हल करने के लिए कोई योजना वहां पर पर शुरू नहीं की गई है। कोई भी कार्य वहां पर चालू नहीं किया गया है जबकि चार महीने रह गये हैं वर्षा ऋतु के आने में, यह कार्य इन चार महीनों में पूरा होने वाला नहीं है। मैंने राज्य सरकार को कई बार इत्तिला की है। रुपया सेंक्शन हो गया है। रुपया सेंक्शन होने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि बीकानेर में मौके पर कार्य नहीं चलता है और सूरसागर पर दूसरा नाला नहीं बनाया जाता है तो इस साल भी लोगों को वही परेशानी उठानी पड़ेगी। इससे 50 हजार लोग परेशान होंगे। उनकी जिन्दगी नारकीय हो जाएगी। इस हाउस की जो पिटीशन कमेटी थी, जिसके चेयरमैन गुमानमल जी लोढ़ा थे, उन्होंने इस सूरसागर नाले के बारे में रिपोर्ट दी है। उस पिटीशन कमेटी ने भी माना है कि सूरसागर नाले पर 40 लाख रुपये खर्च करके वहां के लोगों के जीवन को तबाह कर दिया गया है। यह उस पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट है। इस सदन के एक एक मिनट के समय की कीमत आंकी जाती है तो मेरा निवेदन है कि सदन के समय की कीमत को आंक कर सरकार शीघ्र कार्यवाही करे। यह सदन केवल शेरो शायरी में डूबा न रहे। यह सरकार इस योजना को जल्दी से जल्दी हाथ में ले और इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाय जिससे बीकानेर शहर की जनता को चार महीने बाद कष्ट न उठाना पड़े क्योंकि वर्षा के दिनों में वहां पर चार, छः फीट पानी मोहल्लों में भर जाता है। आशा है, सरकार शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन देगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है जिस प्रश्न की ओर जो सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उस सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न काफी दिनों से उलझा हुआ है। बीकानेर में जो सूरसागर का नाला है उसमें बीकानेर शहर का गन्दा पानी न पड़े और वर्षा के पानी का भी निकास हो इस प्रश्न पर सरकार ने विचार कर एक योजना बनायी है, उस योजना के आधार पर एक और नाला बनाया जायगा और उससे गन्दा पानी निकाला जायगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष बीकानेर शहर में जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वर्षा हुई थी वह अधिक हुई थी। उस वर्षा से बीकानेर शहर में पानी भर गया था और वह बाहर नहीं निकल सका था। वर्षा के सारे पानी को इस नाले से निकाला जाय। ऐसी क्षमता का नाला वर्तमान में यह नहीं है। इसलिए गन्दे पानी को निकालने वाली एक योजना बना कर एक दूसरे नाले का निर्माण किया जाएगा ताकि यह पानी निकल सके और बरसात का पानी भी दूसरे नाले से निकल सके। उस योजना पर सरकार काम कर रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव नक्सलवादी और राजनीतिक बंदी, जो लम्बे अर्से की सजाएं काट रहे हैं, उनके बारे में है। इसके साथ-साथ उन सैकड़ों राजनीतिक बंदियों के बारे में, उन राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के बारे में हैं जिनको कांग्रेस कुशासन ने जन-आंदोलन में भाग लेने के कारण लम्बी सजाएं दी थीं और उन पर गलत मुकदमे बनाए गए थे। अध्यक्ष महोदय, हम यह सोच रहे थे और हमारी ऐसी मान्यता थी कि जनता पार्टी की हुकूमत कायम होने के बाद, चुनाव के बाद जो इमर्जेन्सी के बाद जो चुनाव हुए, अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग राज्यों में जो सैकड़ों की तादाद में नक्सलवादी और राजनीतिक कार्यकर्ता उम्र कैद की और अन्य प्रकार की लम्बी सजाएं काट रहे हैं उनको छोड़ दिया जायगा। उनको दूसरी स्टेट्स में छोड़ दिया गया है। परन्तु मैं नहीं समझा राजस्थान में ऐसा कौन सा सवाल आ गया कि इनको अभी तक नहीं छोड़ा गया। पहले भी मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में इसके लिए आश्वासन दिया था। उनके भाषण का हमारे ऊपर, सभी सदस्यों के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ा था। सभी लोगों ने उनके भाषण की सराहना की थी। सवाल यह है जो राजनैतिक कार्यकर्त्ता लम्बी सजाएं काट रहे है, परिस्थिति के वशीभूत होकर जो जन आंदोलन या दूसरे काण्डों में शामिल हुए उनको अच्छा राजनैतिक व्यवहार करके छोड़ा जाए। परन्तु हमारे मुख्य मन्त्री को अन्य कामों से फुरसत नहीं मिली और इस कारण से वे इस ओर ध्यान नहीं दे पाये। अब वे इस सम्बन्ध में जरूर बताएं। यह नीति का सवाल है।

दूसरा सवाल अध्यक्ष महोदय, उन राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का है जो जन आन्दोलन में शरीक हुए और जिनको सजाएं हुई। मुख्य मंत्री और मंत्री मंडल के कई सदस्यों ने भी ऐसे जन आंदोलन में हिस्सा लिया है और उन आंदोलनों को आपने उचित ठहराया है। जिसकी पैरवी उस समय आपने विधान सभा में भी की है। इन लोगों के ऊपर आज मुकदमे चल रहे हैं। हम कुर्सियों पर बैठ गये हैं, उसके बाद भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं, यह लज्जाजनक स्थिति है। इसलिए मेरा इस सरकार से निवेदन है कि जिन पर राजनैतिक गतिविधियों के कारण मुकदमे चल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, वे हटा लिए जाए। हमारे गृहमंत्री जो शायद अभी विरोध पक्ष में नहीं रहे, परन्तु मुख्य मंत्री जरूर रहे हैं, उन्हें यह सारी स्थिति मालूम है। जिन लोगों ने विरोध में रहकर आन्दोलन किये, उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने गलत मुकदमे उन पर बनाए उनकी आपने पैरवी की थी। आज भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं, एम.

(४०)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

पी. और कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर चल रहे हैं, यह कहां तक उचित है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस सारे मामले पर विचार करें। सैकड़ों राजनैतिक कार्यकर्ताओं का यह प्रश्न है। बीकानेर में जो आन्दोलन हुआ, उसके बारे में आपको मालूम है। आप लोग भी उसमें शामिल थे। आपकी उसके प्रति हमदर्दी थी। कोटा में भी जन आन्दोलन हुआ, अलवर में भी हुआ। उनके मुकदमे आज तक कायम है। इसलिए ये मुकदमे चलाए गए थे कि लोग डर कर आइन्दा जन आन्दोलन में शरीक न हों। कलेक्टर, एस. पी. की रिपोर्ट के आधार पर यह मुकदमे चल रहे हैं। यह समस्या जो है, इसको राजनैतिक ढंग से हल किया जाए। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी सरकार को 9 महीने हो गये हैं। यह अवधि इन्तजार के लिए काफी है। अब कहां तक धैर्य रखा जाए। धैर्य रखने की हद होती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री को कहना चाहूंगा कि यह नीति का सवाल है। यह कोई आंकड़ों की बात नहीं है। जो मैं कह रहा हूं दरअसल यह एक राजनैतिक सवाल है। कई कार्यकर्ता बीस–बीस साल की सजाएं काट रहे हैं। उन पर यह हत्या के अभियोग हैं। उन्होंने कोई द्वेषवश मर्डर नहीं किए हैं। आन्दोलन में एक परिस्थिति बनी उसके दौरान ऐसी घटनाएं हुयी हैं। इस पर आप विचार कीजिए।

मैं आखिर में यह भी कहना चाहता हूं कि जयपुर जेल के अन्दर भूख हड़ताल चल रही है उसके बारे में सदन में स्टेटमेंट देने का वायदा किया गया है, आज दें या न दें, यह तो पता नहीं है, मगर जो भूख हड़ताली थे, उनको अस्पताल ले जाया गया है। वे बहुत दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि वे इस पर अपने विचार सदन में प्रकट करें और आश्वासन दें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने यह अस्वीकृत कर दिया है यह कह कर कि यह विषय इस सदन का नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इस सदन का नहीं होने की बात तो ठीक है

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष, आपकी मार्फत कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर रोशनी डालें। राजनैतिक कार्यकर्ताओं और नक्सलवादियों के ऊपर लम्बें अर्से से मुकदमे चल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आफ हैंड तो नहीं कह सकता क्योंकि मुकदमे वापिस लेने के संबंध में एक निर्धारित प्रक्रिया है। इन मामलों में जिलाधीश से भी पूछना पड़ता है और जो पैरवी कर रहे हैं हमारे एडवोकेट उनकी भी राय लेनी पड़ेगी। उस राय के बाद जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उनके विड्रावल की कार्यवाही में निर्णय देना पड़ता है। कई मामलों में यह भी नोटिस में आया है कि सरकार विथड्रा करना चाहती थी लेकिन कोर्टस ने इस प्रकार की अनुमति नहीं दी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उस प्रश्न को इस आधार

Page No 41

(५१)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर देखकर जो कुछ भी कर सकते हैं वह कार्यवाही की है और भविष्य में भी करेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : नक्सलवादियों के बारे में आप पहले कह चुके हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रक्रिया के बारे में बतलाया लेकिन नीति क्या है ?

श्री मदनसिंह दांता : राजनीति है और क्या नीति है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने उसको अस्वीकार करने की कृपा की यह कहकर कि यह विषय इस सदन का नहीं। मैं आपकी सेवा में संक्षेप में निवेदन करूंगा, ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा।

मान्यवर, 31 मार्च को रात में मेरठ से 25 किलोमीटर दूर खतौली में श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या का प्रयास उस समय विफल हो गया जब मेरठ जाते हुए खतौली में उनको लक्ष्य करके फेंका गया चाकू उन्हें न लगकर उनके कार ड्राईवर छतरसिंह के मुंह पर लगा। छतरसिंह तो गम्भीर हालत में खतौली अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कथित हमलावर फरार हो गया।

मान्यवर, श्रीमती गांधी ने मेरठ पहुंचने पर बताया कि यह निश्चित रूप से मेरी हत्या का प्रयास था। इससे जनता पार्टी के शासन में बिगड़ती कानून व्यवस्था का पर्दाफाश हो जाता है।

मान्यवर, यह बात सही है कि यह राजस्थान सरकार के ज्यूरिस्डिक्शन का मामला नहीं है और राजस्थान सरकार के ज्यूरिस्डिक्शन का मामला नहीं होने के कारण इस विधान सभा के ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि आपने उसकी स्वीकृति नहीं दी। लेकिन, मान्यवर, यह एक इम्पोर्टेंट मामला है कि देश की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अपनी नीतियां और कार्यक्रम के सम्बन्ध में जनता से सम्पर्क करने के लिए राज्यों के दौरे का कार्यक्रम बराबर बना रही है, और जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था नहीं करे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही न कर यह, मान्यवर, बड़ी चिन्ताजनक और दुखद बात ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां के जिलाधीश ने कथन किया है कि कोई गोली नहीं चली है।

श्री रामनारायण चौधरी : श्रीमन, पहले भी दिल्ली में श्रीमती गांधी को निशाना बनाकर किसी ने गोली मारने की तैयारी की थी। वह उसी समय पकड़ा गया, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय सरकार ने कार्यवाही नहीं की और इसे छोड़ दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस व्यक्ति, जिसने श्रीमती इन्दिरा गांधी पर हमला करने की चेष्टा की, को पकड़ने की कार्यवाही नहीं की। यह, मान्यवर किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यह चीज सारे देश के अन्दर हो रही है। यह 31 मार्च को हुआ है। तो, मान्यवर,

(श्री रामनारायण चौधरी)

आपकी मार्फत मैं कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि वह इस बात पर चिन्ता व्यक्त करे और भारत सरकार को लिखे और गृह मन्त्री जी को लिखे कि हमारे देश की एक मात्र नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो देश के अंदर जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का पर्दाफाश करने के लिए और जनता को जाग्रत करने के लिए और आपकी आर्थिक नीतियों का खोखलापन जो देश के सामने आया है उसके बारे में जनमानस बनाने के लिए देश की यात्रा कर रही हैं, और जनता के सामने अपने भाषणों से जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का पर्दाफाश कर रही हैं तो उनके कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप व्यवस्था करें. लाखों की तादाद में उनके भाषण सुनने ...

(व्यवधान)

आते हैं। आप उनकी रक्षा करने की कार्यवाही करें। मैं आपसे चाहता हूं कि लाखों की तादाद में जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषण सुनने के लिए जायं उनको इस बात का मौका मिले कि उनकी बातों को सुन सकें। वह तभी सुन सकते हैं जबकि आप लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन रखें। लाखों लोग वहां पहुंचते हैं और पहुंचेंगे, उनको सुनने का मौका मिले और हुल्लड़बाजी नहीं हो। ऐसी आप व्यवस्था करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य-मंत्रीजी जायं और लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था नहीं रहे तो आपको कोई नहीं सुन सकेगा और जो लोग आपको सुनना चाहते हैं वे नहीं सुन सकेंगे। इसलिए सरकार का परम कर्तव्य है, शांति और व्यवस्था कायम करे। आप कहते हैं कि हमने लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको मालूम है कि पहले भी अपोजिशन के नेता जिस समय यहां आते थे तो राजस्थान सरकार ने उनके लिए क्या किया था। आप उठाकर देख लें सारा रिकार्ड कि किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। एक भी मीटिंग कहीं ऐसी नहीं हुई जिसमें हुल्लड़बाजी हुई हो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भारत सरकार के गृह मंत्रीजी को यह लिखें, मान्यवर, ये इस प्रकार की चीज देश में नहीं होने दें। यह लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के लिए शुभ लक्षण नहीं है। जब तक आप कानून, व्यवस्था देश में बनाकर रखेंगे तब तक लोकतन्त्र है। जिस रूप से कानून, व्यवस्था आज है और अपनी मनमानी कर रहे हैं इससे लोकतन्त्र कमजोर हो जाएगा। जिस लोकतन्त्र में आप और हम हैं उसको मजबूत बनाने के लिए लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, यह कायम रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे 8 तारीख को गंगानगर आ रही हैं। राजस्थान सरकार अच्छी तरह से उनका बन्दोबस्त करे ताकि उनको जान का खतरा नहीं रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खतौली की घटना का उल्लेख करते हुए कुछ चर्चा उठाई है। वह स्वयं भी मानते हैं कि खतौली राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तरप्रदेश में होने के कारण खतौली में जो कुछ हुआ है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस पर कार्यवाही करनी है या नहीं करनी है इसके बारे में इस सरकार से किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा करना किसी भी प्रकार से उचित बात नहीं है ...

श्री रामनारायण : हमारी भावनाएं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हुई है कि रामनारायणजी के मुंह से मैंने बराबर लोकतन्त्र की बात सुनी। इसी प्रकार मुझे यह भी खुशी है कि जनता पार्टी का राज आने के बाद जिन लोगों ने लोकतन्त्र का गला घोट दिया था वह स्वयं भी लोकतन्त्र की महत्ता को समझ गये हैं और बराबर उसकी दुहाई देते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का राज नहीं आता तो हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र के दर्शन नहीं होते। यह जनता पार्टी का राज ही है जिसके कारण आप लोगों के दिमाग में लोकतन्त्र की बात जाग्रत हुई है। भगवान आपकी जागरूकता बनाये रखे।

श्री मदनसिंह दांता : इन्दिराजी में भी बनी रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 8 तारीख को श्रीमती इन्दिरा गांधी का यहां भी कार्यक्रम है। आप यह कह सकते हैं, और आपके नेताओं से मेरी बातचीत हुई है। इनके कार्यक्रम के अनुसार जितनी भी व्यवस्था हम कर सकते थे लॉ एण्ड आर्डर की हमने सारी व्यवस्था की है। वह 8 तारीख को गंगानगर में....

श्री रामनारायण चौधरी : आपको शिकायत नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न कानून-व्यवस्था का हो सकता है वह व्यवस्था हम कर रहे हैं।

मैं ऐसा समझता हूं कि कई दिनों से इन्दिरा गांधीजी के प्रश्न को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रीजी के ऊपर निरन्तर इस बात का आरोप लगाया जा रहा है ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई नहीं लगा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि वह इस सारे मामले में ढील बरत रहे हैं

श्री रामनारायण चौधरी : ढील ही नहीं बरत रहे है ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि लड़ाई इस बात की नहीं है कि लोकतन्त्र कहां नहीं रहा है, लड़ाई इस बात की है कि केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने इन्दिराजी के खिलाफ कार्यवाही शुरू क्यों नहीं की ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : दिल्ली और मेरठ के नाम इसीलिए ले रहे है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिल्ली और आसपास कोई घटना हो जाय तो चौधरी चरणसिंह का नाम निश्चित रूप से जोड़ दिया जाता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चौधरी साहब जिस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं उससे आप सहमत हों ..

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वह निन्दनीय है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कार्यवाही निन्दनीय नहीं है और जांच के परिणाम जो होंगे वह भी निन्दनीय नहीं होंगे। आप और हम दोनों मिलकर विचार करेंगे। उस स्थिति में जांच हो रही है उसकी वह केन्द्र बिन्दु हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रीजी को उसका शिकार बनाया जाय तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केन्द्रीय गृह मंत्रीजी उस के शिकार नहीं होंगे और जांच चलेगी।

जहां तक लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न है तो लॉ एण्ड आर्डर के बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन्दिरा गांधीजी को लाखों लोग सुनें और वे लाखों लोगों में बोलें इस बात के लिए वे सब प्रकार से स्वतंत्र हैं। उनके स्वतन्त्रता से सुनने में आंच नहीं आने देंगे और न आयेगी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजस्थान के लोग ईरान और दूसरे अरब देशों में जाते हैं उनके साथ में विदेशों में ज्यादतियां हो रही हैं। उनके साथ में यहां से लेकर वहां नौकरी तक सब जगह धोखा धड़ी और लूट पाट मचा रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि राजस्थान में कितनी बेरोजगारी है उसको हम भली-भांति जानते हैं।

अगर ऐसे लोगों को रोजगार का लोभ देकर या लालच दिखाकर यह कहा जाये कि वहां जाने से हजारों रुपयों की आय होगी तो लालच में आने का सवाल इस लिए है कि वह इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं। यह एक ज्वलन्त समस्या है जिसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। जो लोग विदेश भेजे जाते हैं, उनको लूटने के लिये गांव गांव में एजेण्ट पैदा हो गए हैं। राजस्थान में रोजगार नहीं मिलता है इसलिये राजस्थान से पिछले वर्ष में 4 हजार से भी अधिक लोग गये हैं। जो एजेण्ट भेजते हैं, वह उनसे 3 हजार से 7 हजार तक वसूल करते हैं। भिन्न भिन्न गांवों में उन एजेण्टों के हैड क्वार्टर मिलेंगे। जो उनके पासपोर्ट बनवाकर भेजने की व्यवस्था करते है। मुझे यह भी सूचना मिली है, उन अरब की कम्पनियों को जब मजदूरों की नेसेसिटी होती है तब कम्पनी आने जाने का खर्चा देती है लेकिन एजेण्ट कहते हैं कि आने और जाने का तुमको देना होगा। क्योंकि उनको नौकरी एवं अधिक धन प्राप्त करने का लालच होता है अतः रुपए उन एजेण्टों को मुंह मांगा दे देते है। उनको अगर नौकरी मिल जाती है तो ठीक नहीं तो उनके साथ में अजीब प्रकार का अन्याय व अत्याचार किया जाता है। उदाहरण के बतौर मैं आपको निवेदन करता हूं कि केरल राज्य व भारत के साउथ में से जो लड़के और लड़कियां दूसरे देशों में गये थे, उनके साथ में वहां क्या क्या हुआ, वह आपने अखबारों में पढ़ा होगा। उनकी क्या कैसी हालत हो गई। यह एक जीता जागता उदाहरण है भूखों मरनेवाली हालत हो गई। यहां से उनको भेज दिया जाता है, फिर वहां उनसे शर्तनामा लिखाते है। शर्तें इस प्रकार की होती हैं कि अगर मान भी जावें तो वापस लौटकर अपने देश नहीं आ सकते अतः वह मान नहीं सकते हैं। तब वह काम नहीं कर सकते हैं और उनको

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

तरह तरह की यातनाऐं दी जाती हैं और उनके साथ बुरा बिहेव किया जाता है। वह आपस में हिन्दुस्तान और राजस्थान के रहने वालों से मिल नहीं सकते हैं। उनके ऊपर कोड़े बरसाये जाते हैं। वहां की कानून व्यवस्था दूसरी तरह की है। जिसमें उनका कहना कोई मतलब नहीं रखता और मोलवी का फैसला अन्तिम होता है मोलवी वहां के लोगों के खिलाफ फैसला नहीं करते, अत: यहां के निवासी को न्याय नहीं मिल पाता। तरह तरह के उन पर जुल्म किये जाते हैं वह वापिस हिन्दुस्तान आ नहीं सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को सुने तो दिल दहल जाता है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए कार्यालय खोल रखा है वहां नाम रजिस्टर्ड किया जाता या रोजगार की व्यवस्था जिन लोगों की हो जाती है जो लोग किसी कारण से दूर दराज देशों में जाते हैं, क्या हम उनके लिए भी रोजगार कार्यालय के द्वारा इसी तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। वहां की सरकार जब भी उनको मजदूर चाहिये यहां की सरकार को अपना निवेदन पत्र भेजे। और यहां की राज्य सरकार उनको भेजने की व्यवस्था करे। सरकार उनको पासपोर्ट दिलाये। यह व्यवस्था सरकार की ओर से हो ताकि जितने भी लोग जाएं उनके साथ में अन्याय नहीं हो सके। मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करूंगा कि दांतारामगढ़ के बहुत से लोगों को अरब देशों में भेजा उनसे छ:छ: सात सात हजार रुपये ले लिये। और पासपोर्ट व वीसा टूरिस्ट्स का बना दिया। वे लोग विदेश गए और इन्हें वापस लौट आना पड़ा। क्योंकि टूरिस्ट्स वीसा पर नौकरी नहीं कर सकता। इस प्रकार धन भी लूटा जाता है और धोखा भी किया जा रहा है।

श्री मदनसिंह दांता : बिल्कुल सही बात है हमारे पास भी वह लोग आये हैं। टूरिस्ट का नाम लेकर उनके पासपोर्ट बनवाये मैंने माननीय सदस्य को कहा था।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यहां से अरब देशों को आने जाने का करीब 2,000 रुपया लगता है। उसकी एवज में 5,6 हजार रुपये उनसे वसूल कर लिये जाते हैं। वहां जाकर उनको नौकरी नहीं मिलती तो भूखों अलग मरते हैं और वापिस लौटकर आ नहीं सकते हैं। आज जो बेरोजगार लोग देहातों में रहते हैं, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।

श्री मदनसिंह दांता : लेकिन यह तो कुछ नहीं करना चाहते हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सरकार को यह अवश्य करना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि जो लोग विदेश गये हैं, उनके परिवारों को भूखा नहीं मरने दिया जायेगा। वह वापस लौटकर भी आयें तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति गया था। उसका वहां पर कतल हो गया। उसकी वहां पर कोई सूचना नहीं है। वह आज तक लापता है। कम्पनी को लिखा तो कहते हैं कि कोई पता नहीं है। मुख्य मन्त्री महोदय आश्वासन दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जो लोग जाने वाले हों, उनके लिए राजस्थान सरकार की ओर से पासपोर्ट बनवाये जायें। राज्य के बड़े अधिकारियों के सामने उनकी सारी लिखा पढ़ी की जाये। राजस्थान सरकार की मार्फत उनकी व्यवस्था हो। सरकार उनके लिए सक्षम व्यवस्था करे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ये जो लोग जाते हैं.....

(व्यवधान)

श्री **नवरंगसिंह** : जो लोग हमारे यहां से जाते हैं, उनके लिए सरकार की ओर से व्यवस्था रखी जाये।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय ईरान ऐसा देश है, जहां काम करने वालों की कमी है। हमारे यहां की बेरोजगारी का फायदा उठाकर जो अनपढ़ लोग गांव में रहने वाले हैं, उनको ईरान ले जाते हैं। वे ऐसी शर्तें लगाते हैं वहां जाने के बाद कि वह वहां से वापस नहीं आ सकते हैं। अगर वह उन शर्तों को नहीं मानें तो उनको वापस नहीं आने देंगे। इसके अलावा वहां एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को बेच देते हैं। वहां पर लोगों को बेचने का काम होता है उनमें ज्यादातर राजस्थान के लोग होते हैं। जनवरी से लेकर फरवरी तक, 7 फरवरी तक यहां से 313 आदमी बाहर गये हैं। वहां ले जाकर उनको यातनाएं दी जाती हैं, भूखा मारा जाता है। एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को बेच दिया जाता है। इस तरह की हालत पैदा की जाती है जिसका खुलासा किया गया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ज्यादातर राजस्थान के आदमी हैं, जो वापस नहीं आ सकते हैं। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि इसको कड़ी कार्यवाही करके रोका जाय। ताकि ऐसी स्थिति नहीं हो कि हमारे आदमियों को ले जाकर वह हमेशा हमेशा के लिए रोक दें, वह वापिस नहीं आ सकें और उनके परिवार के लोग तरसते रहें। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि हमारे राजस्थान के रहने वालों को बहका कर जो बाहर ले जायें और ऐसी हालत पैदा कर दें, हमारे यहां कि बहादुर जाति के लोगों की ऐसी हालत पैदा कर दें, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें और ईरान से केन्द्र सरकार के माध्यम से उन लोगों को वापस राजस्थान लाने के लिए उचित कदम उठायें। मैं पहले ही इस पर कहना चाहता था लेकिन आज जब अखबार में आया तो पढ़ने पर बहुत गुस्सा आया। हमारे आदमियों की ऐसी हालत कर दी जाती है, वह वापस नहीं आ सकते है यह बहुत बुरी घटना है, ज्यादती है। उनको वापिस आने की सुविधा दें और ऐसी एजेन्सियों को बन्द करें। ईरान में जाकर राजस्थान के जो लोग भूखों मर रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार के माध्यम से व्यवस्था करें। उन लोगों को वापस लाकर उनके परिवारों से मिलायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ ऐसी बोगस कम्पनियां अपने राजस्थान में काम कर रही हैं जिनके पास में न तो कोई लाइसेन्स है और न विदेश मन्त्रालय से उनका कोई ताल्लुक है। इस तरह से 2–4 पासपोर्ट बनवा कर पैसे जेब में रखते हैं। मेरी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कान्स्टीट्यूएंसी में जहां पुलिस स्टेशन है, लोगों को घूमते मैंने देखा है, उन्होंने कहा हम यहां से मजदूर ले जाना चाहते हैं लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये 500) रु. एडवांस मांगते हैं और 1500) रु. बाद में लेना चाहते है। उन्होंने कहा है कि हम आप को अबूधाबी भेज देंगे, वहां पर आपको अच्छी मजदूरी मिलेगी। ड्राइवर है उसको एक हजार रुपये से भी ज्यादा वेतन मिलेगा। उनकी बातों से मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह संदिग्ध मामला है। मैंने उनसे कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं मालूम करूंगा कि यह लोग कहां से आए हैं कहां उनका रजिस्ट्रेशन है। इस तरह से राजस्थान में कुछ लोगों ने अपना पेसा बना लिया है। वे इस तरह से एडवांस लेकर फिर भाग जाते हैं, कुछ लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि यहां पर मजदूरी कम है, शिक्षित लोग भी वहां जाने के लिए तैयार हैं, आपके विदेश मन्त्री ने भी कहा है कि जयपुर में भी एक आफिस खोलना चाहते हैं तो आप केन्द्रीय सरकार से बात करके एक विज्ञप्ति निकलवाये लोगों को चेतावनी दें ताकि इस तरह से बीच में जो चार सो बीसी करते हैं वे नहीं कर सके।

मदनसिंह दांता : मेरे कुछ सजेशन्स हैं। राजस्थान से टीम भेजी जाए। वहां भी हमारा राजदूत रहता है, क्यों नहीं कलेक्टर लेवल का अधिकारी हमेशा वहां पर रहे जो वहां की स्थिति के बारे में हमको अवगत कराता रहे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई न कोई व्यवस्था करे। लाखों की संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रोजगार की जरूरत है वहां जाते ही उनको पैसा अच्छा मिल जाता है।

श्री राम नारायण चौधरी : मदनसिंह जी को एम्बेसेडर बनाया जाय।

(व्यवधान)

श्री नूरा : हिंदुस्तानी वहां जाये, कोई कानूनी व्यवस्था है ही नहीं।

श्री आलम अली: हमारे आदमी वहां जाकर-धन्धा करते हैं, लाखों करोडों रुपये का हिन्दुस्तान में फारेन एक्सचेन्ज आता है।

श्री नूरा : एजेन्सियां उनसे कितना कमाती हैं ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह देश के लिए शोभा की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न की ओर सदन व राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं समझता हूं, सदन के अधिकांश माननीय सदस्य इस स्थिति से परिचित हैं। खास तौर से इस प्रकार के लोग ज्यादा संख्या में शेखावाटी से गए हैं और वहीं से जा रहे हैं। इसके दोनों पहलू हैं। मुझे विशेष जानकारी तो नहीं लेकिन लोकसभा व विधान सभा चुनावों के दौरान में जब शेखावाटी क्षेत्र में गया था तो गांवों में मकान बनाने का काम बहुत तेज गति से चलता हुआ मैंने देखा। मुझे जानकारी मिली कि जो अरब देशों में मजदूरी करने गए हैं वे वहां से काफी रुपये भेजते हैं उस कारण मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है उन परिवारों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। वह आकर्षण है जिसके कारण वह लोग चले गए।

श्री बजरंग लाल शर्मा: बीबी भी बदल लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस आकर्षण के कारण कई लोग सर्विसेज में हैं। वे भी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार से उनको पासपोर्ट मिल जाए और अरब देशों में चले जायं। यह केवल राजस्थान की स्थिति नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में भी है, काफी संख्या में लोग आवेदन पत्र देकर पास पोर्ट लेने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। अब यहां दो प्रश्न लोग तो जो उठते हैं। एक गए उनमें से कइयों का कतल हो गया, कइयों को बेच दिया गया, कइयों को गुलाम बना दिया गया, कइयों के साथ मारपीट की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे माननीय सदस्य यदि इस प्रकार की मुझे जानकारी देंगे तो मैं निश्चित रूप से विदेश मन्त्रालय के जरिये, इन लोगों की किस प्रकार की स्थिति है, इसकी जानकारी कर लूंगा उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो उसका निराकरण कराया जाएगा।

दूसरा पहलू है एजेन्सियों का। एजेन्सियों का प्रश्न बड़ा जटिल है। यह सही है कि कई एक एजेन्सियां इस प्रकार का काम देश में कर रही हैं, उनके पीछे पुलिस भी पड़ी थी। कुछ एजेन्सियों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई लेकिन कोई भी आदमी गवाही देने के लिए सामने नहीं आना चाहता।

श्री मदनसिंह दांता : हम देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो देंगे लेकिन लिखकर मुझे दें तो मैं अनुगृहित होऊंगा।

श्री मदनसिंह दांता : बिल्कुल लिख कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि किस किस एजेन्सी के कौन-कौन सदस्य हैं जिन्होंने जनता को धोखा देकर पैसा ले लिया और उनको केवल टूरिस्ट का पासपोर्ट बनाकर दे दिया, मैं सदन के मार्फत जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की एजेंसियों के विरुद्ध, यदि आप मुझे लिखित में शिकायत भेजेंगे तो सरकार प्रमाण एकत्रित करने का प्रयास करेगी और जो भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, वह करेगी। आज जनता को ठगने का मौका उनको नहीं दिया जा सकता। मैं आप लोगों का अनुगृहित रहूंगा यदि आप मुझे तत्काल जानकारी दें ताकि उसके आधार पर कार्य किया जा सके।

नूराजी को चिंता केवल ईरान की है कि ईरान में अन्याय हो रहा है, बाकी सब जगह न्याय है। वह अपनी पार्टी के दृष्टि-कोण से ईरान के खिलाफ...।

श्री नूरा: मुझे ईरान से जलेसी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ईरान के खिलाफ बोलें मुझे आपत्ति नहीं लेकिन बाकी के देशों में क्या है? क्या ईराक से शिकायत नहीं है बगदाद से शिकायत नहीं है? लोग बगदाद, अबूधाबी जा रहे हैं सब स्थानों पर जा रहे हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आपको ईरान के मामले में ही क्यों जानकारी है कि इस प्रकार की एजेंसी काम कर रही है। ईरान से कोई शिकायत आती है, आपको जानकारी मिल जाती है। बाकी अरब देशों में क्या हो रहा है? कृपया सारे देशों से जानकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करके फिर ईरान से कम्पेरिजन करके सदन में बतायें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको इस संबंध में जो शिकायतें हैं, हमारे ध्यान में लायें।

खेतसिंहजी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का हवाला दिया। मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा था कि अजमेर में पासपोर्ट आफिस खोला जायेगा जिससे राजस्थान के लोगों को दिल्ली भागने का कष्ट न करना पड़े। मैं निश्चित रूप से भारत सरकार को लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि राजस्थान को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो जाए...

श्री रामनारायण चौधरी : जयपुर में पासपोर्ट आफिस खोला जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अजमेर के लिए शायद वाजपेयीजी ने आश्वासन दिया था। मैं उनसे चर्चा करूंगा ताकि अपने यहां ऐसी व्यवस्था हो जाए और लोगों को पासपोर्ट के लिए दिल्ली न जाना पड़े।

(व्यवधान)

श्री नूरा : मुख्य मन्त्री ने मेरे लिए कहा। जलेसी की बात नहीं है। दैनिक नवज्योति कम्यूनिस्ट अखबार नहीं है, इसमें काफी खुलासा किया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ईरान में क्या स्थिति है।

श्री मदनसिंह दांता : भारत सरकार का पत्र है इस सम्बन्ध में।

श्री अब्दुल अजीज : मैं आज सुबह ही मिला था इस सम्बन्ध में। हमारे नेता महोदय ने प्रश्न उठाया है, सऊदी अरब का किस्सा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप मुझे लिखकर दे दें, मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा। हाउस में कहने से अर्थ क्या होगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। आधे घण्टे की चर्चा। श्री रतनलाल वर्मा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, दो मिनट।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व विख्यात गजल सम्राट पाकिस्तान से आये मेहंदी हसन जो कि राजस्थान की सरे-जमीं में पैदा हुए, का 31-3-78 को एक कार्यक्रम अजमेर में निश्चित हुआ। उस कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्थापक जब 27-3-78 को वहां गये तो वह कार्यक्रम महज इस वजह से कैन्सिल करना पड़ा कि वहां के एस. पी. ने 20 हजार रुपये की मांग की। अध्यक्ष महोदय, कुछ समाचार पत्रों की कटिंग्स मेरे पास हैं, जो मेरे कथन की पुष्टि करती है वह सदन की टेबल पर रखने से पहले मैं पढ़ देना चाहती हूं।

PATRIOT Dated 1-4-78

"Charge against Ajmer S P.

Jaipur March 31, Famous Gazal Singer Mehdi Hasan was deprieved of a public performance today in Ajmer because of the 'unhelpful' attitude of the district authorities.

(सुश्री पुष्पा जैन)

According to a spokesman of the organisers, on 27th March last the Collector of Ajmer gave his permission to perform the programme subject to a 'green signal' from the Superintendent of Police. The Ajmer S.P. Narain Singh Bhati allegedly demanded Rs. 20,000 for the policefund as a condition for permission to allow the performance.

The organisers of the function expressed their inability to meet the 'demand' and consequently the police Superintendent allegedly refused permission to hold the function.

'Statesman' dated 1-4-78

Gazal Programme cancelled.

Jaipur March 31—The citizens of Ajmer and nearby town have been depreived of listening to the famous ghazal singer, Mehdi Hassan. Thanks to an unhelpful stance of certain district officials. The Rajasthan born ghazal king from Pakistan was due to give a public performance at Ajmer today and advance publicity had started nearly a week ago.

Some tickets were also sold before the local co-sponsers forced to call off the much awaited performance.

अध्यक्ष महोदय, एस. पी. के उक्त कारनामे से विदेश में हमारी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। राजस्थान और अजमेर के कला प्रेमियों को ही नहीं, हिन्दुस्तान के कला प्रेमियों को भी इससे भारी ठेस पहुंची है और उनमें उग्रता पैदा हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेहंदी हसन दुनियां के एक लोकप्रिय कलाकार हैं। वे पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी कला के लिए लोकप्रिय हैं। माननीय गृह मन्त्री जी स्वयं इस बात के लिए साक्षी हैं, तारीख पहली अप्रेल, 1978 को जब उनका प्रोग्राम जयपुर में हुआ तो वे प्रोग्राम के अन्त तक बैठे रहे और उनके प्रोग्राम को बहुत सराहा। लिहाजा मैं आसन की मार्फत माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वर्तमान एस. पी. अजमेर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय जिससे भविष्य में इस तरीके का गलत वातावरण पैदा न हो और किसी भी विदेश से आये कलाकार को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े जिससे कलाकार और स्वयं हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगे। यही नहीं जनता में फैली उग्रता के कारण श्री मेहंदी हसन साहब को अजमेर दरगाह में अपना जाहरत का कार्यक्रम भी स्थगित करना पड़ा जो कि किसी भी मजहबी व्यक्ति के लिए खेदजनक बात है। इसके अतिरिक्त वहां के व्यवस्थापकों को भी हानि उठानी पड़ी क्योंकि टिकिट बेचे जा चुके थे और पब्लिसिटी भी हो गई थी। अतः आपकी मार्फत मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए चाहूंगी

(सुश्री पुष्पा जैन)

कि मेरे प्रस्ताव की अहमियत देखते हुए इसको गम्भीरता से लेकर वर्तमान अजमेर एस. पी. के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा ध्यान है, यह सत्य है कि अजमेर पुलिस अधीक्षक ने बीस हजार रुपये पुलिस फंड को दान स्वरूप देने के लिए कहा किन्तु किसी प्रकार की रिश्वत देने की बात नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रकार के प्रोग्रामों पर पुलिस फण्ड के लिए दिया जाता रहा है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पुलिस फण्ड एस. पी. का खुद का फण्ड नहीं है। किसी कलाकार से पैसा मांगना बहुत ही शर्मनाक बात है। बीकानेर में भी जब कभी फिल्म की शूटिंग होती है तो जब तक पैसा नहीं दिया जाता पुलिस हैल्प नहीं मिलती। इस प्रकार से पैसा मांगना स्टेट के लिए शर्मनाक बात है और यह परम्परा अच्छी नहीं है। यह घटना बहुत ही कष्टजनक और शर्मनाक है। एस. पी. को हटा दिया जाय।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

राज्य सरकार को उस विश्वविख्यात कलाकार से अधिकारियों की गलती की वजह से माफी मांगनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है।

(व्यवधान)

तीस तारीख को मैं मौजूद था वहां के और भी आदमी थे।

(व्यवधान)

कलेक्टर साहब ने मना कर दिया।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एस. पी. अजमेर होते हुए मुशायरा नहीं हो सकता तो एस.पी. को नौकरी से निकाल देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : घटना झूंठी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : आज भारत सरकार ने . . .

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यह शायर और कलाकारों की शान में गुस्ताखी है। विदेशों से जो भी आये उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह लॉ-एण्ड-आर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति का प्रतीक है, खेतड़ी में भी लॉ-एण्ड-आर्डर की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका। सीकर और झुंझुनू में भी नहीं हो सका और अब अजमेर में नहीं हो सका। इससे मालूम होता है कि लॉ-एण्ड-आर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

इस दृष्टि से मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय कलेक्टर ने तो लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति की वजह से एस. पी. से ग्रीन सिगनल की बात कही थी लेकिन वहां के एस. पी. ने 20 हजार रुपये रिश्वत के लेने के लिये कहा। चूंकि उन्होंने 20 हजार रुपये रिश्वत के नहीं दिये इसलिये वहां पर मेंहदी हसन जो कि पाकिस्तान से आये थे उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के आरोप विपक्ष में बैठकर कांग्रेस की सरकार पर वर्तमान मुख्य मंत्री जी लगाते थे उसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप आज वापस उनको चीफ मिनिस्टर शिप में दोहराये जा रहे हैं। यहां पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि अजमेर के एस, पी. ने 20 हजार रुपये रिश्वत के मांगे थे। वह नहीं देने के कारण वहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब बता दी और उनके प्रोग्राम को नहीं होने दिया गया। यह बात बहुत ही चिन्ताजनक है। इसलिये मैं मुख्यमंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बारें में पूरी जांच करके पता लगाये और इस सदन को वहां की क्या स्थिति थी इसके बारे में भी अवगत करावे। आज आपकी पुलिस ही नहीं पूरी सरकार बदनाम हो रही है, वह भी इसलिये कि चूंकि एस. पी. साहाब को 20 हजार रुपये रिश्वत के नहीं दिये इसलिये मेंहदी हसन साहब को प्रोग्राम नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय जब से जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति दिन व दिन बिगड़ती ही जा रही है। आज सरकार इस तरह की निकम्मी हो गयी है कि खुले आम एस. पी. 20 हजार रुपये रिश्वत के मांग रहा है और कोई एक्शन उसके खिलाफ में नहीं हो रहा है। लोकतन्त्र की दुहाई देने वाली सरकार के अन्दर विदेशों से आये लोगों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। पाकिस्तान के मशहूर गायक, जिनका संसार के बड़े गवैयों में नाम है, उनका प्रोग्राम इस वास्ते कैंसिल किया गया कि वहां पर ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि तथाकथित जो 20 हजार रुपये एस. पी. ने रिश्वत के मांगे उसकी जांच होनी चाहिये चाहे वह यह कह दे कि वह 20 हजार रुपये तो पुलिस वेने-वोलेन्ट फण्ड के लिये मांगे उसकी जांच होनी चाहिये और मेहन्दी हसन साहब का प्रोग्राम वहां होना चाहिये।

(व्यवधान)

सुनिये तो सही आप लोग।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सारी स्थिति की जांच होनी चाहिये। अगर लॉ एण्ड आर्डर को स्थिति खराब होने की वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल किया गया तो मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिये एक कलंक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

आधे घंटे की चर्चा.

श्री रतन लाल वर्मा अजमेर जिले में सेटलमेंट एवं दरुस्ती सेटलमेंट के गलत कार्य को सही करवाने विषयक प्रश्न संख्या 293(52/रा.) के उत्तर से जो दिनांक 16मार्च, 1978 को दिया गया था उत्पन्नमुद्दों पर आधे घन्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय यहां पर सदन में हमारे राजस्थान के माने हुए एस. पी. पर चार्ज लगाया कि उन्होंने 20 हजार रुपये रिश्वत के मांगे, यह बिलकुल गलत है उक्त एस. पी. को हमारे भारत सरकार द्वारा बहुत से बड़े बड़े मैडल दिये हुए हैं गृह मन्त्री जी यहां पर विराजे हुए हैं उनको कुछ तो बोलना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गृह मन्त्री जी क्या जवाब दें? वह तो मालूम करेंगे तब कहेंगे।

श्री नूरा: गृह मन्त्री बैठे हैं कुछ तो मुंह से बोलें कि क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। श्री रतन लाल वर्मा आधे घन्टे की चर्चा उठायेंगें।

श्री भैरों सिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेहन्दी हसन जी के कार्यक्रम के बारे में राजस्थान के कितने लोग इन्ट्रेस्टेड हैं इसके बारे में तो मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं भी उनसे मिलने के लिए वहां पर डेढ घन्टे तक इन्तजार करता रहा लेकिन किसी आवश्यक कार्यवश समय पर नहीं आ सके। वह तो अलग बात है लेकिन चूंकि श्री मेहन्दी हसन जी हमारे शेखावाटी के एक गांव के हैं इसलिये हम लोग खुद उनके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इन्ट्रेस्ट रखते हैं। अगर उनका यहां प्रोग्राम होगा तो हम उनका स्वागत करेंगे।

(व्यवधान)

इसके लिए माननीय सदस्या पुष्पा जी, जो हमारे सांस्कृतिक मन्त्री हैं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हम सभी एम. एल. एज. के लिये एक कार्यक्रम यहां करवा दें, परसों जयपुर में प्रोग्राम हुआ और अजमेर में जो प्रोग्राम कैंसिल होने की बात है उसके बारे में तो मेरा निवेदन है,

श्री बजरंगलाल शर्मा : वे खुद भी बहुत अच्छी कलाकार हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बात सुनने दें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अजमेर की जिस घटना का उल्लेख किया गया मैं नहीं मानता कि अजमेर के पुलिस एस. पी. साहब ने 20 हजार रुपये रिश्वत के मांगे होंगे। हो सकता है कि उनका कार्यक्रम कराने वालों से उन्होंने शायद पुलिस बेन वोलेन्ट फन्ड के लिये मांग की हो। श्री मेहन्दी हसन जी का प्रोग्राम रखने वालों ने 20 हजार रुपये रिश्वत के नहीं दिये, इस कारण उनका प्रोग्राम वहां कैंसिल कर दिया, यह कहना गलत है। बात यह है कि वहां पर उन दिनों छात्रों का आन्दोलन चल रहा था। स्टूडेन्ट्स की स्ट्राइक के कारण वहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होगी। इसलिये वहां के जिला अधिकारियों ने उस सिचुएशन को देखते हुए उनके प्रोग्राम को कराना उचित नहीं समझा होगा जिससे कि कोई

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

अनहोनी घटना नहीं घट जाये। जहां तक सवाल पैसे लेने का है वह तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां तक सवाल विदेशियों के प्रति आदर सत्कार और उनको सहूलियतें देने का है मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य एक ही राय के है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब वापस उनका प्रोग्राम करवा दीजिये आप पुलिस के माध्यम से इन्तजाम करवा कर।

आधे घन्टे की चर्चा

अजमेर जिले में सैटलमेंट एवं दुरस्ती सैटलमेंट के गलत कार्य को सही करवाना।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा आधे घन्टे की चर्चा सदन में उठाकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करगे।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय अजमेर जिले में जो सटलमेंट हुआ एवं जहां दुरस्ती सेटलमेंट हुआ उसके गलत कार्यों को सही करवाने के लिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी विरोधी दल के नेता सदन मे नहीं है वह जान बूझकर यहां से उठकर चले गये हैं। उनका बैठना इसलिये अनिवार्य था, अध्यक्ष महोदय माननीय परसरामजी मदेरणा जो अभी विरोधी दल के नेता हैं, उस समय राजस्व मन्त्री राजस्थान थे। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के पूरे शासन काल में और विशेष तौर से जब परसराम जी मदेरणा राजस्व मन्त्री बने इन्होंने अजमेर जिले मे सैटलमेंट एवं दुरस्ती सैटलमेंट के नाम पर अजमेर जिले के किसानों को बिल्कुल बरबाद कर दिया, उन बेचारों को बिल्कुल बेघरबार कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह जो सेटलमेंट हुआ या दुरस्ती सैटलमेंट हुआ वह बिल्कुल ही गलत ढग से हुआ। जिन लोगों को कब्जे दिलाये गये उनको मैं सदन में गलत साबित कर सकता हूं। मैं सबूत और रिकार्ड के माध्यम से सदन में साबित कर सकता हूं कि जो सेटलमेंट हुए थे वह सभी गलत हुए। अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में जितने भी कानून बने वह सभी कांग्रेस सरकार द्वारा कानून ऐसे बनाये गये जिससे अजमेर जिले के काश्तकार बरबाद हो गये। कांग्रेस सरकार ने और राजस्व मन्त्रीजी श्री परसराम जी मदेरणा ने इस प्रकार कानून का जाल बिछाया कि वो बेचारे किसान कानून के जाल में फंस गये और कानून के चंगुल में आ गये वह बरबाद हो गये। अध्यक्ष महोदय, जब भारत आजाद नहीं था तब तो किसान को एक अकेले अपने जागीरदार के पास, या अपने इस्तमरार के पास, या ठाकुर के पास या राजा के पास जाकर ही रोना पड़ता था लेकिन बाद में कांग्रेस के राज में तो किसान बरबाद हो गया। वह जाकर रोये तो किसके आगे जाकर रोये। अध्यक्ष महोदय, जो झगड़े गांव का भांभी निपटा देता था वह आज आपके कलैक्टर तक नहीं निपटा सकते हैं। इसी कारण अजमेर का ही नहीं पूरे राजस्थान का किसान बरबाद हो गया। अध्यक्ष महोदय, अजमेर की स्थिति तो कुछ और ही हमेशा से रही है। जितने कानून बने, अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में उन सभी ने किसानों को बरबाद कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, जो मसला मैं अभी सदन के सामने रख रहा हूं वह मसला सन् 51–52 से चला आ रहा है। गड़बड़ियों के

(श्री रतनलाल वर्मा)

कारण किसान बरबाद हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण के साथ साबित कर सकता हूं, सरकारी रिकार्ड जो मेरे पास है उससे साबित कर सकता हूं कि वह सभी गलत हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने प्रश्न पूछा उसका जो उत्तर दिया गया वह गलत था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं, परसरामजी मदेरणा को भी बैठना चाहिये था लेकिन उनको पता था कि रतनलाल वर्मा यहां पर सदन में आधे घन्टे की चर्चा उठायेगा इसलिए वह चुपचाप यहां से उठकर निकल गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह मसला आज से नहीं पिछले तीस सालों से चला आ रहा है।

मेहरबानी करके मेरी सुन ले।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप बिना मतलब के आक्षेप क्यों लगाते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं आक्षेप नहीं लगाता हूं। मैंने आधे घन्टे की चर्चा उठायी है यह बात विरोधी दल के नेता को मालूम थी। वह यहां बैठे थे और जब समय आया तो यहां से उठकर चल दिए।

अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता राजस्व मन्त्री रह चुके हैं। उन्होंने ऐसे राजस्व सम्बन्धी कानून बनाये जिससे कि किसान बरबाद हो गया। उन्होंने गलत कानून बनाकर व कानून की मखौल उड़ाकर हमारे यहां पर किसानों को बरबाद और बेघरबार कर दिया। कांग्रेस की सरकार के गलत कानूनों से उनकी गुण्डागर्दी से किसान बरबाद हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके मेरी सुन लीजिए। आप बीच में नहीं बोलें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप गालियां नहीं देंगे तो हमें सुनने में एतराज नहीं। आप शांतिपूर्वक कहें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं शांति से ही बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला सन् 51-52 का से चला आ रहा है। हमारे यहां पर 51-52 के पहले जागीरदार थे, इस्तमरार थे, ठाकुर थे। उस वक्त सैटलमेन्ट हुआ, सन् 41-42 में, उसके बाद में जो सन् 51-52 में सैटलमेन्ट हुआ है उसमें बहुत से घपले हुए, किसान को बरबाद कर दिया। उसके बाद में सैटलमेन्ट हुआ 51-52 में। बाद में सन् 54 में लगानी पट्टे हमारे यहां पर किसानों को बांट दिए गए। इस प्रकार सैटलमेन्ट करके पट्टे बांटे कि रूपा का पर्चा हजारी को और हजारी का पर्चा केसरीसिंह को दे दिया। इस प्रकार किसी की जमीन का पट्टा किसी को दे दिया। लोगों को गलत लगानी पट्टे वितरित कर दिये।

उस वक्त सैटलमेन्ट ऑफिसर थे और उनके सहायक थे मिश्री लालजी जो अब रिटायर हो चुके हैं।

श्री नूरा : वे किसान कार्यकर्ता हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : आपके पैदा होने से पहले का मसला है।

श्री नूरा : सैटलमेन्ट कराया है।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस मसले का माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है।

एक माननीय सदस्य : माननीय परसरामजी आ गये हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : बहुत अच्छा हुआ। यह मसला पूर्व में विधान सभा के समक्ष आ गया था। इसके लिए कमेटी बनायी गयी थी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी की मीटिंग कब होगी? आज भी हम उसका इन्तजार कर रहे हैं। पहले मंत्री ने जवाब दिया था, अब राजस्व मंत्रीजी नये हो गए हैं। आपकी कृपा से, आपके सहयोग से यह मसला हल हो इसके लिए इसको सदन में पेश कर दिया है। आज पूरा जिला इस तरह के मामलों से दुःखी है। कुछ फैक्ट्स के साथ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, सरकारी उत्तर भी दिया जावेगा।

श्री रतनलाल वर्मा: 15 मिनट का मुझे मौका दे दीजिए और 15 मिनट का उनको दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : दूसरे दो एक माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : 5 मिनट ही दे दीजिए।

उन्होंने जवाब दिया कि अब तक सैटलमेन्ट का कार्य पूरा नहीं हुआ है। 1969 में सैटलमेन्ट का कार्य आरम्भ किया। आज ये जवाब दे रहे हैं कि पूरा नहीं हुआ। 8 साल के अर्से में, 9 साल के अर्से में सैटलमेन्ट का कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या सैटलमेन्ट है यह?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी, जो अभी यहां विराजे हुए हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा में आपने एक बात कही, आज विरोधी दल के माननीय नेता परसरामजी, जो पहले राजस्व मंत्रीथे, भी यहां मौजूद हैं, उनको भी आप इसमें ले लीजिये, हमको भी ले लीजिये और अजमेर जिले के समस्त एम.एल.एज. को ले लीजिये और आप हमारी बात को सुनिये। हमारी जिन्दगी को सुधारिये। प्रश्न के माध्यम से पूछा गया और मंत्री महोदय से भी निवेदन किया गया कि जो लोग सरकार से टी. ए., डी. ए. का पैसा लेकर, सरकारी मोटरों में घूम कर गांव गांव में दूध मलाई खाते फिरते हैं उन लोगों ने जान-बूझकर खसरे गलत कर दिये, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये तैयार होंगे? दुःख के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आप भ्रष्टाचार की गति को नहीं रोक सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि नोटिस दिये हैं, एफिडेविट दिये हैं इसके सम्बन्ध में। आज भी सदन के सामने यह बात कह रहा हूं कि मंत्री महोदय ने कह दिया कि इस तरह का कोई मामला विचाराधीन नहीं है सरकार के सामने —

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत बता दिया। और बाकी बचा क्या?

श्री रतनलाल वर्मा : आपने जवाब दिया माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जवाब दिया।

(श्री रतनलाल वर्मा)

सरकार के पास सेटलमेंट के विरोध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ..

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुल मोहम्मद : आप उनको बोलने दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यदि कोई महिला सदस्या किसी काम से मंत्री महोदय से या पुरुष माननीय सदस्य से बात करे तो व्यंग्य कसे जाते हैं। इस प्रकार से व्यंग्य कसते है जो बर्दाश्त काबिल नहीं होते हैं। यदि पुरुष सदस्य किसी महिला सदस्य से बात करते हैं तो भी व्यंग्य कसते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों को आगाह कर दीजिये कि वे इस तरह से व्यंग्य न कसें।

एक माननीय सदस्य : नाम तो बता दीजियेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्या बतायें कि क्या व्यंग्य कसा जाता है और क्यों यह बात कर रही हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बार पहले बात कर गयी थी तो व्यंग्य कसा गया था। मैं उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप भाषण समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत की बात निवेदन कर रहा हूं। भाषण देना तो मैं जानता ही नहीं। गांव का रहने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के समस्त प्रधान, समस्त एम० एल० एज ने राज्य सरकार से निवेदन किया, उसकी कापी भी सदन के सामने हमने पेश की। दूसरी 12-7-68 को, अध्यक्ष महोदय, खुला नोटिस भी प्रधान मन्त्री को, मुख्य मन्त्री को, जिलाधीश को दिखाया गया, धरना दिया गया, यह भी मैं सदन की मेज पर रखता हूं। दूसरी बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 1976 में कांग्रेस का सेमीनार हुआ था उस वक्त भी यह मसला कमेटी के सामने रखा था। वहां के सब सरपंच, सब प्रधान, सभी ने लिख कर निवेदन भी किया जो कि आज भी राज्य सरकार के रिकार्ड में मौजूद है और भूतपूर्व राजस्व मन्त्रीजी और विरोधी पक्ष के माननीय नेता श्री परसरामजी की जानकारी में यह पूरा मसला है। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक कुछ अर्ज करना नहीं चाहता। हमारी कोई सुनता नहीं है। हम मंगतों की तरह रोते फिरते हैं। राज्य सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि वह दिन कब आवेगा जब किसान को उसके खेत का सही पट्टा, सही जमाबन्दी के साथ पास बुक मिल जावेगी और उसको बैंक कर्जा दे देगा। वह दिन हम वास्तव में देखना चाहते हैं। 28 साल हो गये। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी, माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप सेटलमेंट करवा कर इस मसले को सेटल कर दीजियेगा। लोगों के बड़े बड़े बंगले बन गये, कारें बन गयीं लेकिन आज भी किसान रो रहा है उसकी जमीन का रिकार्ड सही नहीं है। मैंने एक प्रश्न पूछा था। मेरे प्रश्न को खारिज कर दिया। मैंने यह पूछा था कि

(श्री रतनलाल वर्मा)

51 से लेकर 76 तक कितनी कितनी जमीन के सम्बन्ध में मर्डर हुए, जमीनों के मामले में कितने कत्तल हुए, कितने किसानों पर जुर्माना हुआ? लेकिन उस प्रश्न को खारिज कर दिया। वह प्रश्न आवे तो मालूम होगा कि हजारों कत्तल हुए, हजारों मर्डर किये गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन के नियमों को ध्यान में रखें और स्थान ग्रहण करें। बहुत बोल लिये हैं आप। आपको अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अभी माननीय सदस्य ने कुछ भद्दे शब्दों का प्रयोग किया उसको एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री रतनलाल वर्मा : यदि किसान को अधिकार नहीं दिया तो तन त्यागना मन्जूर है पर इसको त्यागूंगा नहीं। जिन्होंने किसानों का खून चूस लिया, हड्डियां चूस लीं उनको दण्ड दिया जावेगा।

श्री नूरा : यह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी आशा के साथ, इसी तसल्ली के साथ सरकार से आशा करते हुए यह थोड़े टूटे फूटे शब्द रख रहा हूं। जांच कमीशन बैठाया जा सकता है और अगर गलत साबित हो जाऊं तो आजन्म कारावास की सजा दीजिये। इतने चैलेन्ज के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं इसी आशा के साथ अपनी बात सदन के सामने रखता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : कारावास में 19 महीने तक चैन नहीं आया जो अब फिर जाना चाहते हो।

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य की व्यथा के साथ मैं भी सहानुभूति रखता हूं। पूर्व सत्र में जब यह प्रश्न आया तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैंने निवेदन किया था और भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस समस्या की जो काम्पलेक्सिटी है और काम्पलीकेटेड सिचुएशन खड़ी हो गयी है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। मैंने निवेदन किया था कि इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। यह एक दो साल का मामला नहीं है। इस्तमरारी और विश्वेदारी सिस्टम था। उस समय जो रिकार्ड में इन्द्राजात किये गये थे वह ठीक नहीं किये गये थे, उनके सम्बन्ध में यह मसला है। मेरे पास यह महकमा नवम्बर, 1973 में आया था। लैंड रिकार्ड के मामलों को लेकर जो उस समय कलेक्टर थे, श्री बोरदिया, उन्होंने गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव भेजा था। उसको स्वीकार करके फिर लैंड रिकार्ड के करक्शन शुरू हो गये। उसके बाद कलेक्टर डोरिया आये। उन्होंने कहा कि जब इस्तमरारी और जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो वह इन्द्राजात गलत हो गये। अभी जो कलेक्टर गंगानगर हैं उन्होंने सेटलमेंट आफिसर्स को मुकर्रर किया था एक लिमिटेड पर्पज के लिए। उसके बाद भी समस्यायें की यों रही। लैंड रिकार्ड के लिए कलेक्टर गंगानगर सेटलमेंट आफिसर की पावर्स का यूज कर रहे थे वह 10 साल पहले कर रहे

(श्री परसराम मदेरणा)

थे। 9-10 साल पहले की बात है। सैटलमेंट हो जाने के बाद कई रिकार्ड में तब्दीली हो जाती है, खातेदार बदल जाते हैं, जमीन चली जाती है। वह रिकार्ड अब रहा ही नहीं है, वह वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। कुछ शिकायतें थीं। शिकायतें आपको भी थीं और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी थीं। मैंने अर्ज किया कि एक कलेक्टर के पास क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है इसलिए इस काम को देख नहीं सकता। मेरी तरफ से यह हुआ कि कलेक्टर को सैटलमेंट की पावर्स देकर इस काम को निपटाया जा सकेगा। स्वयं कुम्बट साहब कलेक्टर थे उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। नेशनलाइजेशन आफ रेन्ट रेट का मामला था और वह मामला पिछड़ गया था इसलिए आफिसर को अपाइन्ट कर दिया था लेकिन उससे आपकी समस्या काफी उलझी हुई है। मैंने क्या किया क्या नहीं किया है—मैं तो किसानों की समस्या का निराकरण ही करना चाहता था। उसको उलझन में डालने की बात अपनी तरफ से कोई नहीं की लेकिन मामला आलः रेडी उलझा हुआ है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस मामले में कमेटी बना कर और समस्या की तह में जाकर कोई न कोई समाधान निकालें। मेरी तो आज भी उनके प्रति सहानुभूति है। मैं समझता हूं कि मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है और न मैं जाकर सजेशन दे सकता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम): अध्यक्ष महोदय, माननीय रतनलाल जी वर्मा ने जो आधे घन्टे की चर्चा उठाई उसके संबंध में मुझे भी दो शब्द कहने हैं। माननीय परसराम जी मदेरणा जी ने ठीक कहा था कि इस संबंध में पिछले अधिवेशन में मैंने भी इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। भीम क्षेत्र और अजमेर जिले की समस्यायें एक जैसी हैं। लैंड रिकार्ड करेक्शन आपरेशन हुआ था वह 1971 में अजमेर में बन्द हो गया। यह काम तो बन्द हो गया लेकिन धारा 110 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत उस आपरेशन को क्लोज करने का नोटीफिकेशन अभी तक भी नहीं हुआ।

माननीय वर्मा जी ने इस समस्या की ओर ठीक ध्यान आकर्षित किया है। इसमें तीन चार मुद्दे हैं। एक तो यह है कि इस आपरेशन की वजह से हजारों व्यक्तियों की कई पीढ़ियों की कब्जे शुदा भूमि दूसरों के नाम दर्ज हो गयी। ऐसी जमीन दूसरों के नाम दर्ज हो गयी इस तरह से मुकदमेबाजी बहुत बढ़ गयी। और हजारों व्यक्तियों की खातेदारी की जमीन बिना नाम दर्ज हो गयी। उनको ट्रेसपास मानकर हजारों लोगों के खिलाफ धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत मुकदमे चल रहे हैं। यह भी एक गम्भीर समस्या है।

कई गावों में चरागाह की भूमि को बिना नाम दर्ज कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। यही नहीं, अजमेर जिले में किसानों की कब्जेशुदा बीड़ हैं जिनके ऊपर किसानों का सैकड़ों वर्षों से कब्जा चला आ रहा है लेकिन उसका किसी लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड कहीं भी इन्द्राज नहीं था इसलिए इस आपरेशन के दौरान उनका उस जमीन पर, जिस पर उनका सैकड़ों

(मेजर श्री फतहसिंह)

वर्षों का कब्जा हैं, अतिक्रमण मानकर, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या उस इलाके में रेन्ट रेट निर्धारित करने की है जिसकी ओर माननीय परसराम जी मदेरणा ने ध्यान आकर्षित किया था, यह समस्या गम्भीर है। यह समस्या राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों से जरा भिन्न है। भीम की समस्या, अजमेर जिले की समस्या और पाली जिले के संदड़ा परगना की समस्या राजस्थान के दूसरे इलाकों की समस्या से भिन्न है। रेन्ट रेट के संबंध में, बीहड़ों के अधिकारों के संबंध में, शामलात की भूमि पर कब्जा आदि की समस्यायें हैं। इसलिए जो कुछ माननीय रतनलाल जी वर्मा ने कहा है उसका समर्थन करते हुए और श्री परसराम जी ने जो बात कही है उसका आदर करते हुए मैं सुझाव देता हूं कि सरकार गम्भीरता से सोचे और जो गलती हुई है इसको दुरुस्त करवाये इसको दुरुस्त कराने के लिए जरूरी है कि पक्का सेटलमेन्ट हो।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जो कहीं खामिया थीं वह भी सही नहीं हुई है। यदि पक्का दुरुस्त सेटलमेन्ट हो तब तो गलतियां दूर हो सकती हैं नहीं तो एक दो अधिकारियों को नियुक्त करने से गलतियां दूर नहीं हो सकती हैं। सरकार इस पर गंभीरता से सोचे।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि अजमेर जिले की समस्या काफी उलझी हुई है....

श्री अध्यक्ष : श्री करतार सिंह

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा उठाई उस पर भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाकर किसानों की समस्या को ओर ध्यान आकर्षित किया है। वस्तुस्थिति यह है कि अजमेर जिले की स्थिति बिलकुल ही भिन्न है। अजमेर जिले में बहुत सी रियासतें थीं और किशनगढ़ भी उन रियासतों में एक थी। सन् 1952 में इस्तमरारी और जागीरदारी सिस्टम का एबोलीशन हुआ। उस समय सेटलमेन्ट हुआ मैं बताना चाहता हूं कि उस समय भयंकर अकाल पड़ा था और उसकी वजह से किसान माईग्रेट हो गये थे इस कारण उस समय सैटलमेन्ट हुआ और वह काफी गलत हुआ। किसानों की जमीन इधर की उधर हो गयी और सारे नक्शे गलत बन गये। तब से लेकर आज तक काश्तकार काबिज हैं उसके बावजूद उनका कोई हक नहीं है। सन् 1969 से 1971 तक अजमेर में पुनः सैटलमेन्ट का काम चला उसमें भी इतनी अनियमिततायें रहीं कि आज तक उनको अपटू-डेट नहीं कराया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पहले एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था और एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि निश्चित रूप से एक दो महीने में आपरेशन को अपटूडेट कर दिया जायेगा। लेकिन उसके ऊपर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह बताना चाहता हूं कि सैटलमेन्ट आपरेशन को 17-18 साल हो गये उसके बाद भी स्थिति यह है कि गांवों का नक्शा नहीं मिलता है मेरे क्षेत्र में दो गांव हैं उनमें हर साल झगड़ा होता है। इस तरह का एक उदाहरण देना चाहता हूं।

(श्री करतारसिंह)

अभी 20 तारीख को एस०डी० ओ० किशनगढ़ ने उनकी खड़ी फसल को नीलाम करने के आदेश दे दिये। दूसरी पार्टी को रिश्वत लेकर छोड़ दिया। इस तरह किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि अजमेर जिले की गम्भीर समस्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए, आवश्यक कदम उठाते हुए, किसानों के साथ न्याय करिये।

श्री नूरा : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, उसके बाद किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा उत्तर हो लेने दीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अजमेर का सैटलमेंट का मामला है उसमें यह बात सही है कि नक्शे बिल्कुल गलत बन गए, इधर की जमीनें उधर कर दी गई। राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि 9 आदमियों की एक कमेटी बनाई जायेगी जो एक महीने में रिपोर्ट देगी। उस कमेटी के रेवेन्यू मिनिस्टर चेयरमेन हैं, और मेम्बर हैं, परसरामजी, फतेहसिंह, ईश्वरचन्द्र, भंवरलाल ऐरन, सैटलमेंट कमिश्नर, कलेक्टर अजमेर, रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य, राजस्व आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। इस समस्या को कैसे सुलझायें, उसकी छानबीन करके कमेटी एक महीने में रिपोर्ट राज्य सरकार को दे देगी, राज्य सरकार उसके अनुसार आदेश देगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। माननीय परिवहन मंत्री महोदय।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

श्री केदारनाथ (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

टौंक में बंगाली शरणार्थियों को आवास आवंटन

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, श्री नवलराय बच्चाणी।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष जी, बात यह है। टौंक में 50 क्वार्टर जो हैं, बंगालियों के लिए बने हुए हैं। दो वर्ष हो गए, खाली पड़े हुए हैं। बाड़मेर और चौहटन के जो 71 के शरणार्थी हैं उनके पुनर्वास व अन्य समस्या के लिए समय समय पर पुनर्वास कमिश्नर से मिलता रहता हूं। मालूम पड़ा है कि टौंक में 50 क्वार्टर खाली पड़े हुए हैं। वहां की सिन्धी पंचायत ने एप्लीकेशन दी कि इन क्वार्टर पर जितनी भी आप लोगों की लागत लगी हुई है, ब्याज सहित उस पर हम लेने को तैयार हैं। 6 महीने से यह लोग केन्द्र और राज्य सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। 1,2 पत्र पढ़ कर सुनाऊंगा जो आयुक्त पुनर्वास ने भेजे हैं। क्रमांक एफ (14) (2) पुनर्वास, 74 जयपुर, दिनांक 28-10-77 डा. के.आर. बदलानी, टौंक।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षण कर दिया, स्थान ग्रहण करें। सरकारी उत्तर आने हैं। फिर आपको कुछ कहना हो तो दो मिनट बोल सकते हैं। पुनर्वास मंत्री महोदय।

श्री सम्पतराम (पुनर्वास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, देवली कैम्प के बंगाली विस्थापित परिवारों को स्थाई रूप से बसाने के लिये टौंक व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत 50 दुकान व मकान का निर्माण करवाया गया था। इस योजना के अन्तर्गत बसाए गये 50 बंगाली परिवारों में से 49 परिवार बिना किसी पूर्व सूचना के अन्यत्र कहीं चले गये हैं, जिसकी सूचना भारत सरकार को समय समय पर भेजी जाती रही है तथा एक परिवार ने कोटा में बसने का अनुरोध किया है। इस प्रकार यह सभी दुकानें एवं आवास खाली हो गये हैं।

इन 50 दुकान एवं आवास के निर्माण पर पुनर्वास विभाग द्वारा कुल 3,78,308 रुपये व्यय किये गये थे। इस प्रकार प्रत्येक आवास एवं दुकान के निर्माण पर लगभग 7566 रुपये का व्यय आया है। ये दुकान एवं भवन अगस्त, 76 में तैयार हो गये थे तथा सितम्बर, 76 में बंगाली विस्थापितों को आवंटित किये गये थे। प्रत्येक बंगाली परिवार को 5,000 रुपये प्रति परिवार व्यवसाय करने के लिये ऋण भी दिया गया था। किन्तु ये सभी परिवार अन्यत्र चले गये हैं।

दिनांक 23-8-77 को टौंक के सिन्धी शरणार्थियों ने जिलाधीश, पुनर्वास, टौंक को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उन्हें बंगाली शरणार्थियों के लिये बनाये गये 50 क्वार्टर्स, जो वर्तमान में खाली हैं, आवंटित कर दिये जावें। जिलाधीश, पुनर्वास, टौंक ने उक्त प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग को अपने पत्र दिनांक 12-9-77 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया। राज्य सरकार का विचार था, क्योंकि इन क्वार्टर्स का निर्माण बंगाली विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार के वित्तीय साधनों से किया गया है, अतः इसका आवंटन स्थानीय शरणार्थियों को भारत सरकार की बिना स्वीकृति के किया जाना उपयुक्त नहीं होगा लेकिन जब राज्य सरकार की जानकारी में यह लाया गया कि इन खाली पड़े क्वार्टर्स के बिजली के तार व हवादान आदि या तो हटा दिये गये हैं अथवा नष्ट किये जा रहे हैं, तब यह महसूस किया गया कि यदि इन्हें और अधिक समय तक खाली रखा गया तो इन दुकान एवं आवासीय गृहों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जावेगी। इस बीच जिलाधीश, टौंक ने भी यह सुझाव दिया कि यह क्वार्टर्स लागत मूल्य पर टौंक शहर के स्थानीय निवासियों को दिये जावें तथा आवंटन में प्राथमिकता स्थानीय शरणार्थियों को दी जावे ताकि इन खाली पड़े क्वार्टर्स का समुचित उपयोग किया जा सके। चूंकि इन क्वार्टर्स का निर्माण भारत सरकार से प्राप्त ऋण राशि से पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये किया गया था, अतः भारत सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के इन क्वार्टर्स को अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित करना उपयुक्त नहीं समझा गया। अतः राज्य सरकार ने दिनांक 23-9-77 को एक पत्र केन्द्रीय सरकार को लिखा जिसमें उनसे इन क्वार्टर्स को टौंक शहर के स्थानीय निवासियों / शरणार्थियों को

(श्री सम्पतराम)

लागत मूल्य पर बेचने की स्वीकृति देने को कहा गया था, ताकि इन सरकारी क्वार्टर्स में आगे किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस संबंध में भारत सरकार को एक और पत्र दिनांक 21-2-78 को लिखा गया था जिसमें भी उनसे यही प्रार्थना की गई थी कि वे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न पर विचार कर आवश्यक निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करावें। इनके खाली रहने से हो रही हानि को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23-3-78 द्वारा यह सूचित किया था कि राज्य सरकार का यह विचार है कि इन क्वार्टर्स का यथा शीघ्र निष्पादन कर दिया जावे।

दिनांक 14-3-78 को आयुक्त, उपायुक्त एवं अधिशासी अभियन्ता, पुनर्वास, जयपुर से टौंक गये थे, जहां पर इन क्वार्टर्स में जिन्हें बगाली शरणार्थी खाली छोड़कर चले गये हैं, के बारे में एक गोष्ठी का आयोजन जिलाधीश टौंक के कार्यालय में किया गया था, जिसमें आयुक्त, पुनर्वास, कलेक्टर टौंक, उपायुक्त पुनर्वास, एस0 डी0 ओ0 टौंक, म्यूनिसिपल कमिश्नर टौंक, अधिशासी अभियन्ता, पुनर्वास, कोषाधिकारी टौंक व कप कमाण्डेन्ट कोटा उपस्थित थे। इस गोष्ठी में पश्चिमी पाकिस्तान से आये तथा टौंक शहर में रह रहे शरणार्थियों के प्रतिनिधि एवं अन्य स्थानीय व्यवसायियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा समस्या पर विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इन क्वार्टर्स को लागत मूल्य पर, जो प्रति क्वार्टर्स अनुमानिक 8000 रुपये आती है, बेच दिया जावे तथा जिलाधीश, टौंक को इन सभी इच्छुक व्यक्तियों से जो इन क्वार्टर्स को खरीदना चाहते हैं, 1000 प्रति आवेदक मय प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने के निर्देश दे दिये गये।

इस निर्णय के संदर्भ में जिलाधीश टौंक को एक अर्द्ध-शासकीय पत्र भी दिनांक 16-3-78 का लिखा गया था तथा प्रगति एक सप्ताह में भेजे जाने हेतु भी कहा गया था। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिये गये थे कि वे सिर्फ उन्हीं केसेज की सिफारिश करें जो वास्तव में जरूरतमन्द हैं तथा डिजर्व करते हैं। और अधिक व्यक्तियों को अवसर देने के लिये यह अवधि दिनांक 28-3-78 तक बढ़ा दी गई थी। जिलाधीश, टौंक ने अपने अर्द्ध-शासकीय पत्र 127/पुनर्वास दिनांक 30-3-78 के द्वारा सूचित किया है कि कुल 69 व्यक्तियों ने, जिनमें 50 सिन्धी तथा 19 स्थानीय व्यक्ति हैं, अपने अपने प्रार्थना पत्र के साथ एक एक हजार रुपये की राशि जमा कराई है।

इन क्वार्टर्स के निष्पादन के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये जावें, इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। किन्तु जैसी कि विभाग की मान्यता रही है इनके आवंटन में प्राथमिकता पुरुषार्थियों को ही दी जायगी।

जहां तक माननीय सदस्य ने जिलाधीश, टौंक द्वारा कमिश्नर एवं उपायुक्त दोनों के दिनांक 14-3-78 को शर्तों के मानने के बावजूद अवहेलना करने व पैसे न जमा कराने का जो आरोप लगाया है, उसके बारे में जिलाधीश, टौंक ने जानकारी दी है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को रुपये जमा कराने से मना नहीं किया है। यह बात इस तथ्य से भी स्वतः सिद्ध हो जाती है कि

(श्री सम्पत राम)

69 व्यक्तियों ने, जिनमें 50 सिन्धी तथा 19 स्थानीय व्यक्ति हैं, दिनांक 28-3-78 तक आवेदन-पत्र के साथ साथ एक एक हजार रुपये जमा भी कराये हैं।

उपरोक्त वर्णित स्थिति का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लगाये गये आरोप कि जिलाधीश टौंक द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है, तथ्यों पर आधारित नहीं है।

श्री नवलराम बच्छाणी : माननीय अध्यक्ष जी, आज मेरे पास पत्र आया है और दो प्रतिनिधि भी आये हैं। आशंका केवल यह है कि 14 मार्च, 1978 को बैठक हुई उसमें इन लोगों को निर्देश दिया गया कि पैसे जमा कराओ। 14 तारीख से 21 तारीख का समय दिया गया। 7 दिन का समय रखा, और उसके बाद फिर समय बढ़ाया गया। तो मेरा कहना यह है कि जो 50 लोगों की आशंका बनी हुई है, ऐसा न हो कि कहीं दूसरे लोग आ जायं। मैंने पत्र पढ़कर सुनाया है, 6 महीने में ही सब काम हो गया है तो कहीं घुसपेठिये गड़बड़ न करें। मैं चाहूंगा जो 50 लोगों की अर्जियां आई हैं उन लोगों को ही दिये जायं। जिन 50 लोगों ने पैसे जमा कराये हैं इन्हीं लोगों को क्वार्टर्स दिये जायं। ऐसा टौंक सिंधी पंचायत ने भी निर्णय ले लिया है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसमें कोई झगड़ा नहीं पड़े। मैं चाहूंगा इस तरह से उनको प्राथमिकता दी जाय।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1978

विधायी कार्य। पुरः स्थापित किए जाने वाले विधेयक। **श्री दिग्विजयसिंह।**

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरः स्थापित हुआ। श्री भंवरलाल शर्मा।

आपत्ति

सदन की विधायिनी क्षमता से परे विधेयक

श्री **मूलचन्द डागा** : श्रीमन मैंने आपत्ति पेश की है। इस प्रकार का कानून संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जनतान्त्रिक सरकार, जनता पार्टी की सरकार दो बार ऐसा कानून ला चुकी है। आपने खुद ने माना है कि हाउसिंग बोर्ड आटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। आटो-नोमस इन्स्टीट्यूशन के आधार पर राज—

(श्री मूलचन्द डागा)

स्थान-आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 है उसके सैक्शन 6 में है, अध्यक्ष तथा ग़ैर सरकारी सदस्यों की पदावधि नियुक्ति की तारीख के बाद तीन साल होती है और दो साल एक्सटेंड कर सकते हैं। बोर्ड को तब खतम कर सकते हैं जब उसमें कहीं मिस मैनेजमेंट हो, कहीं गड़बड़ियां हों। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने चेयरमैन को टर्मिनेट कर दिया यानि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति चेयरमैन बनने के लायक...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमों के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं...

श्री मूलचन्द डागा : I have given in writing. The motion at the time of introduction....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव आने दीजिये फिर आपकी आपत्ति होगी, मैं आपको मौका दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपत्ति करता हूं at the time of introduction. इन्ट्रोड्यूज होने के बाद क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : When it is introduced, you can raise objection but before introdction the raising of the objection is completely hypothetical.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, इनको नियमों का हवाला दे दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपकी सेवा में नियम (64) पढ़ रहा हूं—उसमें यह at the time of introduction, this can be opposed जैसा फर्मा रहे हैं – I have given in writing

श्री अध्यक्ष : आपका आया है, मेरे पास....

श्री मूलचन्द डागा : मैं नियम (64) की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं – Motion for leave to introduce Bill – If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question....."

I have already moved the motion. So when it is opposed the speaker may permit full discussion thereof. He has already sought the introduction.

श्री परस राम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नान-आफिसियल डे के रोज जो आदेश दिया था वह इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर दिया था। नियम 64 के अन्तर्गत इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर ही यह एतराज किया है कि विल इन्ट्रोड्यूज नहीं किया जा सकता है। यह लेजिस्लेचर की काम्पीटेंस के अंदर नहीं है। इन दोनों एतराजों को इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर ही लिया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिए मैंने आपका ध्यान दिलाया है।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर बहुत कम विवाद होता है। माननीय सदस्य डागा जी ने बिल इन्ट्रोड्यूज न करने लिए आप से प्रार्थना की है।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था देता हूं माननीय सदस्य चाहें तो आपत्ति उठा सकते हैं

श्री राम नारायण चौधरी : इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर ट्रेजरी बेन्चेज ने जब इन्ट्रोड्यूज नहीं हुआ तब विरोध किया था। इन्ट्रोडक्शन पहले होना चाहिये। आपत्ति चाहे तो उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मेरी व्यवस्था थी, इस पर माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई। मैं उसे निरस्त करके विश्वास दिलाता हूं और मैं अपने डिस्क्रिशन में यह उचित समझता हूं कि इन्ट्रोडक्शन के बाद इनको मौका दूं। उसके बाद आप विचार प्रकट कर सकते हैं

श्री रामनारायण चौधरी : सदन की परम्पराओं के अनुसार बता रहा हूं। 67 में ना पक्ष में बैठने वालों के नान आफिसियल डे पर बिल इन्ट्रोड्यूज हो गये थे उसके बाद ट्रेजरी बेन्चेज ने बिल इन्ट्रोड्यूज न होने के लिए जोर लगाया था। सरकारी विधेयक का विरोध हो तो आम तौर से आपत्ति नहीं होती लेकिन नान आफिसियल विधेयक विरोध का नहीं होना चाहिये। यह परम्परा कायम रही है। पिछली बार 31 तारीख को माननीय डागा जी ने जो कुछ इन्ट्रोडक्शन ...

श्री अध्यक्ष : इन्ट्रोडक्शन के पहले, ही आपत्ति उठाना चाहते हैं। अभी बिल इन्ट्रोड्यूज नहीं किया जाय। मैं माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, वे क्या चाहते हैं? You want to revoke the introduction ?

श्री मूल चन्द डागा : मै आपसे अर्ज करना चाहता हूं। जनता पार्टी की सरकार दो बार ऐसा कानून ला चुकी है। कानून के द्वारा जो बोर्ड काम करते थे, जिनकी टर्म का प्रावधान था उनको टर्मिनेट कर दिया आर्डिनेन्स के द्वारा। यह लोकतान्त्रिक अधिकार है कि जो आटोनोमस इन्स्टीट्यूशन हैं जिनके लिए प्रोविजन आलरेडी मौजूद हैं उनको नोटिस देकर और उसके कामों की गलतियों के बाद टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन बिना नोटिस दिये हुए हटाते हैं और इस प्रकार का काला कानून लाते हैं। इसमें लिखा है ......

If the opinion of the State Govt. has been collected of any misconduct or use of his position to render the member deterimental to the interest then it can be rejected.

तो, श्रीमान, आपने क्या किया। एक चेयरमैन को हटा दिया और हुक्मानी को लगा दिया। आपको तो राजनैतिक दृष्टिकोण से लोगों को लगाना है। जनता पार्टी के असंतुष्ट लोगों को लगाना है आपको। प्रोपराइटी आफ कानून है क्या यह ?

(व्यवधान)

आप भी हमारा अनुकरण कर रहे हैं। अपना जो मेन एक्ट है उस एक्ट में प्रोविजन हैं कि किसी मैम्बर को अगर चेयरमैन बनाते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं तो उस चेयरमैन को तीन साल और दो साल और काम करने की इजाजत देंगे। इसके अलावा प्रोविजन है कि इसको चाहे तो हटा सकते हैं नोटिस देकर। इन्हें न तो नोटिस दिया और न कोई गलती ही बताई आर्डिनेंस निकाल दिया और टर्मिनेट कर दिया So for what purpose it has been terminted? इस प्रकार के आर्डिनेंस से लोगों के अधिकारों का हनन होता है। आपने राजनैतिक लोगों को संरक्षण देने के लिए, उनको पोस्ट देने के लिए हुक्मानी को लगा दिया। इस प्रकार का काला कानून लाकर लोगों के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। कानून है फिर भी टर्मिनेट कर दिया। किस कानून में आपने आर्डिनेंस निकाला? कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति आपके आटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में काम नहीं करना चाहेगा। आप जब चाहेंगे टर्मिनेट कर दें for what reasons without notice. मैं इस प्रकार के कानून को सख्त अपोज करता हूं यह इन्ट्रोड्यूज नहीं किया जावे।

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री पुरुषोत्तम मंत्री।

राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करता हूं।

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) अध्यादेश 1978 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1978) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कहता हूं कि एक साल ही क्यों दो साल के लिए बढ़ाई जावे।

श्री अध्यक्ष ; यह आप वाद-विवाद के समय कहें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (अध्यादेश संख्या 4 सन 1977) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय संकल्प

संविधान (तियालिसवां संशोधन)

अधिनियम, 1977 का

अनुसमर्थन

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प पर विचार। माननीय श्री सूर्यनारायण चौधरी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प करता हूं :—

"यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्रान्तर्गत संविधान के उन संशोधनों का, जिनका प्रस्थापन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चवालिसवां संशोधन) विधेयक, 1977 द्वारा किया गया है तथा जिसका संक्षिप्त नाम संविधान (तियालीसवां संशोधन) अधिनियम 1977 में परिवर्तित कर दिया गया है, अनुसमर्थन करता है।"

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, मैंने अमेंडमेंट दिया है नियम 112 के नीचे। उसमें है : After a resolution, has been moved any member may subject to the rules relating to resolution, move an amendment to the resolution.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जो आपका संकल्प था मैंने निरस्त कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा । मेरा संकल्प नहीं था, मेरा अमेंडमेंट था।

श्री अध्यक्ष : आपका संशोधन प्रस्ताव था मैंने निरस्त किया है क्योंकि यह अवैधानिक है।

Page No 69

(64)

श्री मूलचन्द डागा : क्या रीजन्स है ?

श्री अध्यक्ष : संकल्प का अनुसमर्थन हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : जो संकल्प के लिए प्रोविजन है, श्रीमान, इसके कारणों पर अगर कोई अमेंडमेंट देना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है We have already given our names.

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : यदि कोई सदस्य बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री मंजूर अली : मैं भी इसके अनुसमर्थन में बोलना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा रही है कि जब कोई संकल्प आता है, कांस्टीटयूशन में अमेंडमेंट होने जा रहा है उसको अनुसमर्थन देने के लिए जब शासकीय पक्ष की तरफ से संकल्प आता है तो हमारे मंत्री महोदय का वक्तव्य होता है ···

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : चाहने का प्रश्न नहीं है। इसके कारणों पर मंत्री का वक्तव्य होता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने समय देने के लिए नहीं कहा, वे चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं बोल रहा हूं। जब आप बीच में खड़े हो गए तो मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष : पहले सत्ता पक्ष से बोल लें, फिर विरोधी दल के नेता बोल सकते हैं। यदि और भी कोई सदस्य बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हमने पहले अपना नाम पेश कर दिया है उसके अनुसार मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपने आपत्ति की है

श्री मूलचन्द डागा : आपत्ति का सवाल नहीं है, डिबेट में पार्टीशिपेशन करना चाहते हैं। I have given my name.

(व्यधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं संसद द्वारा पारित संविधान के उस मसौदे को संकल्प के रूप में इस सदन के सामने स्वीकृति और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इस सदन के माननीय सदस्य और विशेष कर विरोधी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं। मान्यवर, इस देश में एक अस्थायी प्रवाह आया था जनतन्त्र को नष्ट करने का, और उसकी उत्पत्ति के स्वरूप वियालीसवां संविधान संशोधन पारित कर के इस देश की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों को पंगु बनाने में विगत की कांग्रेस सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। यह बड़े खेद

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

का विषय है कि संविधान के अन्दर मूलभूत परिवर्तन कर दिया गया और न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया। लोकसभा, राज्य सभा और पिछली विधान सभा के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ही क्षणों के अन्दर, कुछ ही मिनट्स के अन्दर और कुछ ही घंटों के अन्दर ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन पारित कर दिए गए और समाचार पत्रों पर हर संभव प्रतिबन्ध लगा दिए गए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो संविधान इस व्यवस्था के ऊपर आधारित हो, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये सारे के सारे स्तम्भ व्यवस्थित रूप से हों एक दूसरे से अलग, एक दूसरे के ऊपर आश्रित न होकर उनका स्वतन्त्र दायरा हो, उस संविधान को जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने जन्म दिया, 19 महीनों के कार्यकाल के अन्दर नष्ट करने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जिस संविधान संशोधन का अनुसमर्थन करने के लिये जो संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, इसमें केवल एक मुद्दे को रखा गया है और वह है, न्यायपालिका को पुनः अधिकार देना, उसकी प्रतिष्ठा को पुनःस्थापित करना। जो इस प्रकार रोक लगायी गयी थी, जिसके कारण न्यायपालिका की अहमियत समाप्त होकर कार्यपालिका को प्रभुत्व मिलता था, उसको समाप्त करने की भावना इसमें समाहित है। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो वर्तमान में कान्स्टीट्यूशन (44-वां) अमेन्डमेंट बिल है, जिसका अनुसमर्थन करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है उसके अंदर धारा 31, आर्टिकल 31-डी को डिलिट करने का प्रावधान है। यह 31-डी, अध्यक्ष महोदय, क्या है? यह 1976 तक इस संविधान के अन्दर विद्यमान नहीं था। संविधान में समाहित नहीं किया गया था। इमर्जेन्सी के दौरान, श्रीमती इन्दिरा गांधी, कांग्रेस (आई) की सरकार ने एक व्यवस्थित रूप से, सीधे सीधे जनतन्त्र को समाप्त कर डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए ऐसे कानून बनाने की छूट चाही जिससे कि जनतन्त्रीय पद्धति का गला घोंटा जा सके। यह आर्टिकल 31-डी इस प्रकार है, यह मूल अंग्रेजी में है, इसे मैं पढ़ देता हूं:

31D (1) Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for–

(a) the prevention or prohibition of anti-national activities; or

(b) the prevention of formation of or the prohibition of antinational associations, shall be deemed to be void or the ground that it is inconsistent with or takes away or or abridges any of the rights conferred by article 14, article 19 or article 31.

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने इस प्रकार का यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया कि संसद या विधान सभा जो राष्ट्र विरोधी कार्यवाही हो, उसको रोकने के सम्बन्ध में कोई कानून पारित करती हो तो उन कानूनों को न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया जा सकता, उसकी

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

वैधता के ऊपर कोई भी न्यायालय विचार नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, कार्यपालिका को इतना व्यापक अधिकार दे दिया गया था कि जो लेजिटिमेट राजनैतिक एक्टीविटीज थी संवैधानिक प्रजातंत्रीय पद्धति से जो कार्यवाही हो सकती थी, उसको रोका जा सकता था। इस प्रकार के असीमित सरकार को अधिकार दे दिए गए थे और इससे जनतन्त्र को खतरा था, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका जो यह 31-डी का प्रोविजन है, जो इस प्रकार की छूट देता है कि कोई भी न्यायालय ऐसे कानून, जो इस तरह का कानून जो एन्टी नेशनल एक्टीविटी को रोकता है, की वैधता में नहीं जा सकता। इस प्रकार को न्यायालय को पंगु बना दिया गया था। इसलिए इस रोक को, इस प्रतिबंध को, इस अंकुश को वर्तमान जनता सरकार समाप्त कर रही है और संसद ने इसको पारित कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विपक्ष के जो कांग्रेस सदस्य हैं, संसद के अन्दर, उन्होंने भी इस सारे संशोधन का स्वागत किया है। मैं समझता हूं कि सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे क्योंकि यह जनतन्त्र को पुनर्जीवित करने के लिए, न्यायपालिका को पुन: प्रतिष्ठित करने के लिए है और न्याय के अन्तर्गत देश प्रगति कर सके, इस मंशा से यह संशोधन लाया गया है, जो स्वागत योग्य है।

आगे जो दूसरा अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर प्रावधान है-वह यह है:-

"Article 32-A of the Constitution shall be omitted." Article 32-A reads:-

"Notwithstanding anything in article 32, the Supreme Court shall not consider the constitutional validity of any State law in proceedings under that article unless the constitutional validity of any Central law is also in issue in such proceedings."

प्रक्रिया इस तरह की अपनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट को जिन्हीं मामलों के अन्दर उसको वैधता को चुनौती देने पर सुनने का को अधिकार है, उसको समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 32 ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन जो है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह संविधान का वह भाग है, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संविधान ने यह उत्तरदायित्व डाला है कि वह सारे के सारे कानूनों की वैधता को आंके। जो फण्डामेन्टल राइटस के चेप्टर के अनुसार लोगों को जो अधिकार है, उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व स्वत: ही सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए इस पर अंकुश लगाने की दृष्टि से आर्टिकल 32 ए लाया गया और यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि जब तक सेन्ट्रल लॉ के अन्तर्गत वह समाहित न हो या स्टेट लॉ के अन्तर्गत समाहित न हो तब तक सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय इस वैधता पर विचार नहीं करेगा। इसको भी इस चवालिसवां संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया है। इसलिए मैं इस संकल्प के द्वारा इस पर भी इस सदन का अनुमोदन और स्वीकृति चाहूंगा।

(2.25 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष पदासीन)

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत जो तीसरा संशोधन किया गया है, जो इसका हो भाग है, वह यह है :

"Article 131-A of the Constitution shall be omitted."

उपाध्यक्ष महोदय, वह इस प्रकार है:–

"Notwithstanding anything contained in any other provision of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have jurisdiction to determine all questions relating to the constitutional validity of any Central law."

उपाध्यक्ष महोदय जो हाईकोर्टस हैं, उनको सेन्ट्रल लॉ और रूल्स को चुनौती देने के मामलों को सुनने का अधिकार था, वह छीन लिया गया था, इसमें उसको पुनः रेस्टोर करने की व्यवस्था की गई है । इसके पहले जो व्यवस्था थी वह रेस्टोर की जा रही है। यानि हम न्यायपालिका को अधिकार देकर, कार्यपालिका के कार्यों पर अंकुश लगाना चाहते हैं ताकी जनतंत्रीय अधिकारों का हनन न हो । यह सारा का सारा इस दृष्टि से प्रोविजन किया गया है और जो 131 इन्ट्रोड्यूज किया गया था, उसको समाप्त करने की व्यवस्था की गई है । आगे इसमें लिखा है।

"Where a High Court is satisfied:—

(a) that a case pending before it or before a court subordinate to it involves questions as to the constitutional validity of any Central law or, as the case may be, of both Central and State laws; and

(b) that the determination of such questions is necessary for the disposal of the case, the High Court shall refer the questions for the decision of the Supreme Court."

हाई कोर्ट को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह सैन्ट्रल लाज के सम्बन्ध में वैधता के बारे में विचार कर सके। जो अधिकार 30 वर्ष से चला आ रहा था, जो अधिकार संविधान में प्रारम्भ से ही निहित था और जिन अधिकारों का कान्स्टीट्यूशन के अन्दर समावेश हो गया है जो सारे देश की इन्टेग्रिटी के लिए आवश्यक है, देश को एक रखने के लिए आवश्यक है उन अधिकारों को इमर्जेन्सी के अन्तर्गत छीन लिया गया था और उच्च न्यायालयों को पंगु कर दिया गया था, तो इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यह और रखा है। मैं इस सदन को यह निवेदन करूंगा कि जनतन्त्र जिन्दा रहे उसकी साख रहे, न्याय-व्यवस्था, न्यायपालिका और न्याय-संस्थाएं पूरी स्वतन्त्र रहे और वह इतनी स्वतन्त्र हों कि कार्यपालिका के ऊपर वह निरन्तर अंकुश लगा सके ताकि कार्यपालिका भटक न जाय और देश के अन्दर काले बादल डिक्टेटरशिप के रूप में इस देश के अंदर छा नहीं सकें, इस दृष्टि से यह व्यवस्था रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो·····

श्री रामनारायण चौधरी : इसको मानते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बोल तो दूं। आपको मालूम होगा। बहुत से सदस्यों का....

श्री रामनारायण चौधरी : आप बड़ा सुन्दर बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप गालियां देना बन्द कर दें और फिर बोलते जायं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं गालियां कहां दे रहा हूं।

श्री मूलचंद डागा : बार बार यही कह रहे हैं कि वह हुआ

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने लोक सभा की डिबेट मंगा रखी है और विधान सभा की डिबेट्स मंगा रखी है तो सोच-समझ कर बोल रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : This is one of the part of your speech.

श्री रामनारायण चौधरी : आप बुढ़ापे के अन्दर भी अपने स्वभाव को मत छोड़ना।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं समय देख कर रंग नहीं बदलता हूं आपकी तरह।

"Article 144-A of the Constitutional shall be omitted."

यह आर्टिकल 144-A इस प्रकार है—

"The minimum number of Judges of the Supreme Court who shall sit for the purpose of determining any question as to the constitutional validity of any Central law or State law shall be seven.".

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई प्रकार से कोशिश की गई विगत शासन के दौरान में कि न्यायपालिका को पंगु किया जाय। कई तो अधिकार क्षेत्रों को छीन लिया गया। उसके बारे में स्टेट्स की जो हाई कोर्ट्स हैं वे कुछ नहीं बोलेंगी, अमुक स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी। 31 डी में एन्टी नेशनल एक्टीविटीज के बारे में कोई कानून निकाला जाता है चाहे वह हमारे राइट से सम्बन्धित हो, चाहे लिबर्टी से सम्बन्धित हो, चाहे इक्वेलिटि से संबंधित हो, किसी चीज से भी सम्बन्धित हो, उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे इसी प्रकार का खतरा 7 जजेज की बेंच रख कर बढ़ाया गया। उसमें भी यह कहा गया कि दो थर्ड जजेज किसी भी कानून के लिए जब तक यह न कह दें कि यह कानून अवैध है तब तक वह कानून वैध रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : दो-तिहाई है तीन चौथाई नहीं हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको याद है आपने पारित कराया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पारित नहीं कराया मेरे आब्जेक्शन हैं। आप डिबेट उठाकर पढ़ लें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह आपने जो क्लेरिकल मिस्टेक बतलाई इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर 7 जजेज हैं उसमें 4 जजेज भी यह कहें कि यह कानून अवैध है वह बात नहीं मानी जायेगी और तीन जजेज यह कहें कि यह कानून वैध है तो यह बात मान ली जायगी। यह व्यवस्था थी तो जो जुडिशियरी की महत्ता थी उसको समाप्त करने की चेष्टा की गई और परसेप्शन प्रिजम्पशन इस बात का बन गया कि कोई भी सैन्ट्रल ला पारित किया जायेगा उसको भी तब तक वैध माना जाय जब तक कि 7 जजेज में से टू-थर्ड की मेजोरिटी उसको अवैध करार नहीं दे दें। तो हेबियस कार्पस की पिटीशन के जजमेंट पर जो स्थिति पैदा हुई है वह कब पैदा होती है उसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस व्यवस्था को समाप्त करने का इसमें प्रावधान है।

इसके आगे चले "Article 226-A of the Constitution shall be omitted."

कुछ 145 के आर्टिकल के अन्दर भी प्रावधान रखे हुए हैं कि 5 की बैंच हो या 7 की बैंच हो इसको कम करके पहले को रेस्टोर करने के लिए इसके अन्दर प्रावधान है।

जो आर्टिकल 226 ए है वह इस प्रकार का है, उपाध्यक्ष महोदय—

"Notwithstanding anything in article 226, the High Court shall not consider the constitutional validity of any Central law in any proceedings under that article."

मैं इसके बारे में पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

तो, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो उस समय के व्यूज हैं जिनको मैंने अभी देखा है चाहे वह लोकसभा में हों, चाहे इस विधान सभा में हों, उनको देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई है, और इस हद तक निराशा हुई है कि जो कानून के पंडित थे उन्होंने इस जनतन्त्र रूपी मां के जो हत्यारे हैं उनके साथ सहयोग किया है जब कि उनका यह कर्त्तव्य था, पुनीत कर्त्तव्य था कि इस जनतन्त्र रूपी मां की रक्षा करें। उसकी हत्या के अन्दर सब लोगों ने किन्हीं कारणों से उस समय सहयोग दिया। मैं आपके द्वारा भारतीय जनता को बहुत-धन्यवाद दे देना चाहता हूं कि जिसने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसने इस बढ़ती हुई आंधी को वहीं पर रोक दिया, जिसने जनता पार्टी को शासन देकर जनतन्त्र को पुनर्स्थापित करने का अवसर दिया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से पुरजोर रूप से निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के माननीय नेता।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इसके समर्थन में बोलने की इजाजत दी जायेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : आपका समर्थन करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : (भोपालगढ़) माननीय उपाध्यक्षजी, जो संकल्प माननीय विधि मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उस संबंध में जहां तक मेरी पार्टी का 'प्रश्न है विधि मंत्रीजी ने लोकसभा और राज्य सभा की प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं तो वह स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो यह चवालीसवां कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों से पारित होकर आज हमारे सम्मुख आया है, जिसके अनुसमर्थन और रेटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव आया है, सर्वसम्मति से इसके प्रावधान पारित किये गये हैं सिवाय एक व्यक्ति, जिसने लोकसभा में अपना नोट आफ डिसेन्ट दिया है, ने उसके पक्ष में वोट नहीं दिया है।

श्री कौशल किशोर जैन : उस समय जेलों में थे।

श्री मूलचन्द डागा : आप सुनते नहीं, समझते नहीं और बोल उठते हैं खड़े होकर।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह अभी के लिए कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सभा में यह विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जो आर्टिकल्स आज डिलीट कराये जा रहे हैं या जिन आर्टिकल्स चाहे वह 31 डी हो, चाहे 32 हो, चाहे 144 ए हो, चाहे 131 ए हो, चाहे 139 ए हो, चाहे 226 ए हो, चाहे 228 हो, चाहे 228 ए हो या 366 हो यह 11 धाराओं का जो विधेयक इस सदन में आया है, और सिवाय आर्टिकल 31 डी के संशोधन के बाकी के संशोधन द्वारा बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पावर्स थे, जो बाद में ले लिये गये थे या जुरिस्डिक्शन के बाहर किये गये थे उनको वापिस रेस्टोर किया गया है। बाकी के कुछ अमेंडमेंट्स हैं वे कान्सीक्वेन्शल हैं। इसलिए जहां तक इस विधेयक की 11 धाराओं का प्रश्न है इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन 42 वें संशोधन विधेयक पर काफी चर्चा हुई थी और जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसके बारे में कहा था। उन्होंने एक लाइन में कहा था कि 42 वें संशोधन अधिनियम में जो भी प्रावधान है वह रेसिन्ड कर दिये जायेंगे। यह आपका कैसा घोषणा-पत्र है? लेकिन आप नहीं लाये हैं....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पढ़ दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं क्यों पढ़ दूं। आप पढ़ लें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : लोकसभा के चुनावों के बाद ....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हमारा भी विवरण आपको मिला होगा। जनता पार्टी का, आपका इलेक्शन मेनिफेस्टो

श्री कौशल किशोर जैन : कहां से लाये हैं आप?

श्री परसराम मदेरणा : इलेक्शन मेनिफेस्टो तो आता ही है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपसे मेरा निवेदन है इसको मानें।

श्री भंवरलाल ऐरन : केवल कान्सटीट्यूशनल अमेंडमेंट की बात को ही पढ़ दें।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सलाह नहीं निवेदन हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह मेरा अधिकार है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करते वक्त, कन्सीडरेशन के वक्त और बिल की थर्ड स्टेज पर इन तीनों ही स्टेजेज पर भारत सरकार के विधि मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने इस बात पर ज्यादा एम्फेसिस दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सर्टेन पावर्स है, वह देना चाहते हैं। जो सेन्ट्रल एक्ट की वैलिडिटी के ऊपर हाई कोर्ट विचार करेगा। हाई कोर्ट द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है इससे दूर दराज के, देश के दो लाख गांव अफेक्टेड होते हैं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। 42 वां अमेण्डमेण्ट अधिनियम में जो प्रावधान किये हैं उनको रेसिण्ड कर देंगे। उसमें फी लीगल एड वाला प्रोविजन भी है। इसका अमेंडमेंट कोई नहीं चाहेगा। इसलिए संशोधन करने के बारे में सोचना होगा। जहां तक कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट्स का प्रश्न है, उन्होंने यह भी बात कही है कि विरोधी दल के सभी लोगों से बात करने के बाद में, डिस्कशन करने के बाद में यह सदन में लेकर आये हैं। इस भावना से सदन से वाद विवाद हुआ। विधि मंत्रीजी ने कहा कि जुडिशियरी को पंगु बना दिया गया था। अब जुडिशियरी की प्रतिष्ठा की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना कि जुडिशियरी को पंगु बना दिया गया था।

श्री कौशल किशोर जैन : पंगु ही नहीं, समाप्त कर दिया गया था।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि 44 वां संशोधन अधिनियम के रेटिफिकेशन के लिए संकल्प रखा है और कहा है 42 वां संशोधन अधिनियम के कारण सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले आप आर्टिकल 368 के अन्दर संशोधन करते। वह नहीं कर रहे हैं बल्कि कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या हिन्दुस्तान की जनता सुप्रीम है? यह जो कान्स्टीट्यूशन हिन्दुस्तान की जनता ने दिया है, उसमें प्रियम्बल है, माननीय मन्त्री जी आप समाजवादी मन्त्री है, हमने जो प्रियम्बल में सोशलिस्टिक पेटर्न रखा था क्या उसमें भी आप अमेण्डमेण्ट करना पसन्द करेंगे? आपकी पार्टी के जो घटक हैं वह समाजवादी समाज की रचना की बात करते हैं। अभी जो फाइनेन्स कमीशन आया था उसके सामने मेमोरन्डम आपने रखा है ...

श्री कौशल किशोर जैन : प्रियम्बल बदला जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने बदला नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : विधि मन्त्री जी विधिवेत्ता हैं। वह स्वयं इस बात को जानते हैं। मैं इसी कारण कहना चाहता हूं कि यह संशोधन होने के बाद भी कुछ बदलेंगे इस पर फ्री एण्ड फ्रेंक डिस्कशन होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं इस कान्स्टीट्यूशन अमेण्ड करने की बात आज से नहीं लम्बे अर्से से, दस साल से चल रही हैं। गोरखनाथ केस, शंकर प्रसाद केस....

एक माननीय सदस्य : गोलकनाथ केस ।

श्री परसराम मदेरणा : गोलकनाथ केस का फैसला हुआ । उस समय सम्पत्ति के अधिकार को लेकर कहा गया कि यह नहीं हो सकता है । लेकिन शंकरप्रसाद केस में कहा गया कि हो सकता है । इसी तरह से सज्जनसिंह केस, वज्रावली केस, मेटल कार्पोरेशन केस में मार्केट वेल्यू निर्धारित कर दी । शान्तिलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है । गोलकनाथ केस में भी एक के बहुमत से ही जजमेन्ट हुआ । 6 जज एक तरफ थे और 7 जज एक तरफ थे । इसके पीछे हिस्ट्री है । केशवानन्द भारती केस आया तो उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं की जा सकती है । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं जो बेसिक स्ट्रक्चर कान्स्टीट्यूशन का है, वह बेसिक स्ट्रक्चर बदल सकते है या नहीं । बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी आज तक कोई परिभाषा नहीं की गई है । अगर बेसिक स्ट्रक्चर है तो क्या वहां बेसिक स्ट्रक्चर है जिस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने, जब संविधान की रचना की थी, सोचा था ? क्या 28 साल के बाद हमारे सोचने पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं ? आपने यह बात कही है कि फण्डामेंटल राइट्स पर कुठाराघात कर दिया है । आपने यह घोषणा पत्र में कहा है, फण्डामेन्टल राइट्स में प्रापर्टी राइट नहीं रहेगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : है ।

श्री परसराम मदेरणा : फण्डामेण्टल राइट्स में आप संशोधन नहीं ला रहे हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ला रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : इस पर आप सेकेण्ड थोट देख लें । भारत सरकार के विधि मन्त्री के सम्पर्क में आपको रहने का मौका मिलता है ।

(व्यवधान)

इस पर पूरा हमें विचार करना पड़ेगा । आपका 42वां संशोधन अधिनियम के सारे प्रावधानों को डिलीट करने का विचार नहीं हैं । 44वां संशोधन अधिनियम के पहले 43वां संशोधन विधेयक लाये थे उस पर विचार नहीं हुआ था । इसलिए आप संकल्प में इस अधिनियम को जो 43वां बना रहे हैं, यह वह नहीं है ।

इसके पहले मैं निवेदन कर रहा था, 42 अमेण्डमेण्ट एक्ट के प्रोविजन 131ए के लिए भारत सरकार के विधि मंत्री ने कहा कि उससे जनतन्त्र की हत्या हो गई थी। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि इस पर चर्चा की जाय । उन्होंने यह उल्लेख किया है, यह बिल सदन में लाया हूं इसके स्कोप पर चर्चा होनी चाहिए । मैं यह निवेदन करूंगा कि 42वां संशोधन अधिनियम के अन्दर एक और प्रोविजन था, वर्कर्स के पार्टीसिपेशन का आया था । क्या आप उसका अमेण्डमेण्ट करना पसन्द करेंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बिल्कुल नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : फ्री लीगल एड के अलावा वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने की बात भी कही गई थी ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसका पता नहीं है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

इस पर भी जजमेंट हो चुके हैं इस सम्बन्ध में भी कोई गलतफहमी न रहे इस बदलती हुई परिस्थितियों में, इसलिये माननीय विधि मन्त्रीजी, अब आप सरकार में बैठे हैं तो इसको भी डिलिट करना पसन्द करेंगे या नहीं ? पार्टी सेकिण्ड अमेन्डमेंट के अन्दर स्टेट लेजिस्लेचर और लोक सभा को सीटें निर्धारित की गई थी। जन संख्या की बढ़ोतरी के साथ हर दस साल बाद उन की संख्या बदलती रहती है सन् 2000 के बाद जो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, उसके अनुसार आप सीटों में तरमीम करेंगे या नहीं ? तो क्या आप इस अमेंडमेंट को भी डिलीट करने जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के जरिये आप पावर्स हाई कोर्ट को देने जा रहे हैं सैण्ट्रल लॉ को कान्स्टीट्यूशनल वेलिडिटी को एग्जामिन करने को, पूर्व में भी सेन्ट्रल लॉ पर डिफरेन्ट जजमेंट हो चुके हैं, क्या फिर वही परिस्थिति इस देश में पैदा नहीं होगी ? उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ज्युडिशियरी की प्रतिबद्धता का प्रश्न है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, ज्युडिशियरी इण्डिपेन्ट रहे और ग्रानेस्टी के साथ में फैसला करे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। यह दलील भी दी गई की। यह दलील भी दी गई कि ज्युडिशियरी मेंटली ऑनेस्ट होती है। यह भी बात कही गई टू-थर्ड मैजोरिटी से किसी केस की वेलिडिटी को जज करना चाहिए। मैं कोई ज्युडिशियरी का एसपर्शन नहीं करना चाहता लेकिन अभी अखबारों में देखने को मिला कि एक हायर ज्युडिशियल सर्विस के मेम्बर को सस्पेण्ड कर दिया गया क्योंकि उसको एसोशिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया था और उसने इसकी अनुमति नहीं ली थी। जिस तरह से यह किया गया डिवीजन बैंच ने भी इसको गलत माना।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सस्पेन्सन पर नहीं था।

श्री मूलचन्द डागा : What is that ?

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए यह कहना कि जुडिशियरी को पंगु बना दिया यह बात सही नहीं है। जुडिशियरी को खुद ही अपनी प्रतिष्ठा रखनी पड़ेगी। मुझे याद है, चीफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के, 63 या 64 की बात है, गजेन्द्रगडकर रिटायर होने वाले थे, उसके 15 दिन पहले वे राजस्थान में आये थे और खासा कोठी में जुडिशियल ऑफिसर्स को नाश्ते पर बुलाया था। मैं भी वहां गया था। शायद मेरे सिवाय दूसरा और कोई नान जुडिशियल पर्सन वहां नहीं था। डेमोक्रेसी के तीन स्तम्भ हैं जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशियरी के बारे में उन्होंने कहा था, अन्दर ही अन्दर सिमरिंग डिसकण्टेन्ट होता जा रहा है, जुडिशियरी इन्डिपेण्डेन्ट नहीं रही इस देश के अन्दर तो एक घातक चीज होगी। उन्होंने कहा, राजस्थान की बात तो नहीं जानता, लेकिन दूसरे राज्यों में ज्युडिशियरी की प्रेस्टिज गिर रही है। इस बात का मुझे ज्ञान है, यह बात उन्होंने कही राजस्थान के बारे में तो नहीं कहा, शायद उनको जानकारी नहीं होगी या वे कहना नहीं चाहते होंगे। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जुडिशियरी को अपनी प्रेस्टिज स्वयं बनाये रखनी पड़ेगी। सवाल यह चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह सवाल आया, इसलिए यह प्रश्न आया कि बेसिक स्ट्रक्चर की यह बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्-

(श्री परसराम मदेरणा)

क्चर को सेफगार्ड करना चाहिए कान्स्टीट्यूशन के अन्दर, यह भी चर्चा चल रही है आज पूरे देश में। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सोसायटी को ऐसी सोसायटी नहीं बनाना है जो हंगर और डिप्राइवेशन से अफेक्ड हो। जब तक संविधान को चेन्ज का इन्स्ट्रूमेंट नहीं बनायेंगे तब तक आर्थिक उपलब्धियां नहीं ला सकेंगे। मेरा निवेदन है कि कान्स्टीट्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको टच नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपके सामने कल कुछ परिवर्तन आ जाय। आपने वायदा किया है, मेनिफेस्टों के जरिये कमिटमेंट किया है कि मीसा को समाप्त कर देंगे भारत सरकार उस पर सोचने लगी, ठीक है अब बिल को विथड्रा कर लिया है, चाहें पार्टी के स्तर पर विचार करके या और किसी तरह से, उसको इन्ट्रोड्यूस नहीं करके अब विथड्रा कर लिया है। लेकिन आप सोचिये तो सही कि आपने कमिटमेंट किया है मीसा को रिटायर करेंगे लेकिन मोरार जी की सरकार बनते ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दूसरा अमेंडमेंट लाना चाहते है। बम्बई से लोकसभा के सदस्य श्री जेठमलानी जी ने इस संबंध में एक किताब भी छपवाई है। ऐसा मालूम होता है कि आपकी केबिनेट, जिसमें वे सभी लोग हैं जिन्होंने राज्य पाल महोदय के सामने शपथ ली है, पार्टी के अन्दर मुखालफत कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में कोई भी कान्स्टीट्यूशन में आप संशोधन करने जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि कान्स्टीट्यूशन देश के लिए बनता है, अगर आपने वर्तमान की कोई घटना या अतीत की घटना को लेकर संशोधन किया तो आप गलती कर सकते हैं। यह नहीं सोचें कि संशोधन हमारी पार्टी की ओर से लाने चाहिए, जैसे आपने सितम्बर के सेशन में किया। एक बिल जो कार्मशियल कोप के बारे में था, उसको यह सोचकर कि कांग्रेस ने इन्ट्रोड्यूज कर दिया था इसलिए अभी तो इसको मत लाओ और बाद में फैसला कर देंगे। सितम्बर में उसको विथड्रा किया और अब आप उसको रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करना चाहते हैं, 5 तारीख को उसको विचारार्थ लाया जा रहा है। हर चीज को प्रेस्टिज इश्यू बनायें, यह कहां तक सही है? एक बात चल रही है सैशनिस्ट टेन्डेन्सीज पहले भी इस देश में रही है और आज भी है. अभी स्टेट आटोनामी की बात की जा रही है, फिस्कल आटोनामी की बात भी आ सकती है, इस पर भी गौर किया जाय। लोहिया के मुरीद यहां बैठे हैं, आपने इस पर विचार किया होगा, गवर्नमेंट साउथ में बन गई।

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या चीज फर्मा रहे हैं आप, लोहिया जी के लिए।

साउथ में फिसीपैरियस टेन्डेंसीज, अलगाव की टेन्डेंसी है। मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, भटनागर जी धन्यवाद दे रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं लेकिन मुझे इस धन्यवाद की आवश्यकता नहीं। यहां ट्रिब्युनल्स बने हैं, सर्विसेज ट्रिब्युनल, लेबर डिस्प्यूट्स के संबंध में ट्रिब्युनल। सर्विसेज के जो झगड़े है उन पर ट्रिब्युनल, लैंड रिफार्म्स पर ट्रिब्युनल। इन ट्रिब्युनल्स के संबंध में राज्य सरकार की क्या राय है। मैं समझता हूं कुछ स्पेशल मामलों में जो ट्रिब्युनल बने है, ठीक बने हैं, सर्विसेज ट्रिब्युनल्स की बात पहले भारत सरकार ने सोची थी। सर्विसज के जो भी ग्रिवांसेज है

(श्री ईश्वरचंद्र)

उनके सर्विस ट्रिब्यूनल के जरिए निर्णय करवाते है।

आप जो यह संकल्प लाए है, इसमें दो राय नहीं, इस पूरे सदन का आपने संकल्प को अनुसमर्थन मिलेगा लेकिन जो दूसरे पहलू हैं, जिनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया आप उसका स्पष्टीकरण करेंगे। अगर स्पष्टीकरण न भी करेंगे तो चिंतन के निश्चित तौर से करें। शायद यह बात जो कहा रहा हूं भविष्य में लागू होगी। 42 वें संशोधन में बहुत से ऐसे प्रावधान है जिनके सम्बन्ध में आप कुछ भी नही कर सकेंगे और आपको उन प्रावधानों को यूं का यूं रखना पड़ेगा। यह सेक्यूलर व सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो उल्लेख है, यह समाजवादी अमेंडमेंट है, अब गांधीजी की समाधि पर जाने के बाद में गांधियन समाजवाद की ओर ध्यान गया है। कुछ बातें आपने डलवाई हैं। कुछ बातें मे आपके घटकों की निश्चित राय रही है, समाजवाद के नाम पर उनको एलर्जी थी, कम से कम उनको रखा है, लेकिन यह थोड़े दिनों की बात है। आपकी पार्टी में कुछ ऐसे फोर्सेज है जो बहुमत मे है वे रिट्राग्रेड स्टेप ले सकेंगे या नहीं, यह आपके सामने प्रश्न चिन्ह है।

तो में कह रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर की स्थापना के लिए संविधान को लिविंग इन्सट्रमेंट. कैसे बना सकते है, यह भारत सरकार का प्रयास रहना चाहिए।

जहां तक कन्सेप्शन इवाल्व करने का आपने आश्वासन दिया है, मैं मानता हूं कि जनता सरकार जनतांत्रिक मूल्यों डेमोक्रेटिक वेल्यूज की दुहाई देती है। राज्य सभा में कांग्रेस बहुमत में है, इसकी वजह से नहीं लेकिन इस प्रकार के डेमोक्रेटिक वेल्यूज को स्ट्रेन्थन करना चाहते हैं, उसमें हमेशा हमारा आपको समर्थन मिलेगा।

श्री मंजूर अली: इस बिल पर सबको बोलने का मौका दिया जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष: जो भी माननीय सदस्य डिबेट में भाग लेना चाहते हैं, वे मुझे पूर्व सूचित करें समय की परिधि को देखते हुए मैं उनको समय देने की कोशिश करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा: उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय भारतीय संसद में 42 वें संशोधन अधिनियम पर बहस हुई थी और पारित हुआ था उस समय मैं वहां मौजूद था। मैंने उस समय एक मेमोरेंडम देकर कहा था कि इसको सलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कुछ एबनाक्शस प्रावधान है जिनके आधार पर न्यायलयों के हकों को छीनना चाहते है। लेकिन जिस प्रकार के अधिनियम का अनुसमर्थन करने के संकल्प को लेकर आप आज आए है एक साल के बाद और आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो मुझे संदेह होने लग गया है कि यह हाई कोर्टस के लिए संविधान बनाया है या जजेज के लिए या वकीलों के लिए या पूंजीपतियों के लिए? यह संविधान एक ऐसा इन्स्ट्रूमेंट है जो सबल बनना चाहिए। जब जनता पार्टी का राज आया, जनता पार्टी ने अच्छी घोषणायें की और कहा, हम गरीबी को मिटा देंगे, 10 साल में बेरोजगारी खतम कर देंगे।

"Since the Constitution is the product of its time, it must change with the change of time."

व्यवस्था का प्रश्न

विचार व्यक्त करने का क्रम

श्री रामनारायण चौधरी : पाइंट ग्राफ आर्डर। एक संकल्प पर विचार चल रहा है। पहले विरोधी दल के नेता बोले, उसके बाद आपने उसी पार्टी के माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा जब कि सदन में हमेशा परम्परा रही है, पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूं कि पहले विरोधी दल के नेता बोलते थे, उसके बाद उससे कम संख्या वाले दल के नेता। क्रम में पहले महारावल लक्ष्मणसिंह बोलते थे फिर जनसंघ ग्रुप के नेता श्री भैरों सिंह शेखावत, फिर श्री रामकिशनजी, फिर श्री बद्री प्रसाद गुप्ता। इस क्रम में चलते थे। लेकिन इस सत्र में बराबर मैं देख रहा हूं कि इस तरह का कोई प्रिसीडेंस नहीं आर्डर नहीं है। मैं आसन के अधिकार को चुनौती नहीं देता लेकिन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और हमारे प्रिविलेज का प्रश्न भी है, आप व्यवस्था दें, First time from this side बोले, उसके बाद अगर किसी का क्लेम बनता है तो वह मेरा है जो नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है। हम बार बार खड़े हों फिर बैठ जायं इस तरह एक्साईज करते रहें, यह अच्छा नहीं लगता, डेकोरम रहना चाहिये। इसलिए आप व्यवस्था दें कि किस प्रकार आप कार्यवाही करेंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : What he says is correct.

श्री नवरंग सिंह : विरोधी दल के नेता के बाद...

श्री शिवचरण सिंह : मैं रामनारायण जी के कथन की ताईद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को समझ लिया है। मैंने जैसे पहले भी संकेत दिया, जो वक्ता महोदय बोलना चाहें मुझे लिखित में सूचना दे देंगे तो सुविधा रहेगी। डिबेट किस तरह से आरंभ की जाए और आगे बढ़ाई जाए, किस तरह से समाप्त की जाए, कोई आर्डर आफ प्रिसीडेन्स नहीं होता है. सुविधा का प्रश्न है। ठीक ढंग से डिबेट चल सके उस आधार पर, व्यवस्था की जाए। हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं।

जहां तक इस सदन की परम्पराओं का सवाल है मैं इसकी जानकारी कर लूंगा कि इस प्रकार के कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स रहे हैं कि पहले कौन बोले और बाद में कौन बोले। वैसे इसके लिये कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं होने चाहिये। सदन की कार्यवाही जिस तरह ही सुचारु रूप से चल सके, चलायी जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इसके लिये विधान सभा का रिकार्ड देख सकते हैं। अभी जो आपने व्यवस्था दी है इसकी चर्चा कल जब अध्यक्ष महोदय यहां पर बैठेंगे तब हम उठायेंगे क्योंकि यह सदन की परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इसके लिये निवेदन कर दिया कि सदन की जो परम्परायें रही हैं उसकी मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय आपकी जो व्यवस्था है वह कान्ट्रडिक्शन पैदा कर रही है। आप चाहे तो देख सकते हैं, इस प्रकार

(श्री रामनारायण चौधरी)

की परम्परायें लोक सभा में भी रही हैं और हमारी विधान सभा में भी रही है। हमेशा पहले विरोधी दल के नेता श्री लक्ष्मण सिंह जी बोलते थे उसके बाद में उनकी पार्टी के छोटे दल, जो कि जन संघ था, श्री भैरोंसिंह जी शेखावत बोलते थे, उसके बाद में समाजवादी दल के नेता श्री रामकिशन जी बोलते थे, उसके बाद में भारतीय क्रान्ति दल के नेता महोदय बोलते थे। उसके बाद में सी. पी. आई और उसके बाद में दूसरे निर्दलीय सदस्य बोलते थे : ऐसा क्रम रहा है। यह इस सदन की पुरानी परम्परा रही है। आपने कहा कि इसके लिये कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं, वह बात सही नहीं है। मैं आसन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं पर जैसा कि आपने फर्माया कि किस प्रकार से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके उसके लिये मैं यही निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार तो आप हमारे अधिकारों पर कुठराघात कर रहे हैं। हमारे प्रिविलेजेज जो हैं उनको आप समाप्त कर हैं। इसके लिये तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम आपका सहयोग सदन की कार्यवाही में करें। हम सदन में इस तरह की कार्यवाही के वक्त बैठें या नहीं बैठें या बाहर चले जावें, यह हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे अधिकारों पर कुठराघात हो रहा है।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है उसके बाद में सदन की कार्यवाही चलायी जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य को परम्पराओं की जानकारी नहीं है। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, आप विराजें। सदन की परम्पराओं के बारे में आपने जो जानकारी दी उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सदन की जो भी परम्परा रही है उसके लिये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं जानकारी कर लूंगा। सदन की परम्परा जो भी रही होगी उसी तरह कार्यवाही होगी।

संविधान (बियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 का अनुसमर्थन

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, मैंने तो दो दिन पहले ही बोलने के लिये अपना नाम लिख कर आपकी सेवा में पेश कर दिया था।

तो, श्रीमान, मैं निवेदन कर रहा था

"Since the Constitution is the product of its time, it must chang with the change of time so that there is no disharmony between the Constitution and the society whose political processes it is intended to regulate.

Pandit Jawahar Lal Nehru said,

"A Constitution, if it is out of touch with people's life, aims and aspirations becomes rather empty; if it falls behind those aims, it dr gs peole down. It should be something ahead to keep people's eyes and minds upto a certain high mark."

Page No 83

(83)

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं सदन में निसंकोच रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि 42 वां संशोधन जब संसद में पास किया जा रहा था उस वक्त जनसंघ ने, जिसके सदस्य उस वक्त बाहर थे, संविधान संशोधन बिल पर डिस्कशन में पार्टीसिपेट नहीं किया था। उस वक्त कहा भी गया था लेकिन जनसंघ ने और दूसरे सदस्यों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो जनसंघ के मेम्बर बाहर थे अगर अपना योगदान देते तो ...

श्री दाऊदयाल जोशी : अधिकांश सदस्य बाहर नहीं थे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, करीब 70 संसद सदस्य बाहर थे। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, श्रीमान, जब पालियामेन्ट का अधिवेशन चल रहा था उस वक्त जनसंघ के सदस्य उस अमेंडमेंट बिल पर डिस्कशन में शरीक नहीं हुए थे। उन्होंने संविधान संशोधन बिल पर बहस में भाग लेना उचित नहीं समझा। मैंने उस वक्त 120 अमेन्डमेंट दिये थे।

श्री कौशल किशोर जैन : उसका क्या असर हुआ। उस वक्त कौन बोल सकता था। सभी की जुबान पर ताले लगे हुए थे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि उस वक्त अगर यह संशोधन देते तो उस पर विचार होता लेकिन उस वक्त जनसंघ ने और ओल्ड कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त स्वर्णसिंह कमेटी बैठी थी। उसको कई लोगों ने सुझाव दिये, वह आये और उन सभी पर डिस्कशन हुआ।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह सारा का सारा ढोंग था।

श्री कौशल किशोर जैन : वह सारा का सारा डिस्कशन हुआ वह विदिन कांग्रेस हुआ था। उसमें अपोजीशन को कान्फीडेन्स में नहीं लिया गया था।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय पालियामेन्ट में डिस्कशन हुआ। विधान सभाओं में डिस्कशन हुआ। बिल उसके बाद में पास हुआ।

श्री रघुनन्दन व्यास : उस वक्त डागाजी हां में हां मिला रहे थे।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त किसी को भी अपने विचार रखने की स्वतन्त्रता नहीं थी। आज तो यह विरोधी पक्ष वाले यहां पर बैठ कर बोल रहे हैं उस वक्त कोई बोल नहीं सकता था। किसी को बोलने का हक नहीं था।

श्री मूलचन्द डागा : बराबर बोलने का हक था। आज चाहे कई माननीय सदस्य हमारी पार्टी के इधर बैठे हों, चाहे आपके उधर जाकर बैठ गये हों, पर उस वक्त के अखबारों की कटिंग आप चाहें तो देख लें। प्रेस, कल उस समय की सरकार के ढोल बजा रही थी और आज जनता पार्टी के नगारे बजा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें और डींगे आपकी जनता पार्टी के नेता लोग हांक रहे थे कि हम इस तरह से संविधान में संशोधन लायेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, वह आज नौ महीने के बाद यह संशोधन लाये हैं। आपको तो अपने घटकवाद से ही फुरसत नहीं है। आपको कहां फुरसत है

(श्री मूलचन्द डागा)

जनता की सेवा करने की। आपने जो जनता को सुनहरे ख्वाब दिखाये थे, जो जनता को आपने आकांक्षायें बन्धायी थी वह आपने जनता के सामने धूमिल कर दीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मूलचन्दजी सामरिया, आप भी मूल चन्दजी ही हैं और बोलने वाले सदस्य श्री मूलचन्दजी डागा हैं। दोनों ही मूलचन्दजी हैं लेकिन बोलने का हक अभी मूलचन्दजी डागा को है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह स्थिति है कि विरोधी दल वाले बोल तो सकते हैं।। उस वक्त कोई नहीं बोल सकते थे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आज नौ महीने के बाद यह एक अमेन्डमेन्ट लेकर आये हैं। श्रीमान, इतनी ऊंची ऊंची डींगें जनता पार्टी के नेता हांकते थे उन सब का क्या हुआ ?

श्री भंवरलाल पेरन : इसका मतलब यह हुआ कि इस बिल के निर्माता आप थे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी क्यों लगी और उस वक्त देश की क्या हालत थी उन सारी बातों पर तो मै नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वह इस बिल के स्कोप के बाहर है। उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थीं कि कुछ संस्थाओं ने, और एक वर्ग विशेष ने देश की अखण्डता की आड़ में और देश की आजादी की आड़ में साम्प्रदायिकता का विष देश में फैलाना शुरू कर दिया था और देश में अव्यवस्था फैलनी शुरू हो गयी थी। उस अव्यवस्था को मिटाने के लिये आपातकालीन स्थिति मजबूरी में घोषित करनी पड़ी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इमर्जेन्सी लागू होने के समय देश की परिस्थितियां बिलकुल साधारण थीं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार कह रहा हूं, यह लोग कहते है कि हमने आजादी दी और जनता पार्टी ने यह कदम उठाये। जनता पार्टी ने क्या कदम उठाये यह तो बतावें ? कुछ नहीं किया जनता पार्टी ने।

फिर आप क्या संशोधन कर रहे हैं। आप जजेज को पावर देना चाहते है लेकिन जनता पार्टी आज भी मानस नहीं बना सकी है कि क्या पावर देनी है। 44 वें अमेन्डमेन्ट का जहां तक सवाल है, निर्देशक सिद्धान्तों को मूलभूत अधिकारों को मानकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का जहां तक सवाल है, आपने कहा था कि बेकारों को बेकारी का भत्ता दिया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको भत्ता दिया जा रहा है ? मैंने सुना है कि पार्लियामेन्ट में इस प्रकार के प्रस्ताव पेश किये गये लेकिन उनको ठुकरा दिया गया जनता पार्टी कौनसा अमेन्डमेन्ट ला रही है। विरोधी दल के नेता ने भाषण देते हुए कहा था, कुछ जजेज का फैसला होता है जैसे सज्जनसिंह जी का केस हुआ। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन आप से निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड सीलिंग एक्ट जो हमारे द्वारा लगाई हुई चीज है। कई सालों तक चुनौती में रहा इतने सालों के बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना छोड़ दें पार्लियामेन्ट सुप्रीम है या हाई

(श्री मूलचन्द डागा)

कोर्ट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ? हमें भरोसा रख कर चलना होगा। आपका अच्छा अमेंडमेन्ट था इसको हमने स्वीकार किया है। 44वां अमेंडमेन्ट नॉन कन्ट्रोवर्शियल है, कुछ चर्चा नहीं करना चाहता। आपने कानून बनाया। सारी म्युनिसिपेलिटीज को भंग कर दिया और आप यह बात कह गये कि म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव करायेंगे। क्या आपने चुनाव कराये ?

एक माननीय सदस्य : पंचायतों के कराये या नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : पंचायत समिति में बैठे हैं और चुप हैं। आप नौकरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका अपना दिमाग नहीं है, ऊपर से चीज आ गयी आज कानून पेश किया। हाउसिंग बोर्ड को खतम कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप जो संकल्प है उसके स्कोप पर ही बोलिये।

श्री मूलचन्द डागा : जो नान-कन्ट्रोवर्शियल है कान्स्टीट्यूशन का मसला है उसको तो हमारी पार्टी ने स्वीकार किया है और उसके लिये आपको पूरा सहयोग दिया है। लेकिन जनता पार्टी अब तक संविधान में कोई ऐसा संशोधन, जिससे सोश्योइकानामिक चैन्जेज ला सके, जिससे समग्र क्रांति ला सके जैसा कि जयप्रकाशजी का नारा है, लाने में टोटली फेल्योर रही है। नौ महीने गुजर गये। धीरे धीरे चलते रहेंगे और पांच साल पूरे कर देंगे। हो गयी इससे दस साल में गरीबी दूर। इस संशोधन के द्वारा न तो उनको गर्व होना चाहिये कि हमने कोई चैन्जेज की है और न ही कुछ किया है। आपको एक बात सोचनी चाहिये, इसमें कौन सी चैन्जेज लायें जल्दी जिससे सोश्योइकानामिक चैन्जेज जल्दी से जल्दी की आ सकें। यही मैं आशा करता हूं

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन का समर्थन किया है। मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करने जा रहा हूं कि इसके 11 क्लाजेज है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता और मूलभूत अधिकारों का विषय इससे जुड़ा हुआ है उसके लिये 44वां संशोधन विधेयक लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1935 में हिटलर ने जर्मनी की पार्लियामेन्ट में संविधान की जो दशा कर दी थी, जो उसकी हत्या कर दी थी वह ही स्थिति सन् 1975 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यहां पर दोहरायी। भारत के संविधान की हत्या की गयी। 60 करोड़ लोगों की इच्छाओं के अनुकूल कार्य न करके भारत के संविधान की श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा हत्या की गयी, अखबारों को अपने हाथ में लिया गया, आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो उन सब के मुख बन्द कर दिये गये और सम्पूर्ण भारत की जनता को इस प्रकार से बांध करके देश को एक खुली जेल का रुप दे दिया।

श्री मूलचन्द डागा: जेल नहीं बना था हिन्दुस्तान। 65 करोड़ में से कुछ लोग ही जेल में थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस संविधान संशोधन के ऊपर हम गौर करने जा रहे हैं इसको जनता पार्टी की सरकार लायी है। यह दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जावेगा। मेरा निवेदन है कि लोगों के पूरे अधिकार पुनः स्थापित किये जाये यह संशोधन इस संविधान संशोधन बिल में किया गया है। श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने संविधान को बदल दिया। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि गरीबों के नाम पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संविधान के साथ बलात्कार किया। उस बलात्कार की स्थिति को इस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और पुनः 65 करोड़ भारतीयों को वाणी की स्वतन्त्रता दी गयी है और स्वतन्त्रतापूर्वक जीने का अधिकार दिया गया है। यह जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही संभव हो सका है। जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि जिस समय संविधान में संशोधन किया गया था श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा उस समय हम जेलों में थे। आज जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वे कालीदास का काम कररहे थे।

श्री मदनसिंह दांगा : हम भी तो बैठे हुए हैं विपक्ष में। कांग्रेस कहो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मै कांग्रेस के लिये ही कह रहा हूं आपके लिये नहीं।

तो यह उनके लिये एक शर्म की बात थी। आप कालीदास के उनुरूप काम कर रहे थे। आज सचमुच आपमें विवेक आया है और ठीक प्रकार की बात करने लगे हैं। हम संविधान में वापस संशोधन करने जा रहे हैं उसका आप अनुमोदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अधिकार है वापस लौटने का और यह संशोधन बिल आ रहा है इसका हम खुला समर्थन कर रहे हैं। कोई ऐसा विधायक है जो उस समय सदन में मौजूद था जब हम जेलों में थे और जिसने इसका विरोध किया था। एक भी माई का लाल नहीं था।

श्री रामनारायण चौधरी : आज कौन कर रहा है आज नाम बताइये एक का भी।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई नहीं है विरोध में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी,आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री मंदरलाल ऐरन : उन्हें गुलामी से आजादी में ला रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय शक्तिशाली नहीं थे विधायक। उस समय यह भय था कि जिस किसी विधायक ने विरोध किया तो उसकी सजा जेल होगी। मुझे इस बात का दुःख है कि उस समय किसी सदस्य ने उस संशोधन विधेयक का विरोध नहीं किया। मूलचन्दजी डागा जो यहां बात कर रहे हैं वे भी बता दें। उनका नाम भी स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं उस समय भी विरोध नहीं कर रहा था और आज भी विरोध नहीं कर रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनको मीसा का डर था। जेल जाने का डर था। श्रीमती इन्दिरा गांधी की चमचागिरी करने का शोक पैदा हो गया था।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इतना आतंक था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : श्रीमती इन्दिरा गांधी का आतंक था वह स्थिति वापस नहीं होगी।

उस समय आकाशवाणी को छूट नहीं थी, दूरदर्शन को छूट नहीं थी, अखबारों को छूट नहीं था, भारत की जनता को छूट नहीं थी। आज मैं समझता हूं कि जनता को छूट होगी और आकाशवाणी को छूट होगी। जनता पार्टी ने छूट दिलाई है और उसकी वजह से ही कांग्रेस के लोगों के भी मुख खुले हैं, नहीं तो इनके भी ताले लगे होते....

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो उस समय भी किया था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगर आपने उस समय विरोध किया होगा तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : चरण-चुम्बन तो अब चला है यहां।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले लोगों को रिट करने का अधिकार प्राप्त था लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी का तो कार्य काल ऐसा था कि सर्वोच्च न्यायालय पर पाबंदी और उच्चतम न्यायालय पर पाबंदी और लोगों के मुंह पर ताले। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तो लोगों के मूल अधिकार को बदल दिया जब कि हमारे संविधान के रचयिता डा. अम्बेडकर का कहना था कि मूल अधिकारों को कभी नहीं बदला जा सकता। मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी के बाबा श्री मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें कहा था कानून सर्वोच्च है और मूल अधिकारों को नहीं बदला जा सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कथन है कि अपने बाबा और पिता जवाहर लाल नेहरू का कथन नहीं मान कर इन्दिरा गांधी ने कानून का हनन किया और कानून में संशोधन किया।

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में बड़ी अपमानजनक घटना यह हुई कि इन्दिरा गांधी के समय में भारत के संविधान का में संशोधन काला कानून बना। इसको हर आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। संविधान के साथ जो बलात्कार किया गया वह भारत के नागरिकों के लिए बड़ी लज्जा की बात है।

आपका आदेश हुआ है मुझे बैठने के लिए इसलिये जो संविधान में संशोधन जनता पार्टी लाई है और सदन में संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने के लिये संकल्प रखा गया है उसका मैं अनुमोदन करते हुए, समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा कि अब तो कम से कम उन्हें अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिये। संविधान संशोधन का अनुमोदन सर्वसम्मति से राजस्थान विधान सभा के द्वारा हो यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री मूलचन्द डागा: संशोधन क्या है यह ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव: उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे 5 मिनट का समय अपर्याप्त दिया है नहीं तो मैं आपको समझा देता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह !

श्रीमती कमला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, विराजिये।

श्री रघुनन्दन व्यास: उपाध्यक्ष महोयद, हमने भी नाम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप हैं और फिर मदनसिंह जी दांता है।

श्री सुरेशकुमार: उपाध्यक्ष महोदय, सदन में किसी के बाप दादा तक नहीं पहुँचना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह !

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने संविधान का 44 वां संशोधन विधेयक है। बड़ी अजीब विडम्बना है मुझे याद है बहुत अर्से पहले हमारी पार्टी के नेता कामरेड ए. के. गोपालन ने कहा था कि संविधान में कुछ तब्दीलियां करने की आवश्यकता है तो उस समय की हुकमरान पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने उनको 'गद्दार' शब्द से विभूषित किया। यह तो बहुत ही महान पवित्र पुस्तिका है जिसमें कोई भी अमेन्डमेन्ट नहीं लाया जा सकता....

श्री नूरा : कब की बात कह रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : आज से दस साल पहले की बात कह रहा हूं। आप अपनी याददास्त ठीक करो। 1961 या 62 में जब यह कहा कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बुरा माना और कहा कि यह ऐसी पुस्तिका है जिसमें कोई अमेन्टमेन्ट नहीं हो सकता। खैर, एक वक्त आया जब कि कांग्रेस के हुकमरानों ने देश के हित के लिए नहीं अपने हित के लिए, पार्टी के हित में नहीं, अपने हित में ...

श्री भंवरलाल ऐरन: व्यक्ति के हित में।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर उसको लागू किया।...

एक माननीय सदस्य: अभी आ रही है।

श्री मदनसिंह दांता: आ रही है तो फिर उठा कर फेंक देंगे।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर: आ रही है तो आने दो। बहुत अच्छी बात है आ रही हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अगर आ रही है तो पहले भी तीस साल विरोध में लड़े और आज भी लड़ लेंगे। हमको कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस रिजीम के खिलाफ मार्क्सवादी पार्टी लड़ी।

मैं कहना चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि जो संविधान में संशोधन किया गया 42 वां संशोधन वह केवल एक तानाशाही थी। सारी की सारी ताकत उन्होंने अपने हाथ में ले ली। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

निकला। उस समय जो देश के अन्दर हालात थे उनमें असीम ताकत इन्दिरा गांधी ने संविधान को अपने हाथों में ले ली तो उसका नतीजा एक हुआ कि उसका लाडला बेटा इस देश का तानाशाह बन गया। संविधान की ताकत उसने अपने हाथ में ले ली तो हिन्दुस्तान के किसी भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का हौंसला नहीं था कि कुछ कह सके। उसके सामने ऐसे जाते थे जैसे जड खरीद गुलाम जाता है। संविधान के अमेन्डमेन्ट के साथ पावर्स सीक की और वह इतनी सीक कर ली थीं कि उसका विरोध करने का किसी को हौंसला नहीं रहा।

मैं एक बात कह रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने भी दौराने चुनाव यह वायदा किया था जनता से कि हम 42वें संशोधन को रिपील करेंगे, उसको हटायेंगें संविधान से और पूर्ण रूप से हटायेंगें। मगर जनता पार्टी डर गयी क्योंकि इस संविधान में लिखा हुआ है, जो 42 वां संशोधन कान्सटीट्यूशन में किया गया उसके प्रिएम्बल में लिखा गया है सोशलिज्म और सिक्यूलरिज़्म। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई अंधा आदमी अपना नैनसुख नाम रख ले तो क्या उसको दिखने लग जायेगा? कोई भेड़िये की खाल पहन कर आ जाये तो उसका करेक्टर बदल जायेगा? सवाल यह है कि इमर्जेन्सी के दौरान किसको फायदा हुआ? अगर गरीबों के हित में 42 वां अमेन्डमेंट होता तो मुझे कहने में हिचक नहीं है कि मैं उसका सपोर्ट करता। आंकड़े बताते हैं कि 19 महीने की इमर्जेंसी के दौरान हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा परेशान कोई हुआ और सबसे ज्यादा यातना किसी ने सही तो गरीब तबके के लोगों ने। मुझे खुशी होती अगर इमर्जेन्सी लागू करने के बाद शक्ति जनता के हाथों में जाती। आज झगड़ा इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम है, जुडिशियरी सुप्रीम है, या एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है या विधान सभा सुप्रीम है? एक्चुअली अगर कोई सुप्रीम है तो जनता है। जनता सुप्रीम है, कानून सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं जनता सुप्रीम है। जनता के आदेशों का कोई पालन नहीं करेगा और कानून की आड़ में वक्त निकालना चाहेगा तो उसको जनता बख्शेगी नहीं। आज क्या हालत है? अगर जनता के आदेशों के अनुसार जनता की भावनाओं को देखते हुए जनता पार्टी जुल्म करने वालों को सजा देती तो आज हालत अलग होती। आपके कानून की हालत क्या हो रही है। इन्दिरा गांधी अभी दक्षिण में जीती। शाह कमीशन की धज्जियां उड़ादी। आपके इस कानून की मिट्टी भर इज्जत नहीं की है। आपने जनता की अवहेलना की है। अगर जनता के हकूकों का आपको हामी मानते, तो वह हालत नहीं होती। इन्दिरा गांधी को मौका आपने दिया। वह गुनहगार है तो आपने क्यों नहीं सजा दी? आप कमीशनों की आड़ में बैठे रहे। कमीशनों की मिट्टी पलीद हो रही है। दक्षिण की जनता ने आपको ठुकरा दिया।

श्री कौशल किशोर जैन: हमें संविधान में विश्वास है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: You do not read papers. आप लोकतन्त्र में क्या विश्वास करोगे। उस वक्त ऐसा माहौल था जनता की मन्शा थी कि उसे सजा दी जाये लेकिन आपने नहीं दी। अब शाह कमीशन की बात का भी वह असर नहीं रहा

Page No 90

(९)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कुछ होता नहीं है। अब नार्दन इन्डिया में भी आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने जनता के फैसले को माना नहीं है। जनता को सुप्रीम नहीं समझा है। इसलिये मेरी राय है कि यह गलती जनता पार्टी ने की है, आपने 42 वां संविधान संशोधन रिपील क्यों नहीं किया। जनता के साथ वायदा किया था लेकिन आपके इरादे दृढ़ नहीं थे आपमें कमजोरी थी इसलिए आपने रिपील नहीं किया। यह एक वह हथियार है जिसने तानाशाही पैदा कर दी, उस हथियार को आगे करना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किसी अनुच्छेद के जरिये आप इसको पेश कर के आगे बढ़ना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है। इतिहास आपको बख्सेगा नहीं। मेरी पार्टी इस हक में है कि 42 वां संविधान संशोधन सारा का सारा हटना चाहिये। प्रिएम्बल कुछ भी हो, नाम कुछ भी रखें, कुछ फायदा नहीं। सुप्रीम जनता है। यह धरा का धरा रह जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द।

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तावित संविधान संशोधन है, उसका मैं समर्थन करता हूं. दिल से समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 42 वां संशोधन इन्दिरा गांधी जी लाई थीं वह नाजायज संशोधन था क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा का समय 5 वर्ष का था वह 5 वर्ष का समय हो चुका था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिये, देश में तानाशाही लाने के लिये, व्यक्तिवाद को पनपाने के लिये वह संशोधन किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब बिल पास किया था तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था—

"This Bill is not achieving all our aims, but it will carry Indian revolution forward, making our people freer and endowing them with greater power over their destiny."

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी में बात कर रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द : पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से बोल रहा हूं। इसका अनुवाद भी कर सकता हूं। मैं पूर्वाग्रही नहीं हूं इंगलिश हिन्दी का। आप जान कर बात नहीं समझेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लोकसभा के द्वारा जो कानून हम पर थोपा था उसे आज जनता सरकार समाप्त कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1905 में तिलक ने आन्दोलन चलाया था, श्रीमती एनीबीसेंट ने भी 1905 में आन्दोलन चलाया था उसी तरह से देश के महान चिन्तक जय प्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति के द्वारा तानाशाही को जड़ से उखाड़ने का आन्दोलन चलाया, जिसमें वे कामयाब हुए। उसी सदंर्भ में 44 वें संशोधन पर बात कर रहे हैं। अभी विरोधी दल के माननीय नेता बोले अभी दूसरे सदस्य बोले कि इस पर नेशनल डिबेट हुई। स्वर्णसिंह कमेटी की सिफारिशों पर नेशनल डिबेट हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पूरा देश जेल खाना हो, दो करोड़ लोग जेलों में बन्द

(श्री ईश्वरचन्द्र)

हों, लेखों पर पाबन्दी हो, अखबारों पर सेन्सर हो तब कौन सी डिबेट सम्भव थी ? उस समय मुंह पर ताला पड़ा हुआ था, उस समय लेखनी रुकी हुई थी, कई तरह की पाबन्दियां न केवल सामान्य नागरिक पर थीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज पर, हमारे विधान सभा के सदस्यों पर, लोक सभा के सदस्यों पर थीं स्वयं सत्ता पक्ष के सदस्यों पर व्हिप जारी हुआ था । धौंस, धमकी, दबाव से बिल पास किया ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं 1933 में जब जर्मनी में पार्लियामेंट में इसी तरह विधान की हत्या की गई तो हिटलर ने कहा था, यह एक हजार साल तक चलेगा। उसी तरह इन्दिरा गांधी ने कहा कि सामाजिक क्रांति का सूत्रपात है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिटलर तो मर गया, उसके पांच साल बाद खतम हुआ । उसका नतीजा हिटलर नहीं देख सका लेकिन हम सब ने देखा है । आज हम इन्दिरा गांधी को बता रहे हैं, खुद उस पार्टी के लोग बता रहे हैं कि हमारा रास्ता गलत था । उसका पूर्ण रूप से संहार जनता सरकार कर रही है और उसमें थोड़ा – थोड़ा साथ परसरामजी मदेरणा जैसे लोग भी दे रहे हैं, इसकी भी खुशी है । मैं निवेदन करना चाहता हूं उस समय क्या स्थिति थी? शहर में कोई बारात हो या वारदात किसी भी बात पर खुलती नहीं थी खिड़कियां । कोई बारात निकले, कोई खुशी का मौका हो या गमी का, दोनों स्थितियों में इस कदर नियंत्रण था कि न आदमी हंस सकता था न रो सकता था । मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय–

"Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for–

(a) the prevention or prohibition of anti-national activities ; or

(b) the prevention of formation of, or the prohibition of, anti-national associations.

shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, article14, article 19 or article 31."

एक ही सांस में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 की हत्या कर दी गई । संविधान के साथ बलात्कार किया गया । यह एन्टीनेशनल संगठन कौन थे, समाजवादी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ? संजय गांधी जिसको कहें वह एन्टीनेशनल है, उसकी हत्या कर दी जाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो मैं यह निवेदन करता हूं हमारी जनता सरकार के इस 44 वें संशोधन को आप रोकें नहीं । सड़ान्ध पैदा नहीं करें । इस देश में सामाजिक क्रांति के लिए इससे भी ज्यादा कोई परिवर्तन करना पड़े तो यह सदन सर्वोपरि नहीं हो सकता है, जनता सर्वोपरि है । इसलिए संविधान के ढांचे में सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर कहीं रिफ्रेन्डम की भी आवश्यकता पड़े तो वह भी होना चाहिए, उसकी इसमें मंजूरी होनी चाहिये तब जाकर कहीं जनतान्त्रिक स्वर निखरेगा नहीं तो फिर वही तानाशाही पैदा हो सकती है, फिर इन्दिरा गांधी पैदा हो सकती है । इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधि और संसदीय मामलात मंत्री महोदय ने संकल्प प्रस्तुत किया है और इस बात का दावा किया है कि आपके शासन ने देश में न्यायिक सिद्धान्तों की पुनर्स्थापना की है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक साल के अन्दर यदि कहीं भी न्यायिक सिद्धान्तों की हत्या हुई है और कत्ले आम हुआ है तो माननीय विधि मंत्री जी के, जनता पार्टी के 12 महीने के शासन में हुआ है ...

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपको बोलने की छूट है, सरे आम बोलो।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : किस मुंह से वे बोल रहे हैं, किस कलम से वे लिख रहे हैं, समझ में नहीं आता है। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को सीनियर मोस्ट दबाकर केन्द्रीय सरकार के शशिभूषण ने अपने रिश्तेदार को ..

श्री कोशल किशोर जैन : शशि भूषण है या शान्ति भूषण ?

श्री रामनारायण चौधरी : शान्ति भूषण ने चीफ जस्टिस बनाने के लिये वहां के चीफ जस्टिस का तबादला कर्नाटक में कर दिया....

श्री रामकृष्ण दास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय रामकृष्ण दास जी का पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है।

श्री रामकृष्ण दास : उपाध्यक्ष महोदय, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में इस प्रकार के रिमार्क्स पास करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है ..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बारे में पार्लियामेन्ट में काफी डिबेट हुई है। मैं इसे व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं समझता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार के कदम उठाये हैं। आज आयोग के नाम पर 900 करोड़ रुपया इस देश का खर्च करने का प्रोग्राम बना रखा है। जो आयोगों पर खर्च कर रहे हैं....

(व्यवधान)

यदि ये 900 करोड़ रुपये राजस्थान कैनाल पर खर्च किये जाते तो....

(व्यवधान)

देश की समृद्धि बढ़ती....

(व्यवधान)

भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े तानाशाही ईरान के शाह के आगे घुटने टेक दिये ....

श्री रतनलाल वर्मा : यह निराधार और तथ्य हीन बात है।....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: इस देश का मस्तिष्क ऊंचा होता है। बिना मतलब के लिये पैसे धुंआधार खर्च किये जा रहे हैं। क्या हो रहा है आज कर्नाटक में जो कमीशन नियुक्त किया था, कर्नाटक की जनता ने उसे ठुकरा दिया....

(व्यवधान)

जनता के पैसों का, गाढ़ी कमाई के पैसों का जो दुरुपयोग हो रहा है पिछले 12 महीनों से उसका उत्तर इनको देना पड़ेगा। माननीय विधि मंत्री जी, आप कहते हैं यह असंवैधानिक परिवर्तन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था इसलिये जनता ने उसको यह सजा दे दी है। मैं कहता हूं यह जनता का मेन्डेट नहीं है। जनता तो कांग्रेस की नसबन्दी और फैमिली प्लानिंग के खिलाफ थी। यह आपको भ्रम है कि जो संविधान में संशोधन कर दिया था, उसके खिलाफ जनता थी...

(व्यवधान)

सुप्रीम कोर्ट की टू-थर्ड मेजोरिटी से या बहुमत से निर्णय हो, हाई कोर्ट एक फैसला करें और वह टू-थर्ड मेजोरिटी से हो तो जनता का उससे कोई सरोकार नहीं है। संविधान में कोई क्रान्ति की बात लाते, समाज के उत्थान की कोई बात लाते तो कुछ समझ में आता....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा: जनता राज में बोलने की छूट है, चाहे जो कुछ बोल लो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजिये। व्यवधान न डालें।

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय सदस्य यह कोई खेतों का मामला नहीं है, संविधान का मामला है। मैं आपकी भी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था।

यह सदन राजस्थान के अन्दर कानून बनाने के लिये सक्षम है। मेरी ऐसी मान्यता है कि हाई कोर्ट के एक जज को इस प्रकार से फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी के अन्दर यह सदन सर्वोपरि होता है। हाई कोर्ट की फुल बेन्च बैठे और टू-थर्ड से फैसला हो तभी हम मानते। जिस कानून को हमने बनाया है जुडिशियरी को उसमें क्या अधिकार है। सदन ने बनाया है तो सदन को ही अधिकार है। वह कानून जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया, प्रदेश की दो करोड़ 70 लाख जनता ने बनाया और यदि हाई कोर्ट में जाकर दूसरा फैसला हो जाता है तो जनता की सोवर्निटी के मूल अधिकारों के विपरीत है।

पार्लियामेंट देश की सर्वोच्च सत्ता है और देश के 70 करोड़ व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित है, पार्लियामेंट का फोरम देश का फोरम है और उससे ज्यादा कोई फोरम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज यह कह दें कि संविधान की धाराओं के खिलाफ है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। आप कहते हैं, जुडिशियरी की हत्या कर दी थी और आप जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस और हमारे मौलिक अधिकारों को रेस्टोर कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि देश ने, जनता ने जो आकांक्षायें, आशायें लगा रखी थीं कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है वह सब समाप्त हो गई। इससे कितने लोगों को फायदा होने वाला है? किस गरीब को हाई कोर्ट से फायदा होता है, कौन गरीब हाई कोर्ट में जाता है। सब पैसे

(श्री रामनारायण चौधरी)

वाले, मनीड मैन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। डिस्टेन्ट पार्ट्स आफ दी कन्ट्री से कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाता है। सम्पत्ति के मामलों में कोई गरीब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। जितने की प्रापर्टी नहीं है उससे ज्यादा उसकी अपील मे चाहिये। 25 हजार रुपया एक केस मे खर्च हो जाता है गरीब आदमी के पास इतना पैसा होता नहीं है। सब कुछ बेच दिया जाय गरीब का तब भी वह इतने पैसे नहीं जुटा सकता…

श्री ईश्वर चन्द्र : वहां तो गरीब से गरीब ज्यादा जाता है....

श्री रामनारायण चौधरी: मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन के सम्बन्ध में प्रोविजन यहां लाये गये हैं.गरीब आदमी को इनसे कोई मदद नही मिलने वाली है। यह गरीब आदमियों के प्रति आपका फैसला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं जानना चाहूंगा पार्लियामेंट में जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, कमला पति त्रिपाठी, इस सम्बन्ध में उनकी जो राय थी, क्या आप उसका अनुमोदन कर देंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी: मैं मेरी बात कह रहा हूं, उन्होंने अपनी बात कही है। मैं जो फील कर रहा हूं वह कह रहा हूं। आपने ओल्ड प्रोविजन्स को रेस्टोर कर दिया, इससे किसी गरीब आदमी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। गरीब आदमी का कोई इससे भला होने वाला नहीं है। आप भी वकील रहे है हाई कोर्ट में, आप बता दें कितने सम्पति के मामले वहां आते है। हम चाहते हैं संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था होती कि गरीब आदमी की रोजी-रोटी की व्यवस्था उसके अनुसार करते। उस प्रकार का कोई संशोधन करते तो मैं समझता कि गरीब का भला होने वाला है। आप कहते हैं 42 वां संविधान संशोधन के कारण इस देश की जनता ने कांग्रेस को परास्त कर दिया। यह आपका भ्रम है माननीय विधि मंत्री जी, आप अपने विचार में संशोधन करें। अपने आपको करेक्ट करें। इस संविधान संशोधनों, जिनका अनुसमर्थन इस संकल्प के द्वारा कर रहे हैं, के अन्दर, देश की ग्राम जनता की, गांवों की गरीब जनता की देश के नागरिकों की कोई दिलचस्पी नहीं है। हाई कोर्ट को चाहे एक जज की बैंच बैठे, चाहे पांच जजों की बैंच बैठे….

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपकी तरह लोगों को जेलों में तो नहीं बिठा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जनता का इससे कोई सम्बन्ध नही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो विधि मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, इसके अन्दर कोई क्रांतिकारी चीज नहीं है। जो पुराना संशोधन है देश की पार्लियामेंट ने और इस सदन ने इसको सर्व सम्मति से स्वीकृत किया था.......

श्री भंवरलाल पेरन : गरीबों के प्रतिनिधियों को जेलों में बन्द करके।

श्री रामनारायण चौधरी : तो जो यह कहते हैं कि हमने देश के अन्दर संविधान का आदर किया है, जुडिशियरी का आदर किया है, इसके अन्दर आदर और अनादर की कौन सी बात है। पहले जिसका एक

95

(श्री रामनारायण चौधरी)

जज फैसला करता था अब इसमें सात का प्रावधान हो गया है। जो स्टेटों के कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती थी ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही जा सकेंगे लेकिन इसमें गरीब का क्या सरोकार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन संशोधनों के अन्दर ग्रामलोगों की, गरीब लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प आज हमारे विधि मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है इस पर संसद में और राज्य सभा में बहुत विचार हुआ। जिस रूप में इमर्जेंसी के दौरान पुरानी संसद, जिसको मियाद बढ़ाने का अधिकार नहीं था, ने अपनी मियाद एक वर्ष और बढ़ा ली थी। सम्पूर्ण देश को एक जेल खाना बनाने के लिए तानाशाही प्रवृत्ति को लाने के लिए संविधान में संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन को खतम करने की जैसी हमारी इच्छा थी, जैसी भारतवर्ष की जनता की आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हम पूर्ण नहीं कर सके। उसका हमारे विधि मंत्री महोदय, जो केन्द्र में हैं, ने इस बिल को रखते हुए कुछ विश्लेषण किया है। हम उस एक्ट को पूर्ण रूप से खतम नहीं कर सके, सम्पूर्ण संशोधन, 42वां संशोधन खत्म नहीं कर सके। एक अंग को हम 44 वां संविधान संशोधन के रूप में ला सके और उसी के समर्थन के लिए हम लोग यहां बैठे हुए हैं। माननीय विधि मंत्रीजी ने जो संकल्प रखा है, मुझे उम्मीद है कि हम सर्व सम्मति से इसको स्वीकार करेंगे। मैं इसके बाबत कुछ बातें कहना चाहता हूं।

अपने देश में जो संविधान बना, वह संविधान तब बना जब अंग्रेज गए, देश आजाद हुआ। एक संविधान सभा बनी। मैं कोई विधि का विद्यार्थी नहीं हूं लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है, उसके अनुसार मेरा निवेदन है कि संविधान सभा में उस समय जो चर्चा हुई, उस समय देश के विद्वानों ने देश के विचारकों ने जब देश का नया संविधान बनाया, उस संविधान की सेंक्टिटी को, उस संविधान की पवित्रता को स्वीकार करने के लिए तय किया, उस पर जितना मन्थन होना चाहिए, वह मंथन होने के बाद एक निर्णय लिया कि कम से कम संशोधन संविधान में होंगे। लेकिन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 42 वां संशोधन, रखा और वह संशोधन जिस रूप में आया उससे उस समय सम्पूर्ण देश जेल खाना बन गया था। मेरे जैसे लोग भी जेलों में थे। थोड़े बहुत लोग जेलों में थे लेकिन सम्पूर्ण देश का मानस, पढ़े-लिखे लोगों का दिमाग एक प्रकार से संकुचित हो गया था। अपने देश में महाभारत की एक घटना आती है। जब द्रोपदी का चीर हरण हो रहा था तब जिस भीष्म पितामह ने सम्पूर्ण राजनीति का ज्ञान दिया था वे कुंठित बन कर बैठे रहे, गूंगे बन कर बैठे रहे और द्रोपदी के साथ जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उनकी बुद्धि मलीन हो गई थी। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में गलत अन्न आ गया था।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त वह संशोधन लाया गया, उस वक्त देश के लोग कुंठित मूर्त बन चुके थे। माननीय सदस्य श्री मूलचन्द जी डागा ने

(96)

(श्री रघुनन्दन व्यास)

कहा और कुछ और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि संशोधन के वक्त देश के अन्दर जो लोग बाहर थे, उनके सुझावों पर स्वर्णसिंह कमेटी ने चिन्तन किया था। लेकिन मेरा कहना है कि उस वक्त, चिन्तन करने वाले लोगों के दिमाग और दिल, दोनों ही भीष्म पितामह की तरह कुंठित और मूर्त बन चुके थे। उन लोगों ने केवल अपने को बचाने के लिये, कुछ दिन जिंदा रह सकें, चाहे पशु तुल्य बन कर ही क्यों न जिंदा रहें, एक रैशनल आदमी की तरह नहीं बल्कि एक पशु के तरह ही जिन्दा रहें, उस संशोधन को स्वीकार किया। जेलों में बैठे हुए लोगों ने इसका बहिष्कार किया था। डागाजी ने कहा कि जो लोग बाहर थे, उन्होंने संसद का बहिष्कार किया था। दरअसल जो लोग बाहर थे, जो संसद के सदस्य जेलों से बाहर थे, उन्होंने बहिष्कार करके यह बता दिया था कि देश की साठ करोड़ जनता जो संशोधन इन्दिरा गांधी और उसकी सरकार ला रही है, उसके पीछे नहीं ....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : दो मिनट।

और वह उसका विरोध करते हैं। यह जो डागाजी ने बात कही कि बाहर रहते हुए भी कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया, तो वह तो भाग इसलिये नहीं लिया क्योंकि भाग लेना अच्छा नहीं समझा।

यह जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक हमारे विधि मंत्री लाये हैं, यह पूर्ण नहीं है और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं तो यह चाहता था कि तयालीसवां संशोधन ले आते, हमारी लोक सभा उसे स्वीकार करती, फिर राज्य सभा में विरोध होता तो हम देख लेते। लेकिन कान्सेन्सस के आधार पर आप इस विधेयक को लाये, इसको संसद ने स्वीकार किया, राज्य सभा ने भी स्वीकार किया। हम समझते हैं कुछ तो इससे मिलेगा। जो कुछ खोया था उसमें से थोड़ा तो हमारे हाथ आयेगा। कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय तो मिलेगा, इसी आधार पर मैं इस संकल्प का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकचन्द सुराणा।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संविधान (44 वें संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान काफी गर्मी आ चुकी है। खास तौर से कांग्रेस (आई) के नेता, जो झुन्झुनू से आते हैं, ने तो अपने भाषण में 42वें संशोधन विधेयक की सैद्धांतिक तौर से ताईद भी की है और उसकी वकालत भी की है। वकालत भी इस हद तक की है कि उनके लोकसभा में नेता ने कुछ भी कहा हो, उन्होंने उसके आगे जाकर इन्दिरा गांधी को संरक्षण देने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपको यह कहने का अधिकार है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सही काम किया, क्योंकि आपको बोलने की आजादी भी जनता पार्टी ने दी है। आप उसको मसीहा कहें, यह आपकी मर्जी है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके खिलाफ भी कौन बोल रहा है आज ? इस वक्त संसद में और असेम्बली में किसी को हिम्मत है क्या आपके खिलाफ बोलने की ?

श्री मदनसिंह दांता : हिम्मत है। बोल रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लिबर्टी और स्वतन्त्रता की जहां तक बात है, जब तक जनता में लिबर्टी और स्वतन्त्रता के प्रति निष्ठा है, और उसके लिये जब तक कुरबानी देने के लिये तैयार हैं, तब तक किसी की शक्ति नहीं कि वह छीन सके। माननीय सदस्यों ने जर्मनी का उदाहरण दिया, हिटलर का उदाहरण दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको दोहराना चाहता हूं। यह सारी चालीस साल, बयालीस साल पुरानी बातें हैं। परन्तु हमारी आंखों के सामने इस देश में इमर्जेन्सी के काल में जो बयालीसवां संशोधन पास किया गया था और बयालीसवां संशोधन संविधान में लाकर एक सैद्धान्तिक तैयारी इस बात की इस देश में की गई कि आपातकाल को यथावत कर दिया जाए, आपातकाल को परमानेन्ट कर दिया जावे। यह इच्छा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही पैदा हुई हो, यह बात नहीं है परन्तु जो हुक्मरान थे, उनके दिमाग में यह पैदा हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बयालीसवां संशोधन विधेयक केवल कांग्रेस पार्टी द्वारा ही नहीं लाया गया था परन्तु जिसने कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर रखा था, जिसने सत्ता पर कब्जा कर रखा था, देश पर अपना राज्य बनाए रखने के लिए उसके अपने अधिकार सुरक्षित रहें इसलिये उसने यह संशोधन किया। कांग्रेस पार्टी की आम विल इस संशोधन के खिलाफ थी, इसलिये कांग्रेस पार्टी ने संसद में इसको व्हिप के द्वारा पारित कराया। उनको खुली छूट नहीं दी गयी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को आम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। सिर्फ आटोक्रेसी को कन्सन्ट्रेट करने के लिए, डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए, तानाशाही को कायम रखने के लिए यह बयालीसवां संशोधन विधेयक श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में लाया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि एक चीज एक व्यक्ति करे, उसके बजाए 5 व्यक्ति करें या एक के बजाए 7 व्यक्ति करें तो वह चीज ज्यादा अच्छी होगी या एक व्यक्ति की ? एक व्यक्ति का निर्णय ज्यादा तानाशाही का होगा बजाए पांच व्यक्ति के निर्णय के ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : इससे सारे केसेज पैंडिंग हो गये। कोई निर्णय नहीं हो पाया।

श्री रामनारायण चौधरी : एक के बजाय पांच, सात निर्णय करें हाई कोर्ट, में तो किस को तानाशाह मानोगे।

(व्यवधान)

श्रीमति उजला अरोड़ा : यह गलत हुआ था। यह गलत हुआ था।

श्री रामनारायण चौधरी : इस पर आपने गंभीरता से नहीं सोचा है।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा माननीय रामनारायणजी को कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो कुछ किया उस सम्बन्ध में सेन्ट ल्यूक का जो सूत्र है, वह मैं यहां पर कहना चाहूंगा। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, उपाध्यक्ष महोदय "Father, forgive them, for they know not what they do."

(श्री माणकचन्द सुराणा)

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जो सूत्र है, यह श्रीमती इन्दिरा गांधी पर भलीभांति सही उतरता है क्योंकि वह स्वयं यह नहीं जानती थीं कि वह क्या कर रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में जनता पार्टी को…

श्री मदनसिंह दांगा : जब उनको पता नहीं था, तो आप उनको गलत दोष दे रहे हैं। यह कहिए कि उनको पता था और वह जानकर करना चाहती थी…

श्री माणक चन्द सुराणा : डागा साहब, आप सुन लें कुछ यह बात कही जा रही है।

"Father, forgive them, for they know not what they do."

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कल तक एन्टी नेशनल एक्टीविटीज के नाम पर हिन्दुस्तान की प्रत्येक विरोधी पार्टी पर ताला लगा कर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई थी कि जनमत समाप्त हो गया था। वे ही लोग आज फिर कहने लगे हैं आन्दोलन करेंगे। मैं माननीय रामनारायणजी को कहना चाहता हूं आप सिविल डिसओबिडियेन्स कीजिए परन्तु याद रखिए, आपके बनाए हुए कानूनों को यदि जनता पार्टी ने कायम रखा तो आंदोलन करने वालों की जगह सीधी जेल के सींखचों में होगी। मीसा के अन्दर आप बन्द होंगे। परन्तु अभी जनता सरकार ने मीसा के सम्बन्ध में जो कदम उठाया है, उसके कारण से ही आपको हिम्मत हो रही है और आप इस बात का नारा लगाते हैं कि सिविल डिसओबिडियेन्स करेंगे, सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करेंगे…

श्री रामनारायण चौधरी : लोगों को तो आपने बिना मीसा के ही जेल भेज रखा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जेल जाओगे तो नानी याद आ जाएगी।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : झूठ बोलने की भी पराकाष्ठा होती है।

श्री माणक चन्द सुराणा : मैं माननीय रामनारायणजी से निवेदन करूंगा कि वे ठंडे दिमाग से इस पर सोचें। संविधान संशोधन पर हम बहस कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि हम आज क्या करना चाहते हैं? आज का जो बनाया हुआ संविधान है उससे या उसमें जो संशोधन होंगे उससे 20-30 वर्षों तक व्यवस्थाएं होंगी। यह जो धारा 31-बी है, जिसके द्वारा विरोधी पार्टियों को एन्टी-नेशनल एक्टीविटी की परिभाषा में लिया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कांग्रेस (आई) के सदस्यों का यह कहना था कि स्वर्णसिंह कमेटी बनायी गयी थी। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्टिकल 31-बी के सम्बन्ध में इस स्वर्णसिंह कमेटी ने कोई विचार नहीं किया था। यह धारा कभी भी स्वर्णसिंह कमेटी के सामने नहीं आई थी। बिना स्वर्णसिंह कमेटी की राय के उनके विचार किए बिना, यह धारा अपने आप संशोधन विधेयक में डाल दी गई। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सारी विरोधी पार्टियों को समाप्त करने, देश में जनमत

(श्री माणक चन्द सुराणा)

को समाप्त करने, देश के स्वतन्त्र जनमत को समाप्त करने पंपुल को पेरालाइज करने, लकवा मारने के लिए यह धारा 31-डी पारित की थी। मुझे आशा है, जनता पार्टी का राज्य कायम होने के बाद एक साल के भीतर भीतर इस धारा को समाप्त करने की जो संरचना की गई है, पार्लियामेंट ने इसको पारित कर दिया है, और आज यह संशोधन माननीय विधि मंत्री जी ने संकल्प के रूप में हमारे सामने रखा है, इससे देश में एक नया वातावरण बनेगा।

झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य कांग्रेस (आई) के नेता इस बात की बहुत जोर से यहां पैरवी कर रहे थे ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करूंगा जनता पार्टी के समय में से मुझे पांच मिनट और दिए जायें।

-क्या आप जस्टिस में, एक न्यायालय और दूसरे न्यायालय में भेद रखते हैं ?

आपकी सरकार ने

श्री मदन सिंह दांता : ओपीनियन अलग अलग होती है।

श्री माणकचन्द सुराणा : ओपीनियन अलग अलग हो सकती हैं किन्तु इसके लिए प्रोविजन अलग अलग नहीं माने जा सकते। हाई कोर्ट के पांच जजेज हैं। एक तिहाई पक्ष में हों तो कानून को रद्द किया जाएगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनमत की मांग है कि ऐसा कानून रद्द होना चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा, 5 जज हों और उसका दो बट्टा तीन बहुमत हो याने चार जज एक राय के हों, कानून को रद्द करने के पक्ष में हों तब कानून रद्द होगा। मतलब एक जज उनको मिल जाए तो राय ओवर रूल हो जाए। सात जज की बेन्च हो और उसमें भी दो तिहाई राय हो तो यह गलत है। न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए इस धारा 131-ए के द्वारा जो संशोधन लाया गया जिसमें हाई कोर्ट के जजेज पर रोक लगी थी कि केन्द्र का कोई कानून हो तो दो बट्टा तीन के बहुमत से वह रद्द किया जाएगा और राज्य में हाई कोर्ट की पांच जजों की बेन्च में दो बट्टा तीन का बहुमत हो तो वह कानून, संशोधन रद्द होगा। यह जो प्रावधान रखा गया था, यह बेबुनियाद था। यह न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है लिहाजा इसको समाप्त करने के मैं पक्ष में हूं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य, क्या यह भूल गये इमर्जेन्सी के दौरान फैसला करवाने के लिए जजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, उनका स्थानान्तरण किया गया . . .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय सचेतक महोदय और दिलावें।

श्री रामनारायण चौधरी : जनता पार्टी का सारा समय इनको दिया जाए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : देने योग्य आदमी हैं।

श्री माणकचंद सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट

(श्री माणकचन्द सुराणा)

के जज हैं, इसमें यू. पी. का उदाहरण सामने है। जब कि हाई कोर्ट के जो जज थे, उनके रहते सरकार जो फैसला करवाना चाहती थी, वह न होने के कारण उनको डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का तबादला इमर्जेन्सी की देन है। किसी भी जज को कहीं भी भेज दिया गया। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भेज दिया गया। ...

श्री रामनारायण चौधरी : अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का उदाहरण आपके सामने है। आपकी सरकार ने किया है। वहां के चीफ जस्टिस को कर्नाटक भेज दिया गया। सीनियर जज बना कर....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसका जवाब मैं दूंगा। तसल्ली रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास कोई जवाब नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : जिन जज महोदय को इलाहाबाद से कर्नाटक भेजा गया, इमर्जेन्सी में जो अन्याय लोगों के साथ जजेज के साथ किया गया था, उसको दुरुस्त करने के लिए उनको वापस कर्नाटक भेजा गया है। ऐसी गलती को दुरुस्त करना जनता पार्टी का पहला कर्त्तव्य है। उनका वहां पर ही पोस्टिंग किया था।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके विधि मंत्री के साले को चीफ जस्टिस बनाना था इसलिए वह किया गया। ऐसी आपाधापी इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई।

श्री दाऊदयाल जोशी : बेटे को प्रधान मंत्री बनाना चाहती थी मां।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह जो चार्ज लगा रहे हैं यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि श्री शान्ति भूषण ने उस फाइल को डील नहीं किया है। उस फाइल को प्राइम मिनिस्टर ने डील किया है। यह हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद वह कहते हैं तो इस बात का कोई इलाज नहीं है। रामनारायणजी जानबूझ कर दिन में सोकर अपने आपको खुश करना चाहें और इस तरह का नाटक करें कि वे जागते हुए सो रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जिनसे करवाया है उनकी अवस्था ऐसी हो गई है कि उनको पता नहीं चलता है कि कौन सी बात वाजिब है और कौन सी बात वाजिब नहीं है और चीफ जस्टिस कौन वाजिब तौर से बनना चाहिए। बच्चे और अति बूढ़े में फर्क नहीं होता है। बच्चे की फैकल्टी डवलप नहीं होती है और बूढ़े की खराब हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्ट्रप्शन न करें।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं जिस विषय पर बोल रहा था उस पर निवेदन कर रहा हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इन संशोधनों के द्वारा वापस उस स्थिति पर बैठाया जा रहा है। इमर्जेंसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थिति यह हो गई थी कि वह किसी स्टेट के कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती थी। धारा 32 ए में यह दिया गया है। उसका सारा पर्पज यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी स्टेट के कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है जब तक कि उसी तरह

(श्री माणकचन्द सुराणा)

के सेन्ट्रल लॉ को अवैध घोषित न करें। इस तरह की सीमा पहले नहीं थी। जब कि सुप्रीम कोर्ट पर यह रोक रखी गई थी वह कानून को अवैध घोषित नहीं करेगी जब कि हाई कोर्ट पर आपने रोक लगाई थी कि वह सेन्टर के मान्य कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। उनके अधिकार सीमित कर दिये गये। सबसे बड़ी रोक यह लगाई कि दो तिहाई का बहुमत हो। 5 की जगह 7 जजेज की बेंच बनाकर सारे कार्य को और सीमित कर दिया।

इन संशोधनों से, उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने दोनों को मुक्त किया है। एक तरफ तो धारा 31 डी में संशोधन करके जनता की खोई हुई आजादी को वापस किया जा रहा है और दूसरी तरफ 131 'ए' और 132 'ए' में संशोधन कर के जो तानाशाही और लोकतन्त्र के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की गई थी, और जुडिशियरी को कमजोर कर दिया गया था उस जुडिशियरी को वापस मजबूत किया जा रहा है, ताकि जुडिशियरी संरक्षण कर सके लोकतन्त्र का और किसी भी व्यक्ति के, जनता के अधिकारों की रक्षा कर सके। हिन्दुस्तान की जुडिशियरी को निश्चित रूप से ऊंचा उठाने का मन्तव्य इसमें रखा गया है, पार्लियामेंट की डिबेट से यह जाहिर है कि बहुत से माननीय सदस्य जुडिशियरी के अधिकारों को रेस्टोर करके ही नहीं रह गये। उसके साथ ही जनता के अधिकारों की रक्षा करने में बहुत बड़ी मदद की जा रही है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इस संशोधन का समर्थन करूंगा, और अन्त में सिर्फ एक लर्नेड हैंड के कोटेशन के साथ मैं अपने कोटेशन को निवेदन कर समाप्त करूंगा।

एक माननीय सदस्य : आपने इसे पास तो कर दिया। खाली इन्दिरा गांधी के खिलाफ भाषण देने के लिए रखा है।

श्री माणक चन्द सुराणा : यह मेरा कोटेशन है —

"Liberty lies in the hearts of men and women; When it dies their no Constitution, no law, no court can save it. No Constitution, no law, no court can even do much to help it."

इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय इसके समर्थन के साथ-साथ यह निवेदन करूंगा कि देश की आजादी के रास्ते को मजबूत करें पीपुल्स के जितने प्रकार के अधिकार हैं उनको मजबूत करें ताकि कोई भी तानाशाह इन्दिरा गांधी की तरह अपने अधिकारों को इस तरह से काम में न लाये कि हिन्दुस्तान को वापस उस स्थिति में लाये।

इस निवेदन के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह अवश्य निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी ने एक विशेष बात इसमें नहीं की जब कि उसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रापर्टी के राइट को फण्डामेन्टल राइट्स में से निकाल देंगे। इसमें उसके बारे में संशोधन नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूंगा विधि मंत्रीजी से कि वे केन्द्रीय विधि मंत्रीजी को विशेष रूप से लिखें कि प्रापर्टी के राइट को फण्डामेंटल राइट्स में से निकाल दें ताकि हमारे कई वामपंथी मित्रों को जो यह शिकायत रहती है कि यह जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी या वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की पार्टी है वह न रहे। मैं निवेदन करूंगा कि उनके इस चार्ज को समाप्त करने के लिए

(श्री माणकचन्द सुराणा)

राइट आफ प्रापर्टी को कान्स्टीट्यूशन के फंडामेन्टल राइट्स के चेप्टर से निकाल दिया जाना चाहिए। साधारण जुडिशियल कोर्ट जो है वह उनकी प्रोपर्टी की रक्षा करे लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रोपर्टी के मुकद्दमे नहीं जाने चाहिए। इस बात के साथ में इस चवालीसवें संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे 5 मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : मैं अपनी पार्टी का समय पूरा लूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भारत में यह रीति रही है कि यहां पर हमेशा एक पक्षीय विचारधारा का जोर रहा है। इन्दिरा गांधी ने देश के सामने बिल्कुल एक पक्षीय विचारधारा को पेश किया और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी के अधिकारों को छीनने के लिए संविधान में संशोधन किया और दूसरी ओर जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बयालीसवें संशोधन को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा कर दी, यह भी एक पक्षीय था। 42 वें संशोधन में यह भी एकपक्षीय था कि राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्रि और मन्त्री मण्डल की राय माननी होगी। क्या आज जनता पार्टी का कोई भी विद्वान नेता यहां यह कह सकता है कि राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री और मन्त्रिमण्डल की राय नहीं माननी चाहिये। अगर यह होता तो जिस वक्त हमारे प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री ने हमारे उपराष्ट्रपति श्री जत्ती, जब वह राष्ट्रपति थे, विधान मंडलों को भंग करने का सजेशन दिया था तब वह उससे इन्कार कर सकते थे। उस समय यह कहा गया था कि बयालीसवें संशोधन के अनुसार यह आवश्यक है कि मन्त्रिमण्डल की सलाह मानी जाय। मैं आपके सामने यह इसलिए कहना चाहता हूं कि एकपक्षीय विचारधारा को छोड़ कर अतिपक्षीय विचारधारा को हम जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक संविधान अतिश्रेष्ठ नहीं होगा और न विचारधारा ही अतिश्रेष्ठ होगी, और ज्यों ज्यों सरकार और शासन बदलेंगे त्यों त्यों संविधान भी उनके विचारों के अनुसार बदलता जायगा।

मैं आज आपके सामने निवेदन करूंगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और विदेशों की सुप्रीम कोर्ट में भेद है। अमेरिका, इंगलैण्ड और भारत में यह फर्क है। इंगलैण्ड में सुप्रीम कोर्ट, हाउस आफ लार्डस को पार्लियामेंट के किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। वहां पर पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई भी कानून संवैधानिक कानून है और कोई अदालत पार्लियामेंट के कानून को चुनौती नहीं दे सकती है। इतना सा फर्क है कि भारत में शक्ति संतुलन किया गया है। न पार्लियामेंट सर्वोपरि है और न सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहां कान्स्टीट्यूशन सर्वोपरि है और कान्स्टीट्यूशन की परिभाषा करने का अधिकार दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो भी व्याख्या करेगा वही सुप्रीम होगी। इस रिलेशन की भावना है कि पार्लियामेंट से ऊपर कान्स्टीट्यूशन है, लेकिन इस 42वें संशोधन द्वारा यह इन्सर्ट किया गया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया ऐसे कानून, जो मूलभूत

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

कानूनी अधिकारों का हनन करता है, को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अवैध घोषित नहीं कर सकती है। जो आधारभूत संतुलन था जिसको चेन्ज किया गया था उसको चवालीसवें संशोधन से बदला नहीं गया है कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था कि parliament is supreme पिछली बार मैंने कहा था और मैं फिर आप से कहूंगा कि इन्दिरा गांधी ने कुछ भी नहीं किया, वैसे मैं इन्दिरा गांधी का घोर क्रिटिक हूं मगर गंगा गये गंगादास और जमुना गये जमुनादास मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं यह कहूंगा कि हमारी ज्युडिशियरी ने भी एक अन्डर स्टेंडिंग की लाइन नही रखी। उसने भी देश के अन्दर ऐसी स्थिति कायम रखी कि गोलखनाथ के केस में उसने कहा कि पालियामेंट का मूलभूत अगर कोई अधिकार है तो उनको इम्पीज करने का अधिकार है ..... वह कहते हैं, नहीं पार्लियामेन्ट को मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। केशवानन्द भारती के केस में कहा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। हमारे 30 साल के कान्स्टीट्यूशन कर कम्पोजिट और एडवर्स रिमार्क्स दिये गये हैं। कुछ परिस्थितियों में यह मांग की जाय कि सुप्रीम कोर्ट जजों ने भी निहित स्वार्थों के अनुरुप फैसले दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर पूर्व में कई माननीय सदस्य काफी चर्चा कर चुके हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो आधारभूत बात है उस पर चर्चा नहीं की गई है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जनता सरकार ने इसको ग्रहण नहीं करके जनता के साथ में विश्वासघात किया है। उपाध्यक्ष जी, वह आधारभूत व्यवस्था पार्लियामेन्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश की पार्लियामेण्ट को कानून के अनुसार शोषण करने का, मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। पार्लियामेण्ट अगर गरीबी की लाइन से नीचे के लोगों को नहीं उठा सकती है तो संविधान में चेंज करने की मांग करे। एक कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली के अन्दर इस पर विचार करना चाहिये 1949 में यह कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली में पेश किया गया था। उसमें जनतांत्रिक तरीके से नुमाइन्दे भेजने का अधिकार नहीं था स्टेट ने अपने नुमाइन्दे भेजे थे। उस समय उसे कान्स्टीट्यूएट असेम्बली का नाम दे दिया था। यह संविधान गरीबों का गरीबी दूर करने.....

(समय-समाप्त-सूचक घण्टी)

और समाजवाद को लाने में अक्षम है, तो पुनः नये सिरे से जनता पार्टी से मांग करूंगा कि चाहें हाई कोर्ट ले या सुप्रिम कोर्ट। यह अधिकार कोर्ट को होना चाहिए कि यह संविधान में जो परिवर्तन किया जाएगा उस पर विचार करने का ज्युडिशियरी का काम रहेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

वरना चाहे इन्दिरा जी हों चाहे मोरार जी देसाई प्राइममिनिस्टर हों जीते हुए लोग सदैव के लिए अपनी अपनी सरकार बनाना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

Page No 104

(104)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह जो संकल्प है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 42वां संशोधन जैसा कि जनतन्त्र के हत्यारों ने पास किया था आज भी बड़े जोश खरोश से उस समय जो कुछ भी किया है उसकी वकालत करने के लिये दबी हुई जबान में उसका समर्थन करते हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय वह दिल पर हाथ रख कर विचार करते जिस समय यह काला कानून पेश किया था तो उस समय उनकी आत्मा भी उसके पक्ष में नहीं थी। लेकिन, उस वक्त देश पर काले बादल मण्डराये हुये थे, वह पुंसत्व हीन हो गये थे और उनकी मौजूदगी में संविधान का संशोधन पास हुआ था। हमने उस समय भी विरोध किया था। जिसके आधार पर देश में लोकतन्त्र की हत्या की गई थी, उसके सम्बन्ध में उस समय कहा गया था, श्री हेगड़े साहब, नहीं, गोखले साहब यह कहा था, उन्होंने जवाहरलाल नेहरु को कोट किया था कि इससे जो नंगा है, उसको कपड़ा मिलेगा और जो भूखा है, उसको रोटी मिलेगी। इस प्रकार से सारे लोगों को और सारे सदन को महत्ता और गौरव का अनुभव हुआ था लेकिन उसके अन्दर वास्तव में यह स्वार्थ था कि केवल एक व्यक्ति का शासन भारतवर्ष में लम्बे समय तक रह सके। विरोधी दल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उस समय उनको पता नहीं था कि किस ढंग से यह लाया जा रहा है? आज दबी हुई आवाज से उसका समर्थन किया जा रहा है वह इसलिए श्रीमन्, बेरहमी के साथ जनतन्त्र की हत्या की गई है। अब भी उनके दिलों पर और सिर पर पाप चढ़ा हुआ है। जुडिशियरी की क्या हत्या नहीं की गई? उनके नहीं मानने पर उनको परेशान किया गया। आपातकाल में जिन लोगों ने उनका कहना नहीं माना, उनका स्थानान्तरण किया गया। आपने जिस प्रकार से राजनीति चलाई, उसके लिए क्या नहीं किया। आपने प्रेसीडेन्सियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाने का सोचा। जो लोग जेलों में बन्द थे उनके पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। आपके उस सिस्टम की खिलाफत लोगों ने की थी। उसके कारण आपको फिर विचार बदलना पड़ा। जनतन्त्र को समाप्त करने का उस समय प्रयत्न किया था। आपने यह चाहा था कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकेगा। आपने इसी उम्मीद में चुनाव कराये थे कि इस माहोल में किसकी हिम्मत है कि विरोध करे। इन्दिराजी के खिलाफ किसकी हिम्मत है कि आवाज उठा सके। लेकिन इस देश का सौभाग्य है कि इस देश की जनता ने, इस देश के नौजवानों ने सारे आपातकाल को लागू करने के बाद भी विरोध किया। उनकी हिम्मत के कारण ही देश में आज लोकतन्त्र की पुनः स्थापना हुई है। आपने जिस प्रकार से किया है, हमारे दल ने वह नहीं किया है। हम राष्ट्र और आपके साथ ज्यादती करने की मन में रखते तो शायद हम यह संशोधन नहीं लाते। हमारा लोकतन्त्र जिंदा रहना चाहिए। इस देश में कोई भी एक व्यक्ति चाहे मोरार देसाई हो या इन्दिरा गांधी हों, का शासन नहीं रह सकता है। लोकतन्त्र कायम रहना चाहिये। आपातकालीन स्थिति में आपने जिस प्रकार से कहा था जिस ढंग से यह कहा था कि यह एण्टी नेशनल एलीमेंट हैं। जेल में ठूंसा गया था। जयप्रकाश नारायण और अटलबिहारी वाजपेयी केलिए

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह कहा गया था कि ये राष्ट्रद्रोही हैं। आपने जो मखौल किया था, उसी का परिणाम हैं। इतिहास आपको बख्सेगा नहीं। आने वाली पीढ़ियां बतायेगी कि देश के लोकतन्त्र को हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की गई थी। हमारे इस विधेयक का आपने भी समर्थन किया है इसलिए किया है कि आप को भय है कि कहीं हमारी मिट्टी पलीत न हो जाये। हम चाहते हैं कि इस देश में लोक: तन्त्र जिन्दा रहे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि काफी समय हो चुका है, काफी चर्चा भी हो चुकी है, विधि मन्त्री जी भी इसका उत्तर देंगे उसमें भी समय लगेगा।

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय बड़ी मुश्किल से संविधान पर बोलने का मौका आया है—

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है; अगर माननीय सदस्य बहुत ज्यादा उत्सुक हैं तो दो मिनट से ज्यादा न बोले।

माननीय श्री मदनसिंह जी दांता।

श्री मदनसिंह दांता: माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं कोई वकील तो नहीं हूं कि आथेन्टिक तरीके से कानून पर कुछ कह सकूं। आखिर प्रजातन्त्र में कोई चीज आती है, कोई इलेक्शन होता है, कोई किताब बनती है, कोई कानून बनता है तो इसके लिए बनता है कि वह हमको नियमों में चलावे। नियमों में रिजिडनेस आ जाय, कान्स्टीटयूशन में रिजिडनेस आ जाय कान्स्टयूशन फ्लेक्सिबिल न हो और प्रजा में उससे असन्तोष हो तो मै समझता हूं कान्स्टीटयूशन में अमेण्डमेंट आ सकता है। फंडामेंटल राइटस क्या हैं इसकी भी व्याख्या करे तो विस्तार में जा सकते हैं, आज भी फंडामेंटल राइटस में संशोधन करके जो प्राइवेट प्रोपर्टी को खत्म करने की बात हैं, क्या इसके लिए कांस्टीटयूशन में जगह नहीं थी? कोई बात है, वह चाहे जैसे कर सकते हैं। एक आदमी जिसकी प्रोपर्टी जाती है उसको दुख होता है इस लिए वह ऐसा अमेंडमेंट नहीं चाहेगा। राजस्थान में यह देखा गया हैं यह वकीलों का खेल है, माफ करना मुझे, आज प्रजातन्त्र में वकील लोग ही प्रजा के हित में आवाज उठाते हैं। वकील ही असेम्बली में ला बनाते है, वकील ही जज बनते हैं और वकील ही सब चीजों का फैसला करते है इसलिए दर्द तो यह हो रहा है, सत्य बात तो यह है। एक आर्डर हैं, बडा जागीरदार, छोटा जागीरदार और फिर रईस इस प्रकार से तीनों आदमी हाईकोर्ट में है विधान सभा में इसकी चर्चा हो रही है तीनों आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैठे है क्या पूरे राष्ट्र में वह अनर्थ नहीं कर रहे हैं। यह कान्स्टीटयूशन में अमेंडमेंट है यह उस प्रकार का नहीं हैं जिस प्रकार से बजट होता है बजट पेश होता हैं और पास हो जाता है यह एक व्यवस्था बन गई हैं। प्रजातन्त्र के लिए कांस्टीटयूशन रिजिड हो जाय तो क्या उसमें अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। ऐसा मैं समझता हूं कि कांस्टीटयूशन हमारे लिये हैं हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती हैं तो मैं समझता हूं इसमें अमेंडमेंट लाना कोई बुरी चीज नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अलग-अलग पार्टियां होती हैं, एक सदस्य ने फर्माया कि कम्युनिस्ट ज्यादा हल्ला करते हैं, इसलिये उनको खुश करने के लिए

(श्री मदनसिंह दांता)

इसको टच नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं यह किसी पार्टी को खुश करने के लिए है या जनता के लिए हैं ? इन्दिरा जी की मंशा थी, वह ताकतवर हो गई थी। मैं इनको डिक्टेटर तो नहीं कहूंगा। यह तो उनके ऊपर क्लेम लगाया गया। भारतवर्ष में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो डिक्टेटर बन कर रह सके...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने एक्स्प्लाइट किया, डिक्टेटर का नाम देकर। क्लेम किया गया क्योंकि वह शक्तिशाली हो गई थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप हिटलर को फील्ड में फिरने देते क्या ? इन्दिराजी डिक्टेटर तो नहीं थीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई थी जिन पर वह कानून के जरिये काबू लाना चाहती थी। आप भी आज वही करते हो काना-फूसी करके। अगर एस. पी. को दबाना चाहते हैं तो आपका फोन जाता है, कलेक्टर को दबाना चाहते हैं तो फोन जाता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चीज तो वही है। मैं समझता हूं कि वकीलों का हाथ रहता है जनतन्त्र में आप कान्स्टीट्यूशन में परिवर्तन लायेंगे, अमेण्डमेण्ट करेंगे तो मैं समझता हूं सम्पूर्ण कान्स्टीट्यूशन को नहीं ठुकरायेंगे। पूरे कान्स्टीट्यूशन को इन्दिराजी चैंज करतीं तो डिक्टेटर की बात होती। इसलिये एक बात तो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह है कि इन्दिराजी को डिक्टेटर कह कर बदनाम मत करो। यह कह कर आपके नेताओं ने उनको सजा दे दी। कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करें, उसमें रिजिडनेस न हो। वरना हिटलर के और आपके कान्स्टीट्यूशन में फर्क क्या है। यहां क्या हो रहा है, यह तो आगे जाकर मालूम होगा, इतिहास बतायेगा। सैद्धांतिक दृष्टि से मैं सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मानता हूं लेकिन जनता को सर्वोपरि मानता हूं। पब्लिक ओपीनियन के लिये कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भेजा नहीं था। आप बार बार कहते हैं, हम जेल में थे, इन्दिराजी कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट कर रही थी लेकिन आपने मना किया। आपको बुलाया गया था, आपने रिफ्यूज किया। इसलिए मैं समझता हूं अमेंडमेंट जो हैं, प्राइवेट प्रोपर्टी का अधिकारी कोई नहीं होगा, यह जो चीज है, यह कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए है। यह सब इन्दिराजी की तरह है। सम्पूर्ण जो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वायदे किये हैं, उस पर आप कायम रहें। नहीं तो इन्दिराजी और आप में कोई फर्क नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मंत्रीजी ने 44 वें संविधान संशोधन का अनुसमर्थन करने के जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं। संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम लाया जाना चाहिए। इसको और भी काम्प्रहेन्सिव लाते तो अच्छा होता। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसी विश्व के इतिहास में दूसरी बार जनतंत्र की हत्या करने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वाला संशोधन स्वीकार हुआ था, एक बार जनरल हिटलर ने जनतन्त्र की हत्या कर दी और दूसरी बार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हत्या की और इस रूप में हत्या की कि किसी को भी रात में अन्दाजा नहीं था कि कल क्या होने वाला है। देश में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बदलाव आना चाहिए। केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने परिवार की दुहाई देकर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 60 करोड़ लोगों को जिस तरह से जेल में डाल दिया वह बिल्कुल गलत था। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि कोई भी सरकार आये, ऐसी निरंकुश सरकार कभी न आये कि इस तरह से देश में जनतंत्र की हत्या कर दी जाय। इस तरह से एक आदमी को इतने अधिकार दे दिये जायं कि अखबारों का गला घोट दे, रेडियो स्टेशन की आवाज पर नियन्त्रण कर दे, देश के लाखों-लाखों और करोड़ों-करोड़ों लोगों को ऐसा विवश कर दे कि वे बोल न सकें, उनके अधिकारों की कोई रक्षा करने वाला न हो। ऐसा कोई न बचे जो यह कह सके कि हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, हमको बचाओ। देश में 19 जून 1975 से लेकर जून, 77 तक क्या हुआ? सारे देश में ऐसा माहौल था, जिससे कोई नहीं बच सका, लाखों मजदूर, लाखों कारखानेदार, सड़क पर और घरों में रहने वाले नागरिक भी नहीं बच सके। उपाध्यक्षजी, ऐसी निरंकुशता कभी नहीं आई। इसलिए हमें इन आर्टीकल्स को ठीक करना पड़ेगा। 59 आर्टीकल्स में 11 संशोधन आए हैं। कोर्ट के अधिकार वापस दिए जा रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। इस तरह से जो गड़बड़ हो गई थी उसको ठीक किया जा रहा है। कोर्ट्स में कई केसेज पेंडिंग हो गए थे। एक माननीय सदस्य ने कहा, क्या हो गया। लेकिन निश्चित रूप से उनके अधिकार क्षेत्र के जो कार्य थे, वे पेंडिंग हो गए, न्याय महंगा हो गया। जब हम सस्ते न्याय की बात करते थे, तब हमें महंगा न्याय मिला, यह देश की हालत हो गई थी। हम लोगों को जब अंदर भेज दिया गया...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्षजी, यह कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है, यह संविधान का मामला है। आपने तो दो मिनट के बाद ही घंटी बजा दी। कृपया मुझे समय दें, अपनी बात कहने दें। मुझे बोलने देंगे, मुझे आशा है, मैं आभारी रहूंगी, आप मुझे कहने दें।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा डेमोक्रेसी की रेल पटरी से उतर गई इसलिए मैं तानाशाही लाई हूं। लेकिन तानाशाही से दुबारा पटरी पर रेल आई, रेल चली? नहीं चली। जब जनता ने तानाशाही के विरुद्ध वोट दिया, तब पटरी पर रेल आई। जन प्रतिनिधियों को कभी भी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूं विपक्ष के लोगों को जिन्होंने खुले दिल से गलतियों को माना और इस संकल्प का समर्थन किया। जिन लोगों ने उस समय विरोध किया था, डागाजी जैसे लोगों ने, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए लेकिन जो उस समय कुछ नहीं बोले, उस कलंक के काल में जो लोग चुप रहे उनका नाम भी काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तुर्कमान गेट की घटना हुई, ऐसी कितनी घटनायें थीं जिनमें लोगों को उठाकर दबोच दिया, किसी को गोली से हत्या की गई। क्या कुसूर किया था कि उनको

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

19 महीने जेल में रखा गया। इसमें धार्मिक संस्थाओं के लोग थे, राजनैतिक संस्थाओं के लोग थे, जमाइत इस्लामिया के लोग थे। 36 संस्थाओं को उन्होंने बरबाद किया। अगर उनका कोई कुसूर था तो श्रीमती गांधी बताती। कुसूरवार थे ही नहीं तो बताती कैसे? फिर सत्ता में रहते हुए उनको छोड़ा क्यों? हमें जो वारंट मिले उनमें हमारा कोई दोष नहीं बताया गया। सन् 1928 में ए. आई. सी. सी. का सेशन हुआ था उस समय मोतीलाल जी नेहरू ने व्यवस्था दी थी कि इस तरह से परिवर्तन न लायें जाये जिनसे जो मूलभूत अधिकार संविधान देता है, उनको छीन लिया जाए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहती हूं इस तरह से एक ही झटके में संशोधन नं. 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 31 व 32 पारित करके हम लोगों को बरबाद किया। किसी भी देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप तो आपातकाल की परिस्थितियों के बारे में बोल रही हैं, काफी समय ले चुकी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी समाप्त कर रही हूं।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 6 बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 6 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति के अनुसार समय 6 बजे तक बढ़ाया गया।

संविधान (बियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 का अनुसमर्थन

श्रीमती उजला अरोड़ा - सन् 1950 से लेकर 1959 तक 20 संशोधन लाये गए और श्रीमती गांधी के 10 साल के कार्यकाल में 22 संशोधन लाए गए, इस तरह से अपनी मर्जी के अनुसार संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया। ऐसा भविष्य में न हो, यह हमारी भावनायें, सदन की भावनायें आप वहां पहुंचा दें। इसलिए जो संशोधन लाया गया है उसका मैं समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, Constitution has been killed unconstitutionally in the world for the second time. प्रथम बार सन् 1935 में जर्मनी के हिटलर ने संविधान की हत्या की थी और उसके बाद दो करोड़ जर्मन नागरिकों को हिटलर द्वारा हत्या के कगार पर खड़ा करने के बाद हिटलर का क्या हाल हुआ था? उसी तरह से भारत में श्रीमती गांधी ने संविधान की हत्या करके एक ही रात में बिना मुकदमे चलाए लोगों को जेल में डाल कर, 100 से अधिक लोगों को जेल के अन्दर ही हत्या करवा दी। 1976 में इस तरह के संशोधन संविधान में किए गए। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम राजस्थान

(श्री कौशल किशोर जैन)

विधान सभा में भारतीय संसद ने जो संशोधन प्रस्ताव पास किए है उनपर मोहर लगा रहे हैं।

मैं केवल दो बातें कहूंगा। जिस समय हम जेलों में बंद थे, तत्कालीन एटर्नी जनरल नरेन डे ने कहा था कि अगर जिलाधीश किसी व्यक्ति को गोली भी मार दे तो भी उसके किसी संबंधी को उसका कारण पूछने का अधिकार नहीं है। ऐसा समय इतिहास के अंदर इन 19 महीनों में आया जिस समय एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि अगर जिलाधीश ईर्षा के कारण किसी को गोली मार दे तो किसी को न्याय पाने का अधिकार नहीं है। ऐसे काले अध्यायों से व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीन ली गई थी। संविधान की धारा 13 से लेकर 35 में संशोधनों द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को छीन लिया गया था। आज माननीय सदस्य प्रश्न खड़ा करते हैं कि संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका सर्वोच्च है। अपने स्थान पर संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, एग्जीक्यूटिव सर्वोच्च है किन्तु इन तीनों के ऊपर अगर सर्वोच्च है तो भारत की जनता है, भारत का संविधान है उस संविधान को तोड़मरोड़ कर उसका जो स्वरूप प्रस्तुत किया वह हमारे सामने था।

भारत की संसद ने इस बारे में प्रस्ताव पास किया है कि 42वें संशोधन को समाप्त किया जाए। विरोधी दल के नेता जो कह रहे थे, उनकी बात में विरोधाभास था। वे कह रहे थे कि 42वें संशोधन को आपने एक साथ क्यों नहीं समाप्त किया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको विदित नहीं है कि हमने सम्पत्ति के अधिकार के बारे में संविधान में संशोधन करना स्वीकार किया है। जिन परिस्थितियों में संविधान में संशोधन किए गए, जिस इन्टेन्शन से किए गये और जिस इन्टेन्शन से संविधान में संशोधन करने से संविधान भंग हुआ उस इन्टेन्शन के बारे में हमें आपत्ति है। सारे देश को जेलों में डालने के लिए, नेताओं को जेलों में डालने के लिये भारतीय संविधान में संशोधन किये गये और धारा 31 डी उस वक्त जोड़ी गयी। जनता पार्टी ने जो चुनावों के समय वायदे किये थे उनको पूरा करने के लिये यह संविधान में 44वां संशोधन लाये हैं। हमने संविधान की जो धारा 31 डी थी उसको पूर्णतया विलोपित कर दिया। इसके

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

बाद में एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। उस वक्त, उपाध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे श्री बरुआ उन्होंने कहा था कि मैं भारत के विरोधी राजनैतिक दलों को चेतावनी देता हूं

"Mr. Barua warned the Jana Sangha that it would meet the same fate as the R.S.S. if it did not stop working against the unity of the country."

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से शासन करने वाली पार्टी का अध्यक्ष दूसरे राजनैतिक दलों को चेतावनी दे तो हंसी आती है। उनकी इस प्रकार की चुनौती विरोधी दलों के लोगों

(श्री कौशल किशोर जैन)

को देने का मतलब साफ था। श्रीमती इन्दिरा गान्धी तानाशाह बन कर राजनैतिक दलों का गला घोंटना चाहती थीं। लेकिन उसका नतीजा, उपाध्यक्ष महोदय, भारत की जनता ने दिखा दिया। चुनाव में इन्दिरा गांधी की हार नहीं थी बल्कि लोकतन्त्र की विजय थी, भारत के राजनैतिक दलों की विजय थी, भारत के जनमत की विजय थी। जिसने न केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी को ही सत्ता से हटाया बल्कि जनता पार्टी को चुनावों में जिताया। जिसके परिणाम स्वरूप आज यह संविधान का 44वां संशोधन इस सदन में पेश किया जा रहा है और इसका समर्थन राज्य सभा में श्री त्रिपाठी बैठे कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले यह कहावत सही चरितार्थ हो रही है। जिन्होंने वह काला कानून बनाया था वही विरोधी पक्ष में बैठ कर उसको समाप्त करने के इस संशोधन का स्वागत कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करतार सिंह।

श्री मदन सिंह दांता : आज, उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी वाले इस प्रकार की बात कह रहे हैं, पहले भी तो संविधान में संशोधन हुआ था। उस वक्त आप लोग विरोध करते थे। नेहरूजी जब अपने समय में संशोधन लाते थे उस वक्त भी विरोधी दल वालों ने विरोध किया था क्या ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री करतार सिंह।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो लोकसभा ने पास किया, विधानसभा के रेटीफिकेशन के लिये रखा गया है उस संशोधन विधेयक का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान आपके माध्यम से हमारे देश में जो आपातकालीन स्थिति थी उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां सदन में भारतीय संविधान के लिये कहा, जिस वक्त हमारे भारतीय संविधान की रचना हो रही थी या जिस वक्त हमारे भारतीय संविधान की रचना की गयी थी उस वक्त हमारे भारत के संविधान रचियतओं के दिल व दिमाग में एक बात थी कि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है और शासक वर्ग, जो भी पार्टी के हों, जनता के सेवक के सिवाय कुछ भी नहीं हैं। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद में अगर हम अपने देश के इतिहास को देखें तो ऐसा पता लगेगा कि हमारे देश के शासनाध्यक्षों ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिये, अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिये हमारे देश के पवित्र कांस्टीट्यूशन को अपनी भावनाओं के अनुकूल तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। हमारे देश का जो संविधान सर्वोपरि था उसको बदलना शुरु कर दिया तथा। इसके लिये हमारे देश के शासनाध्यक्षों ने अपनी निरंकुशता को बढ़ाने के लिये, अपनी तानाशाही को कायम रखने के लिये हमारे संविधान में संशोधन लाने शुरू कर दिये जिससे हमारे यहां की जो प्रेस की स्वतंत्रता थी वह छीन ली गयी। दूसरे हमारे यहां पर शासनाध्यक्ष पार्टी के खिलाफ में जो भी

(श्री करतार सिंह)

पार्टियां थीं, जितनी भी संस्थायें थीं उनको बन्द करने के आदेश दे दिये, उनकी एक्टीविटीज एन्टी नेशनल एक्टीविटीज करार कर दी गयीं। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे यहां पर 42 वां संशोधन संविधान में पारित किया गया और उसमें एक धारा और जोड़ दी, गयी वह थी धारा 31 सी जिसके अनुसार आपके सभी अधिकारों को छीन लिया गया और आप उन अधिकारों के लिये कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। उनकी खिलाफत करने वालों की एक्टीविटीज एन्टी नेशनल एक्टीविटीज करार देकर लाखों की तादाद में लोगों को जेलों में बन्द कर दिया गया। यह सब सिर्फ श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो कि उस वक्त भारत की प्रधान मन्त्री थीं, ने अपने आपको देश की तानाशाह बनाने के लिये किया अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये अपने पद का दुरुपयोग करके बहुत ही बेरहमी के साथ को लोगों जेलों में बन्द कर दिया। एक के बाद एक कई संशोधन कांस्टीट्यूशन में कर दिये गये जिनसे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने पद पर बनी रह सकें। इसी प्रकार संविधान में इस प्रकार के संशोधन किये गये जिनसे न्यायपालिका की पावर्स पर बहुत भारी कुठाराघात हुआ। ऐसा कानून बना दिया कि आप श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो कि तानाशाह थीं, के खिलाफ में कोई केस नहीं कर सकते। चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई कोर्ट हो कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ में केस दायर नहीं हो सकता था। न्यायपालिका के सभी अधिकार खतम कर दिये गये। इसके साथ साथ यह भी कर दिया गया कि देश की प्रधान मन्त्री, देश के राष्ट्रपति और लोक सभा के अध्यक्ष के खिलाफ में कोई कोर्ट सुनवायी नहीं कर सकता। उनको न्यायपालिका से भी ऊपर बना दिया। इसी प्रकार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और कर दीं, जैसे हाई कोर्ट के जजेज का ट्रान्सफर हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेट में किया जा सकता है उसके फलस्वरूप कई हाई कोर्ट के जजेज का ट्रान्सफर कर दिया गया। इलाहाबाद से सुदूर कोचीन केरल में भेजा जा सकता है किसी भी हाई कोर्ट जज को। इस प्रकार न्यायपालिका के जजेज पर भी अपना प्रभुत्व जमाया, न्यायपालिका के अधिकारों को समाप्त कर दिया, देश में इमर्जेन्सी लगा दी। यह सभी अपनी मनोकामना और अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए किया। सभी राजनैतिक दलों, जो कि विरोध में थे, को अवैध घोषित कर दिया उनकी एन्टी नेशनल एक्टीविटीज करार करके उनके सदस्यों को जेलों में मीसा के अन्तर्गत रख दिया।

(व्यवधान)

थोड़ा और कह दूं।

उन्होंने यह भी व्यवस्था करनी चाही कि मेरे बाद तो मेरा लड़का संजय गांधी भारत का प्रधान मन्त्री बने और उसके बाद में देश का प्रधान मन्त्री राहुल गांधी भारत का प्रधान मन्त्री बने। तो इस प्रकार की व्यवस्था उसने करनी शुरू कर दी। लेकिन भारत की जनता ने जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र से खुश होकर जनता पार्टी को जिताया। जनता पार्टी ने जो वायदे किये थे जनता के साथ कि हम न्यायपालिका को वापस अधिकार दिला देंगे और देश में प्रेस स्वतन्त्रता दिलवा देंगे, देश में लोगों को स्वतन्त्रता बोलने की दिलायी जायेगी, वह

(श्री करतार सिंह)

सभी वायदे जनता पार्टी ने धीरे धीरे पूरे करने शुरू किये हैं । संविधान 42वां संशोधन अधिनियम जो था उसके बाद कान्स्टीट्यूशन में 44वां कान्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट जनता पार्टी की सरकार ने लाकर जो धारा 31डी जोड़ा था उसको विलोपित कर दिया गया है । इससे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स थी वह उन्हें वापस बरकरार कर दीं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री मन्जूर अली ।

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : सदरे मोतरम, आज सदन में जो कोन्स्टीट्यूशन का 44वां संशोधन बिल पेश किया गया है उसकी मैं तहेदिल से ताईद करता हूं। सदरे मोहतरम, कान्स्टीट्यूशन में जो 42वीं तरमीम की गयी थी, दरअसल में कुछ खुद गर्ज लोगों के लिए प्रोविजन्स किये गये थे । उसमें हमारे कान्स्टीट्यूशन की धारा 14, 19 और 21 को रिपील किया गया था, उसमें हमारी जम्हूरियत को खतम कर दिया था और इक्वीटी को भी समाप्त कर दिया गया था । धारा 31 में से जो प्रोपर्टी के बारे में इन्सान का हक होता था उसको भी हटा दिया गया था । आर्टीकल 31 बी के जरिए इस प्रकार के रद्दोबदल कर दिये गये कि कोई भी इन्सान मरकजी कानूनों के खिलाफ हमारे देश के किसी हाई कोर्ट में फरियाद नहीं कर सकेगा । यानि किसी भी इन्सान को कोर्ट में अपने हकों के लिये फरियाद करने का हक नहीं रह गया था । पार्लियामेंट किसी कानून को खतम कर सकती थी । कोई भी शख्स हो, राज्य के खिलाफ कोई भी बात हो तो उसको किस प्रकार से खतम किया जाय, कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कोई गुंजाइश बाकी न रहे इस प्रकार का 42 वां अमेंडमेंट बिल लाया गया था जिसको कि इस संशोधन बिल के द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है । वरना तो 42 वीं तरमीम से मजलूमों को सही दाद फरियाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी यानि कि -

वही कातिल वही रहबर, वही मुंसिफ ठहरे ।
वो रोसा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर ।

हिन्दुस्तान के शहरी मजबूरे महज बन कर तमाशाई बन बैठे थे । यह पोजिशन हिन्दुस्तान की उस समय हो गयी थी । एक तरफ तो यह कहा जाता था कि जस्टिस लोगों को जल्दी भी मिले और आसान भी हो । लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज को बेंचों को गिनती में लिमिट कर दिया गया था । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी आजादाना राय से बेचैन ही बना सकती थी और इससे मुकदमात के डिस्पोजल में गैर जरूरी देरी होती थी इसीलिये यह तरमीम उस समय लायी गयी थी ।

सदरे मोहतरम, मुझे इसमें इतना ही अर्ज करना है कि यह बिल इसलिए वापस लाया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आजादी को वापस बहाल किया जाय जो कि खतम कर दी गयी थी । पहले यह था कि दो जजेज की राय बिल के खिलाफ होती तो एक मानी जाती और सरकार के हक में जज की राय दो जज के बराबर मानी जाती थी । 42 वां कांस्टीट्यूशन की तरमीम दरअसल कांस्टीटयूशन

(श्री मंजूर अली)

की रूह और उसकी मंशा के खिलाफ थी। बल्कि 42 वीं तरमीम ने कांस्टीट्यूशन के कई आर्टिकल्स को इन्फ्रकशन्स कर दिया था

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, जजेज की गिनती कम होने से फैसलों में डिले होती थी। Justice delayed is justice denied वाली बात सही थी। सन 62 तक पेंडिंग मुकदमात की जो गिनती थी वह 1730 थी और 62 से लेकर 77 तक 1470 हो गई। सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात जाते थे उनमें देर होती थी और पेंडिंग होते थे। डिवीजन बेंच पांच से 7 कर दी गयी। उन तमाम बातों को देखते हुए कांस्टीट्यूशन को सही स्टेज पर लाने के लिए यह जरूरी था कि इस तरहकी तरमीम लायी जाती। अमन पसन्द करते हैं वे इस फैसले को सही मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवचरणसिंह।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष जी, 42वां संशोधन बिल को अमेन्ड करने के लिए 44वां संशोधन बिल लाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान अमेन्डमेंट बिल संविधान में संशोधन के साथ साथ एक राजनैतिक दस्तावेज भी है। जो कान्स्टीट्यूशन को बनाने वाले महा पुरुष थे। उन्होंने भी इस बात को माना है कि समय समय पर तात्कालिक सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में संविधान में तरमीम लायी जानी चाहिये। माननीय नेहरू जी ने भी कहा था:

What is applicable today may not be applicable tomorrow and so the amendments are necessary.

यह कहने के बाद उन्होंने भी फर्माया था:

The first task of the Assembly is to free India through a new Constitution to feed the starvating people, to clothe the naked masses and to give every Indian the fullest opportunity to develop him self according to his capacity.

इस दृष्टि से मैं यह मानता हूं कि समय समय पर संविधान में अमेंडमेंट आना चाहिये लेकिन जनता पार्टी का जो मेन्डेट है, जो मैनिफेस्टो है उसकी मंशा को पूरा करने के लिए यह लाया गया है। लेकिन जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी बातें और भी थीं। बहुत सारे वायदे किये गये थे उनमें से कितनों को आपने पूरा किया है? मैं इस अमेंडमेंट बिल का स्वागत करता हूं जो पब्लिक में दिये गये वायदे के अनुसार लाया गया है, आपके मेनिफेस्टो के अनुसार लाया गया है। लेकिन मेनिफेस्टो में दिये गये कितने वायदों को आपने पूरा किया है यह भी तो देखने की बात है। इन्दिरा गांधी के दो शब्दों को आपने छोड़ा है। एक सेक्युलर शब्द को छोड़ा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बुरा माना है। जो मुद्दे के शब्द थे उनको तो आपने पकड़े रखा है। अगर उनमें हिम्मत है तो विधान सभा के माध्यम से पेशकश करें। कई माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि इसको ऐसे ऐसे लाना

(श्री शिवचरण सिंह)

चाहिये था। इसलिए उनके दल के माननीय सदस्यों की भावना को समझ कर वे पेशकश करें किसी रिजोल्यूशन के द्वारा या किसी दस्तावेज के द्वारा, केन्द्रीय सरकार को बतायें कि जनता पार्टी के माननीय सदस्यों की यह इच्छा है इसको यों लाना चाहिये था। संविधान एक दस्तावेज है। एक राजनैतिक दस्तावेज भी यह है। इस दृष्टि से भी इसको यों सोचा जाना चाहिये। इन्दिरा गांधी ने उन परिस्थितियों में संविधान में तरमीमात की। मेनिफेस्टो लाये कि इन परिस्थितियों में आप इसको बदलना चाहते हैं। इसको निश्चित रूप से आप बदलिये। आपने पब्लिक से वायदे किये है लेकिन आपने पब्लिक से अपने मेनिफेस्टो के जरिये से ये भी वायदे किये थे कि हम आपको रोजगार दिलायेंगे, रोजगार मोहैया करायेंगे, हम आपको रोटी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या अरबपतियों और खरबपतियों के खिलाफ कोई सीलिंग का कानून लाये ? आपने कितने वायदे पूरे किये ? सदन के माध्यम से उस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने अपने घोषणा-पत्र में वायदे किये हैं जो अमेंडमेंट बिल आप हमारे द्वारा पास करवाना चाहते हैं, गरीबों के लिए जो बात आपने मेनिफेस्टो में कही है उनको भी आप पूरा करो तो हम यह मानेंगे कि आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इस कान्स्टीट्यूशनल अमेन्डमेंट से कितनों को फायदा होगा ? कितने प्रतिशत को ? हिन्दुस्तान की जनता के हजार वें लाख हिस्सा भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। मैं आपके अमेंडमेंट का स्वागत करता हूं लेकिन कुछ लोगों के लिए आप इस अमेन्डमेंट के द्वारा विचार करें और हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन से जो सम्बन्धित चीज है जिनके बारे में आपने अपने मेनिफेस्टो में घोषणा की है उनको आपको नहीं भूलना चाहिये। आपने बिहार के मेनिफेस्टो में यह बात कही कि बेकवर्ड लोगों को काम देंगे। यू. पी. में भी यह घोषणा की, राजस्थान में भी यह घोषणा की। आप रोटी रोजगार की गारन्टी दें। आपने पूंजीपतियों के लिए बात कही। आपने अल्पसंख्यकों के लिए बात कही। आपने क्या किया ? अमेन्डमेंट हमेशा आने चाहिये। राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदलने की स्थिति में तो अमेन्डमेंट आने ही चाहिये। सरकार जो शासन में होती है यह महसूस करती हो तो अमेन्डमेंट समय के बदलाव के साथ साथ आने चाहिये। मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन केवल इन्दिरा गांधी ने जो किया, उससे समाज को मिलने वाला लाभ न मिले तो मैं उसका विरोध करता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो आपने वायदे किये हैं उनको आप पहले पूरा कीजियेगा। इतना कहने के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने जनता से वायदे किये हैं और वायदे 8-9 महीने के लिए नहीं बल्कि पांच साल की अवधि के लिए किये थे 30 साल में विपक्षी बंधु कुछ नहीं कर सके और आज कहते हैं कि जनता पार्टी ने जनता से वायदे किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 1971 में श्रीमती इन्दिरा गांधी

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

गरीबी मिटाने के नाम पर टू-थर्ड मैजोरिटी लाकर देश की फिर से प्रधान मन्त्री बनीं। जब पांच साल की अवधि समाप्त हो गई थी और गरीबी न मिटा सकीं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती गांधी के लोकसभा के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, गुजरात ने उनको ठुकरा दिया, ललित नारायण मिश्र की हत्या, डी. पी. धर की मृत्यु हो गई तो श्रीमती गांधी के पास एक ही बात थी, आपात स्थिति लागू कर दे। उपाध्यक्ष महोदय, देश पर बाहर से आक्रमण हुआ होता या अन्दर से कोई कलह हुआ होता या आर्थिक संकट खड़ा होता तो आपातकालीन स्थिति की घोषणा उचित थी लेकिन इन्दिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपात स्थिति लगाई। देश पर सदा ही नेहरू परिवार हावी रहे इस बात को लेकर आपात स्थिति लगाई। आपात स्थिति के दौरान देश में भयावह स्थिति बनी। देश के लोगों को जेलों के सींखचों में बन्द किया गया। जेल के सीखचों में उन लोगों को बन्द किया गया जो कि देश के प्रति वफादार थे और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय, चीन के हमले के समय अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। देश में बाढ़ हो सूखा हो हर समय देश सेवा में तत्पर थे। एक मजदूर अपनी रोटी नहीं मांग सकता था, एक पढ़ा लिखा लड़का, जिसको उसके मां बाप ने अपने पेट पर पट्टी बांध कर पढ़ाया था, रोटी की मांग नहीं कर सकता था और मांगने पर गोली का शिकार बना दिया जाता था और जेल के सींखचों में बंद कर दिया जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, 20 माह के काले कानूनों से देश में जो कुछ हुआ उसके लिए जनता सरकार यह संशोधन लाई है। काले कानून से जो कालिमा लग गई थी उसको दूर नहीं करते तो इससे हमारे मुंह पर कालिख पुत जाती। इसके लिए केन्द्रीय सरकार बधाई की पात्र है। इसका समर्थन करते हुए मुझे खुशी है कि आप उस कालिख को पोंछ रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी हम पर नहीं थूके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो पार्टी सत्ता में आती है उसके माफिक वह अपने नियम बनाने के लिए संशोधन लाने के लिए अपनी पहलकदमी करती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जो संशोधन हुआ या कुछ कदम उठाये जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इनमें से कुछ ऐसे कदम थे जिनका हमारी पार्टी ने स्वागत किया...

श्री दाऊदयाल जोशी : इस बिल का क्या कर रहे हो ?

श्री नूरा : आगे बोलने तो दीजिए।

आप भी आज उसी बात पर जा रहे हैं। लास्ट में जाकर इन्दिरा गांधी ने मजदूरों के हितों के कामों को रोक दिया जैसे बोनस रोक दिया और आर्डिनेन्सेस जारी किये उसका हमारी पार्टी ने विरोध किया। हमारे देश में भी इसका विरोध शुरू हुआ। लास्ट में जब उसके नतीजे से या नाराजगी से जनता पार्टी हुकूमत में आ गयी तो अपना गुस्सा निकालने के लिए परिवर्तन की वह बात करती है। परिवर्तन के खिलाफ

(श्री नूरा)

कोई नहीं है लेकिन उस परिवर्तन का मैं स्वागत करता हूं जो कि मजदूरों और किसानों के फायदे की बात हो। बाकी उस बात का समर्थन मैं या मेरी पार्टी नहीं करती जो कि मजदूर और किसानों के हित का नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी थी उससे ज्यादा पूंजीवादी विचारधारा की जनता पार्टी है"

श्री दाऊदयाल जोशी : आपकी संपत्ति से अपनी सम्पत्ति बदलने के लिए तैयार हूं।

श्री नूरा। आप बदल नहीं सकते। आपमें बदलने की हिम्मत नहीं है। आप पूंजीवादी व्यवस्था से जकड़े हुए हैं। 9 महीने में भी कानून व्यवस्था ढंग से लागू नहीं कर सके। यह आपके ऊपर पड़ी हुई मार से झुंझलाहट है। जब तक मजदूर और किसानों का राज्य कायम नहीं कर सकते तब तक हम इस बात से बाहर नहीं निकल सकते। आज भी पूंजीवाद हमारे ऊपर हावी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने लूट की छुट्टी दे रखी है और आगे भी देते रहेंगे। न तो आप जमीन को हाथ में ले सकते हैं और न कारखानों पर हाथ डाल सकते हैं मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में आपने पूंजीवाद को न्यौता दिया है। कहीं आप ने कहा है कि यह राज्य का कारखाना होगा और इसका पैसा राज्य के पास जायेगा ? राज्य के पास जायेगा तो राजस्थान में लगेगा ? आप पूंजीवाद के पालक हैं और पूंजीवाद को न्यौता दे रहे हैं। आप सही मायने में पूंजीवाद में जकड़ना चाहते हैं जनता को। हम अच्छे कदमों का स्वागत उस समय भी करते थे और आज भी करेंगे लेकिन नीति आपकी जाहिर है कि आपने पूंजीवाद को न्यौता दिया है। एक भी उद्योग राज्य का हो तो आप बता दें। यह पूंजीवादी नीति नहीं है तो क्या है ? पूंजीवादी नीति का हमारी पार्टी सदा विरोध करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सम्भव नहीं होगा।

श्री भंवरलाल पेरन : सिर्फ दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक मिनट बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष। माननीय शंकरलाल जी, सम्भव नहीं है।

विधि मन्त्री जी काफी समय लेंगे उत्तर देने में।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य. मैं निवेदन कर चुका हूं। एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मैं किसी को समय नहीं दूंगा। सम्भव नहीं है। कृपया मुझे विवश मत कीजिए।

श्री शंकर लाल : कोई निर्णय की बात तो है नहीं........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी, मैं निवेदन कर चुका हूं। माननीय सदस्य कृपया बिराजिये।

माननीय विधि मंत्री जी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय श्री रामनारायण जी चौधरी द्वारा जो प्रहार किया गया इस बिल के सिलसिले में वर्तमान जनता शासन के अन्दर जुडिशियरी के संबंध में उसका उत्तर देना चाहूंगा। इतनी अपेक्षा किसी से भी होती है कि तथ्यों की पूरी तरह से जानकारी करके उनको सही रूप में रखे और सही विवेचन करे। मैं यह निवेदन कर दूं कि आपातकाल के दौरान इस देश में लगभग 32 हाई कोर्ट जजेज के ट्रान्सफर्स किये गये। मुख्य कारण यह था कि उस समय जो प्रक्रिया चल रही थी, देश में जकड़न चल रही थी प्रशासन की तरफ उसमें जुडिशियरी का समर्थन प्राप्त करना सरकार का एक लक्ष्य बन गया था जिन जजेज ने सरकार की मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया उन जजेज को सजा के रूप में दूसरी जगह भेजा गया। हमारे यहां भी मध्य प्रदेश के श्री ए0 पी0 सेन पधारे, उनको यहां भेजा गया। मैं वह बातें सदन के सामने नहीं बताना चाहता जो उन्होंने मुझे बताई कि किस प्रकार से उनको उस शासन में यातनायें भुगतनी पड़ी ....

श्री मदनसिंह दांता। आप खड़े हो गए तो बोल्डली बताइये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति विश्वास से बताता है उनको अगर पब्लिकली बता दिया जाय तो एम्बेरेसमेंट होगा। मै यह निवेदन करना चाहूंगा कि कर्नाटक...

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस तरह से सस्पेन्स में डालकर गवर्नमेंट का जवाब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजिये आप।

श्री शंकरलाल : आन ए पाईंट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर विधि मन्त्री संकेत नही देते. तो कोई बात नहीं। जब संकेत दे दिया, तो हाउस को सस्पेन्स में रखना उचित नहीं है। अगर बात कही है तो स्पष्टीकरण करें। या तो बिल्कुल बात नहीं कहनी चाहिये थी, जब कह दी है तो आप बात को स्पष्ट करिये।

श्री रामनारायण चौधरी। राजस्थान के लॉ मिनिस्टर और यहां के हाई कोर्ट के जो जज बनाये गये थे उन के बीच क्या बात हुई थी ? वह जुडिशियरी के खिलाफ हुई है ? मन्त्री महोदय सदन से छिपायें, उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप बतायें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इस स्थिति को स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा।

सबसे पहले जो आपने प्रसंग उठाया उसके संबंध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। कर्नाटक में श्री चन्द्र शेखर जज थे उनके सामने कुछ मीसा के केसेस थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी आपको है, माननीय सदस्य जो इस सदन में विराजमान हैं, उन

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

को है। शीर्षस्थ नेताओं में से कुछ, जो आज केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं, एक कमेटी के सिलसिले में कर्नाटक बंगलौर गये हुए थे। जिस रोज इमर्जेन्सी लगी उस रोज वहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी, एल. के. अडवानी, मधु दण्डवते मुख्य थे। उनकी पिटीशन्स कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने थी। हाई कोर्ट ने जो व्यू लिया वह सरकार को पसन्द नहीं आया इस कारण चन्द्र शेखर का तबादला वहां से इलाहाबाद कर दिया। हमारी जनता पार्टी का यह संकल्प था, लोक सभा के अन्दर व्यक्तिगत सरकार का यह कमिटमेंट था कि जजेज बिना मर्जी के तबादले नहीं किये जायें। इसलिए श्री चन्द्र शेखर का तबादला किया गया था, उनको कमिटमेंट के फलस्वरूप इलाहाबाद भेजा गया। श्री सतीशचन्द्र सीनियर है, संयोगवश वे शांतिभूषण से सम्बन्धित है, उनके साले हैं। यह जनता पार्टी का संकल्प है कि उन सारे जजेज को, जिनका सजा के रूप में एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, स्थानान्तरण किया गया है, को बहाल करेंगे, उस सजा को रद्द करेंगे इसलिए चन्द्रशेखर को ...

एक माननीय सदस्य : Transfer is no punishment.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कर्नाटक से इलाहाबाद भेजा गया। सीनियोरिटी की दृष्टि से सतीशचन्द्र को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। श्री शांति भूषण ने अपनी तरफ से कोई दखल नहीं दिया। प्रधान मंत्री महोदय ने यह सारा निर्णय लिया है। सीनियोरिटी के आधार पर यह निर्णय लिया है। यह बात हुई है। झूठ के आधार पर शासन चल सकता है, विरोध की राजनीति नहीं चल सकती। इन्दिरा गांधी झूठ के आधार पर शासन चला सकती हैं झूठ के आधार पर प्रतिपक्ष में, विरोध में नहीं चल सकती। मैं यह चाहूंगा सदन की मर्यादाओं को कायम रखने की दृष्टि से, इस देश में सच्ची राजनीति कायम रखने की दृष्टि से इन्दिरा गांधी वाले लोग अपने तौरतरीकों को बदलें, जनता से विश्वास प्राप्त करें, निश्चित रूप से इस में कोई अनियमिततायें नहीं हैं। आज के दिन की जुडिशियरी है वह पहले जैसी नहीं रही।

जहां तक सैन साहब का मामला है, मैं नहीं चाहता था कि इस प्रश्न को रखूं, आपने कहा तो मैं बता देना चाहता हूं, सुन लीजिये। जस्टिस सैन और जजेज की दो बैंच थी। हैबियस कारपस के मामले उनके पास सुनवाई के लिये थे। जब उन्हें पता चल गया स्वीकार होने वाले हैं, तो इन्दिरा सरकार के समय के मुख्य मंत्रियों की इस प्रकार की योजना बनी कि हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट देने से पहले पहले उस बैंच को डिसमिस कर दिया जाय। यही नहीं जो चीज मेरे को पता चली है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हाई कोर्ट के जजेज भी उस काले काल में सी. आई. डी. विजिलेंस के प्रभाव से मुक्त नहीं थे। उनका निरन्तर पीछा किया जाता था। इस प्रकार की परिस्थितियां इस देश में पैदा हो चुकी थीं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मंत्री महोदय ने कहा हमारे जजेज सी. आई. डी. के प्रभाव से मुक्त नहीं थे। आप शब्दों को मार्क करने का यत्न करें 'मुक्त नहीं थे'। यह आप मुलाहजा करें उनका पीछा किया जाता था, यह सही हो सकता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 'प्रभाव' से मेरा अर्थ यह है, मेरे शब्दों में गलती हुई हैं, मै तरमीम करता हूं. मेरा अर्थ यही था उस समय की सरकार उनके ऊपर निगरानी रखती थी, लॉ के माध्यम से रखती थी। जिस तरह राजनैतिज्ञों पर, सारे क्रिमिनल्स के ऊपर सरकार निगरानी रखती थी, जजेज के ऊपर भी रखती थी।

श्री मदनसिंह दांता : जजेज पर इस तरह का दबाव था, जजेज ने इसको माना है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : यदि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं तो क्या मंत्री महोदय को अधिकार है, बीच में काट दें और मेरी बात पूरी नहीं कहने दें। जब तक आप मुझको बैठने के लिये नही कहें, मेरी बात बीच में न काटें। इस पर व्यवस्था चाहता हूं। कोई मंत्री महोदय यह अधिकार रखते है कि जो प्रश्न उठे उसको बीच में काट दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हर माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है।

मेरी व्यवस्था है कि प्रश्न में निहित बात है स्पष्टीकरण की बात है। मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : बीच में दे सकते है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको संतुष्ट करने के लिये, सदन का समय बचाने के लिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं संतुष्ट नहीं हुआ। आप सन्तुष्ट हुए हों तो बात अलग हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे मसलों पर इस दृष्टि से सोचा जाये . . .

श्री मदनसिंह दांता : जैसे आप अध्यक्ष को दबाने गये थे, वह नहीं दबे। वैसे जजेज भी नहीं दबे थे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अब मैं जो माननीय मदेरणा साहब ने प्रश्न उठाया था उस बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मदेरणा साहब ने एक बात तो यह कहीं कि क्या 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कुछ अच्छी बातें हैं, को अस्वीकार करना चाहते हैं ? एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी किसी भी अच्छी चीज को अस्वीकार करने के मूड में नहीं है। इन्दिरा गांधी की सरकार में जो हुआ। यह तो उसके विवेक पर निर्भर करता था कि किस प्रकार स्थिति को जांचते थे : संविधान में जो 42 वां संशोधन किया गया है उसका जो इरादा था, उसके पीछे जो रहस्य था वह केवल मात्र यह था कि इस देश को जनतान्त्रिक प्रक्रियाओं से निकाल कर डेमोक्रेसी के स्थान पर डिक्टेटरशिप कायम की जाय। जो भी इन्स्टीट्यूशन्स ऐसी थीं चाहें प्रेस हो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे जुडिशियरी हो उनको पंगु बना दिया जाय, उनके अधिकार सीमित कर दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जो जादूगर होता है, जो कलाकार होता है और जो जनता की साइकोलोजी जानता है वह चार चीजो के साथ लुभावनी चीज भी दे देता है। उन्होंने जो लुभावनी चीज दी वह थी लीगल एड। क्या हुआ उस लीगल एड का ? माननीय रामनारायण जी थे उस वक्त, तो आप थे। केवल थोथे नारे आपने दिए जनता को। दूसरी बात जो समाजवादी अपने आप

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

को बताते हैं और सोशलिस्टिक सोवरिन रिपब्लिक की बात करते है उनके शासन काल में 20-25 करोड़वाला बिड़ला 1200 करोड़ वाला बिड़ला बन गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्या यही आपका समाजवाद था? आपने मजदूरों की हड़ताल पर रोक लगा दी, उनको बोनस के अधिकार से वंचित कर दिया, स्टूडेन्ट्स को यूनियनों से वंचित कर दिया और फिर आप कहते है डेमोक्रेसी थी। केवल नाम मात्र के प्रोपेगण्डा से, . . .

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : उधर बिड़ला को तो इधर मुरारका को।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपसे निवेदन किये देना चाहता हूं इस सारे परिप्रेक्ष में स्थिति को देखना होगा जो 42 वां संशोधन किया गया था उसके लिये आप कहते है पब्लिक ओपीनियन थी, आप कहते हैं नेशनल डिबेट हुई थी। हम जानते है, और रामनारायण जी, आप तो मौजूद थे-विधान सभा की कार्यवाही में, सारी विधान सभायें मूक बैठी रहीं। किसी ने हिम्मत नहीं की आवाज उठाने की। इस प्रकार का एक वातावरण बना हुआ था। आज आप जजेज के रक्षावादी बने हुये हैं, उस समय आपका मानस कहां चला गया था, उस समय आपकी हिम्मत को क्या हो गया था? हर चीज को समान दृष्टि से देखें। आपको भी इस देश में रहना है तो स्वतन्त्रता में रहना है और जिस रूप में गंगा बहती है उसी रूप में बहना है। जो ज्योइन्ट पावर्स है उनको स्टुन्दन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य अन्धकारमय होगा और हमारा भविष्य भी अन्धकारमय होगा। इतने पवित्र संशोधन के लिये आप यह कहते हैं शान्ति भूषण के साले को चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया, ये प्रचार की छोटी चीजें है। कुछ ऊंचाई पर जाकर समझें, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल: आप विधान सभा की कार्यवाही की बात कर रहे है लेकिन जो जनतान्त्रिक प्रावधान था कि राष्ट्रपति को....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी: आप बैठिये, जबाब दे रहा हूं...

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल: पार्लियामेंट के द्वारा ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस तरह व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल: मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैंने इस प्रावधान का विरोध किया था।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी: पूरा जबाब तो सुनो पहले।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल: राष्ट्रपति की जो पावर्स संशोधन के द्वारा छीनी गई, मैंने उस दिन विरोध भी किया था कि हमारे राष्ट्रपति सब विधान सभाओं के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा चुने हुए व्यक्ति है ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजिये। माननीय शंकरलाल जी, मैं विवेदन कर रहा हूं, आप विराजिये।

(व्यवधान)

माननीय शंकरलाल जी, कृपया आप विराजिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी: राष्ट्रपति को अंगूठा टेक बना दिया था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 16-11-76 की इस सदन की प्रोसीडिंग से वे वाक्य, जो मुख्य मंत्री महोदय ने कहे थे, पढ़ कर सुना रहा हूं, इस संदर्भ में जब यह संकल्प था।

"माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल से बयालीसवें विधेयक के ऊपर चर्चा हुई और मेरे ख्याल से केवल एक आवाज के अलावा बाकी सबका एक ही मत था ...

श्री मदनसिंह डांगा: यह तो आज भी होता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक भी मत था समर्थन का....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल: आप इस बात को कह रहे है लेकिन राष्ट्रपति की पावर्स के संशोधन का जो प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शंकरलाल जी, विराजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: वह एक आवाज आपकी नहीं थी मोहरसिंह जी की थी।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल: राष्ट्रपति की पावर्स के ऊपर......

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शंकरलाल जी, विराजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मदेरणा साहब ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं, जो बयालीसवां संशोधन है उसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो इस पर भी निश्चित रूप से जनता पार्टी की सरकार विचार करेगी कि उसको किस प्रकार जनतान्त्रिक ढांचे में समाविष्ट किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि पहली सरकार ने किया है, यह जो आंशिक रूप से संशोधन आया है इसका मुख्य कारण संवैधानिक प्रक्रिया का है, एक निश्चित प्रक्रिया का है। लोक सभा, राज्य सभा में एक निर्धारित बहुमत की आवश्यकता पड़ती है इसलिये आपस में विचार-विमर्श करके, जो सदन में बैठने वाले दल है उनका जिन जिन मुद्दों पर एक विचार हो सका उसका एक बिल वहां पर पेश किया गया और उस बिल को संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। जो बाकी के मामले है उनको जनता पार्टी छोड़ नहीं रही हैं। जैसे जैसे सुविधायें होंगी और जैसे जैसे बहुमत मिलने की सम्भावनायें स्पष्ट हो जायंगी उस समय उनको भी जरूर लिया जायेगा।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

यहां राष्ट्रपति के सम्बन्ध में बात कही, राष्ट्रपति के लिये क्यों नहीं अनिवार्य कर दिया जाय कि मंत्रिमण्डल की सलाह पर कार्य करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री शंकर लाल : अनिवार्य नहीं किया जाय, अनिवार्य क्यों कर दिया, यह कहा है। आप गलत कह रहे है, आप समझे नहीं है। यह नहीं कह रहे है कि अनिवार्य कर दिया जाय...

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अनिवार्य कर दिया, आप कहते है रहने दो...

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : आप समझे नहीं है। संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की हरएक राय से मान्य होना पड़ेगा। यह संशोधन किया था, मैंने विरोध किया था। उस संशोधन को हटायें....

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं मानता हूं कि आपके किये हुवे पापों को हमें मिटाना होगा। मैं निवेदन कर दूं...

श्री शंकर लाल : इस बात का सवाल नहीं हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं...

श्री सूर्य नारायण चौधरी : इस विषय पर राजस्थान के मंत्रिमण्डल ने अभी तक मनन नहीं किया है। केन्द्रीय जनता पार्टी के समक्ष यह मामला है। आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकर लाल जी, कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

इस प्रकार आप बार बार इन्ट्रप्शन नहीं करें :

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, इसके संबंध में कन्ट्रोवर्सी है परन्तु जो कन्वेन्शन है वे भी कोई कीमत रखते हैं। सब चीजें संविधान में नहीं हो सकतीं। आज तक हिन्दुस्तान में यह कन्वेन्शन रहा है कि जो चुनी हुई सरकार है, उसकी सिफारिशों को राष्ट्रपति मानते चले आए परन्तु फिर भी राष्ट्रपति को किन्हीं मामलों में डिस्किशन होता है, गंभीरता से विचार कर सकते है कि वे चुनी हुई सरकार की कोई बात मानें या न मानें। हमको जेलों में डाल दिया गया, धमकी दे दी कोई बोल नहीं सकता, प्रेस का गला घोंट दिया गया और आप हम से कह रहे हैं इन पापों को मिटावें। कोई दो मिनिट में आपके इन पापों का नहीं मिटाया जा सकता। समय लगेगा। आप तसल्ली रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब ने पूछा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है:...

श्री शंकरलाल : आपने इसका फायदा उठाया हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सदस्य बार बार हस्तक्षेप क्यों करते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ! सुप्रीम कोर्ट का केशवानन्द भारती का जजमेंट है, उसमें यह बताया गया है, माननीय सदस्य जो संविधान के कानूनों से परिचित हैं, वे इस बात को मानेंगे कि कोई भी सरकार, कोई भी संसद लेजिस्लेचर कम से कम इन चीजों को निकाल नहीं और वह यह है :

1. Supremacy of the Constitution.

2. Reprsentation of Democratic form of Government..

3. Secular character of the constitution.

4. Separation of powers between the Legislature & the Judiciary.

5. Federal character of the constitution.

ये बेसिक फीचर है। इन बेसिक फीचर्स को 44 वें संविधान के संशोधन के माध्यम से न्यायालयों के संदर्भ में अब आपके सामने लाये हैं जिनकी करीब करीब समाप्त करने की कुचेष्टा की गई, उसके अन्दर पहले सफलता मिल गई, उनको पुनः लाया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बेसिक फीचर्स हैं, ये बदले नहीं जा सकते हैं। जहां तक प्रोपर्टी राईट्स का सवाल है, केशवानन्द भारती का जजमेंट हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने फण्डामेंटल राइट्स नहीं माना हैं। इसके अन्दर कुछ लचक हैं और इस संबंध में माननीय सदस्य बजरंगलाल जी मेरे से इत्तिफाक रखते हैं।

इतना ही कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को निवेदन करूंगा कि जो संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसका यह सदन अनुमोदन करने का कष्ट करें।

श्री मदनसिंह दांगा : आपके इतना पसीना क्यों आ रहा हैं ? हम तो वैसे ही पास कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय विधि मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया हैं, उसको पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 4 अप्रेल, 78 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5-54 बजे मंगलवार दिनांक 4 अप्रेल, 1978 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

124

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 663 की सूची)

HANUMANGARH-SURATGARH ROUTE

Month	Scheduled trips	Actual trips operated	Curtailed trips	Reasons
Sept. '77	644	598	46	Mechanical
Oct. '77	986	709	277	"
Nov. '77	960	621	339	"
Dec. '77	992	722	270	"
Jan. '78	852	614	238	"
Feb. '78	560	392	168	"

125

परिशिष्ट–२

(तारांकित प्रश्न संख्या 445 की सूची)

भूजल विभाग को नलकूपों के निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान की गई राशि की तालिका

क्रम सं.	योजना का नाम	नलकूप का स्थान	नलकूपों की सं.	सफल अथवा असफल	भूजल विभाग को जमा कराई गई राशि	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	भीमड़ा बायतू	भीमड़ा	एक नं.		1,05,000/-	76-77
2	चूली भेदरेस	भाड़खा	एक न.		94,500/-	76-77
3	निम्बल कोटड़ा	निखवा	एक नं.		94,500/-	76-77
4	लोहारवा भीमतला	थोरिबना	एक नं.		63,000/-	76-77
5	लोहारवा में फंसे पंप को निकालना	लोहारवा	एक नं.		5,000/-	76-77
6	बीमड़ा में फंसे पंप को निकालना	बीयाड़	एक नं		5,000/-	77-78
7	भीमड़ा नं. 2 का पुनः विकास कार्य	भीमड़ा	एक नं.		5,000/-	77-78
8	निम्बला–सुराजायड़	निम्बला	दो नं.		1,92,000/-	77-78
9	भियाड़ बलाई	भियाड़	एक नं.		90,000/-	77-78
10	बाड़मेरा शहरीय योजना	भाड़खा	दो नं.		2,00,000/-	77-78
11	उन्डू कम्पालिया	उन्डू	एक नं.		1,00,000/-	77-78
12	भीमगडया बायतू	भीमड़ा	दो नं.		1,90,000/-	77-78
13	भीमड़ा बायतू	भीमड़ा	दो नं.		90,000/-	77-78
14	लोहारया भीमथल	लोहारवा	दो नं.		67,000/-	77-78
15	शिवकर कुरता	भाड़ता	एक नं.		1,30,000/-	77-78
			21 नंबर		14,31,000/-	

सूची नं0 2

भू-जल विभाग को नलकूपों के निर्माण हेतु भुगतान की गई राशि की तालिका

क्र.सं.	योजना का नाम	नलकूप का स्थान	नलकूपों की संख्या	सफल अथवा असफल	भू-जल विभाग को जमा कराई गई राशि	अवधि
(1)	गोकलासर (अलीद)	मोकलासर	एक	—	21000/-	1976-77
(2)	चोहटन (वलीय)	मोकलासार	एक	सफल	21425/-	उपरोक्त
		चोहटन	एक	सफल	32250/-	उपरोक्त
(3)	बालोतरा (नगरीय)	बालोतरा	एक	सफल	29295/-	उपरोक्त
		बालोतरा	एक	सफल	25287/-	उपरोक्त
(4)	खुरान का तला (पम्प एवं टंक)	बुरान का तला	एक	सफल	56625/-	उपरोक्त
(5)	पादरू गोलिया (क्षेत्रीय)	मिठडा	एक	सफल	28630/-	उपरोक्त
		पादरू	एक	सफल	30795/-	उपरोक्त
(6)	बांकोडा मेवानगर (क्षेत्रीय)	बाकोडा	एक	असफल	22080/-	उपरोक्त
(7)	गिराव संघीन (क्षेत्रीय)	गिराव 4	एक	सफल	122600/-	1977-78

परिशिष्ट–1

बाड़मेर जिले में जन. स्वा. प्रभि. विभाग के कार्य की दिनांक 20–3–78 तक की स्थिति

क. सं.	स्कीम का नाम	कार्य स्थल	चाहे गये नलकूपों की संख्या	पूरे किये गये नलकूपों की संख्या	नलकूप का कार्य/ प्रगति पर है।	शेष कार्य/ विवरण
1)	भीमडा बाधंतु	भीमडा	3	1	1	1
2)	भुरन का तला	भुरन का तला	1	1	–	–
3)	चुली भादेरा	भडका	1	–	–	1
4)	रिआर्गेनाईजेशन बाड़मेर	,,	2	1	1	–
5)	भरा जायई	नीमला	2	2	–	–
6)	लोहारवा भीमतला	घोरिमना	1	–	–	1
7)	नीमला कोटरा	नीमला	1	–	–	1
8)	शिवकर कला	भाडका	1	–	–	1
9)	बियाड़ बलाई	बियाड़	1	–	–	1
10)	उन्डु कम्पालिया	उन्डु	1	1	–	–
11)		कनासर	1	–	1	–
12)	तुरकीखाडीन	गिराव	1	1	–	–
		योग	16	7	3	6

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विभागीय चयन समिति द्वारा प्राख्याताओं का चयन

667 श्री हरिसिंह (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. अभी हाल ही में दिसम्बर, 1977 में विभागीय चयन समिति द्वारा सर्जरी, रेडियोलाजी एवं आरथोपेडिक विषयों के लिए प्राख्याताओं का जो चयन किया गया है वह किन आधारों पर किया गया है ?

2. क्या ऐसे चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई स्थाई आधार निर्धारित है और उक्त चयन भी उन्हीं आधारों के अन्तर्गत किये गये हैं यदि नहीं, तो क्यों ? निर्धारित आधारों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

8. जिन-जिन प्राख्याताओं का चयन इन आधार के विपरीत हुआ है, क्या उसके सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

4. क्या सरकार जिन प्राख्याताओं का चयन नियमानुकूल नहीं हुआ उनकी सम्पूर्ण जांच कर उन्हें पुनः चयन समिति के सामने विचारार्थ रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेजियट ब्रांच) रूल्स 1962 के साथ संलग्न शेड्यूल के अनुसार व्याख्याता (क्लिनिकल) के पद 100% सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है। यह सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है परन्तु इन नियमों के नियम 30 (2) में यह प्रावधान भी विद्यमान है कि इस प्रकार के पदों की अस्थायी रिक्तियों को राज्य सरकार द्वारा भी योग्य व्यक्तियों द्वारा अस्थाई तौर पर भरा जा सकता है। परन्तु किसी प्रकार का पक्षपात न हो सके इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा अनौपचारिक रूप से एक केन्द्रीय चयन समिति का गठन किया हुआ है जो इस प्रकार के अस्थाई पदों की पूर्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है। इस समिति द्वारा विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति के लिये एक अल्प अवधि विज्ञापन नं0 4/77 दिनांक 11/10/77 को जारी किया गया जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इस विज्ञापन में वर्णित अन्य पदों के अलावा सर्जरी, रेडियोलोजी तथा आरथोपैडिक्स विषयों के लिये भी व्याख्याताओं के रिक्त पद विज्ञापित किये गये थे। इन पदों के लिये चयन का आधार भी योग्यता एवं अनुभव के रूप में इस विज्ञप्ति में दर्शाया हुआ है। केन्द्रीय चयन समिति अपनी बैठक के समय आभ्यार्थियों को निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रख कर चयन करती है :—

अ) शैक्षणिक योग्यता
ब) शोध कार्य का अनुभव
स) विशेष उपलब्धि/पोजीशन/मेडल
द) अनुभव
ई) साक्षात्कार

(2) चयन के प्रचलित आधार प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में दर्शा दिए गए है। इन्हें और अधिक वैज्ञानिक रूप देने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है।

Page No 129

(129)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(3) रेडियोलोजी में व्याख्याता पद के लिये एक ऐसे अभ्यार्थी का चयन कर लिया गया था जिसकी योग्यता एम० डी० (रेडियो-डाइग्नोसिस) थी जब कि निर्धारित योग्यता एम० डी० (रेडियोलोजी) है। इस पर राजस्थान विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण चाहा गया था कि क्या एम० डी० (रेडियो डाइग्नोसिस) की योग्यता रखने वाले अभ्यार्थि को रेडियोलोजी में व्याख्याता पद पर लगाया जा सकता है। इस पर उन्होंने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय की मेडिकल फेकल्टी ने अपनी बैठक दिनांक 23/२4-11-77 में प्रस्ताव संख्या 12 के अन्तर्गत एक संशोधन प्रस्तावित किया है जिसके अनुसार उक्त पद के लिये एम० डी० (रेडियो-डाइग्नोसिस) तथा एम० डी० (रेडियो-थेरेपी) को भी एम० डी० (रेडियोलोजी के बराबर माना जावे। रेडियोलोजी में व्याख्याता पद के लिए एक अन्य अभ्यार्थि का चयन गलत हो गया था जिसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई।

(4) केन्द्रीय चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर छ: माह के लिये अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने तक जो भी पहिले हो, की अवधि के लिये की जाती है। लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अभ्यार्थनाऐं भिजवाई जा चुकी है और आयोग द्वारा इन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याताओं को स्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाती है। ऐसी सूरत में इन मामलों को केन्द्रीय चयन समिति के समक्ष पुन: प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

जयपुर, अक्टूबर 11-1977

अल्प अवधि विज्ञापन नं. 4/77

(क्लीनिकल)

क्र. एफ 1 (175) एम. ई./76/ग्रुप :—विभिन्न आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में निम्नलिखित स्थानों के लिए अस्थाई नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। जो राजकीय सेवा में हैं यदि वे योग्य हैं, उचित माध्यम द्वारा प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं। प्रार्थना-पत्र निम्न हस्ताक्षर कर्ता को दिनांक 9-11-77 तक या इससे पहले पहुंच जाने चाहिये। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित होने के पश्चात् स्थाई नियुक्ति की जावेगी। प्रार्थना-पत्र निम्न प्रारूप में भेजा जावे।:—

1 पूरा नाम व पिता का नाम

2 पूरा पता

3 जन्म तिथि प्रमाण पत्र सहित

4 शैक्षणिक योग्यता निम्न लिखित निर्धारित प्रपत्र में।

क.सं.	परीक्षा एवं विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कितने यत्नों में उत्तीर्ण हुए	प्राप्तांकों का प्रतिशत

(130)

5. अनुभव का विवरण निम्न प्रपत्र में ।

क्र.सं.	वर्ष	शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल का नाम	पद जिस पर कार्य किया हो	अवधि	विशेष विवरण

व्याख्याता

वेतन शृंखला–1000–30–1030–40–1350–50–1600 (शृंखला नं 21)

अनुभव–कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव इसी विषय में क्लीनिकल ट्यूटर/डिमास्ट्रेटर/ रजिस्ट्रार/कंज्यूलिटि मेडिकल आफिसर । सहायक पेथोलोजिस्ट । रेजीडेन्ट/पोस्ट ग्रेजुएट छात्र या समकक्ष पद किसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में ।

(1) व्याख्याता फोरेंसिक औषध (चार पद)

योग्यताएं एम. डी. (फोरेंसिक मेडिसन), एम.डी. (पेथो) स्पेशलिटी बोर्ड आफ पैथोलोजी (यू.एस.ए.) एम.डी./एम.आर.सी.पी./ एफ.आर.सी.पी. (डिप्लोमा के साथ डी.एम.जे-डी.एफ.एम.) एम.आर.सी.पी. । (फोरेंसिक मेडिसन के विशेष विषय सहित) या इसी विषय के समकक्ष योग्यता ।

(2) व्याख्याता, ओब्सट्रिक्स और गायनोलोजी (17 पद)

योग्यताएं:–एम.डी. (ओब्स और ग्यानों/एम.एस. (ओब्स और ग्यानों) एम.ओ., एम.आर.सी.ओ.जी., ओब्स और ग्यानों में स्पेशल बोर्ड । (यू.एस.ए.) एम.एस.,एम.डी. (मेडि.) एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.एस., (डी. जी. ओ. के साथ) एफ. आर. सी.एस. । एम.आर.सी.पी. (विशेष विषय में ग्यानों और ओब्स के साथ) या इसी विषय के समकक्ष योग्यता ।

(3) व्याख्याता रेडियोलोजी (पांच पद)

योग्यताएं–एम.डी./एम.एस.(रेडियोलोजी) डिप्लोमा/डायग्नोसिस और थेरापाई दोनों में दो वर्षीय प्रशिक्षण के डिप्लोमा सहित (डी.एम.आर.ई. और डी.एम.आर.डी. या डी. एम. आर, ई. और डी. एम. आर. टी. या डी. एम. आर. डी. और डी. एफ. आर. टी.) रेडियोलोजी में स्पेशलिस्ट बोर्ड (यू. एस. ए) एफ. एफ. आर. |एम. डी/एम. आर सी. पी./एफ. आर. सी. एस /एफ. आर. सी. पी./एम. एस. विद डी एम. आर. डी. डी. एम. आर. टी डी. एम. आर. ई. ' एम. आर. सी. पी. (रेडियो डायग्नोसिस/थेरापाई के साथ एक विशेष विषय में) या इसी विषय के साथ समकक्ष योग्यता ।

4. व्याख्याता आर्थोपेडिक (दो पद)

योग्यताएं–एम. एस. (आर्थो.) एम. सी. एच. (आर्थो.), विशेष बोर्ड–आर्थोपेडिक शल्य चिकित्सा (यू. एस. ए.) एम. एस./एफ. आर. सी. एस. आर्थोपेडिक में डिप्लोमा के साथ या इसी विषय के समकक्ष योग्यता ।

5. व्याख्याता–शल्य चिकित्सा (चार पद)

योग्यताएं–एम.एस., एफ. आर. सी. एस., शल्य चिकित्सा में स्पेशिलिटि बोर्ड (यू. एस. ए.) या इसी विषय के समकक्ष योग्यता ।

6. व्याख्याता नेत्र रोग (एक पद)

योग्यताएं : एम. एस. (नेत्र रोग), नेत्र रोग का विशेष बोर्ड (यू. एस. ए.) एम. एस. एफ. आर. सी. एस. विद डी. ओ. डी. ओ. एम. एस. या इसी विषय के समकक्ष योग्यता।

सी. ए. एस. एवं ट्यूटर

वेतन मान—750-30-1020-40-1300-50-1350

कम से कम 870/—रु. वेतन उन व्यक्तियों को दिया जायेगा जो पोस्ट ग्रेज्यूएशन डिग्री या उसके समकक्ष डिप्लोमा किसी भी औषध या शल्य चिकित्सा विभाग की किसी भी ब्रान्च में रखते हों।

ये पद केवल दो वर्ष के लिये है।

(1) सी.एस.एस. एवं क्लिनीकल ट्यूटर शिशु औषध (3 पद)

योग्यताएं—एम.डी. (शिशु रोग), शिशु रोग में स्पेशिलिटि बोर्ड (यू. एस. ए./एम.डी. (औषध)/एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी. (विद डी.सी.एच., एम.आर.सी.पी./एफ.आर. सी.पी विद पेडेट्रिक्स एज ए स्पेशल विषय) या समकक्ष योग्यता।

(2) सी.ए.एस. एण्ड क्लिनीकल ट्यूटर्स—गायानों एण्ड ओब्स (11 पद)

योग्यताएं:—एम.डी. (गायानों एण्ड ओब्स) एम एस. (ओब्स एण्ड गयानो)एम.ओ एम आर.सी.ओ जी., ओब्स एण्ड गायानों का स्पेशिलिटि बोर्ड (यू.एस.ए.) एम.एस., एम डी (मेड) एम.आर.सी.पी, एफ आर.सी.एस. (डी.जी.ओ. साथ, एफ.आर.सी.एस./एम.आर.सी. पी. (ओब्स एण्ड गयानो के साथ), एज ए स्पेशल विषय या समकक्ष योग्यता।

(3) सी.ए.एस. एण्ड क्लिनीकल ट्यूटर्स—रेडियोलोजी (6 पद)

योग्यताएं- एम.डी./एम.एस. (रेडियोलोजी) डिप्लोमा/डायग्नोसिस और थेरापाई दोनों में दो वर्षीय प्रशिक्षण के डिप्लोमा सहित (डी.एम.आर.ई. और डी.एम.आर.डी. या डी.एम.आर.ई. और डी.एम.आर.टी. या डी.एम.आर डी. और डी.एम. आर टी.) रेडियोलोजी स्पेशिलिटि बोर्ड (यू.एस.ए.), एफ.एफ.आर.एम.डी./एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.एस./एफ. आर.सी.पी./एम.एस. विथ डी.एम.आर.डी., डी.एम.आर.टी., डी.एम.आर.ई., एम.आर.सी.पी (एक विशेष विषय में रेडियो-डायग्नोसिस/थेरापाई के साथ) या समकक्ष योग्यता।

या

औषध/शल्य चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या विषयक डिप्लोमा

4. सी ए. एस. एण्ड क्लिनिकल ट्यूटरस ऐनेस्थेसिया (4 पद)

योग्यताएं—एम. डी./एम.एस. (एनस्थेशियोलोजी) एफ; एफ.ए.आर.सी.एस., स्पेशिलिटि बोर्ड एनेस्थेसियोलजी (यू.एस.ए.)

एम.डी./एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी या एम.एस./एफ.आर.सी.एस. विद डी.ए., एम.आर.पी./एफ.आर.सी.एस. (विशेष विषय में एनेस्थेसियोलोजी के साथ) या समकक्ष योग्यता

(32)

या

औषध या शल्य चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या एनेस्थेसिया में डिप्लोमा।

5. सी.ए.एस. एण्ड क्लिनिकल ट्यूटर्स आर्थोपेडिक्स (दो पद)

योग्यताएं- एम.एस. (आर्थो) एम.सी.एस. (आर्थो) स्पेशिलिटी बोर्ड आर्थोपेडिक्स सरजरी (यूएस.ए.) एम.एस./एफ.आर.सी.एस. आर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा के साथ या समक्ष योग्यता।

6. सी.ए.एस. एण्ड क्लिनिकल ट्यूटर्स स्किन एण्ड बाडी (दो पद)

योग्यताएं—एम.डी. (वेनेरोलोजी या डरमाटोलोजी), डर्मटोलोजी का स्पेशिलिटी बोर्ड (यू.एस.ए.) एम.डी. (औषध) /एम.आर.सी.पी./एफ.आर सी.पी./एफ.आर.सी.एस.विथ डी.वी.डी. / डी.डी.डी./डी.वी.एम.आर सी.पी. / एफ.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.एस. (विशेष विषय में वेनोरेलोजी या डरमाटोलोजी के साथ या समकक्ष योग्यता।

या

औषध में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डी.वी.डी./डी.डी.डी./डी-वी. स्पेशिलिटी में डिप्लोमा।

7. सी.ए.एस. एण्ड क्लिनिकल ट्यूटरस टीबीएण्ड चेस्ट (दो पद)

योग्यता-- एम.डी. (ट्यूबरक्लोसिस और चेस्ट रोग), एम.डी. (औषध) /एम.आर.सी.पी. एफ आर.सी पी. (विथ टी.डी डी./डी टी सी डी.) एम.आर.सी पी./एफ.आर.सी.पी. (क्षय रोग विशेष विषय के साथ) या समकक्ष योग्यता।

या

औषध में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या स्पेशलिटी/टी.डी.डी./ डी.टी.सी.डी. में डिप्लोमा।

आयु:-

35 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं स्त्रियों की आयु में 5 वर्ष की विशेष छूट। राज्य सरकार में पहले से ही नियुक्त स्थाई कर्मचारी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, किन्तु योग्य उम्मीदवारों के अभाव में 5 वर्ष की विशेष छूट दी जा सकती है।

समस्त प्रार्थना पत्र सीधे या उचित माध्यम द्वारा दिनांक 1-11-77 तक पहुंच जाने चाहिये। देर से आने वाले प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। यह प्रार्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी कि यह देखे कि उसका प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में निश्चित दिनांक को या इससे पहिले आ गया है।

प्रार्थी को अपने पते का लिफाफा रु. 2/50 पैसे के टिकट सहित रजिस्ट्री के निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भेजना होगा। एक पद के लिये एक ही प्रार्थना पत्र होना अनिवार्य है।

(एस. एन. टण्डन)

सदस्य सचिव, केन्द्रीय चयन समिति एवं उप शासन सचिव
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, जयपुर (राज.)

Page No 133

(133)

राजस्थान किराया कानून में संशोधन

668. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान किराया कानून में किरायेदारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या राज्य सरकार किराया कानून में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या क्या और कब तक ?

(2) क्या राज्य सरकार मकान, दुकान का किराया बढ़ाने का आधार सन् 1962 के बजाय 1952 रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या किराया कानून में संशोधन हेतु गठित समिति सुझावों पर राज्य सरकार अमल कर सुझावों को लागू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये शीघ्र एक समिति का गठन कर रही है । इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जावेगा ।

(2,3) उक्त समिति की रिपोर्ट आधे पर सरकार इन सभी सुझावों पर विचार करेगी ।

शिव क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

669. श्री कानसिंह (शिव) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिव क्षेत्र के कितने गांवों में पीने योग्य पानी अब तक उपलब्ध कराया गया है और अब गर्मी शुरू होने तक कितने और किन-किन गांवों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि आरंग, मोचरा, रतकोडिया, ओतिया, सखे का गांव, बिहड़, तानासर, अडू, ओला, बानाड़ा आदि गांवों में पानी बहुतायत मात्रा मे मिल सकता है । यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनमें से किन-किन गांवों को खेती के लिये ट्यूब वैल खुदवा कर काश्त हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) शिव क्षेत्र तहसील के 21 गांवों में जल प्रदाय विभाग द्वारा जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो निम्न है:—

(1) निमला, (2) धूमली, (3) छजोदला, (4) आगोरिया, (5) निम्बासर, (6) शिव (7) डूंगा, (8) आवा, (9) हरखेषा, (10) दियाड़, (11) बिसू, (12) बलई, (13) कानासर (14) अडू, (15) गडरारोड, 17 तुरबी, (17) रामी, (18) हरसानी, (19) गिराब,)20) रानासर, (21) दरताड़ी रामसर ।

इसके अतिरिक्त गर्मी शुरू होने तक कोटड़ा ग्राम में भी सम्भवत: जल वितरण प्रारम्भ किया जावेगा ।

(2) जी नहीं । भू-जल विभाग के अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण के अनुसार ये गांव पोटेंशियल जोन ए-। के अन्तर्गत आते हैं । पोटेंशियल जोन ए-। के क्षेत्र में रिचार्ज नहीं के बराबर होने के कारण उपलब्ध पानी को मनुष्यों के एवं पशुओं के पीने हेतु सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई है। अत: इन गांवों में कृषि हेतु पानी उपलब्ध नहीं है ।

राज्य में बैकवर्ड क्लासेज में सम्मिलित जातियों की सूची

670. श्री शिवचरणसिंह (बयाना): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य में बैकवर्ड क्लासेज में सम्मिलित जातियों की सूची पर पुनः विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में जाट, अहीर, माली, गुजर, कुरमी, धाकड़, राजपूत बैकवर्ड क्लासेज में है ?

(3) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेज को भी सेवाओं में आरक्षण है ?

(4) क्या इस प्रकार राज्य सरकार भी करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी कोई पुनः विचार प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। उत्तर प्रदेश में केवल अहीर, माली, कुरमी, गूजर जातियां अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित है। राजपूत, जाट व धाकड़ पिछड़ी जातियों में सम्मिलित नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सालयों में दवा खरीदने की टर्म्स

671. श्री लालशंकर हंडोर (सागवाड़ा) श्री नाथूराम (बागीदोरा): चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1978-79 में राजस्थान के चिकित्सालयों में सरकार द्वारा रोगियों के लिए दवा खरीदने वाली फर्मों के लिए कुछ शर्ते निर्धारित कर एक टेण्डर का प्रोफार्मा टर्म्स एवं कण्डीशन्स के फार्म के साथ टेण्डर फार्म खरीदने वाली फर्मों को दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग एक में वर्णित प्रोफार्मा के परिच्छेद 2 (ए) में यह शर्त थी कि जो फर्म जिन दवाओं का नाम सप्लाई करने का टेण्डर देवे तो उन दवाओं का नाम सप्लाई करने वाली फर्मों के मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स में अंकित होना आवश्यक है जो कथित फर्म बनाती है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के दो भाग में वर्णित शर्त के अनुसार मैसर्स थायो फार्मा, फालना जिसने अपना टेण्डर मैसर्स ट्रेड सेन्टर कम इण्डस्ट्रियल म्यूजियम, जयपुर के द्वारा वर्ष 1978-79 में दवा सप्लाई करने के लिये जुलाई, 1977 में सरकार को प्रस्तुत कर उसके साथ मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स संलग्न किया है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन दवाओं का नाम अंकित था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग दो में वर्णित शर्त के अनुसार मैसर्स थायो फार्मा, फालना द्वारा टेण्डर देने की तिथि तक प्रस्तुत मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस में कई दवाओं का नाम अंकित नहीं था फिर भी उन दवाओं की सप्लाई के लिए टेण्डर स्वीकार कर लिया ? यदि हां तो उन दवाओं के नाम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग 4 में वर्णित त्रुटि का ध्यान सरकार की ओर आकर्षित किया गया तो प्रश्न के भाग तीन में वर्णित फार्म के मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स में उन दवाओं का नाम अंकित करने की स्वीकृति दे दी जिनका नाम टेण्डर देने की तिथि को कथित लाइसेन्स में अंकित नहीं था ? यदि हां, तो इस पक्षपात के लिए कौन अधिकारी दोषी है और मैन्यूफेक्चरिंग

(श्री लालशंकर-श्री नाथूराम)

लाइसेन्स में अन्य दवाओं का नाम जोड़ने की स्वीकृति किस तारीख को किस अधिकारी द्वारा जारी की गई ?

प्रश्न के भाग तीन में वर्णित फर्म के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेन्स में टेण्डर देने की तिथि को जिन दवाओं का नाम अंकित नहीं था उन्हें स्वीकार क्यों किया गया ? इन दवाओं का टेण्डर अस्वीकार क्यों नहीं किया गया ? जबकि अन्य फर्मों की दवायें जो टेन्डर देने की तिथि को मैन्यूफैक्चरिंग लाईसेन्स में अंकित नहीं थी उन दवाओं की सप्लाई के टेण्डर इसी कर्मा के आधार पर अस्वीकार कर दिये गये थे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 में दवाइयों को क्रय करने से सम्बन्धित टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स जो निर्धारित की गई थी वह संलग्न है।

(2) टेण्डर मैसर्स ट्रेड सेन्टर कम इण्डस्ट्रियल म्यूजियम, जयपुर जो कि राजस्थान लघु उद्योग निगम के तहत एक राजकीय प्रतिष्ठान है, ने दिया है। ट्रेड सेन्टर द्वारा थायो फार्मा की निर्मित दवाइयां सप्लाई करने हेतु कहा गया है। जिसमें थायो फार्मा, फालना टेण्डर के साथ मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स संलग्न है परन्तु दवाइयों की सूची संलग्न नहीं थी।

(3) स्टोर परचेज कमेटी, के निर्णय दिनांक 27,28-9-77 के संदर्भ में उन सभी स्वीकृत फर्मों से जिन्होंने टेण्डर प्रस्तुत करते समय मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस एवं दवाईयों की सूचियां प्रस्तुत नहीं की थी मांग ली गई। उपरोक्त फर्मों की सूची जिनसे यह चित्रा मांगी गई संलग्न है। ड्रग्स एवं कोसमेटिक एक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त दवाइयां बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेन्स धारी के लाइसेन्स की चालू अवधि में अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर स्वीकृति दे दी जाती है। स्वीकृति देने से पूर्व उद्योग की क्षमता एवं ड्रग्स एक्ट के अन्तर्गत अन्य सभी शर्तों को पूरा करने पर ही दी जाती है। अतिरिक्त दवाईयों की स्वीकृति जो टेण्डर प्राप्त होने के पश्चात दी गई है उनकी सूची संलग्न है।

(4) विभाग को जो शिकायत प्राप्त हुई व ट्रेड सेन्टर को ड्रग लाइसेन्स देने से सम्बन्धित है। ड्रग लाइसेन्स मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया जाता है जो कि दवाईयों की सप्लाई करने से पूर्व दिया जा सकता है मैसर्स ट्रेड सेन्टर को ड्रग लाइसेन्स की स्वीकृति उनके आवेदन-पत्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जयपुर द्वारा नियमानुसार दी गई। जहां तक अतिरिक्त दवाइयों की मैन्यूफैक्चरिंग की स्वीकृति का प्रश्न है यह सामान्य निर्णय राजकीय हित में टेन्डर्स की टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स के अन्तर्गत लिया गया है जो उन सभी फर्मों, स्वीकृति फर्मों पर लागू है जो पांच वर्ष से अधिक समय से ड्रग्स एवं मेडिसन्स बना रही है जो कि सभी प्रकार की फर्मों पर लागू है। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है और न ही किसी संस्था को लाभ पहुँचाने का ध्येय है।

(5) टेन्डर के साथ जिन स्वीकृत फर्मों ने दवाईयों की सूची संलग्न नहीं की थी उन सभी फर्मों से सूची मांगी गई ऐसी किसी भी स्वीकृत फर्म का टेण्डर जिनके पास पांच वर्ष से अधिक का मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स और अतिरिक्त दवाईयों की सूची बाद में प्रस्तुत की है, विभाग द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया।

List of firms from which manufacturing licence alongwith list of manufactured items has called as per recommendation of stores Purchase Committees.

S. No. 1	Name of firm. 2	Information called vide letter No. date. 3
1	M/s Associated Laboratories, Bombay.	Letter No. 22840 dt. 19.10 77
2	,, Bakshi Pharmaceutical of Cosmetics, Jaipur.	Letter No. 23397 dt. 25, 10.77.
3.	,, The Boots Co. (I) Ltd. Bombay.	Letter No. 22836 dt. 19. 10. 77.
4	,, Abbott Laboratories(I)Pvt. Ltd. Bombay.	Letter No. 22843 dt. 19. 10. 77.
5.	,, Biological Evans Ltd. Hyderabad.	Letter No. 22834 dt. 19. 10. 77
6.	,, Bombay Drug House, Pvt. Ltd. Bombay.	Letter No. 22833 dt. 19 10. 77.
7.	,, Beacon Pharmaceuticals. Bombay.	Letter No. 22832 dt. 19 10. 77.
8.	,, Cadila Laboratories, Ahmedabad.	Letter No. 23400 dt. 25. 10. 77.
9.	,, Carter Wallace Ltd. Bombay.	Letter No. 23407 dt. 25. 10. 77
10.	,, Dolphini Laboratories, Calcutta.	Letter No. 23405 dt. 25. 10. 77.
11.	,, East Indian Pharmaceutical works, Ltd. Calcutta.	Letter No. 23402 dt. 25. 10.77.
12.	,, Eisen Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Poona.	Letter No. 23401 dt. 25. 10. 77
13.	,, Gluconate Ltd. Calcutta.	Letter No. 23416 dt. 25. 10. 77.
14.	,, Gujrat Pharmaceutical & Chemical Works, Ahmedabad.	Letter No. 23415 dt. 25. 10. 77.

Page No 137

137

1		2	3
15.	M/s	Jai Chemical & Pharmaceuticals works, Jaipur.	Letter No. 23413 dt, 25. 10. 77.
16	,,	Jagson Pal & Co. Delhi.	Letter No. 28412 dt. 25. 10. 77.
17.	,,	Jaipur Pharmaceutical works, Jaipur.	Letter No. 23411. dt. 25.10 77.
18	,,	Khandelwal Laboratories, Pvt. Ltd. Bombay.	Letter No. 23409 dt. 25.10.77.
19.	,,	Kemp & Co. Ltd. Bombay.	Letter No. 23410 dt. 25.10. 77.
20.	,,	Life Pharmaceutical Pvt. Ltd. Calcutta.	Letter No. 23418 dt. 25.10.77.
21	,,	Mahaveer Medical Hall, Jaipur.	Letter No 26549 dt. 15. 12. 77.
22	,,	Metropolitan Drugs & Chemical Co. Bombay.	Letter No. 23419 dt. 26. 10. 77.
23	,,	Metro & Golden Laboratories, Bombay.	Letter No. 23420 dt. 26. 10. 77
24	,,	Martin & Harris (Pvt.) Ltd. Jaipur.	Letter No. 23421 dt. 26. 10. 77.
25	,,	Medicals Pvt. Ltd. Bangalore.	Letter No. 23422 dt. 26. 10. 77.
26	,,	Megaw Revindra Laboratories. (I) Ltd. Ahmedabad.	Letter No. 23423 dt. 26. 10. 77.
27	,,	National Pharmaceuticals, Bombay.	Letter No. 23426 dt. 26. 10. 77
28	,,	N. B. Pharma, Sonepat.	Letter No. 23432 dt. 26. 10. 77.
29	,,	Orient Pharma, Pvt Ltd. Madras.	Letter No. 23432 dt. 26. 10. 77.
30	,,	Polypharm Pvt. Ltd. Bombay.	Letter No. 23431 dt. 26.10. 77.

1	2	3
31.	M/s Pfizer Ltd. Jaipur.	Letter No. 23434 dt. 26. 10. 77.
32	,, Rallis India Ltd, Bombay.	Letter No. 23435 dt. 26. 10. 77.
33	,, Syrup Thiokof Mfg. Co.(I) Bombay.	Letter No. 23436 dt. 26. 10. 77.
34	,, Sims Laboratories, Ahmedabad.	Letter No. 23442 dt. 26. 10. 77.
35	,, Sarabhai Chemicals, Jaipur	Letter No. 23442 dt. 26. 10. 77.
36	,, Sigma Laboratories, Bombay	Letter No. 23438 dt. 26. 10. 77.
37	,, Trade Centre Cum Industrial, Museum Jaipur	Letter No. 23448 dt. 26. 10. 77
38	,, Therachem Laboratories, Bombay.	Letter No. 23444 dt. 26. 10. 77
39	,, Themis Pharmaceuticals, Bombay.	Letter No. 23446 dt. 26. 10. 77
40	,, Universal Pharmacy, Nagpur	Letter No. 23464 dt. 26. 10. 77.
41	,, Unique Pharmaceuticals. Labs, Bombay.	Letter No. 23447 dt. 26. 10. 77,
42	,, Vaps Laboratories, Bombay	Letter No. 23452 dt. 26. 10. 77
43	,, Wockhardt Pvt. Ltd. Bombay.	Letter No. 23449 dt. 26. 10. 77.
44	,, Warner Hindustan Ltd. New Delhi.	Letter No. 23450 dt. 26. 10 77.
45	,, Wardec Chemical Works, Jaipur.	Letter No. 23454 dt. 26. 10. 77.
46	,, Chark Pharmaceutical Bombay.	Letter No. 23406 dt. 25. 10. 77.

S.No. 1	Name of firm 2	Permission No. & date. 3	Name of item 4
1	M/S Kesla Laboratories, Raghu Marg, Alwar.	8564 dt. 11.10.77	Change of name from Tpyphex to Kmycetine and Lysimeuron to Proplex.
2	M/S Kiwi Pharmaceuticals Jaipur	8646 dt. 6.10.77	*Anmol* Each Tablet contains:— Analgin I.P 250 mg. Paracetemol I.P. 250 mg. Chlorphiniramine Maleate I P. 2 mg. Diazepam B.P. 2.5 mg.
			Butoxil Each tablet contains:—Ethambutol Hcl. B. P. 200 mg.
	—do	8386 dt. 6.10.77	Ephedrine Tablet I P. 15 mg.
		—do—	Permitted to manufacture Chlorphiniramine Maleate tablet from U. S. P. to I. P. standard.
3	M/S Umesh Parma, Abu Road	8227 dt. 11.10.77	Mayanesium Trisilicate Compound N FI Tablets.
4	M/S Archem Laboratories Jaipur.	10463 dt. 13.12.77	*Oodrex Syp.* Each 5 ml. contains:—Chlorpheniramine Maleate I.P 0.85 mg. Codine Phosphate

Page No 140

(140)

1	2	3	4
			I P. 2.5 mg. Ephedrine Hcl I.P. 10 mg. Sprit Chloroform I. P. 1% Flavoured syp. base Q. S. Change in formulation 1 Multivit Drops 2 Tetracycline Eye Ointment I.P.
5	M/S Chemitek Lab., Jaipur.	8647 dt. 11.10.77	1 Capsul Ampillin I.P. 2 Cap. Tetracycline phosphate Complex N.F. 3 *Antimal Syrup* Each 5 ml. contains:—Chloroquine phos. 63 mg. I.P. Sprit Chloroform I.P. 1% Base Qs. to 5 ml.
	-do-	713 dt. 17.1.78	Oxytetracycline B. Vit. Codex Injection
6	M/S Paras Drug & Chemical Ind., Chittora Renwal.	8646 dt. 11.10.77	1 Pheniramine Maleate 4 mg. 2 Pheniramine Maleate 10 mg, 3 Phenyl Butazone Tab. 100mg. N.F.I. II edition
7	Nagar Chemical Alwar.	8099 dt. 7.9.77	1 Calcium Gluconate tab. I.P. 2 Calcium Lactate Tab. I.P, 3 Diethyigarbamazine Citrate tab. I.P.

1	2	3	4
			4 Fruscimide Tab. I.P.
			5 Reserpine Tab. I.P.
			6 Stilboestrol Tab. I.P.
			7 Metrandidazol Granules.
			8 Furazolidone Tab. U.S.S.R.P.
			9 Chlorpromazine Tab. I.P.
			10 Thiacetozone Tab. I.P
			11 Pheniramine Maleate I.P Sup.
			12 Isniazid & Thiacetazone Tab. I.P.
			13 Methyldopa I.P.
			14 Tolbutamide I.P. Tab.
		309 dt 10.2.78	1 Hexa Vitamin Capsules N.F.
			2 Tetracycline Tab. I.P.
			3 Vitamin B Complex Tab. Prophylactic. N.F.I.
			4 Vitamin B Complex with Vitamin C and Folic Acid Tab.
			5 Haxe Vitamin Tab N.F.
			6 *Nagarquin Cap.* Each capsule contains:— Chloroquine Phosphate I.P. 250mg.
8	M/S Boro Mac Pharmeuticals Jaipur.	10471 dt. 21.12.77	Tetracycline Eye Ointment I.P.

(142)

1	2	3	4
9	M/S Simon Pharmaceutical	10238 dt. 13.12.77	*S-Muktaa* Each tab. contains Acetyllsalicylic Acid I.P. 200 mg. Phenecitine I. P. 150 mg. Ceffeine I.P.30mg.
10	M/S Onex India, Jaipur.	9167 dt. 13.12.77	Change of name:- 1 "Onozyma" to "Enazyma" 2 "Enazyma to "Onozyme" 3 "Enapar to containing. Piprazine Hexahydrate in 5 ml.
		58 dt. 9.1.78	*Enachlor* Each 5 ml. contains:--Chloramphenicol(as Chloramphenicol palmitate B. P. C. 125 mg. *Parastrep* Each 5ml. contains:-Chloramphenciol (as chloramphenicol Palmitate B.P.C.) 125 mg. Strepectomycin(as streptomycin Sulphate I.P.) 125mg *Tetracycline suspension I.p.* Each 5 ml. contains:-Tetrcycline Hydrocholride I.P. 125,ml.
11	M/S Thioa Phorma.	3.1.78	47

पंचायत नया ग्राम के भू. पू. सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

672. श्री सूर्यप्रकाश (खैरवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री कन्हैयालाल एस.एच.ओ. एवं हैड कांस्टेबल श्री दुरजनसिंह द्वारा भूतपूर्व सरपंच श्री पूनमचन्द पंचायत नया गांव पर कार्यवाही की गई, वह सन्तोषप्रद है ?

(2) उक्त भूतपूर्व सरपंच श्री पूनमचंद द्वारा किये गये पटेलों पर हमले से सम्बन्धित तथ्य सही होने पर भी इसे आज तक दंडित क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन खैरवाड़ा के एस.एच.ओ. ने श्री जीतमल जैन द्वारा फूटाला मर्डर केस को एफ. आर. (अदम सबूत) बनाया ?

(4) क्या इस तरह के मर्डर केस में शिथिलता लाना उपयुक्त है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस सिलसिले में मुकदमा नं. 65/77 धारा 324/323/504/447/34 आई. पी. सी. में मुलजिमान पूनमचन्द व अन्य तीन व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश अदालत किया जा चुका है । जो विचाराधीन अदालत है ।

(3) जी नहीं । फूटाला मर्डर केस में मुलजिमान का पता न लगने के कारण एस. एच. ओ. द्वारा एफ. आर. अदम पता में दिनांक 17-11-77 को दी गई ।

(4) इस मर्डर केस की तफ्तीश पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा पुनः डी. आई. एस. पी. सलुम्बर की निगरानी में करवाई जा रही है ।

मांडलगढ़ क्षेत्र के वन

673. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र वन सम्पदा में भीलवाड़ा जिले में प्रमुख स्थान रखता था और जंगल में खूब शेर थे ? यदि हां, तो अब जंगलों की क्या स्थिति है?

(2) पूरे माण्डलगढ़ क्षेत्र में कितना जंगल था अब सुरक्षित जंगल कितना बचा है और खुला जंगल कितना है ?

(3) क्या खुले जंगल को फिर से हरा भरा करने की योजना चालू है ? यदि हां तो इन दस वर्षों में कितने क्षेत्र में पेडोक्स लगाये जा चुके है और आगामी योजना कितने क्षेत्र में पेडोक्स लगाने की है ?

उत्तर

(1) जी हां । कालान्तर में जंगलों के घनत्व एवं विस्तार में कमी हुई है ।

(2) पूरे मांडलगढ़ क्षेत्र में 46291 हैक्टेयर जंगल था, अब इस क्षेत्र में 45707 हैक्टेयर वन क्षेत्र बचा है जिसमें से 27229 हैक्टेयर खुला जंगल है ।

(3) जी हां । पिछले वर्षों में 8478 हैक्टेयर वन क्षेत्र में विकास कार्य किये जा चुके हैं । आगामी पांच वर्षों में 800 हैक्टेयर क्षेत्र में पेडोक्स लगाने की योजना है ।

जोधपुर नगर विकास न्यास और सब डिवीजन प्लान की स्वीकृति

674. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदार पुरा) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जोधपुर में विभिन्न भू-सम्पत्तियों को 'सब डिवीजन प्लान' की स्वीकृति के बावजूद भी क्या नगर विकास न्यास द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अन्तर्गत, भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति देने से पूर्व, डवलपमेंट राशि को आवेदन कर्ता से मांग की जाय? अगर हां, तो प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कथित प्रस्ताव क्या नियमानुसार है? अगर नहीं, तो नागरिकों को क्यों परेशान किया गया? राज्य सरकार इस संबंध में क्या निर्देश देना चाहेगी?

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्ताव संख्या दिनांक 7-12-77 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान सब डिवीजन नियम 1964 व 1974 के अनुसार भूस्वामी से विकास राशि वसूल करने का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत न्यास विकास राशि वसूल कर सकती है।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर बैठक दिनांक 7-12-77

प्रस्ताव सं. 8:-भू-विभाजन योजनाओं के नक्शे पारित करने का मामला

अधिशाषी अभियन्ता ने बताया कि कई पूर्व स्वीकृत भू-विभाजन योजनाओं की पूर्ण विकास राशि जमा न होने के कारण बिल्डिंग प्लान पारित करने में जनता को कठिनाई हो रही है। अतः उचित निर्देश दिए जाएं। विचार विमर्श के पश्चात तय हुआ कि ऐसी प्रत्येक योजना की प्रतिवर्ग गज विकास राशि निर्धारित कर ली जाये। तत्पश्चात् ऐसी अविकसित योजनाओं में बिल्डिंग प्लान अनुपातिक विकास राशि जमा होने के बाद ही स्वीकृत किये जाए अन्यथा नहीं। राज्य सरकार को भी न्यास नीति से अवगत करवा दिया जावे।

बिजलीघर कर्मचारी यूनियन, जोधपुर का मामला

675. श्री नूरा (मसूदा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बिजलीघर कर्मचारी यूनियन (एटक सम्बन्धित) जोधपुर द्वारा गत माह में राज्य सरकार को सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन, ग्रेच्युटी के भुगतान व मिसक्रेडिट्स के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया? यदि हां, तो उस ज्ञापन के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या देशी रियासतों के समय पावर हाउसेज में लगे कर्मचारियों को इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल विभाग बनने के पश्चात तथा तत्पश्चात् विद्युत मण्डल बनने के उपरान्त जो व्यक्ति सेवा निवृत हुए उनके सभी केसेज का निपटारा किया जा चुका

(श्री नूरा)

है ? यदि नहीं, तो विवाराधीन केसेज की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इन केसेज के निपटारे में होने वाले विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के प्रति राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन, ग्रेच्युटी का भुगतान कब तक दिलाया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, ज्ञापन बिजली घर कर्मचारी यूनियन (एटक) जोधपुर से प्राप्त हुआ था, जिसमें 37 कर्मचारियों, जो जोधपुर भविष्य निधि योजना के सदस्य थे, के भविष्य निधि भुगतान के बारे में लिखा था इसके उत्तर में पत्र संख्या 122 दिनांक 8-3-78 द्वारा उन्हे सूचित कर दिया गया था कि महालेखाकार राजस्थान द्वारा इनमें से 19 कर्मचारियों को अंतिम भुगतान तथा 17 को आंशिक भुगतान किया जा चुका है। बचा हुआ एक केस वांछित सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण पेंडिंग पड़ा है जिसके लिये सूचना प्राप्त कर निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(2) भूतपूर्व रियासतों में कार्यरत कर्मचारी जिनका समायोजन इलेक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल डिपार्टमेंट बनने पर अथवा तत्पश्चात राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का गठन होने पर जिन कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति समय समय पर होती रही है, उनके पेन्शन और ग्रेच्युटी के केसेज भी उनके सेवा निवृत्ति के साथ साथ तय किये जाते रहे हैं। जिन कर्मचारियों के पेन्शन और ग्रेच्युटी केसेज का अब तक निपटारा किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) बकाया केसेज में विलम्ब अनेकों कारणों यथा सुपरन्यूमेरेरी पद का न होना सर्विस वेरीफिकेशन न होना, संबंधित कर्मचारियों को ओवर ऐज में नियुक्त होना, उनका अस्थाई होना तथा महालेखाकार द्वारा चाही गई अनेकों आपत्तियां पूरी नहीं होने आदि कारणों से हुई हैं। सेवा निवृत्त व्यक्तियों की तकलीफों के निवारण हेतु मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी 1-4-74 अथवा उसके बाद सेवा निवृत होंगे उनके केसेज के निपटारे स्वयं मण्डल द्वारा किये जावेंगे तथा राज्य सरकार की सेवा अवधि के अंशदान बाद में मण्डल महालेखाकार/सरकार से वसूल करता रहेगा। इनके अलावा मण्डल ने पेन्शन केसेज निपटाने के लिये जो अधिकारी कार्य करते हैं उनका मुख्य अभियन्ता कार्यालय से स्थानान्तरण कर उन्हें सीधा अपने अधीन ले लिया है ताकि मामलों में निर्णय लेने में विलम्ब न हो। साथ ही कार्य तेजी से करने के लिये इस कक्ष में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही मण्डल ने दिनांक 21-3-78 को आज्ञाएं जारी कर ओवर एज में हुई नियुक्तियों को नियमित करने, अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने आदि के आदेश जारी किये हैं। आशा है इन सब प्रयासों से बकाया मामले बहुत शीघ्र ही निपटा दिये जावेंगे।

(146)

बकाया पेन्शन केसेज की तालिका

क.सं.	नाम एवं पिता का नाम	पद	सेवा निवृत्ति की दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5
1.	आलम खां पुत्र श्री बहादुर खां	एस.ए.ए.	13-6-67	
2.	स्व. श्री भमरी लाल चौबे	यू.डी.सी.	10-6-62	
3.	श्री अजीम बक्स पुत्र श्री इन्तुल बक्स	हैल्पर II	7-11-63	
4.	श्री अलाहनूर पुत्र श्री रहीम बक्स	मैक-1	30-6-77	प्रोविजनल भुगतान किया
5.	श्री भूरालाल पुत्र श्री कल्याणजी	ड्राइवर	12-7-69	मृत्यु
6.	श्रीमती बस्तोरदेवी	स्वीपर	19-2-73	मृत्यु
7.	श्री बुलाकी पुत्र श्री रामूजी	ई. एस.	30-6-77	
8.	श्री भीन्या पुत्र श्री विरदा	हैल्पर-II मृत्यु	10-5-74	प्रोविजनल भुगतान किया
9.	श्री भवानीशंकर पुत्र श्री गिरधारी	लाइनमैन-I	1-7-77	प्रोविजनल भुगतान किया
10.	श्री बी. एल. कौशिक पुत्र श्री जे.एन.कौशिक	सी.ई.	30-6-75	
11.	श्री भैरों पुत्र श्री गणेश	टूल कीपर	10-7-75	
12.	श्री भैरों पुत्र श्री विजय	हैल्पर-I	25-12-74	
13.	श्री बी. एन. कौशिक पुत्र श्री रामस्वरूप	एस.ई.	24-10-75	
14.	श्री चिरंजीलाल	फोरमैन-II	30-6-73	
15.	श्री छगन पुत्र श्री रूपा	लाइनमैन-II	3-10-74	(मृत्यु)
16.	श्री सी.पी. कृष्णास्वामी	एक्स.ई.एन.	29-2-76	प्रोविजनल भुगतान किया
17.	श्री छगन पुत्र श्री रामू	स्वीपर	30-6-76	

1	2	3	4	5
18.	श्री भूरसिंह पुत्र श्री नरसिंह	आर्टीजन-II	30-6-77	प्रोविजनल भुगतान किया
19.	श्री फते खां पुत्र श्री जगमल	आर्टीजन-I	30-6-77	प्रोविजनल भुगतान किया
20.	श्री गुलाम मोहम्मद	फिटर	8-1-72	
21.	श्री गोकुल राम पुत्र श्री नन्दराम	फिटर	30-6-77	
22.	श्री ज्ञान पुत्र श्री भारमल	हैल्पर-I	22-9-74	
23.	श्री गणेश पुत्र श्री भूधाराम	फिटर-II	23-9-76	
24.	श्री हेमराजकल्ला, का. अ.	पी.ओ.	3-2-74	
25.	श्री हेमा पुत्र श्री लिखमा	फिटर-I	30-6-77	प्रोविजनल भुगतान किया
26.	श्री हनुमान	ड्राइवर	30-6-77	प्रोविजनल भुगतान किया
27.	श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री नाहरसिंह	ई.एस.	5-8-77	प्रोविजनल भुगतान किया
28.	श्री झमन पुत्र श्री नाथन	पिओन-I	23-12-74	
29.	श्री के. बी. सिन्हा	ई.एस./जे. ई. एन.	1-3-67	
30.	श्री के. सी. वाटिया	एक्स.ई.एन.	24-4-74	
31.	श्री काना पुत्र श्री बालदेव	एक्जीलरी अटेन्डेन्ट	16-10-74	
32.	श्री कादर पुत्र श्री नूर मोहम्मद	लाईनमैन-I	1-5-75	मृत्यु
33.	श्री लुधिनचन्द पुत्र श्री सीताराम	हेल्पर-I	30-6-77	प्रोविजनल भुगतान किया
34.	श्री लालचन्द पुरोहित पुत्र श्री लक्ष्मणदास	एस.एस.ए.	30-6-77	

(50)

1	2	3	4	5
35.	श्री लक्ष्मणदास पुत्र श्री अमरदास	विग्रोन	30-3-73	
36.	श्री एल. एस. पंडित	एक्स.ई.एन.	27-10-75	
37.	श्री मानी शंकर शर्मा	ई.एस.	2-11-74	
38.	श्री मोहम्मद शफी	ड्राइवर	5-4-76	मृतक
39.	श्री मोती पुत्र श्री कालू	हेल्पर-I	17-7-76	
40.	श्री नवलदास	ई.एस.	31-12-77	प्रोविजनल भुगतान किया।
41.	श्री एन. आर. सेन गुप्ता	ए.ई.एन.	10-11-75	
42.	श्री पन्ना पुत्र श्री कृष्णा	मिस्त्री	7-5-55	
43.	श्री पुरुषोत्तम लाल पाठक पुत्र श्री श्यामसुन्दर	इंजिन ड्राइवर-I	31-5-77	
44.	श्री पदमसिंह	ए.ई.एन.	28-4-74	मृतक
45.	श्री डी. पी. डी. पी. श्रीवास्तव	एस.ई.	8-3-75	मृतक
46.	श्री पन्नालाल	ड्राइवर-II	7-8-76	मृतक
47.	श्री आर. के. सक्सेना	ए.ई.एन.	21-6-71	
48.	श्री रुघा पुत्र श्री मूलाराम	बी/ अटेन्डेंट	30-6-77	
49.	श्री रूपनारायण श्रीवास्तव	वायरमैन	15-3-71	मृतक
50.	श्री रामकिशन	ई.एस.	15-10-77	
51.	श्री रामलाल जोशी पुत्र श्री आनंदलाल	ए.ए.ओ	30-9-76	
52.	श्री एस. एल. दुबे	अकाउन्टेंट	3-10-67	
53.	श्री समरथ राम	लाइनमैन-I	8-10-70	
54.	श्री सज्जनसिंह	ड्राइवर	17-5-58	
55.	श्री सुखराज जोशी	ए.ओ.	25-10-75	

1	2	3	4	5
56.	श्री सुखदेव पुत्र श्री टीकमदास	आर्टीजन-I	30-6-77	प्रोविजनल भुगतान किया
57.	श्री सज्जनसिंह	फोरमैन-I	5-2-76	
58.	श्री शंकरसिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल	वायरमैन	30-6-72	
59.	श्री टहलराम पुत्र श्री भूराराम	हैल्पर-I	30-6-77	प्रोविजनल भुगतान किया
60.	श्री जे. एन. टीकू पुत्र श्री बालकराम	लाइनमैन-I	20-5-74	
61.	श्री लाधू पुत्र श्री चन्द्रा	पम्प ड्राइवर	30-6-77	
62.	श्री गोरधनदास व्यास पुत्र श्री राधा कृष्ण	यू.डी.सी.	31-10-77	प्रोविजनल भुगतान किया
63.	श्री रतनराज मेहता	फिटर-I	31-12-77	
64.	श्री मूलचन्द जोशी पुत्र श्री नेनूराम	ए.ओ.	31-5-77	
65.	श्री मुरलीधर पुत्र श्री नाथूराम शर्मा	एकाउन्टेंट	30-6-77	
66.	श्री स्व. छीतर पुत्र श्री माधो	लाइनमैन-I	2-4-76	मृतक
67.	श्री मोहनसिंह पुत्र श्री शिवनाथ	फिटर-I	1-1-76	मृतक
68.	श्री गोपाल पुत्र श्री देवनारायण	एस.बी.ए. मृतक	22-12-76	प्रोविजनल भुगतान किया
69.	श्री अम्बालाल पुत्र श्री गणेशराम	चौकीदार	30-6-77	
70.	श्री चौथू पुत्र श्री कटा	एक्लीजरी अटेन्डेंट	7-11-77	
71.	श्री फकीर मोहम्मद पुत्र श्री मोतीखान	लाइनमैन-I	31-12-77	
72.	श्री गोपाललाल पुत्र श्री विजयलाल	आर्टीजन-II	31-5-77	मृतक
73.	श्री हुसेनिया पुत्र श्री रसूल	लाइनमैन-I	31-12-76	
74.	श्री जेठमल किरदेव पुत्र श्री हनुमानदास	मीटर इन्सपेक्टर	18-9-77	
75.	श्री सेहू पुत्र श्री भूरा	हैल्पर-I	15-1-78	मृतक

चूरू जिले के गांवों की पीने के पानी की योजना

676. श्री मनीराम (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या लखुवाली हैड से चूरू जिले की तहसील तारानगर के गांवों के खारे पानी वाले इलाकों में पीने का पानी दिये जाने की कोई योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है ? यदि हां, तो इस योजना से इस क्षेत्र के लोगों को कब तक मीठा पानी पीने हेतु मिल सकेगा और चूरू जिले के कुल कितने गांवों को इस योजना से लाभ मिलेगा ?

उत्तर

लखुवाली हैड से निकलने वाली रावतसर ट्रिब्यूटरी में से गन्धेली स्थान से तारानगर तक पाइप लाईन डाल कर एक वृहत योजना लाई गई है। इस योजना को वर्ष 1981–82 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। इस योजना से चूरू जिले के कुल 201 ग्राम लाभान्वित होने की सम्भावना है।

मकराना में डाक बंगला

677. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मकराना में संगमरमर खरीद करने के लिये देश व विदेश से व्यापारी आते हैं जिनको सुविधा प्रदान कराने हेतु स्थानीय विधायक ने एक अपील मंत्री महोदय जी को दी थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वहां डाक बंगला अलग से बनाने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री महोदया से माननीय सदस्य ने अपील जरूर की थी परन्तु फिलहाल राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने में असमर्थ है।

राज्य की नगरपालिकाओं व नगर परिषदों की आय में चुंगी कर का प्रतिशत

678. श्रीमती नारंगी देवी (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नगरपालिकाओं व नगर परिषदों के आय में चुंगी कर का क्या प्रतिशत है ?

(2) क्या राज्य सरकार की चुंगी कर समाप्त करने की योजना है ? यदि हां, तो चुंगी कर से होने वाली आय की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) नगरपरिषदों, नगरपालिकाओं की आय में चुंगी कर का अंश लगभग 62 प्रतिशत है।

(2) इसके विचारार्थ राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया हुआ है।

शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति जन जाति के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची

679. श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जयनारायण सालोदिया)

शिक्षा विभाग में प्रथम व द्वितीय ग्रेड के कितने-कितने अध्यापक अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं ? क्या राज्य सरकार ने इनको पृथक से वरिष्ठता सूची तैयार कर ली है ? यदि सूची तैयार है तो क्या उनकी प्रतियां सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रदर्शन हेतु प्रसारित की है ? यदि सूची तैयार नहीं की अथवा प्रसारित नहीं की गई तो क्यों ? यदि सूची तैयार हो तो उनकी प्रति सदन की मेज पर भी प्रस्तुत की जाये।

उत्तर

प्रथम ग्रेड में 93 अध्यापक अनुसूचित जाति व जन जाति के हैं व द्वितीय ग्रेड में 880 हैं। सूचना जिलाधीश शिक्षा अधिकारी, बूंदी से अपेक्षित हैं। विभाग द्वारा नियमों में अनुसूचित जाति व जन जाति की पृथक से वरिष्ठता सूची बनाने के कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः अलग से सूची तैयार करने का अथवा उन्हें प्रसारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम भुण्डाणी में आयुर्वेद अस्पताल

680. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम भुण्डाणी तहसील भीनमाल जिला जालोर में आयुर्वेद अस्पताल खोलने का प्रस्ताव था ? अगर हां, तो अब तक न खोलने का क्या कारण है व कब तक खोला जायेगा ?

उत्तर

जी हां। स्वीकृत संख्या से अधिक औषधालय खोलना संभव नहीं था। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

ग्राम ईश्वर नगर तहसील केशोराय पाटन में बलात्कार की वारदात का मामला

681. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ईश्वर नगर तहसील केशोराय पाटन में विगत जनवरी माह में कोई बलात्कार की वारदात हुई है। यदि हैं, तो बलात्कार जिसके साथ किया गया और किसने किया नाम पिता का नाम जाति एवं घटना का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त बलात्कार कांड के विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही की थी ? यदि हां, तो क्या ? क्या बलात्कार के अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती कमला पत्नि श्री नाथूलाल कौम माली निवासी तीरथ के साथ श्री गोरधन पुत्र विरदा मीणा निवासी तीरथ द्वारा दिनांक 20-1-78 को बलात्कार करने की रिपोर्ट थाना केशोरायपाटन में दिनांक 23-1-78 को दर्ज कराई गई है। नकल प्रथम सूचना संलग्न है जिसमें पूर्ण विवरण दिया गया है।

(2) जी हां। दिनांक 23-1-78 को सूचना प्राप्त होने पर अभियोग नं0 10/78 धारा 376 ता०हि० दिनांक 23-1-78को दर्ज किया जाकर अन्वेषण जारी है। अभियुक्त दिनांक 26-3-78 को गिरफ्तार हो चुका है।

Page No 152

(152)

(अभियोग सं. 10/78 दिनांक 23-1-78)

"नकल प्रथम सूचना"

मु. कमला पत्नी नाथूलाल जाति माली उम्र 13 साल पेशा मजदूरी नि. तीरथ मय अपने पति नाथूलाल के हाजिर थाना आई और जबावी रिपोर्ट की कि मेरा पति गोरधन मीणा निवासी तीरथ के यहां हाली है। गये शुक्रवार की बात है, दोपहर को पति घर पर आया और कहा कि गोरधनीया के ईश्वर नगर वाड़ काटने को जाऊंगा। और तू भी चलती हो तो चल। गोरधनीया नें कहा कि तू रोटी बना लेना और वाड़ छोल देना। उसकी मजदूरी देगा। इस पर मेरा पति साईकिल पर चलने लगा और मैं गाड़ी में बैठ गई गोरधन गाड़ी चलाने लगा, करीब हम तीनों गुडली के आगे गए कि तीन छोरियां और एक लुगाई रस्ते में मिली, जो भी गाड़ी में बैठ गई थी मेरे पति को गोरधनिया ने आटा गेहूं पीसने बूंदी रोड भेज दिया। गोरधन के गम्नो के खेत के पास ही उनका भी खेत है वहां जा रही थी। करीब करीब खेत ओली तरफ उन छोरियों और औरत से कहा कि गाड़ी से उतरो। औरतें वहां उतर गई और एक गांठ गाड़ी में रह गई। गोरधन ने गांठ के लिए छोरियों से कहा कि मैं ले आऊंगा। उन औरतों को उतरने के वाद गोरधन गाड़ी को लेकर उसके खेत पर ले गया। मैं गाड़ी में थी। वहां पर उसका एक बिना छापा घर है जिसमें किवाड़ खोले और गोरधन ने गोडे बैलों का भुसा व साग सब्जी गाड़ी से उतार कर घर में रखे। गाड़ी में तिरपाल रह गया था जिसके लिए गोरधन ने मुझे कहा कि सारा सामान मैंने घर में रख दिया है, तू तिरपाल को रख। इस पर मैं गाड़ी में से तिरपाल उठा-कर घर में गई। ज्योंही मैं तिरपाल को घर के कोने में रखकर बाहर निकलने लगी तो गोरधन ने पीछे से घर में आकर मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया मैंने झंझोडा देकर हाथ छुड़ा लिया। मैं फिर चिल्लाई और उसने मेरी बाथ भर ली। नीचे जमीन पर डाल दिया मेरा घाघरा उठाकर के उसकी धोती की लांग खोलकर चड्डी में से दाहिनी तरफ से उसका लण्ड निकालकर मेरे मूतने की जगह में मेरी दोनों टांगें ऊंची करके घुसा दिया। मैं चिल्लाई। मैंने हाथों से काफी धकोया, पर नहीं माना। मैंने उसके हाथ की अंगुली में बटका भी भरा। गोरधन का धोला पानी निकल जाने के बाद मुझे छोड़-कर बाहर चला गया। मैं भी रोती हुई बाहर आ गई। गोरधन ने गांठ उठाकर उन औरतों को देने चला गया। आया तब मुझसे कहा कि नोट ले ले नरा नोट है। मैंने कहा कि तेरे नोटों का मैं क्या करूं, मैं तो कहूंगी। मैं रो रही थी, इतने में मेरा आदमी भी आ गया मेरे आदमी ने मुझसे रोने का कारण पूछा, इस पर मैंने सारी बात कही सुनाई। मेरे पति ने गोरधन से कहा कि तूने यह क्या किया, इस पर गोरधन भाग गया। फिर हम दोनों लोग लुगाई लेखा मीणा को लेकर घर पर चले गये। वहां पर लेखा मीणा के बेटे की औरत से मैंने सारी बात कह दी। रात को हम दोनों वहां लेखा मीणा के मकान पर रहे। हमें इसकी रिपोर्ट कहां करनी है, इसका पता नहीं है, रिपोर्ट में देरी हुई है। कार्यवाही फरमाई जावे।

नोट: – जबानी रिपोर्ट लिखवाई है जो मैंने बोलकर लिखाई सो सही है।

आयुर्वेद कालेज के विद्यार्थियों द्वारा भूख हड़ताल

682. **ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सच है कि 4 माह पूर्व आयुर्वेद कालेज के विद्यार्थियों ने अपनी मांग के समर्थन में भूख हड़ताल की थी और मन्त्री महोदय ने यह विश्वास दिलाया था कि मांगों के बारे में मन्त्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लेकर बाद में घोषणा कर दी जायेगी, यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या घोषणा की ? इसकी प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी हां । आयुर्वेद छात्र संघ समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार स्टाईपेंड की मांग उसी सूरत में मानने को तैयार है कि विद्यार्थियों वैद्यों के वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष न करें क्योंकि यह मांग उनसे सम्बन्धित नहीं है ।

ग्रामीण जल योजना, रोल की पानी की टंकी

683. **श्री रामदेव चौधरी** (मूण्डवा): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण जल योजना, रोल जिला नागौर की पानी की टंकी गिर चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि टंकी के निर्माण के समय ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सिक्यूरिटी एवं टैस्टिंग की राशि बिना टैस्टिंग कार्य के ही अधिकारियों की मिली-भगत से लौटा दी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि टंकी के निर्माण कार्य में खराबी होने की पूर्व में अधिकारियों को जानकारी थी एवं कार्य खराब होने का कोई रिमांड कर्मचारी अधिकारी द्वारा एस. वी. में दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त सिक्यूरिटी एवं टेस्टिंग की राशि बिना औचित्य के क्यों लौटाई गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि 1.50 लाख के नुकसान के लिए किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध आज तक अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों को नाजायज संरक्षण क्यों दिया जा रहा है ?

(5) क्या राज्य सरकार भी इन दोषी अधिकारियों—कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर दी जाएगी ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3, 4, 5) इस सम्बन्ध में जांच चल रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी । इस जांच में यदि कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अवश्य की जावेगी ।

भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने हेतु सुविधाएं

684. श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने के लिए ऐसी क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो अन्य लोगों को प्रदान नहीं की गई ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने हेतु कोई भी विशेष सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिक अधिकांशत: गांवों के निवासी हैं, अत: उद्योग लगाने में तथा उद्योगों के लिए लाइसेंस व कोटे देने में विशेषत: भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने के लिये कोई विशेष सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं।

(2) जी हां। फिलहाल राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। ऐसा अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाली की श्रम कालोनीज में पानी आदि की व्यवस्था

685. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली में महाराजा उम्मेद मिल' के सामने जो सरकार द्वारा बनाई हुई श्रम कालोनीज है उन कालोनीज में सड़कों की मरम्मत और डामर रोड तथा ड्रेनेज सिस्टम पानी की ठीक व्यवस्था व अन्य सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस्तियों में किसी प्रकार सुविधा नहीं होने के कारण मजदूरों को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) पाली में पिछले 15 सालों से बस्तियां बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा सड़कों, पानी के निकास, टट्टियों की व्यवस्था आदि पर कुल कितना व्यय किया गया ?

उत्तर

(1) श्रम कालोनी, पाली में पीने का पानी, नालियों, शौचालयों व कंकरीट सड़कों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सड़कों की मरम्मत, डामर रोड व ड्रेनेज प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है।

(2) यह सही नहीं है। श्रम कालोनी की स्वीकृत योजना के अनुसार पीने के पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था है।

(3) सड़कों, पानी के निकास की व्यवस्था पर खर्च श्रम विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। टट्टियां स्वीकृत योजना के अनुसार बनाई जा चुकी हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष पोषाहार कार्यक्रम

686. श्री कुंजीलाल (बामनवास)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष पोषाहार कार्यक्रम सुचारूरूप से चल रहा है ? यदि हां, तो किस किस जिले की किन किन तहसीलों व गांवों में ?

(2) चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च करने का लक्ष्य है उसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(3) अगले वर्ष कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष पोषाहार की योजना पर वर्ष 1977-78 में 14.00 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है और यह सारी राशि आवंटित की जा चुकी है ।

(3) वर्ष 1978-79 के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष पोषाहार एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम हेतु कुल 30.77 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भाखड़ा नहर क्षेत्र में खुद काश्त के लिये एलाट की गई भूमि

687. श्री श्योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भाखड़ा नहर क्षेत्र में भूतपूर्व जागीरदारों एवं भूतपूर्व विस्वेदारों को खुद काश्त के लिये भूमि कहां कहां व कितनी बीघा तथा किन किन लोगों को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) उपरोक्त आवंटनधारियों में कितने सरकारी अधिकारी हैं व वे किस पद पर थे ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(3) कितने अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके, कितने अभी राज्य सेवा में हैं व कितने लोक राजपत्रित अधिकारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(4) क्या यह सही है कि आंवटनधारी खुद काश्त नहीं कर रहे हैं व न ही आबाद हुए हैं, यदि हां तो कानून की अवहेलना के आरोप में कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

(5) कितने लोगों को खातेदारी अधिकार दिये गये व कितने लोगों को भूमि बेचने की मंजूरी दी गई ?

उत्तर

(1) भाखरा नहर क्षेत्र में भूतपूर्व जागीरदारों एवं विस्वेदारों को खुद काश्त के लिये जिन जिन लोगों को भूमि दी गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(158)

(उपनिवेशन मन्त्री)

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है, प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जायेगी।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जायेगी।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही हैं, प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जायेगी।

(5) सूचना एकत्रित की जा रही है, प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर नगर के नागरिकों की जान-माल को आवारा पशुओं से खतरा

688. श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में सूअर, बन्दर व आवारा पशुओं के कारण जनता के जान माल व ट्रेफिक के समक्ष एक खतरा बना हुआ है तथा बन्दरों द्वारा काटे जाने व माल को क्षति पहुँचाने से जन-जीवन त्रस्त है? यदि हां, तो नगर परिषद् जयपुर ने इन पर काबू पाने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

(2) जयपुर नगर परिषद् की सीमा में कुल कितने बन्दर व आवारा सूअर हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में सूअर, बन्दर व आवारा पशुओं की समस्या है। नगर परिषद् द्वारा वर्ष 77-78 में 7061 आवारा पशुओं, 1100 सूअरों को पकड़ा गया।

(2) बन्दरों व सूअरों की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार हैं :—

बन्दर	लगभग 1000
सूअर	लगभग 3000

राज्य की सिंचाई परियोजना

689. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितनी और कौन कौन सी सिंचाई परियोजना पूरी हो चुकी है और कौन कौन सी निर्माणाधीन है ? कृपया वृहद् मध्यम और लघु परियोजनाओं की अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? जो परियोजनाएं Self Supporting बन चुकी हैं उनके आय के क्या साधन है ?

(2) जो परियोजनाएं Self Supporting नहीं बन सकी है उनके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) प्रथम योजना से वर्ष 1977-78 तक एक वृहद, 47 मध्यम, व 536 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। 7 वृहद, 12 मध्यम व 38 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। अब तक पूर्ण की गई परियोजनाओं में भाखरा परियोजना सैल्फ सपोर्टिंग हैं जिससे सिंचाई राजस्व ही आय का स्रोत है।

(2) पूर्ण की गई सिंचाई परियोजनाओं में भाखरा के अतिरिक्त कोई भी परियोजना सैल्फ सपोर्टिंग नहीं है। इसका मुख्य कारण सिंचाई की दरें बहुत कम होना है।

वृहद् एवं मध्यम सिचाई योजना पूर्ण की गई की सूची

वृहद् कार्य

1 भाखरा

मध्यम कार्य

1 नमानो
2 खारी फीडर
3 कालाभाटा
4 बाजोलिया
5 बैंडच एट वल्लभनगर
6 बैंडच एट बडगांव
7 जटवाड़ा
8 रेजिंग नाहर सागर
9 देवरिया
10 रेजिंग उम्मेद सागर
11 अखार
12 खारी
13 सरेरी
14 मेजा
15 गाडोला
16 गम्भीरी
17 ओराई
18 जाखम पार्ट प्रथम पिक अप वियर
19 कान्सरी
20 लोडीसर का नाका
21 नारायण सागर
22 गलबा
23 मांसी
24 भरतपुर फीडर
25 पार्वती
26 नीदड़
27 जग्गर
28 काली सिल
29 सूरणानिया
30 मोरेल
31 परवान
32 अलनिया
33 बूंदी का गोटड़ा
34 गुडा
35 बांकली
36 बाईबलपुरा
37 गिरिनन्दा
38 रेजिंग आफ हेमावास
39 जवाई
40 जौरा
41 मूला
42 वेस्ट बनास
43 सुरवानिया
44 जेतपुरा
45 सेई परावर्तन
46 गोपालपुरा
47 कालीसिन्ध पिक अप वियर

Page No 158

158

लघु सिंचाई योजना पूर्ण की गई की सूची

क्र.सं. 1	नाम कार्य 2	क्र.सं. 1	नाम कार्य 2
1	वड़ा तालाब (मदार)	32	लोडा टैंक
2	फतेह सागर	33	बदीचाल टैंक
3	लाखावाली टैंक	34	खोमस टैंक
4	उदयसागर	35	सेनवासा
5	यूर पिक अप वीयर	36	अरवास
6	बगार टैंक	37	सूखी सीली
7	पोखरी	38	वाकला
8	आमवोरा का टैंक	39	चोकला
9	हरचन्द टैंक	40	कूपडा
10	पिचोला टैंक	41	गोरवों
11	भीम का नाका	42	वागीडोरा
12	जयसमन्द नहर व टैंक	43	पटेला एक झालन'वाला
13	टीटोड़ी	44	रामवाला
14	भोपाल सागर	45	रामभावली
15	वारजल	46	इनटोका वदा
16	सोमग्रास	47	जनोदा
17	नाका जसवन्तपुर	48	दादोन
18	आमनेकर	49	गिलान्ड
19	भेरु खेडा	50	तुराकिया
20	मानसागर	51	मेयदा
21	सोलोटा	52	अचलपुरा
22	भराई टैंक	53	बानीना
23	गावगुडा	54	कसरखेदी
24	गोडच	55	माईला टैंक
25	सालोदा टैंक	56	बाटेला टैंक खूंचिया
26	केलवाडा टैंक व नहर	57	खटवादा
27	उदीनाला टैंक	58	बड़ा तालाब भदा सारोल
28	कुशलपुरा	59	ठाकरदा
29	पादोती बगीचा	60	खेरा कचवा
30	मोरेली बिजली	61	बावरी टैंक
31	अखेपुर	62	बंशी टैंक

Page No 159

(159)

1	2	1	2
63	छमी टैंक	96	संतुरिया
64	उबरदा टैंक	97	प्रेम सागर
65	रास्ता	98	भयेला सागर
66	अखेपुर	99	सोनियाना टैंक
67	गन्डवा	100	कालाखेडा
68	लक्ष्मण सागर	101	सरगांव
69	कनवास	102	रुपारेल
70	सन्सोलपुर	103	हिया सागर
71	मागेर	104	बाजुम्डा
72	अगेरतिया	105	बगलास
73	मथाला	106	कराल
74	देवालवाला	107	जनतुठा
75	नया तालाव घटोद	108	छांवनी
76	बाजोरा	109	भर्चरक
77	पुन्मपुर (पुन्जेला)	110	कुशाल सागर
78	मेन का नाका	111	दांता
79	नरवाला	112	ह्वालेर
80	लक्ष्मीसर	113	कसुनिया
81	माधोपुर	114	थाला टैंक
82	मालेला	115	जालोरा टैंक
83	भयानीपुरा	116	जोडीया
84	खटोला	117	हरसोरा
85	इनकरिया	118	दादीया टैंक
86	सागरिया	119	बगोला टैंक
87	छोतीसिया	120	छपरा टैंक
88	रावतवाला	121	किसन सागर
89	फतेहसागर	122	मेन नहर डील बन्द
90	कुरजिया टैंक	123	भेसवा गाईड बूंद
91	नीव का खेडा	124	फतेहसागर
92	शुवाला	125	मान सरोवर कैनाल जैतपुरा
93	जोरावरपुरा	126	चन्द्रपुरा बान्द
94	आमली सागर	127	जीवली बन्ध
95	धामानिया	128	रोग्री

Page No 160

(160)

1	2	1	2
129	केरावल सागर	162	आउटलेट चिकसाना
130	टेडी सागर	163	चिकसाना नहर
131	झिलमिली बंध एवं नहर	164	अजान नहर
132	माधोसागर कैनाल	165	उर्मिला सागर
133	करण सागर	166	रामसागर नहर
134	प्रभात सागर	167	छितरिया विरारिया
135	हनुमान सागर	168	कंथवाडा बन्द
136	ताज सरोवर	169	कूरका बन्ध
137	विजयसागर व लेयाडिया	170	पथेना नहर
138	किशनसागर	171	भगोरी बन्द
139	केरिया सागर	172	बेगावा नागला
140	पीतलपुरा टैंक	173	साईफन पार्बती कोटा नहर पर
141	केरिया सागर	174	नाहरगढ टैंक
142	वाऊ की सागर	175	मोतीपुरा
143	विजय सागर	176	जैलासागर
144	छापरवाडा	177	भान्दरगढ
145	घटगंगा	178	भीम सीरसीपुरा
146	गाईड बन्ध जटवाड़ा	179	बदीपुरा
147	रामसागर समीचजी	180	गुढ़ा बेम
148	सेकवर	181	बसूनी
149	श्री यानी बन्ध	182	रोनीजा
150	हन्तरा बांढली बंध	183	दादून
151	बनदली बान्ध	184	जोपला
152	नांगला बजोर	185	भीमली सागर
153	किशन बान्ध	186	केशीला टैंक
154	अम्तेर सागर एम. एन. कैनाल	187	उदय सागर
155	बारेठा बन्ध व नहर	188	मूगली
156	सकलपुरा बान्ध	189	श्यामपुरा नहर
157	गौरखावाली बान्ध	190	अथोलिया
158	ललतामुन्डिया बान्द	191	बूंडली
159	डरसोनी नहर	192	कांकेरिया रोपिरिया
160	बाखरोली बान्ध	193	विस्तार (भाट नहर)
161	सीगोली नहर	194	भंलासिया

1	2	1	2
195	घाटोल पिक अप वीयर	228	वारीपुरा
196	रानी सागर	229	सोग पिक अप सीयर
197	भूवली	230	भराई टैंक
198	लकरी	231	ईटालिया खेर
199	अखोला मानसरोवर	232	लाखोला टैंक व नहर
200	वोरडा	233	फतेह सागर टैंक व नहर
201	खाटूडा	234	पीतलपुरा
202	मोरवान	235	खाडोरिया टैंक
203	कल्याणपुरा	236	रूवगी
204	मेली बान्ध	237	डाकरी बान्ध
205	बालसो की सरेरी	238	वचारिया बांध व नहर
206	हाथन और शम्भुगढ़	239	रूपन नहर
207	फूल सागर	240	गंववाना
208	अर्जुन सागर	241	भूवानी
209	पाटन	242	वेरीया टीबा
210	कोट बन्ध	243	कल्याणपुरा
211	मदन सरोवर	244	पायवाडा
212	गाज सागर	245	सतीकानाला
213	चीटोली	246	अराजीगोरीजी
214	सिन्दूर सागर	247	गोमागढ
215	चान्दसीन नहर	248	वावीसा
216	उम्मेदसागर	249	बेड़सारा
217	तालवान बून्दी	250	ब्रह्मनखारा
218	थिलासर	251	श्यामगढ
219	नेक सारना	252	वडा तालाब
220	गाजोवरी	253	गोपाल सागर
221	हरसोरा	254	माखनपुरा
222	रूपावली	255	घाटोल पिक अप वीयर
223	रामपुरा	256	उदयसागर कैनाल
224	सीकरी बांध व नहर	257	मानपुरा
225	पालवा बांध	258	विरवा
226	वोरडा बांकोली	259	देवरी खेडा
227	मथना नहर एट वीयर	260	लोसिंग टैंक

Page No 162

(162)

1	2
261	लालपुरा
262	सेन्यिाना
263	कांकरिया
264	कचोलिया
265	घोरा खेडी
266	सालेर
267	राजगढ
268	पाना खेडा
269	नाहरगढ
270	हारों
271	रामीर
272	नागदी पिक अप वीयर
273	चन्द्रभागा
274	उनीयारा टैंक व नहर
275	पुर टैंक
276	धमानिया
277	नवलपुरा
278	टिलौली
279	कटारिया का नाला
280	बाबा की बार
281	पादरा
282	टोकरा
283	कालम्बरी
284	दांता
285	गोडाना
286	दांतीवाड़ा
287	राजपुरा
288	मनोहारी
289	सेबेन्डी बाकली
290	उंगती
291	डिगोर
292	काना
293	सारन

1	2
294	मूषाना
295	लटारा
296	भमालिया
297	भैरुन्दा
298	पीपलिया
299	हरसोलाव
300	वीरजी का नाका
301	मंगलाना
302	रामसीन बीथन
303	मान सरोवर जेतपुरा
304	झिलमिल केनाल
305	कालाखो केनाल
306	लखना का बान्ध
307	कोठी नारायन पुरा
308	पोक
309	माती सागर
310	नौगजक
311	दौलतसागर
312	हाकिला
313	सरकावास
314	रंडलिया रामपुरा
315	भीमलत
316	पंच की बावड़ी
317	मासलपुर
318	अजगरा
319	सूरजपुरा रपट
320	भूजारेल
321	दादालिया
322	वम सुमाना
323	सरधाना
324	कारनोज टैंक
325	पारा
326	अंटड़ा

1	2	1	2
327	सप्लाईकट टू तबीजी	360	परसोली
328	फतेहपुरा रपट	361	सरोपा
329	बामनहेडा फीडर	362	कचोलिया
330	पूचपीपला	363	मुनगाना
331	जाला सागर	364	सीदर
332	पीपलिया	365	कोठारी फीडर
333	खाडा	366	तिलोली
334	विडिमाला	367	खुलेफा
335	चक तलाव	368	गलवानिया
336	बड़ा तालाव	369	भोजपुरा
337	नया तालाब	370	पंचोला
338	देव सागर	371	कुरका बान्ध
339	दौलाई सागर	372	चन्दोलाव
340	कनडोला	373	बन्डोरा
341	छोटा तालाव	374	समारी
342	बीचलता तालाव	375	भाडोल
343	शिव सागर	376	तेजोर कम जेठाना
344	मोती तालाव	377	वतरक
345	गोपाल सागर	378	सिमारिया
346	गणेश सागर	379	गोटाठ
347	नया सागर	380	झलान बस्सी टैंक
348	सुरा सुरी	381	पुष्कर झील
349	वथलाई	382	मोरेल की पूर्व नहर
350	भवानी सागर	383	घमरेड
351	मदन सरोवर	384	पापडा
352	तेज सरोवर	385	कुरका बान्ध की नहर
353	सूरजपुरा	386	जीवत
354	विजय सागर	387	गलाब
355	मोहामी	388	ढोडियाना
356	करमाई पिक अप वीयर	389	महावरा
357	बनाकिया	390	भुरवाना
358	सहाडा फीडर	391	डीगोर
359	वरखारा	392	धोडो लोवर

1	2
393	सामेरी
394	हरचन्द की दाईं नहर
395	झाडोल की नहर
396	गजपुरा
397	दुदिया माइनर
398	बीडोली फीडर
399	कालादेह
400	बड़ोरा
401	बनास
402	गोपालपुरा
403	बासनी
404	अड़वास
405	धनाकिया
406	धमाना कपासन फीडर
407	बाड़खेड़ा
408	आडिया
409	नीमभट
410	तिलोरा
411	लोरड़ी
412	शेरोकावाला
413	पुष्कर फीडर
414	बाग्नियावास
415	सेली की नाल
416	मीठरी
417	भीराई
418	गिरवर
419	बुडोली
420	मोजीपुरा
421	रेला
422	अराई
423	बतरका
424	जेठाना
425	बघाना

1	2
426	टमाटिया
427	पावटा
428	घाघोला
429	अमरगढ
430	सहाड़ा फीडर
431	गोदावरी का नाका
432	झिनकोनी
433	बीलून
434	मोरी की कडियां
435	घाटा
436	जवाहरसागर
437	लिकी
438	छापली
439	नया गांव
440	जवाशिया
441	हाथीभाटा
442	चांदगढ़
443	कंकरिया
444	अरनिया
445	नलवाई
446	हमीरका
447	गढ़ अजान
448	शेली की नाक
449	मीठड़ी
450	सारोल तलहटी
451	ढकला
452	बाडला
453	मोहाल
454	खोरा
455	परसोलों
456	तिलोरा
457	रायपुर झूनी
458	मोलेला

1	2	1	2
459	लोडा	500	रामाखेरा
460	राजकोट	501	गोबेच
461	भकरी	502	मानसरोवर
462	बन्सोली	503	मसका
463	बारोटी	504	फाटा
464	कालीसिल	505	गुडा गोकुलपुरा
465	कालाखों	506	बोरायाल
466	टंकू	507	वरन्तिया खुर्द
467	नीमला	508	लुनेरी
468	घडी सवाई राम	509	श्यामपुरा
469	पानी सांगल	510	अजीतसागर फीडर
470	खोरा	511	बाजना
471	खेरुना	512	देवली
472	चांद जी का कोठरा	513	नेखरा
473	खेरीपाड़ा	514	मुजवा
474	भीसर	515	वरडिया
475	देवता	516	ऊचाकिया
476	सागवाड़ा	517	नानीवायरी
477	चीपासन	518	मेमखोर
478	कुजी का पाडला	519	मोरिया मन्जुला
479	सन्डीला	520	सूरवाल रेजिंग
480	जन-तोरा	521	पीड़िया
481	खारलना	522	वालोटी
482	फिलाा	523	सागवारी
483	लोरखा	524	श्यामपुरा बिहार
484	डेलवास	525	रायपुर जागीर
485	मनोहर सागर	526	पांचू डोला
486	चांद सागर	527	चन्द्राना
487	साथीया फीडर	528	श्यामपुरा
488	भाना लिफ्ट स्कीम	529	छतरपुरा
489	राजनगर लिफ्ट योजना	530	बरलापोलिया
490	गलिया कोट	531	पाडला
491	सिशोद	532	गिरवर
492	भादेर	533	केर
493	विलुठा	534	मोहिदरी
494	गांवरी	535	वोरडा
495	दिजेठा	536	मदार का नाका
496	श्यालिया		
497	रथलियास		
498	सादी		
499	भेवदा		

चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सूची वर्ष 1977-78

वृहत परियोजनाएं:—

1. व्यास परियोजना
2. राजस्थान नहर परियोजना
3. चम्बल प्रथम चरण
4. चम्बल द्वितीय चरण
5. माही बजाज सागर
6. गुड़गांव नहर
7. जाखम

मध्यम परियोजनाएं:—

1. मेजा फीडर
2. भीमसागर
3. हरिश्चन्द्र सागर
4. पांचना
5. सोम कमला अम्बा
6. सोम कागदर
7. छापी
8. भाडोल
9. वागन डाईवर्जन
10. लसारिया
11. मोहर फीडर
12. सिद्धमुख

चालू लघु सिंचाई योजनाओं की सूची

क्रम सं.	नाम कार्य	जिले
1	2	3
1.	सोदरा	टोंक
2.	शिवदानपुरा	,,
3.	अभयपुरा	बून्दी
4.	बरधा नहर	,,
5.	शम्भू नगर	,,
6.	सरोला	,,
7.	खटका	झालावाड़
8.	मगदेत	कोटा
9.	नारायण खेड़ा	कोटा
10.	रामपुरा	,,
11.	कियासरा	झालावाड़
12.	खेवरिया	भीलवाड़ा
13.	अनवासा	,,

1	2	3
14.	माडल	भीलवाड़ा
15.	कन्या खेडी	,,
16.	टीटोरा	,,
17.	दामती कोठरा	,,
18.	रेरिया	चित्तौड़गढ़
19.	मोटिया महादेव	,,
20.	जोगनिया माता	,,
21.	डिगोच (ट्राइबल)	उदयपुर
22.	गागरी (ट्राइबल)	,,
23.	माट	,,
24.	वनोकरा	,,
25.	वहूखंडा	सवाई माधोपुर
26.	देवपुरा	,,
27.	बदवास	,,
28.	रेरिया	जयपुर
29.	महेश्वरा	,,
30.	सिलीबेरी	अलवर
31.	हरसोरा	,,
32.	कारबन	भरतपुर
33.	भारोली	अलवर
34.	रात की खाल	भरतपुर
35.	बारापुरा	,,
36.	सेर	,,
37.	जापुरा (ट्राइबल)	बांसवाड़ा
38.	लाम्बा डाबरा	,,

ब्यावर में लघु उद्योग एवं कृषकों को बिजली

690. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ब्यावर के सभी विद्युत लाइन के ट्रांसफार्मर्स ओवर लोड हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा कुल कितने ट्रांस-फार्मर्स लगे हुए है ।

(2) क्या ब्यावर में लघु उद्योग, कृषक व अन्य विद्युत विभाग से परेशानी का सामना कर रहे हैं ।

(3) क्या ब्यावर में लघु उद्योगों के किसानों के पावर कनेक्शन्स अभी तक पैंडिंग में हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से इन्हें नहीं किये गये ?

(4) क्या राज्य सरकार अब इन्हें राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनकी कठिनाइयां कब तक दूर हो जायेंगी ?

(5) क्या राज्य सरकार ब्यावर ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य चालू किया जावेगा ?

उत्तर

(1) ब्यावर में लगे हुए कुल 34 ट्रांसफार्मर्स में से केवल 6 ट्रांसफार्मर्स ओवर लोड हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) ब्यावर सिटी सब डिविजन में इस समय केवल 14 उद्योगों के कनेक्शनों के प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं । जिनके लिए भी डिमांड नोटिस भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

(4) जी हां । सभी विचाराधीन प्रार्थना पत्रों के डिमान्ड नोटिस अगले एक माह में देने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(5) ब्यावर तहसील के 102 ग्राम इस समय विद्युतिकृत हैं । अन्य कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अभी स्वीकृत नहीं है ।

राज्य के बिना बिजली वाले गांव

691. श्री बहादुर सिंह (नोहर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ऐसे कितने विधान सभा क्षेत्र हैं जिनके गांवों में किसी एक गांव में भी बिजली नहीं है ।

(2) राज्य में ऐसे कितने कस्बे हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची है ?

उत्तर

(1) राज्य में विद्युतिकृत ग्रामों का ब्यौरा तहसील वार रखा जाता है । विधान सभा क्षेत्रों के नक्शों के आधार पर 6 विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कोई भी ग्राम विद्युतीकृत नहीं है ।

(2) वर्ष 1971 की जनगणना में दिये गये सभी कस्बे विद्युतीकृत हैं ।

Page No 169

(169)

चूरू जिले के खारे, बिराये व कम पानी वाले गांव

692. श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में खारे, बिराये व कम पानी वाले कितने गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या राज्य सरकार इन गांवों को निकट भविष्य में पेय जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो इन गांवों के लिए क्या योजना है और यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में मास्टर प्लान के आधार पर खारे, बिराये व कम पानी वाले ग्रामों की संख्या 631 है । तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उपरोक्त 618 ग्रामों में से खारे, बिराये व बिना स्त्रोत वाले 228 ग्रामों तथा कम पानी वाले 30 ग्रामों के लिए योजनायें स्वीकृत की जा चुकी है । जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए 18 जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत 60 ग्राम प्रस्तावित किये गये हैं । इन प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है । तत्पश्चात् प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धी के आधार पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

मास्टर प्लान के आधार पर चूरू जिले के खारे, बिराये व कम पानी वाले ग्रामों का विवरण

क्रम संख्या	तहसील का नाम	कुल आबाद गांवों की संख्या	खारे व बिराये पानी वाले ग्रामों की संख्या	कम पानी वाले गावों की संख्या
1	तारानगर	87	76	10
2	राजगढ़	184	135	41
3	चूरू	89	75	1
4	सरदारशहर	162	113	2
5	सुजानगढ़	147	76	19
6	रतनगढ़	91	43	—
7	श्री डूंगरगढ़	90	22	1
		850	540	73

समाज कल्याण विभाग में पोषाहार निरीक्षक के पदों का मामला

693. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या समाज कल्याण विभाग में पोषाहार निरीक्षक के पद सीधी भर्ती से भरने हेतु रखे गये थे ?

(2) समाज कल्याण विभाग में पोषाहार निरीक्षक के लिये भर्ती हेतु क्या निर्धारित योग्यता रखी गई हैं ? क्या श्री सोहनलाल त्रिवेदी जब मेडिकल विभाग से स्थानान्तरण करा कर समाज कल्याण विभाग में आये थे वह उस समय इस पद की योग्यता एवं निर्धारित आयु सीमा में आते थे? यदि हां, तो आयु सीमा क्या है ?

(3) क्या श्री सोहनलाल त्रिवेदी को समाज कल्याण विभाग में आने के एक वर्ष के अन्दर ही दो पदोन्नतियां दे दी गई? यदि हां, तो किस नियम के आधार पर! नियम की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

(4) श्री त्रिवेदी को जब पदोन्नतियां दी गई उस समय विभाग में कितने कर्मचारी इस पद की योग्यता रखते थे और वह श्री त्रिवेदी से विभाग में सीनियर थे ? उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(5) क्या श्री त्रिवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, उदयपुर में केस दर्ज है जिसमें फर्जी बिल बनाने का मामला सिद्ध हो चुका है तब किस आधार पर इसको दो पदोन्नतियां दी गई हैं ?

(6) क्या जनता सरकार श्री त्रिवेदी को हटाकर निलम्बित करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं ?

(7) क्या जनता सरकार श्री त्रिवेदी को पोषाहार निरीक्षक के पद से पदावनत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। समाज कल्याण विभाग में राजस्थान समाज कल्याण अधिनस्थ सेवा नियम, 1963 (समय समय पर संशोधित) के अन्तर्गत पोषाहार निरीक्षकों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31-1-76 से लागू किये गये हैं। शेष 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है।

निर्धारित योग्यता के अनुसार स्नातक एवं समाज शास्त्र विषय वाले स्नातक को प्राथमिकता दी जाती है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) जी हां। श्री सोहनलाल निर्धारित योग्यता एवं आयु सीमा के अन्तर्गत आते थे। आयु सीमा अधिकतम 25 वर्ष थी एवं नियमानुसार स्थायी राज्य कर्मचारी को अधिकतम सीमा में 15 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

(3) जी नहीं। श्री सोहनलाल त्रिवेदी, समाज कल्याण में दिनांक 13-9-72 से आये और इसके बाद इन्हें प्रथम तदर्थ पदोन्नति दिनांक 21-1-73 से तथा द्वितीय तदर्थ पदोन्नति दिनांक 9-1-74 से दी गई। आवश्यक अस्थाई (urgent temporary) नियुक्ति का प्रावधान राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 26 में है। नियम 26 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-क)

(4) श्री सोहन लाल त्रिवेदी विभाग में पोषाहार निरीक्षक के पद से पदोन्नतियां दी गई उस समय विभाग में कर्मचारियों की निम्न स्थिति थी:—

1. प्रथम पदोन्नति 21-3-73 को सोशियल केस वर्कर के पद पर दी गई। उस समय निर्धारित योग्यता वाले केवल दो कर्मचारी, श्री त्रिवेदी व श्री के. के. श्रीवास्तव थे। विभाग में उस समय कोई नियमित वरिष्ठता सूची नहीं थी। उस समय इस वर्ग में जो आवश्यक अस्थाई नियुक्त कर्मचारी थे, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट'ख')

2. दिनांक 9-1-74 को श्री त्रिवेदी को सोशियल केस वर्कर से परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया। उस दिन विभाग में आवश्यक अस्थाई नियुक्त 10 कर्मचारी और थे, जिनमें से 8 कर्मचारी आवश्यक योग्यता रखते थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट 'ग')

(5) जी हां। श्री सोहनलाल त्रिवेदी एवं अन्य दो व्यक्तियों के विरूद्ध फर्जी बिल बनाने का मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उदयपुर में दर्ज था। अपर पुलिस अधीक्षक उदयपुर, ने फर्जी बिल बनाने के आरोप को संयुक्त रूप से सिद्ध पाये जाने पर रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजी। अपर महा निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 1-3-78 द्वारा केवल एक कर्मचारी, श्री विष्णुदत्त शर्मा के विरुद्ध ही राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सिफारिश की है। पदोन्नतियां इस मामले के दर्ज होने के पहले की गई थी।

(6) जी नहीं। क्योंकि श्री त्रिवेदी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अपर महा निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर ने कोई सिफारिश नहीं की है।

(7) जी नहीं। क्योंकि श्री त्रिवेदी की नियुक्ति स्क्रीनिंग कमेटी के आदेश संख्या पं0 1 (1) (6) सक/76/127 दिनांक 2 जुलाई, 1976 के द्वारा नियमित की गई है।

(222)

परिशिष्ट : क

Extract copy of rule 26 of the Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules. 1963.

26. Urgent temporary appointment:-A vacancy in the Service which can not be filled in immediately either by direct recruitment or by promotion under the rules may be filled in by the appointing authority or by the Authority competent to make appointments, as the case may be, by appointing in an officiating capacity thereto an officer eligible for appointment to the post by promotion or by appointing temporarily thereto a person eligible for direct recruitment to the Service, where such direct recruitment has been provided under the provisions of these rules.

Provided that such an appointment will not be continued beyond a period of one year without referring the case to the Commission for concurrence, where such concurrence is necessary, and shall be terminated immediately or its refusal to concur.

Provided further that in respect of the Service or a post in the Service for which both the above methods or recruitment have been prescribed, the Government of the Authority competent to make appointment, as the case may shall not, save with specific permission of the Government in the D. O. P. in the case of State Services and Government in the Administrative Department concerned in respect of other services, till the temporary vacancy against the direct recruitment quota by a whole time appointment for a period exceeding three months otherwise than out of persons eligible for direct recruitment and after a short term advertisement.

परिशिष्ट 'ख'

दिनांक 21-3-73 को पोषाहार निरीक्षक अथवा समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री दीनानाथ पारीक	बी०ए०	6-6-70	
2.	श्री लक्ष्मीनारायण यादव	एम०ए० (राजनीति शास्त्र)	27-1-73	
3.	श्री नवाब सिंह	बी०ए०	27-1-73	
4.	श्री के. के. श्रीवास्तव	एम०ए० (समाज शास्त्र) एम०ए० (राजनीति शास्त्र) डिप्लोमा इन लेबर टेक्नोलोजी एण्ड वुड वर्क।	27-5-72	
5.	श्री किशोरसिंह राठौड़	एम०ए० (जोग्राफी)	25-5-72	
6.	श्री शिवचन्द जैन	बी०ए०	3-6-72	
7.	श्री गेन्दाराम विश्नोई	बी०ए०	25-5-72	
8.	श्री शफीक अहमद अरबी	बी०ए०	27-5-72	
9.	श्री अर्जुन लाल जाट	एम०ए० (लोक प्रशासन)	23-8-72	
10.	श्री आसूलाल दवेरा	बी०ए०	22-8-72	
11.	श्री एस. मो. खान	बी०ए०	1-9-72	
12.	श्री सोहनलाल त्रिवेदी	1. एम०ए० (ग्रामीण एल०एल०बी०) 2. समाज शास्त्र 3. सर्टीफिकेट कोर्स इन लेबर ला	13-9-73	

परिशिष्ट 'ग'

दिनांक 21-3-73 अथवा इसके पश्चात् दिनांक 9-1-74 के बीच समाज कल्याण विभाग में स्पेशल केस वर्कर अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वरीयता क्रम में सूची।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति दिनांक	पदोन्नति की तिथि	वेतन श्रृंखला	विशेष विवरण
1	सर्व श्री रामचन्द्र	बी०ए०	—	18-2-78	590-1035	स्थाई उद्योग
2	मदन गोपाल व्यास	—	25- 4-68	1978	590-1035	निरीक्षक
3	सावित्री हुरजानी	एम०ए० (समाज कार्य)	12- 6-68	18-2-78	590-1035	
4	करणसिंह राठोड़	एम०ए० (समाज शास्त्र)	12- 8-71	7-2-73	225-525	
5	श्याम सुन्दर कल्ला	एम०ए० (समाज शास्त्र)	2- 8-71	28-9-72	225-525	
6	हिम्मतसिंह सिसोदिया	एम०ए० (समाज शास्त्र)	12- 8-71	29-3-73	225-525	
7	अब्दुल कयूम	एम०ए० (समाज शास्त्र)	18- 8-71	30-3-73	225-525	
8	श्रीमती पुष्पा सिंघवी	एम०ए० (समाज शास्त्र) एवं बी०एड०	10-12-71	28-2-74	225-525	
9	रामानन्द सिंह	एम०ए०	19- 9-72	27-8-73	225-525	
10	नवलसिंह मोदी	एम०ए० एवं विशारद	9- 2-73	27-8-73	225-525	
11	सोहनलाल त्रिवेदी	एम०ए० (ग्रामीण समाज शास्त्र, एल०एल०बी० सर्टिफिकेट कोर्स इन लेवर ला)	21- 3-73	9-1-74	225-525	
12	कुंजबिहारीलाल शर्मा	एम०ए० (प्रि० पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा)	4- 3-74	—	—	

Page No 175

(175)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न सं. 457 की सूची)

प्रश्न संख्या 85 के भाग दो की सूची

वर्ष 1977-78 में त्वरित कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	जन सं. 1971	स्वीकृत लागत	आवंटन 77-78 (लाखों में)
1.	क्षे. न. प्र. यो मलाव उठवालिया	बागीर	1. सायरेन	2344		
			2. उठवालिया	1570		
			3. राठीलखर	1289		
			4. मुंडसर	571		
			5. मोवारम	970		
			6. रोहिनी	1962		
			7. डाकोरिया	394	28.532	6.00
				88.00		
2.	,, लालगढ टोडू	आमल	1. डोडू	809	5.279	1.50
3.	,, गेलोली आवला	,,	1. आवला	1003		
			2. डागरा	193		
			3. कालवी	170		
			4. गुंडी	659		
			5. गेलोली	527	11.524	3.00
				2552		
4.	,, शेरानियों की ढाणी डाब गांव	हीडवामा	1. डाब गांव	487		
			2. प्यावा	990		
			3. शेरनियों की ढाणी	2500	6.003	2.00
				3977		
5.	,, बेलर साभूखुर्द	,,	1. साभूखुर्द	247	1.225	0.50
	कुल -		17	16.385	52.564	13.00

(178)

Recommendation of District Planning Committee for the Year 1977-78

District–Nagaur

S.No.	Name of Scheme	Tehsil	Name of villages covered (Code No.)	Population in souls
1	2	3	4	5
1	Reg. S.S.S. Santheran Godharan Shribalaji	Nagaur	1) Santheran (42)	2344
			2) Uthavaliya (43)	1579
			3) Mundasara (41)	571
			4) Ghodaran (40)	970
			5) Bohina (39)	1662
			6) Cathilanar (98)	1289
			7) Dhakoria (96)	394
			8) Shri Balaji (27)	3004
				11813
2	Reg. W.S.S. Tantawas Bhojas-Dev	-do-	1) Tantawas (2)	1361
			2) Barun (3)	5156
			3) Bhojas (1)	1038
			4) Bamaniyala (6)	395
			5) Datina (4)	1401
			6) Panchodi (7)	2383
			7) Deu (5)	1769
				13494
3	Reg. W.S.S. Bawadiya Bundel-Godhan	-do-	1) Chawadiya (56)	1292
			2) Nimbola (16)	499
			3) Bundel (17)	1431
			4) Gudha-Bhijwanda (20)	3180
			5) Ranan (18)	488
			6) Potaliya Hajara (54)	682
			7) Godhan (55)	414
				7988

1	2	3	4	5
4	Reg. Panchala Sidha-Khunchi-Harwa Khurd	Nagaur	1) Panchola Sidha (18)	3883
			2) Birloka (11)	2884
			3) Leoranada (12)	600
			4) Kotiya (61)	1671
			5) Barbat (67)	237
			6) Khurchi (66)	2437
			7) Lunswas (65)	168
			8) Satika Kalan (10)	573
			9) Satika Khurd (8)	462
			10) Maya Kalan (62)	967
			11) Harwa Khurd (63)	689
				14533
5	Reg. W.S.S. Gajoo-Janana-Dhardiya	-do-	1) Gaju (212)	994
			2) Palari Jodha (192)	1814
			3) Janana (195)	1641
			4) Gorda (191)	625
			5) Basni Khaiil (215)	400
			6) Milawa (189)	8637
			7) Dardia (211)	453
				14564
6	Reg. W.S.S. Runsonadi-Asaward	-do-	1) Run (208)	2932
			2) Dharda (206)	458
			3) Chitani (207)	156
			4) Sanadi (203)	1394
			5) Aswari (204)	1464
				6435

1	2	3	4		5
7	Reg. W.S.S. Jhadisara Bindas-Nandoli	Nagaur	1) Jhadisara	(110)	889
			2) Bhater	(107)	585
			3) Khaitas	(99)	484
			4) Jindas	(117)	187
			5) Marima	(118)	446
			6) Pirawa	(104)	285
			7) Golsar	(105)	107
			8) Jodhiasi	(102)	1066
			9) Singonia	(153)	90
			10) Mindoli	(101)	695
					4794
8	Reg. W.S.S. Lalep-Dobru-Bhawda	-do-	1) Lalep	(155)	965
			2) Rebru	(146)	1165
			3) Bhawda	(154)	1551
					3681
9	Reg. W.S.S. Kanodia Migha Majora	-do-	1) Kanodia	(12)	1100
			2) Mitha Mejera	(5)	517
			3) Kangslya	(7)	538
			4) Godania	(17)	415
					2500
10	Reg. W.S.S. Rajod Dhaneri Dugoli	-do-	1) Rajod	(48)	2566
			2) Khiyalas	(47)	1394
			3) Dugoli	(41)	1777
			4) Ajabpura	(38)	U.P.
			5) Dhatiyod	(37)	374
			6) Dhanani	(36)	317
			7) Chapara	(28)	1349
			8) Tawara	(27)	1325
			9) Rotee	(40)	1598
			10) Jhadoli	(19)	2077
			11) Chawali	(25)	440
			12) Kharamajara	(26)	185
					13402

Page No 179

(179)

1	2	3	4		5
11	Reg. W.S.S. Gili Dhani Khokhari Mar	Ladnu	1) Gili Dhani		400
			2) Khokhari	(60)	653
			3) Koyal	(59)	422
			4) Ber	(58)	423
					1900
12	Reg. W.S. Debgaon-Pyawa	Didwana	1) Dobgaon	(103)	487
			2) Sharania	(98)	1269
			3) Khati Khurd	(104)	7077
			4) Pyawa	(107)	1373
					10206
13	Reg. W.S.S. Bamabus Ladawa	-do-	1) Ranna	(42)	710
			2) Lada Bag	(86)	349
					1059
14	Reg. W.S.S. Kachras Roshnawa	-do-	1) Kachras		N A.
			2) Roshanwa		N.A.
15	Reg. W.S.S. Nokha Chandewata	Merta City	1) Gogunda	(8)	536
			2) Sirondhana	(7)	307
			3) Dedwana	(5)	636
			4) Dodwadi	(6)	208
			5) Mottha	(4)	1809
			6) Dhawa	(11)	1060
					5489
16	Piped W.S.S. Alaniyawas	Degana	1) Alaniyawas	(145)	3445
17	,, Bharunda	-do-	1) Bharunda	(138)	2986
18	,, Thanwala	-do-	1) Thanwala	(172)	4402
19	Piped Palrikalan	-do-	1) Pilri Kalan	(120)	2166
20	Reg. W.S.S. Jasnagar	-do-	1) Jasnagar		3806
			2) Rahisar	(139)	171
					3977

(180)

1	2	3	4		5
21	P&T Hansiyas	-do-	1) Mansiyaa		
22	Reg. W.S.S. Chui	-do-	1) Churu	(30)	1376
			2) Chui	(41)	2018
			3) Dhodi		898
			4) Kanil		318
			5) Bhawariya	(33)	303
			6) Manjhi	(39)	1669
			7) Muchar		580
			8) Bamala	(42)	653
			9) Noond	(70)	771
			10) Chosali	(43)	549
			11) Bhinay		486
					9621
23	Reg. W. S. S. Marwar C Chhapa	Merta	1) Mugus	(45)	168
			2) Mal Dunj	(47)	306
					476
24	Reg. W.S.S. Kamolai	-do-	1) Roliyawata	(106)	223
			2) Mandokas		—
					223
25	Reg. W.S.S. Lan	Degana	1) Vishnoiyon ki Dhani		N.A.
			2) Bilai Badi		—
			3) Thala ki Dhani		—
					—
26	Reg. W.S.S.	Merta	1) Basni Seja	(28)	1405
			2) Shivarnawas		—
			3) Sedas	(29)	148
			4) Ponna ki Dhani		-
					1453

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के आंकड़े)

पाचना सिंचाई योजना के तकनीकि आंकड़े

1	कुल आबाद क्षेत्र	222	वर्ग मील
2	अवरुद्ध आबाद क्षेत्र	12	,,
3	मुक्त आबाद क्षेत्र	200	,,
4	औसतम वार्षिक वर्षा	28.33	इन्च
5	औसतम वर्षा कालीन वार्षिक वर्षा	25	,,
6	कुल संग्रह क्षमता	685.5	मि. घनफुट
7	निष्क्रिय	60.0	,,
8	बांध की कुल लम्बाई	1842.5	फुट
9	तालाब की लम्बाई	257.5	,,
10	अत्यधिक बाढ़ निस्सारण	74500	क्यूसेक्स
11	बांध की अधिकतम ऊंचाई	45	फुट
12	बांध की ऊपरी सतह की चौड़ाई	14	,,
13	अत्यधिक जलतल	278.5	,,
14	पूर्ण भराव तक	178.5	,,
15	मुक्तांतर	5.5	,,
16	तूमपट तल	249.34	,,
17	प्रस्तावित वार्षिक सिंचन	14000	एकड़

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 466 का विवरण

दोषारोपण विवरण पत्र विरुद्ध श्री भागचन्द जैन, कनिष्ट लिपिक (निलम्बित) मातृ शिशु कल्याण केन्द्र रामगढ़ सेठान ।

दोषारोपण सं. 1

श्री भागचन्द जैन कनिष्ट लिपिक–मातृ शिशु कल्याण केन्द्र रामगढ सेठान में राज्य कार्य पर रहते हुए शराब पीने के दोषी है जैसा कि आरोप विवरण पत्र संख्या 1 में अंकित है ।

दोषारोपण सं. 2

श्री भागचन्द जैन, कनिष्ट लिपिक (निलम्बित) मातृ एंव शिशु कल्याण केन्द्र रामगढ सेठान केन्द्र की महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के दोषी है । जैसा कि आरोप प. सं. 2 में वर्णित है ।

दोषारोपण सं 3

श्री भागचन्द जैन, कनिष्ट लिपिक (निलम्बित) मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र रामगढ सेठान एक हरिजन व्यक्ति से 110/–रुपये एवं एक शराब की बोतल उनको नौकरी दिलाने का लालच देकर किये जाने के दोषी है जैसा कि आरोप विवरण पत्र संख्या 3 में वर्णित है ।

दोषारोपण सं. 4

श्री भागचन्द जैन (निलम्बित) मातृ एंव शिशु कल्याण केन्द्र रामगढ़ सेठान एक भर्ती मरीज के अटेन्डेन्ट से रुपए एवं शराब की बोतल लेने के दोषी है जैसा कि आरोप विवरण पत्र संख्या 4 में वर्णित है ।

दोषारोपण सं. 5

श्री भागचन्द जैन (निलम्बित) मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, रामगढ़ सेठान अपनी स्वयं की इच्छा से दिनांक 18–5–76 से अनुपस्थित रहकर राजस्थान सेवा नियम, 86 की अवहेलना करने के दोषी है जैसा कि आरोप विवरण पत्र संख्या 5 में वर्णित है ।